

सत्यमेव जयते

आर्थिक क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन क्र. 2

आर्थिक क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन क्र. 2

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
पहला अध्याय प्रस्तावना		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3	2
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.4	2
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदेयता का अभाव	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन की प्रतिक्रिया	1.6	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.7	4
लेखापरीक्षा की पहल पर वसूलियां	1.8	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्त संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.9	6
दूसरा अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षाएं		
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग		
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन	2.1	9
जल संसाधन विभाग		
मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन	2.2	45
तीसरा अध्याय अनुपालन लेखापरीक्षाएं		
लोक निर्माण विभाग		
सड़क कार्यों के प्राक्कलनों की तैयारी पर लेखापरीक्षा	3.1	79
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग		
फसल बीमा योजना पर लेखापरीक्षा	3.2	95
लेखापरीक्षा की कंडिकाएं		
सहकारिता विभाग		
परिवहन के लिए निविदाओं की उच्चतर दर को स्वीकार करने के कारण अतिरिक्त लागत	3.3.1	115
वन विभाग		
शुद्ध वर्तमान मूल्य की कम वसूली	3.3.2	116
शासन को अपूर्ण्य हानि	3.3.3	118
नर्मदा घाटी विकास विभाग		
प्रक्रिया का उल्लंघन	3.3.4	118
मोबलाईजेशन अग्रिम का अनियमित भुगतान और ठेकेदार से शास्ति की कम वसूली	3.3.5	120
मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान	3.3.6	122
सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के गलत प्रावधान एवं क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत	3.3.7	123

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
लोक निर्माण विभाग		
क्रशर रन मैकेडम की अधिक मोटाई के क्रियान्वयन के कारण अनाधिकृत भुगतान	3.3.8	125
दरों की अनुसूची में उच्चतर दरों को निर्धारित करने के कारण अतिरिक्त लागत	3.3.9	126
जल संसाधन विभाग		
सिंहस्थ-2016 के अंतर्गत खान नदी व्यपवर्तन परियोजना के क्रियान्वयन में वित्तिय अनियमितताएं	3.3.10	128
खोदी गई हार्डरॉक का कार्य स्थल सामग्री लेखा नहीं रखा गया	3.3.11	130
अपर्याप्त प्राक्कलन और कमजोर आयोजना के कारण निष्फल व्यय	3.3.12	131
सीमेंट कंक्रीट कार्य में रेत के लिये लीड का अधिक भुगतान	3.3.13	133
गलत सयुक्त दर तैयार करने के कारण अतिरिक्त लागत	3.3.14	135
चिपकने न फूलने वाली मिट्टी के लिए गलत दरें अपनाने के कारण अधिक लागत	3.3.15	137
नहर में टेंपिंग के क्रियान्वयन के कारण परिहार्य अतिरिक्त लागत	3.3.16	138

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1 ए एवं बी	30 जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण	141
2.1	विभिन्न फसलों के अन्तर्गत नमूना जाँच किये गये एन.एफ.एस. एम. जिलों का विवरण दर्शाने वाला विवरण	143
2.2	राज्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिलों में धान के उत्पादन एवं उत्पादकता दर्शाने वाला विवरण	144
2.3	राज्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिलों में गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता दर्शाने वाला विवरण	145
2.4	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान गुणवत्ता जाँच के लिए भेजे गये नमूने एवं उनके परिणामों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	147
2.5	वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में धान, गेहूँ एवं दलहन प्रदर्शन केन्द्रों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों दर्शाने वाला विवरण	148
2.6	नमूना जाँच किये गये जिलों में आयोजित प्रदर्शनों की कुल संख्या और फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	149
2.7	वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में धान घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	150
2.8	वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में गेहूँ घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	151
2.9	वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में दलहन घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	152
2.10	वर्षवार जिलों के नाम जहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबन्धन/मृदा सुधारकों एवं पौध संरक्षण आदानों का वितरण नहीं किया गया दर्शाने वाला विवरण	153
2.11	वर्षवार जिलों के नाम जहाँ पोषक तत्व प्रबन्धन/मृदा सुधारक/पौध संरक्षण आदानों के भौतिक उपलब्धि के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि शून्य दर्शाने वाला विवरण	154
2.12	समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान दलहन घटक के अन्तर्गत आईपीएम वितरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	155
2.13	वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान दो जिलों में स्प्रिंकलर घटक में तहत किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण	156
2.14	वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान 14 जिलों में स्रोत से खेत तक पानी लाने के लिए पाईप घटक में तहत किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण	156
2.15	समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान कृषकों के क्षेत्र विद्यालय/फसल आधारित प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	157

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.16	राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान धान में स्थानीय पहल अन्तर्गत लिये गये घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	158
2.17	समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान गेहूँ में स्थानीय पहल के अन्तर्गत लिये गये घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	159
2.18	समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान दलहन में स्थानीय पहल अन्तर्गत लिये गये घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	160
2.19	जिलेवार/वर्षवार व्यपगत अथवा समर्पित की गई राशि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	161
2.20	एनएफएसएम खाते में रोकड़ बही के विरुद्ध पास बुक में अंतर दर्शाने वाला विवरण	162
2.21	12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चिन्हित नहीं किये गये जिलों को आवंटित एवं उपयोग की गयी राशि दर्शाने वाला विवरण	162
2.22	एस.एम.पी. स्वीकृति के पश्चात भी कार्य प्रारम्भ करने में योजनावार विलम्ब दर्शाने वाला विवरण	163
2.23	एस.एम.पी. के प्रावधान से अधिक सी.सी. लाइनिंग के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण	170
2.24	उच्चतर विशिष्टि अपनाने के कारण अनियमित व्यय दर्शाने वाला विवरण	171
2.25	मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण	172
2.26	बी.टी. मेटल की अधिक लीड सम्मिलित करने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण	175
2.27	संधारण एवं मरम्मत के स्थान पर नये कार्यों के दरों को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण	176
2.28	अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती नहीं करने को दर्शाने वाला विवरण	177
2.29	क्षतिपूर्ति का अधिरोपण न/कम करने को दर्शाने वाला विवरण	179
2.30	रायल्टी प्रभारों के अनुपालन नहीं होने को दर्शाने वाला विवरण	180
2.31	कार्यों के बीमा को दर्शाने वाला विवरण	181
2.32	श्रिकेज अलाउंस की गैर कटौती दर्शाने वाला विवरण	183
2.33	ठेकेदारों को कोर टेस्ट पर अनुचित वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण	184
2.34	ठेकेदारों को गैर अनुरूप कोर टेस्ट परिणामों पर अनुचित वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण	185
3.1	सड़क कार्यों के नमूना जांच किये गये प्राक्कलनों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण दर्शाने वाला विवरण	187
3.2	मिट्टी कार्य एवं खुदाई की मात्रा में बढ़ोतरी एवं कमी के कारण लागत प्रभाव दर्शाने वाला विवरण	195

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.3	डब्ल्यूबीएम मद के स्थान पर मंहगे डब्ल्यूएमएम को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण	199
3.4	प्राक्कलनों में भूमि अधिग्रहण एवं वन अनापत्ति के अपर्याप्त प्रावधान के कारण विलंब एवं अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण प्राक्कलनों में उपयोगिताओं के स्थानांतरण के अपर्याप्त प्रावधान के कारण विलंब एवं अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक	201
3.5	मूल प्राक्कलनों में सड़क फर्नीचर के मद को सम्मिलित नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण मूल प्राक्कलनों में सड़क फर्नीचर के मदों के प्रावधानित होने पर भी क्रियान्वित नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण	204
3.6	महंगी विशिष्टियों का बिना इसकी आवश्यकता सुनिश्चित किये प्रावधान एवं क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण ओजीपीसी और शील कोट के प्रावधान एवं क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण जहां यतायात सर्वे नहीं किया गया था	209
3.7	क्रस्ट के गलत संगणना के कारण महंगी/निम्न विशिष्टियों को अपनाने दर्शाने वाला विवरण	211
3.8	क्रस्ट अवयव को गलत अपनाये जाने के कारण महंगी विशिष्टियों के प्रावधान एवं क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण	213
3.9	क्रस्ट अवयव को गलत अपनाए जाने के कारण निम्न विशिष्टियों के प्रावधान एवं क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण	215
3.10	जीएसबी के अधिक मोटाई के प्रावधान एवं क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण	216
3.11	हार्डशोल्डर का क्रियान्वयन नहीं करने अथवा कम मोटाई में क्रियान्वित करने के कारण षोल्डर के नीचे ड्रेनेज परत पर अवांछित व्यय दर्शाने वाला विवरण	217
3.12	प्राक्कलित लम्बाई की तुलना में सड़क की लम्बाई में विचलन दर्शाने वाला विवरण	219
3.13	सीमेंट कंक्रीट सड़क को प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं करने/कम लम्बाई में सम्मिलित करने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण	221
3.14	गैर ऋणी किसानों का कवरेज दर्शाने वाला विवरण	223
3.15	100 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किये गये पटवारी हल्का दर्शाने वाला विवरण	224
3.16	अधिसूचित फसल के बुआई क्षेत्र 100 हेक्टेयर से कम होने को दर्शाने वाला विवरण	225
3.17	दावों के भुगतान में विलंब दर्शाने वाला विवरण	226
3.18	वित्तीय स्केल के विरुद्ध मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) ऋण का अतिरिक्त भुगतान दर्शाने वाला विवरण	227
3.19	वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमित क्षेत्र जहाँ बुआई नहीं हुई दर्शाने वाला विवरण	228
3.20	उपयोगकर्ता संस्थाओं से एनपीवी की कम/नहीं वसूली दर्शाने वाला विवरण	229

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.21	गलत दरों के लागूकरण के कारण एनपीवी के कम वसूली दर्शाने वाला विवरण	229
3.22	गलत दरों के लागूकरण के कारण एनपीवी के कम वसूली दर्शाने वाला विवरण	230
3.23	शासन को वसूली नहीं होने योग्य हानि दर्शाने वाला विवरण	230
3.24	बड़वाह में पीओएल की मूल्य वृद्धि की गणना दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध सं. 15/2010-11)	231
3.25	बड़वाह में पीओएल की मूल्यवृद्धि की गणना दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध सं. 16/2010-11)	232
3.26	जल संसाधन विभाग, शाजापुर में विभाग द्वारा तैयार क्लब्ड दर और भुगतान योग्य क्लब्ड दर के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण	233
3.27	जल संसाधन विभाग, मनावर में विभाग द्वारा तैयार क्लब्ड दर और भुगतान योग्य क्लब्ड दर के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण	234
3.28	सीएनएस मिट्टी के गलत दरों के अपनाये जाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण	235
3.29	नहर कार्यों में टेंपिंग के अनियमित मद के क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण	236

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सहकारिता, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वन, नर्मदा घाटी विकास, लोक निर्माण और जल संसाधन विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं। यद्यपि, सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अधीन विभागों को छोड़ा गया है एवं उसे सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए दृष्टांत उन दृष्टांतों में से हैं जो वर्ष 2015-16 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु जिन्हें पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2015-16 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में संचालित की गई है।



विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। पहले अध्याय में राज्य की वित्तीय रूपरेखा, लेखापरीक्षा की आयोजना और संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हैं। दूसरा अध्याय, दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्ष से सम्बन्धित हैं और तीसरा अध्याय, सहकारिता, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वन, नर्मदा घाटी विकास, लोक निर्माण और जल संसाधन विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों का कूल धन मूल्य ₹ 1,705.33 करोड़ है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित किया गया है। लेखापरीक्षा नमूने सांख्यिकीय नमूनों के आधार पर लिए गए हैं। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा विधि प्रत्येक निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा में दर्शाई गई है। निकाले गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष और अनुशंसाएं शासन के विचारों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है :-

1. निष्पादन लेखापरीक्षाएं

1.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) एक केन्द्र प्रायोजित फसल विकास योजना है जिसका उद्देश्य खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन करना और मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना है।

मध्य प्रदेश में योजना, एनएफएसएम –धान के अन्तर्गत आठ जिलों में, एनएफएसएम-गेहूँ के अन्तर्गत 17 जिलों में तथा एनएफएसएम – दलहन के अन्तर्गत सभी 51 जिलों में कार्यान्वित की जा रही थी। 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – वाणिज्यिक फसलें क्रमशः 16 जिलों और आठ जिलों में कार्यान्वित की जा रही थी। राज्य द्वारा भारत सरकार से इस योजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 2012-13 से 2015-16 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान राशि ₹ 1,051.41 करोड़ में से राशि ₹ 945.18 करोड़ का व्यय किया है।

अवधि 2012-13 से 2015-16 के निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

एनएफएसएम जिलों में खाद्यान्न उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त उत्पादन के योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने की उनकी प्रगति को ज्ञात नहीं किया जा सका।

2012-16 के दौरान राज्य में एनएफएसएम के अन्तर्गत ₹ 945.18 करोड़ व्यय करने के बाद भी राज्य के कुल किसानों में से केवल दो प्रतिशत किसान ही इस योजना से लाभान्वित हुए।

खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र

राज्य स्तर पर धान की बुवाई क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 26 प्रतिशत की तुलना में, योजना से एनएफएसएम – जिलों में धान के बुवाई क्षेत्र में केवल पांच प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की जा सकी। एनएफएसएम-गेहूँ जिले में भी सतत वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि बुवाई क्षेत्रफलों में पूर्व वर्ष की तुलना में 2014-15 में कमी आई। दालों के उत्पादन में 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 22 प्रतिशत और 2014-15 में 14 प्रतिशत की काफी कमी आई। यद्यपि, त्रैमासिक बजट प्रणाली, कम वर्षा, सूखा इत्यादि के कारण

एनएफएसएम के अन्तर्गत प्राप्त निधि का विभाग द्वारा उपयोग, 2012-13 में 95 प्रतिशत से 2015-16 में 64 प्रतिशत तक घट गया।

(कंडिका 2.1.6)

गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण

विभाग ने समय पर पर्याप्त बीजों को उपलब्ध नहीं कराया। इसके परिणामस्वरूप, सभी किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के अनुदान मूल्य पर वितरण के योजना के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा किये गये एक हितग्राही सर्वेक्षण में प्रकट हुआ कि 260 में से 250 किसानों ने, विभाग द्वारा प्रदान किये गये गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि को इंगित किया।

किसानों को वितरित किये गये बीजों का गुणवत्ता परीक्षण इनको बोने से पहले, जिला कार्यालय सुनिश्चित नहीं कर सके, जिसने उत्पादन और किसान की आय उपार्जन को जोखिम में डाल दिया।

(कंडिका 2.1.8)

आपूर्ति हेतु एजेंसियाँ एवं सब्सिडी हेतु मानक

जैसा कि एनएफएसएम के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक था, विभाग ने एजेंसियों और कृषि उपकरणों की दर को निर्धारित नहीं किया। किसानों को कृषि उपकरणों के क्रय में सहायता के परिणामस्वरूप ₹ 261.81 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

कृषि उपकरणों जैसे पाइपों और स्पिंकलर सेटों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के मानकों का पालन विभाग द्वारा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा 14 जिलों में 8,337 किसानों को ₹ 5.11 करोड़ की अनियमित सब्सिडी उपलब्ध कराई गई।

(कंडिका 2.1.11)

फील्ड प्रदर्शन

फसल प्रणाली प्रदर्शनों को संचालित करने में कमी, वैज्ञानिकों की भागीदारी की कमी और प्रदर्शन के परिणामों को तैयार करने में कमियों के कारण समुन्नत विधियों के ज्ञान को फैलाने के फील्ड प्रदर्शन के उद्देश्य अधिकांशतया पूर्ण नहीं हुए। आठ नमूना जांच जिलों में, 1.74 लाख प्रदर्शनों पर ₹ 91.71 करोड़ का व्यय प्रदर्शनों के परिणामों को निर्धारित अभिलेखों में संधारित करने की विफलता के कारण निष्फल रहा।

(कंडिका 2.1.9)

योजना के कार्यान्वयन की आयोजनाएं

राज्य में योजना के कार्यान्वयन का परिप्रेक्ष्य आयोजना तैयार नहीं किया गया। बेसलाइन सर्वे और व्यवहार्यता अध्ययन भी नहीं किये गए, जिसके कारण फसल उत्पादकता और इसकी संभावना का आंकलन नहीं हो पाया। ब्लॉक कार्यालयों से जिला वार्षिक कार्यवाही आयोजना तैयार करने के लिए जानकारियाँ नहीं ली गईं।

(कंडिका 2.1.7)

योजना की निगरानी

विभाग के राज्य और जिला स्तर पर अपर्याप्त समन्वय से परियोजना प्रबंधन टीमों की उचित कार्य प्रक्रिया को सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण योजना की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी प्रभावित हुई।

(कंडिका 2.1.16)

(ii) मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (एमपीडब्ल्यूएसआरपी) को 2004 में प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य छह चयनित नदी कछारों (चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोंस और वैनगंगा) के 6.18 लाख हेक्टेयर कृषियोग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) में विद्यमान सिंचाई परिसम्पत्तियों का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण करना था। परियोजना का प्रशासकीय अनुमोदन ₹ 1,919 करोड़ (अगस्त 2004) से ₹ 2,498 करोड़ (अप्रैल 2015) पुनरीक्षित किया गया। एमपीडब्ल्यूएसआरपी, पांच समय विस्तारों के पश्चात, ₹ 2,497.52 करोड़ व्यय करने के बाद जून 2015 में बंद कर दिया गया।

अवधि 2010-16 के दौरान एमपीडब्ल्यूएसआरपी की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पता चला:

परियोजना के कार्यक्षेत्र में बदलाव

एमपीडब्ल्यूएसआरपी के कार्यक्षेत्र को जून 2012 में पुनर्गठित किया गया और 362 सिंचाई योजनाओं को विभाग द्वारा परियोजना कार्यान्वयन आयोजना (पीआईपी) के अनुसार पूरा न करने के परिणामस्वरूप छोड़ दिया गया। चंबल नहर प्रणाली के आसान क्रियान्वयन ने जल संसाधन विभाग को जून 2012 में परियोजना के पुनर्गठन के बाद इस पर अधिक जोर देने को प्रेरित किया। चंबल नहर प्रणाली के लिए 2012-13 से 2013-14 के दौरान ₹ 606.24 करोड़ लागत (एमपीडब्ल्यूएसआरपी के अंतर्गत कुल व्यय का 24 प्रतिशत) के कार्य लिए गए थे। इन कार्यों का, सीमेंट क्रंकीट लार्डनिंग, जिसको आसानी से थोड़े समय में कार्यान्वित किया जा सकता था, कार्य 94.29 प्रतिशत भाग था। योजना को समाप्त करने के लिए, चंबल नहर प्रणाली पर अधिक जोर देने से विभाग को वांछित वित्तीय प्रगति प्राप्त करने में सहायता हुई। यद्यपि, इसने मध्यम एवं लघु योजनाओं के सीसीए की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(कंडिका 2.2.7.1)

कृषि सघनता और विविधीकरण

मध्य प्रदेश शासन के लाइन विभागों (जल संसाधन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी) जबलपुर), के प्रभावी सहयोग के माध्यम से कृषि सघनता और विविधीकरण के लिए एमपीडब्ल्यूएसआरपी परिकल्पित था। लाइन विभागों के साथ कमजोर एकीकरण, किसानों को सतत जल आपूर्ति के अभाव, विस्तार गतिविधियों के अभाव और जल उपभोक्ता संस्था को प्रशिक्षण की कमी के कारण कृषि सघनता एवं विविधीकरण एमपीडब्ल्यूएसआरपी के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप नहीं थी।

हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान, 334 में से 133 (40 प्रतिशत) कृषकों ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास के किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेने की सूचना दी। इस प्रकार, फसल के विविधीकरण के लाभों के प्रति कृषकों को जागरूक करने के संस्थागत प्रयास में कमी थी।

पीआईपी में कृषि विविधीकरण के लिए चना, अरहर और सरसों के बुआई क्षेत्र के प्रभाव को संकेतक के रूप में चिन्हित किया गया था। 2011-12 की तुलना में 2014-15 में चना एवं अरहर के बुआई क्षेत्र में क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत तक की कमी थी। आगे, 2012-13 की तुलना में 2014-15 में सरसों की बुआई क्षेत्र में 19 प्रतिशत की कमी आई। फलों, सब्जियों और मसालों का पौधारोपण क्षेत्र में 2.90 प्रतिशत से

7.31 प्रतिशत तक कम रहा, जो कि पीआईपी में परिकल्पित सिंचाई क्षेत्र के लक्ष्य 21 प्रतिशत के विरुद्ध और राज्य के औसत नौ प्रतिशत से भी नीचे था।

(कंडिका 2.2.7.4)

ढेका प्रबंधन और क्रियान्वयन

कार्यों की आयोजना और क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण ₹ 9.38 करोड़ के परिहार्य प्रतिबद्धता प्रभारों का दायित्व निर्मित हुआ।

(कंडिका 2.2.8.1)

योजना आधुनिकीकरण आयोजनाओं में फील्ड चैनलों, जल प्रवाहों और खेत नालियों के लिए प्रावधान किया गया था। परन्तु, ये कार्य चंबल नहर प्रणाली में क्रियान्वित नहीं किये गये। परिणामस्वरूप, सूक्ष्म वितरण नेटवर्क और नहर स्वचालन के लिए चिन्हित ₹ 205.52 करोड़ अन्य कार्यों के लिए व्यपवर्तित किए गए।

योजना आधुनिकीकरण आयोजनाओं (एसएमपी) के कार्य क्षेत्र से परे, नहर के सीसी लाइनिंग की अधिक मात्रा और लंबाई के क्रियान्वयन में ₹ 263.85 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण व्यय किया गया।

(कंडिकाएं 2.2.7.3 एवं 2.2.8.3)

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण (एनसीबी) के साथ संलग्न विशिष्टियों के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप मिट्टी कार्यों की ट्रिमिंग और नहर की सीसी लाइनिंग के कार्यों के अतिरिक्त, अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण से राशि ₹ 65.18 करोड़ की अनियमितता हुई।

(कंडिकाएं 2.2.9.2, 2.2.9.4, 2.2.9.6 और 2.2.10.3)

अतिरिक्त सुरक्षा जमा, क्षतिपूर्ति वसूलियों, रॉयल्टी प्रभारों और कार्यों के बीमा कवरेज के प्रकरणों के सम्बन्ध में अनुबंध शर्तों का पालन अपर्याप्त था जिससे ₹ 68.74 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ दिया गया।

(कंडिकाएं 2.2.9.9, 2.2.9.10, 2.2.9.11 और 2.2.9.12)

दर अनुसूचियों के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया जिससे गिट्टी की गलत लीड, इम्बेकमेंट की गलत दर तथा ब्लास्टिंग मद के साथ श्रिकेज अलाउंस के कारण अधिक भुगतान से ₹ 24.02 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिकाएं 2.2.9.3, 2.2.9.5, 2.2.9.7 और 2.2.9.14)

विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी अपर्याप्त थी क्योंकि कार्यों के कोर परीक्षणों को सुनिश्चित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 20.47 करोड़ की अदेय वित्तीय सहायता हुई।

(कंडिका 2.2.10.3)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) सड़क कार्यों के प्राक्कलनों की तैयारी पर लेखापरीक्षा

राज्य के 57 लोक निर्माण संभागों में से नमूना जांच किए गए 12 संभागों ने अवधि 2012-16 के दौरान ₹ 1,699.25 करोड़ लागत के 391 सड़क कार्यों को क्रियान्वित किया। इनमें से, ₹ 1,250.74 करोड़ लागत के 196 सड़क कार्यों के प्राक्कलनों की लेखापरीक्षा की गई, जिससे प्रकट हुआ कि:

सभी नमूना जांच किए गए 196 प्राक्कलनों में सड़क कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने हेतु पूर्व अपेक्षित गतिविधियाँ जैसे व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, क्रियान्वयन के समय प्राक्कलनों से वृहद विचलन थे।

(कंडिका 3.1.2.1)

नमूना जाँच किए गए प्राक्कलनों में वास्तविक जमीनी स्तरों के लिए बिना औसत मोटाई लेकर मिट्टी कार्य की मात्राओं का प्रावधान किया गया। 103 सड़क कार्यों के लेवलस लेने में विफलता और 93 सड़क कार्यों में त्रुटिपूर्ण लेवलस विचार में लेने के कारण प्राक्कलनों में मिट्टीकार्य की मात्रा के सही ढंग से प्रावधान नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 68 सड़क कार्यों में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन हुए।

(कंडिका 3.1.2.2)

वन और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्राक्कलन में पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए बिना सड़क कार्य सौंपे गये थे। जिसके परिणामस्वरूप 196 नमूना जांच किये गये सड़क कार्यों में से 26 सड़क कार्यों में दो महीने से छह वर्ष तक का विलंब हुआ, जिनमें 15 सड़क कार्य शामिल हैं जिन पर ₹ 66.86 करोड़ का व्यय किया गया था किन्तु 21 से 68 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अधूरे पड़े थे।

(कंडिका 3.1.2.4)

दस प्राक्कलनों में उपयोगिताओं के स्थानांतरण की लागत का प्रावधान संबंधित विभागों से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना कल्पना के आधार पर किया गया था परिणामस्वरूप सड़कों के निर्माण में 11 माह से 27 माह के विलंब के अलावा सड़क की लागत में ₹ 7.14 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 3.1.2.5)

तेरह प्राक्कलनों में, सड़क की क्रस्ट के लिए यातायात डिज़ाइन की गलत तरीके से गणना के परिणामस्वरूप 10 प्राक्कलनों में अवमानक विशिष्टियाँ अपनायी गईं एवं तीन प्राक्कलनों में महंगी विशिष्टियों के कारण ₹ 2.98 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत हुई। यह भी देखा गया कि 20 प्राक्कलनों में यद्यपि डिज़ाइन यातायात सही ढंग से संगणित किए गए थे, लेकिन विभाग की गलती से महंगी विशिष्टियाँ अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 21.30 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई।

(कंडिका 3.1.3.1)

क्रास ड्रेनेज (96 प्राक्कलनों में) और सड़क की लंबाई (30 प्राक्कलनों में) के प्रावधान, सर्वेक्षण और अनुसंधान के बिना किए गए थे। परिणामस्वरूप, 94 प्राक्कलनों में बड़े विचलन देखे गए थे, जिससे ₹ 32.56 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था। इसी तरह, छह सड़कों के प्राक्कलनों में विनिर्दिष्टों में सड़क की लंबाई में तीन किलो मीटर तक की वृद्धि हुई और 24 सड़कों के कार्य में 10.5 किलोमीटर तक की कमी आई थी।

(कंडिका 3.1.4.1 और 3.1.4.2)

(ii) फसल बीमा योजना पर लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से फसल खराब होने के कारण किसानों की वित्तीय हानि कम करने के लिए रबी 1999-2000 के मौसम से शुरू की गई थी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (ए.आई.सी.) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी थी। लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि:

राज्य में किसानों की कुल संख्या 88.72 लाख में से, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का कवरेज 14.58 प्रतिशत (रबी 2010-11) से 33.80 प्रतिशत

(खरीफ 2015) तक बढ़ा। कवरेज में वृद्धि ऋणी किसानों के अनिवार्य बीमा के कारण ही हुई थी, जैसा कि रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान मात्र 2,841 गैर ऋणी किसानों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया। यद्यपि, योजना के अंतर्गत किसानों का 14.58 प्रतिशत से 33.80 प्रतिशत तक के अपर्याप्त कवरेज किए जाने पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कृषि आय को स्थिर करने के उद्देश्यों को विशेष रूप से आपदा के वर्षों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।

(कंडिका 3.2.2.1)

राज्य सरकार योजना के फसल वार समाहित किये जाने वाले क्षेत्र को समय पर अधिसूचित करने में विफल रही और अधिसूचना में आठ माह के अन्तर तक के विलंब हुए।

बीमा एजेंसी द्वारा घोषणा की प्राप्ति के लिए नियत दिनांक के बाद के इन क्षेत्रों के लिए अधिसूचनाओं को जारी करने में विलंब के कारण 120 पटवारी हल्कों के किसान इस योजना के लाभों से वंचित रहे।

(कंडिका 3.2.2.2)

फसल काटने के प्रयोगों के परिणाम प्रदान करने में अधीक्षक भू-अभिलेख एवं कृषि उप संचालक की विफलता के परिणामस्वरूप, ए.आई.सी. 6,702 पटवारी हल्कों में किसानों के बीमा दावों की गणना नहीं कर सका।

(कंडिका 3.2.2.3)

बीमांकिक व्यवस्था में, कृषि बीमा कंपनी अपनी सांख्यिकीय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित बीमा प्रभार में वृद्धि से किसानों के बीमा दावों को वहन करेगी। यद्यपि, राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लागू होने के पाँच वर्ष बाद भी इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। यह रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 692.92 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय बोझ में परिणामित हुई।

(कंडिका 3.2.2.4)

रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान किसानों के बीमा दावों के वितरण में एक माह से लेकर दो वर्षों तक का विलंब हुआ था। पांच जिलों में 256 किसानों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 16 प्रतिशत किसानों ने कहा कि वे दावों की प्राप्ति में विलंब के कारण समय पर अपने ऋण चुकता नहीं कर सके थे, और इसलिए अगले सत्र में ऋण के लिए वंचित किए गए थे। इस प्रकार, दावों के वितरण में विलंब के परिणामस्वरूप दावेदारों के लिए कठिनाई हुई।

(कंडिका 3.2.2.9)

किसानों को वित्त उपलब्ध कराने की सीमाओं का पालन करने में वित्तीय संस्थाओं की विफलता के कारण किसानों के द्वारा प्रस्तुत बीमा दावों में ₹ 101.07 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई, जिसके कारण शासन को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा।

(कंडिका 3.2.2.10)

खरीफ 2013 के दौरान, 42 जिलों के 3,362 पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के दर्शाए गए क्षेत्र की तुलना में बीमा किए गए क्षेत्र 9.06 लाख हेक्टेयर अधिक थे। इसके लिए विभाग ने किसानों द्वारा एक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने को उत्तरदायी ठहराया।

(कंडिका 3.2.2.12)

(iii) अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों की बहुत सी उल्लेखनीय कमियों को भी इंगित किया जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता पर असर डालती है। अनुपालन लेखापरीक्षा (16 कंडिकाएं) में पाए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रतिवेदन में दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, नियमों और विनियमों के अनुपालन न किए जाने, औचित्यता के विरुद्ध व्यय और पर्याप्त तर्कसंगतता के बिना व्यय प्रकरण और सावधानी/शासन की विफलता से सम्बन्धित हैं। उनमें से कुछ को नीचे दिया गया है :

मार्कफेड भोपाल द्वारा परिवहन दरों को पूर्व वर्ष की तुलना में उच्चतर स्तर पर स्वीकार करने के निर्णय के कारण अतिरिक्त लागत ₹ 1.30 करोड़ आई।

(कंडिका 3.3.1)

अलीराजपुर, अनुपपूर, बैतूल (उत्तर) और विदिशा में शुद्ध वर्तमान मूल्य की उपयोग की अनन्तिम/गलत दरों के अपनाये जाने के परिणामस्वरूप अपयोजित भूमि के उपयोग हेतु उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹ 5.89 करोड़ के वसूली के लिए बकाया है।

(कंडिका 3.3.2)

मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारणों/बाघ रिजर्वों में प्रवेश की संशोधित दरों को लागू करने में विलंब के कारण शासन को ₹ 62.68 लाख की अपूर्णीय हानि हुई।

(कंडिका 3.3.3)

नर्मदा घाटी संभाग क्र. 32 में, टर्न की आधार पर एक निविदा के लिए निविदा आमंत्रण सूचना में केन्द्रीय उत्पाद छूट के लिए शर्त को सम्मिलित नहीं किया गया जिसके कारण ठेकेदार को राशि ₹ 22.26 करोड़ का अदेय लाभ हुआ जो अन्यथा परियोजना की घटी हुई लागत के रूप में शासन को होता।

(कंडिका 3.3.4)

कार्यपालन यंत्री एनडी संभाग सं. 7 सतना ने संविदा के प्रावधान के उल्लंघन में ठेकेदारों को ₹ 1.89 करोड़ के मोबीलाईजेशन अग्रिम को अनियमित रूप से प्रदान किया एवं शास्ति के ₹ 6.78 करोड़ कम वसूल किये।

(कंडिका 3.3.5)

कार्यपालन अभियंता ओंकारेश्वर परियोजना नहर संभाग धामनोद (धार) ने पेट्रोल, ऑयल और ल्यूब्रीकेन्ट के गलत मूल्य अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 7.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर ₹ 7.82 करोड़ की वसूली कर ली गई।

(कंडिका 3.3.6)

एनडी संभाग सं. 16 कुशी जिला धार में कार्यपालन यंत्री द्वारा सिंचाई विशिष्टियों के विरुद्ध सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग की अधिक मोटाई के गलत प्रावधान और क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.7)

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (पुल व सड़क) संभाग उज्जैन ने आई.आर.सी.—37 की विशिष्टियों के विरुद्ध क्रशर रन मैकेडम की अधिक मोटाई के क्रियान्वयन के कारण ₹ 98.25 लाख का अनाधिकृत भुगतान किया।

(कंडिका 3.3.8)

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंहस्थ द्वारा दरों की अनुसूची में “क्लीयरिंग और ग्रबिंग” मद के लिए उच्चतर दरों का अविवेकपूर्ण निर्धारण के कारण ₹ 4.76 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.9)

सिंहस्थ-2016 के अंतर्गत खान नदी व्यपवर्तन परियोजना के क्रियान्वयन में लेखापरीक्षा ने आर.सी.सी. पाईप की उच्चतर दर सम्मिलित करने के कारण ₹ 5.65 करोड़, कड़ी चट्टान के लिए वसूल न की गई रायल्टी के ₹ 3.26 करोड़, रेलवे प्राधिकारियों को ₹ 40.82 लाख भुगतान किए जाने के कारण ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता एवं अस्थाई भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 48.85 लाख के अनियमित भुगतान अवलोकित किए।

(कंडिका 3.3.10)

जल संसाधन संभाग-I, झाबुआ में कार्यपालन अभियंता द्वारा संभाग की बहियों (कार्यस्थल की सामग्री) में खोदी गई हार्ड रॉक का मूल्य शामिल नहीं किया गया जिससे शासन को ₹ 21.23 करोड़ की संभावित हानि हुई।

(कंडिका 3.3.11)

अपर्याप्त प्राक्कलन और कमजोर आयोजना के कारण कम जल मार्ग क्षेत्र के साथ आर.सी.सी. डक्ट तथा व्यपवर्तन नहर के निर्माण के बाद भी सीपेज समस्या का हल नहीं किया जा सका। इसके कारण तिलवाड़ा बांयी तट नहर, संभाग केवलारी (सिवनी) के अंतर्गत संजय सरोवर भीमगढ़ दायीं तट मुख्य नहर में ₹ 3.00 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.3.12)

कार्यपालन अभियंता पंचम नगर हट्टा ने सीमेंट कांक्रीट की मद में सम्मिलित किए गए 100 कि.मी. से रेत के लीड का त्रुटिपूर्ण प्रावधान के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.58 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(कंडिका 3.3.13)

जल संसाधन विभाग संभाग मनावर और शाजापुर में मिट्टी कार्य हेतु पूर्ण मद को लेने के बजाए मिट्टी कार्य हेतु गलत संयुक्त दर लेने के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.14)

चिपकने, न फूलने वाली मिट्टी को प्रदाय करने एवं लगाने की मद में उच्चतर दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप छः जल संसाधन संभागों में ₹ 1.09 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.15)

सात संभागों की 11 योजनाओं के लिए 12 नहर लाइनिंग कार्यों में सिंचाई विशिष्टियों के विरुद्ध नहर कार्य में टेंपिंग के गलत प्रावधान और क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 77.36 लाख की अतिरिक्त लागत आई हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ₹ 12.56 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी है।

(कंडिका 3.3.16)

पहला अध्याय

प्रस्तावना

पहला अध्याय

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

सचिवालय स्तर पर राज्य में 54 विभाग हैं, जिनके प्रमुख, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव होते हैं, जो उनके अंतर्गत आयुक्तों/निदेशकों तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायित हैं। इनमें से, 15 शासकीय विभाग व इन विभागों के अंतर्गत आने वाली 67 सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयां (पी.एस.यू.)/दो स्वायत्त निकाय, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन विभागों की लेखापरीक्षा की गई, जिनके प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गये। राज्य शासन की, 2011-16 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं उनके विरुद्ध वास्तविक आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2011-16 के दौरान राज्य शासन का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	18,220.45	16,228.64	20,577.43	17,705.14	22,295.27	20,590.93	24,243.56	22,365.11	32,626.15	25,700.26
सामाजिक सेवाएं	20,277.33	20,296.94	24,992.18	24,375.47	30,100.70	27,768.21	42,092.49	32,067.15	43,217.07	42,650.93
आर्थिक सेवाएं	12,208.06	12,964.91	14,251.77	16,823.35	17,465.48	16,971.33	27,796.22	23,715.12	27,180.85	25,528.52
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3,217.65	3,203.22	3,722.12	4,064.57	4,527.20	4,539.29	4,881.55	4,225.44	5,810.85	5,890.99
योग (1)	53,923.49	52,693.71	63,543.50	62,968.53	74,388.65	69,869.76	99,013.82	82,372.82	1,08,834.92	99,770.70
पूँजीगत भाग										
पूँजीगत परिव्यय	8,721.93	9,055.16	10,820.22	11,566.89	11,113.61	10,812.52	14,143.36	11,877.68	18,139.56	16,835.47
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	3,200.21	15,760.56	5,667.26	5,378.25	6,444.60	5,077.52	3,883.82	12,534.61	4,224.58	3,157.91
अंतर्राज्जीय समायोजन	0	3.70	0	7.02	0	2.36	0	0.98	0	1.94
लोक ऋण का पुनर्भूगतान ¹	6,800.10	3,149.79	7,482.72	3,583.94	8,017.43	4,004.65	9,177.00	4,920.52	8,773.17	4,860.36
आकस्मिकता निधि	100.00	100.00	200.00	0	200.00	0	200.00	301.08	500.00	0
लोक लेखा संवितरण	1,53,133.63	73,279.04	2,24,574.20	82,735.57	3,13,354.87	93,063.99	2,85,344.25	1,08,165.30	2,15,110.50	1,28,336.75
अंतिम रोकड़ शेष	-78.79	7,775.88	-107.22	7,074.81	-123.16	4,477.03	-76.82	5,401.96	-513.02	10,898.72
योग (2)	1,71,877.08	1,09,124.13	2,48,637.18	1,10,346.48	3,39,007.35	1,17,438.07	3,12,671.61	1,43,202.13	2,46,234.79	1,64,091.15
महायोग (1+2)	2,25,800.57	1,61,817.84	3,12,180.68	1,73,315.01	4,13,396.00	1,87,307.83	4,11,685.43	2,25,574.95	3,55,069.71	2,63,861.85

¹चालू एवं साधन अग्रिमों व ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देनों को छोड़कर
(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट अभिलेख)

1.2 राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग

2014-15 के दौरान ₹ 1,06,786 करोड़ के विरुद्ध, 2015-16 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व, पूँजीगत, ऋण एवं अग्रिम तथा अंतर्राज्जीय बंदोबस्त) ₹ 1,19,766 करोड़ था। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 99,771 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष (₹ 82,373 करोड़) से 21.12 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व व्यय, कुल व्यय का 83.30 प्रतिशत भाग था। 2015-16 के दौरान पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से 41.74 प्रतिशत बढ़ गया।

2011-16 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 42,253 करोड़ (54.51 प्रतिशत) तक बढ़ गया।

1.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

2011-12 से 2015-16 के वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.2 में दिए गए हैं।

तालिका-1.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर-आयोजनागत अनुदान	2,114	333	3,540	4,425	3,990
राज्य आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	4,215	7,099	5,536	9,011	13,371
केन्द्र आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	364	500	153	1,263	359
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	3,236	4,108	2,548	2,893	610
विशेष आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	0	0	0	0	0
योग	9,929	12,040	11,777	17,592	18,330
पूर्व वर्ष पर वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	9.39	21.26	(-)2.18	49.38	4.19

(स्रोत: क्रमिक वर्षों के वित्त लेखे)

1.4 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न विभागों, स्वायत्त संस्थाओं, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि की गतिविधियों की विवेचनात्मकता/ जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आन्तरिक नियंत्रण तथा हितधारियों की संबद्धता के जोखिम निर्धारण और पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विचारित करते हुए आरम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार का निर्णय किया जाता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण करने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होते हैं, जिनके उत्तर कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2015-16 के दौरान, राज्य के 508 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) और दो स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं

राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त, चार निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा भी संचालित की गई।

1.5 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदेयता का अभाव

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश लेन-देनों की नमूना जाँच द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण संचालित करते हैं एवं निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाओं तथा अभिलेखों के संधारण को सत्यापित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएँ इत्यादि पता लगती हैं, जिनका कार्यस्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है, ये निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किए गए कार्यालय प्रमुखों को एवं अगले उच्च प्राधिकारियों को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए, जारी किए जाते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर, कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों द्वारा महालेखाकार को इनका अनुपालन भेजा जाना अपेक्षित होता है। कार्यालय महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा गंभीर अनियमितताएँ भी, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के त्रैमासिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के ध्यान में लाई जाती हैं।

30 जून 2016 को, आर्थिक क्षेत्र विभागों¹ के 5,894 निरीक्षण प्रतिवेदन (23,411 कंडिकाएँ) लंबित थे। इनमें से 1,773 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 4,794 कंडिकाएँ दस वर्षों से अधिक समय से निराकरण हेतु लंबित थी। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं के वर्षवार विवरण **परिशिष्ट 1.1 (ए एवं बी)** में दिए गए हैं।

2015-16 के दौरान, उच्च अधिकार प्राप्त समिति² की सात बैठकें हुईं जिसमें 536 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 2,363 कंडिकाओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 174 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 1,332 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

विभागीय अधिकारी निर्धारित समय सीमा में लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों पर कार्रवाई करने में विफल रहे इसके परिणामस्वरूप उत्तरदेयता का ह्रास हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शीघ्र व उचित उत्तरदेयता सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण की जाँच पड़ताल कर सकता है।

¹ पशुपालन, नागरिक विमानन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सहकारिता, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मत्स्य, वन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, लोक निर्माण, ग्रामोद्योग, पर्यटन एवं जल संसाधन विभाग।

² उच्चाधिकार प्राप्त समिति में, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) से समूह अधिकारी एवं शाखा अधिकारी और राज्य शासन से विभाग के परिक्षेत्र प्रमुख (मुख्य अभियंता/ संयुक्त निदेशक), यूनिट प्रमुख (कार्यपालन यंत्री/ उप निदेशक) सम्मिलित होते हैं।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के साथ साथ चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियाँ जो विभागों की कार्यप्रणाली तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, प्रतिवेदित की हैं। यह विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा करने एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार करने एवं सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालकों को उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने पर केंद्रित था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि ऐसी कंडिकाओं के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाता है, में संभावित रूप से समाविष्ट होने को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा। उनको निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठकें करने का परामर्श दिया गया था। प्रतिवेदन में समावेश करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और कंडिकाओं को संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर के लिए अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए चार निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं 16 प्रारूप कंडिकाओं पर प्रारूप प्रतिवेदन, संबंधित प्रशासकीय सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। किन्तु शासन के उत्तर केवल दो निष्पादन लेखापरीक्षा और दस प्रारूप कंडिकाओं के प्रकरणों में प्राप्त हुए। हालांकि सभी चार निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा, जल संसाधन विभाग की सात कंडिकाओं, नर्मदा घाटी विकास विभाग की चार कंडिकाओं और लोक निर्माण विभाग की दो कंडिकाओं के संबंध में, निर्गम सम्मेलन में शासन के साथ चर्चा हो चुकी है।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभाग को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ए.आर.) में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर, यह ध्यान में न रखते हुए कि इनका लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण के लिए लिया गया है कि नहीं, स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारंभ करनी थी। उनको, लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित, उनके द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई या की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए विस्तृत टिप्पणियाँ भी राज्य विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उपलब्ध करानी थी।

आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र से संबंधित वर्ष 2010-11, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की कुल 73 कंडिकाओं में से 21 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2016) (तालिका 1.3)।

तालिका: 1.3 आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय उत्तर की प्राप्ति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	विभाग	31.12.2016 को लंबित विभागीय उत्तर	राज्य विधान मंडल में प्रस्तुतीकरण का दिनांक	विभागीय उत्तरों की प्राप्ति का नियत दिनांक
2010-11	जल संसाधन	02	12-12-2012	12-03-2013
2012-13	जल संसाधन	04	22-07-2014	22-10-2014
2013-14	जल संसाधन	01	22-07-2015	22-10-2015
2014-15	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	01	17-03-2016	17-06-2016
	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	02		
	लोक निर्माण	02		
	जल संसाधन	09		
योग		21		

(स्रोत : विधान सभा सचिवालय से सम्मिलान किए हुए आंकड़े)

1.8 लेखापरीक्षा की पहल पर वसूलियां

राज्य शासन के विभागों के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जिनमें वसूलियां की जानी थीं, लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए उन्हें पुष्टिकरण एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजा गया था।

2015-16 के दौरान ₹ 146.18 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षा में इंगित की गई। उसी अवधि के दौरान, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों एवं चालू वर्ष में इंगित किए गए ₹ 39.13 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। महत्वपूर्ण धन मूल्य की वसूली के कुछ प्रकरण **तालिका 1.4** में दिए गए हैं।

तालिका 1.4. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों द्वारा स्वीकृत/ वसूल की गई वसूलियां

(₹ करोड़ में)

विभाग	अवलोकित की गई वसूलियों के विवरण	2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई एवं विभाग द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों एवं चालू वर्ष के संदर्भ में स्वीकार की गई वसूलियां			पूर्ववर्ती वर्षों के संदर्भ में 2014-15 के दौरान प्रभावित वसूलियां	
		प्रकरणों की संख्या	इंगित किए गए	स्वीकार किए गए	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि
सहकारिता विभाग	बकाया लेखापरीक्षा शुल्क	01	14.60	14.60	01	8.22
सहकारिता विभाग	आईसीडीपी योजनाओं के अंतर्गत शेयर पूंजी, ऋणों तथा ब्याज की वसूली नहीं होना	01	12.71	12.71	01	10.55
नर्मदा घाटी विकास विभाग	मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान	01	7.98	7.82	01	7.82
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण सड़को के निर्माण/उन्नयन हेतु अतिरिक्त लागत	01	3.63	3.63	01	1.86

विभाग	अवलोकित की गई वसूलियों के विवरण	2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई एवं विभाग द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों एवं चालू वर्ष के संदर्भ में स्वीकार की गई वसूलियां			पूर्ववर्ती वर्षों के संदर्भ में 2014-15 के दौरान प्रभावित वसूलियां	
		प्रकरणों की संख्या	इंगित किए गए	स्वीकार किए गए	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि
लोक निर्माण विभाग	ठेकेदार को अनुबंध के कार्यक्षेत्र से बाहर मूल्य वृद्धि का अनियमित और अप्राधिकृत भुगतान	01	1.36	1.36	01	1.36
लोक निर्माण विभाग	रॉयल्टी प्रभारों की वसूली न होना	01	1.15	1.15	01	1.15

1.9 राज्य विधान सभा में स्वायत्त संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति

राज्य शासन द्वारा अनेक स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की गई है। राज्य में आर्थिक क्षेत्र के विभागों के अंतर्गत दो स्वायत्त संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश को सौंपी गई है।

सौंपी गई लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा को लेखों का प्रस्तुतीकरण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) के जारी किए जाने और विधान मंडल के समक्ष रखे जाने की स्थिति को तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5 स्वायत्त संस्थाओं द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्र.	संस्था का नाम	सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जहां तक खाते प्रस्तुत किए गए	अवधि जहां तक एसएआरों को जारी किया गया	विधान मंडल में एसएआर का रखा जाना	लेखों के प्रस्तुतीकरण/अप्रस्तुतीकरण में विलंब ³
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल	19 (3) सी एण्ड ए जी (डी पी सी) अधिनियम के अंतर्गत सौंपा गया	2013-14	2012-13	वर्ष 2012-13 के लिए एसएआर नवम्बर 2015 में जारी की गई और इसे विधान मंडल के समक्ष 28 जुलाई 2016 को रखी गई।	2013-14 (24) 2014-15 (15) 2015-16 (03)
2	म. प्र. विद्युत विनियामक आयोग, (एमपीईआरसी) भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा गया	2015-16	2014-15	वर्ष 2014-15 के लिए एसएआर सितम्बर 2015 में जारी की गई और विधान मंडल के समक्ष 09 दिसम्बर 2015 को रखी गई।	अविलम्ब

जैसा कि तालिका 1.5 में देखा गया है, मध्य प्रदेश (म.प्र.) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में 24 महीने तक का विलंब था। लेखों को प्रस्तुत किये जाने

³ विलंब की अवधि लेखों की प्राप्ति तिथि अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 सितम्बर 2016 तक से ली गई है।

और राज्य विधान मंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप स्वायत्त संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारी कार्रवाई शुरू करने में विलंब के अतिरिक्त, जहां शासन द्वारा निवेश किये गये थे, उन निकायों के कार्यों की जांच में विलंब हुये।

दूसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षाएं

- 2.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन
- 2.2 मध्य प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

दूसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षाएं

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

2.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केन्द्र प्रायोजित फसल विकास योजना है जिसका उद्देश्य खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन करना एवं मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उत्पादन एवं सुरक्षा तकनीक का प्रदर्शन, बीज वितरण पोषक तत्व प्रबंधन फार्म स्थापना एवं प्रशिक्षण, मुख्य घटक के रूप में प्रावधानित थे। यह योजना विभिन्न राज्यों के चयनित जिलों में पांच घटकों (धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों) में कार्यान्वित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) के लिए, इस योजना के अंतर्गत धान के एक करोड़ टन, गेहूं 80 लाख टन, दलहन 40 लाख टन और 30 लाख टन मोटा अनाज के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था।

मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत आठ जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान, 17 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं और सभी 51 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन कार्यान्वित किया जा रहा था। वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यिक फसलों, क्रमशः 16 जिलों और आठ जिलों में कार्यान्वित किया गया। राज्य द्वारा भारत सरकार से इस योजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान राशि ₹ 1051.41 करोड़ में से राशि ₹ 945.18 करोड़ का व्यय किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन अवधि 2012-13 से 2015-16 तक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में खाद्यान्न के उत्पादन पर योजना का प्रभाव-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में खाद्यान्न की 2.5 करोड़ टन की अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना था। हालांकि, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों को कोई लक्ष्य सूचित नहीं किया था। नतीजतन, 2012-13 से 2015-16 के दौरान अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों की प्रगति का आंकलन नहीं किया जा सका।

राज्य के कुल कृषकों के दो प्रतिशत को ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लाभांशित किया गया था, अतः राज्य के समग्र खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का योगदान सीमित था।

योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिलों में धान के बुवाई रकबा में केवल मामूली पांच प्रतिशत वृद्धि हासिल की जा सकी। यह वृद्धि राज्य स्तर पर वर्ष 2012-15 के दौरान धान की बुवाई रकबा की औसत वृद्धि 26 प्रतिशत की तुलना में काफी कम थी। वर्ष 2012-13 में किसी भी आठ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिले, वर्ष 2013-14 में छह जिले और वर्ष 2014-15 में पांच जिले, राज्य के धान की

औसत उत्पादकता को भी प्राप्त नहीं कर सके। वर्ष 2015-16 के लिए फसलों की जिलेवार उत्पादन आँकड़े दिसम्बर 2016 के स्थिति में भी अपेक्षित थे।

योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ जिलों में निरंतर विकास को बनाए रखने में असमर्थ रही क्योंकि 17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ जिलों में से आठ जिलों में गेहूँ के बुवाई रकबा में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में कम था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूँ की औसत यील्ड वर्ष 2014-15 के दौरान 2,872 किग्रा/हेक्टेयर था, जो राज्य की औसत उत्पादकता 3,079 किलोग्राम/हेक्टेयर की तुलना में कम था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ जिले राज्य के औसत उत्पादकता के स्तर को किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं कर सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के पहले वर्ष 2012-13 के दौरान दालों का उच्चतम उत्पादन (50.43 लाख मीट्रिक टन) था, जो कम होकर वर्ष 2013-14 में 39.18 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2014-15 में 43.50 लाख मीट्रिक टन रही। हालांकि वर्ष 2015-16 के अस्थायी आंकड़े दालों के उत्पादन में वृद्धि के संकेत देते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के बाद के वर्षों के दौरान दालों के उत्पादन पर प्रभाव स्पष्ट नहीं था।

(कंडिका 2.1.6)

आयोजना

जिला वार्षिक कार्य योजनाएं ब्लॉक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करने के बाद तैयार नहीं किये गये थे। नतीजतन, कृषकों से मांग के बिना भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विभिन्न घटकों में मद शामिल किये गये।

राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए संचालनालय ने परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी। आधारभूत सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन भी आयोजित नहीं किये गये, जिसके कारण फसल उत्पादन की स्थिति, इसकी क्षमता और मांग का आंकलन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.1.7)

योजना के घटकों का निष्पादन

बीजों का वितरण: 2012-13 से 2015-16 के दौरान धान, गेहूँ, दाल और मोटा अनाज के बीज वितरण के लिए प्राप्त बजट आवंटन राशि ₹ 177.14 करोड़ में से विभाग केवल ₹ 39.26 करोड़ (22 प्रतिशत) व्यय कर सका। गुणवत्ता बीज वितरण के भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में धान के उच्च उत्पादकता किस्म में 79 फीसदी, गेहूँ बीज में 57 फीसदी, दलहन बीज में 63 फीसदी और मोटा अनाज बीज में 94 फीसदी की कमी थी। राज्य में दलहन बीज वितरण वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में घटता रहा, जो घटकर वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः केवल 17 और 10 फीसदी रहा। भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी, बीजों की अपर्याप्त उपलब्धता की वजह से रही।

जिला कार्यालय, कृषकों को वितरित बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं कर सके, जिससे कृषकों का आय सृजन और उत्पादन का जोखिम बढाना पड़ा। नमूना जांच किये गये 17 जिलों में बीज गुणवत्ता परीक्षण के लिए 3,126 नमूने लिए गए, जिसमें से 582 नमूने बुवाई अवधि के बाद एकत्र किए गए थे। गुणवत्ता परीक्षण उपरांत प्राप्त 3,110 प्रतिवेदनों में से 1,218 प्रतिवेदन के बुवाई अवधि के बाद प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, प्रमाणित बीज के 369 नमूने अवमानक पाए गए।

(कंडिका 2.1.8)

फील्ड प्रदर्शन : उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पर वर्ष 2012-16 के दौरान विभाग ने राशि ₹ 153.37 करोड़ व्यय किये। हालांकि, प्रदर्शन का उद्देश्य, संवर्धित प्रथाओं (सुधार प्रथाओं के लिए) और परंपरागत कृषकों की प्रथाओं के तुलनात्मक प्रदर्शन परिणामों को बनाने में विफलता और वैज्ञानिकों की भागीदारी में कमी के कारण काफी हद तक अधूरी रही। जिला कार्यालय फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों के संचालन के दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा, जिससे कृषक, खेत स्तर अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए किस फसल पैटर्न को अपनाया जा सकता है, की जागरूकता से वंचित रहे।

(कंडिका 2.1.9)

कृषि यंत्रीकरण : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन. परिचालन दिशा निर्देशों के तहत किये परिकल्पना के अनुसार एजेंसियों और कृषि औजारों की दरों का निर्धारण विभाग, द्वारा नहीं किया गया। अननुमोदित एजेंसियों एवं अननुमोदित दर पर कृषि यंत्रों की खरीद पर कृषकों को सहायता दिए जाने से व्यय राशि ₹ 261.81 करोड़ अनियमित रही।

14 जिलों में विभाग ने "स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप" एवं "स्प्रिंकलर सेट" पर सब्सिडी मानदंडों का पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 8,337 कृषकों को राशि ₹ 5.11 करोड़ का अनियमित अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई।

(कंडिका 2.1.11)

निधि प्रबंधन :

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में उपलब्ध राशि ₹ 1,062.92 करोड़ में से, विभाग ने राशि ₹ 945.18 करोड़ (88 प्रतिशत) का उपयोग किया। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि के उपयोग की प्रवृत्ति घटती रही, जो कि वर्ष 2012-13 के 95 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 64 प्रतिशत रही। संचालनालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं के कार्यान्वयन के लिए आठ नमूना जाँच किये गये जिलों को वर्ष 2012-13 और 2013-14 में राशि ₹ 26.63 करोड़ जारी की, लेकिन ये जिले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं के लिए समाहित नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.1.15)

योजना की निगरानी :

यह योजना संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं इनके जिला कार्यालयों के माध्यम से राज्य में लागू किया गया था। हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर 'कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी' (एटीएमए) का उपयोग किया जाना था। इस विचलन के वजह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों के जिलों की कार्यनितिक अनुसंधान और विस्तार योजना के साथ तालमेल नहीं किया जा सका।

जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल, जिन्हें योजना की कार्यान्वयन और निगरानी में मदद की जिम्मेदारी थी, अधिकांश मामलों में कार्यात्मक नहीं थे। इसके अलावा, मिशन की गतिविधियों को राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई।

(कंडिका 2.1.16)


2.1.1 परिचय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक फसल विकास योजना है, जिसे खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने एवं मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ (अक्टूबर 2007) किया था। इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) में 2.5 करोड़ टन खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन जिसमें एक करोड़ टन धान, 80 लाख टन गेहूं, 40 लाख टन दलहन एवं 30 लाख टन मोटा अनाज, के नए लक्ष्य, के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्राप्त करने के उद्देश्य जारी रखा गया। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों के चिन्हित जिलों में पांच घटकों में अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यिक फसलों हेतु लागू किया गया था।

मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान आठ जिलों में, 17 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन के तहत सभी 51 जिलों लागू किया गया। वर्ष 2014-15 के बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-कामर्शियल फसलें क्रमशः 16 जिलों¹ और आठ जिलों² में संचालित है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान राज्य ने इस योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता राशि ₹ 1,051.41 करोड़ में से राशि ₹ 945.18 करोड़, योजना की गतिविधियों के लिए व्यय किये।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना निम्न चार्ट में दिखाया गया है :



¹ अलीराजपुर, बडवानी, बेतूल, छिन्दवाडा, धार, डिन्डोरी, खरगोन, झाबुआ, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, और सिंगरोली

² बडवानी, बेतूल, बुरहानपुर, ग्वालियर, हरदा, होंशंगाबाद, खरगौन, और नरसिंहपुर

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी:

- चिन्हित जिलों में उत्पादकता बढ़ाने, मृदा उर्वरता बहाली और व्यक्तिगत स्तर पर कृषि उत्पादकता के योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया।
- योजना के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार घटकों को एवं क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया और अपेक्षित अभिलेख आंकड़े विभिन्न स्तरों पर संधारित किये गए।
- योजना के प्रावधानों के अनुपालन में निधियों को जारी किया गया, उपयोग किया गया और लेखांकन किया गया, उचित रूप से योजनाबद्ध किया गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में परिकल्पिता अनुसार निगरानी और मूल्यांकन किया गया था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार थे:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा निर्देशों (12वीं पंचवर्षीय योजना)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल परिचालन दिशानिर्देश (12वीं पंचवर्षीय योजना)
- सामान्य वित्तीय नियम का प्रावधान
- समय-समय पर शासन के आदेश के माध्यम से जारी किए गये अनुदेश
- योजना की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में अवधि 2012-16 के दौरान राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा जनवरी 2016 से जुलाई 2016 के मध्य की गई। नमूना जांच के लिए राज्य के 51 जिलों में से 17 जिलों³ का चयन यादृच्छिक नमूना विधि पर किया गया। इन चयनित जिलों में पांच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिले, सात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं जिले, 17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन जिले, पांच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज जिले और तीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यिक फसल जिले शामिल थे (**परिशिष्ट 2.1**)। चयनित जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालयों के अभिलेखों का परीक्षण निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान किया। इसके अलावा योजना से संबंधित जानकारी संचालनालय, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास से भी प्राप्त की गई थी। एक हितग्राही सर्वेक्षण भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विभिन्न घटकों के हितग्राहियों के संतुष्टि का आंकलन करने के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदंड और कार्यप्रणाली पर प्रमुख सचिव कृषक कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के साथ 24 फरवरी 2016 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रमुख सचिव के साथ चर्चा 10 नवंबर 2016 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में की गई थी। प्रारूप प्रतिवेदन पर शासन का जबाब दिसम्बर 2016 में प्राप्त हुआ। निर्गम सम्मेलन के दौरान व्यक्त दृष्टिकोण एवं शासन के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया हो।

³ भिण्ड, छतरपुर, दमोह, धार, डिन्डोरी, गुना, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, खरगौन, मण्डला, पन्ना, शाजापुर, सीधी, सिवनी, उज्जैन, और विदिशा

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 खाद्यान्न के उत्पादन

मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार⁴ 2012-13 और 2014-15 उच्चतम खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्राप्त हुआ है, और राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार 2013-14 उच्चतम गेहूं उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान, राज्य में धान, गेहूं और दालो के बुवाई क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता, उनके आधार वर्ष (12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए 2011-12) के तुलना में तालिका 2.1.1 के अनुसार रहे।

तालिका 2.1.1: मध्यप्रदेश के वर्षवार धान, गेहूं और दलहन की बुवाई क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति

वर्ष	बुवाई क्षेत्र (000' हेक्टेयर)			उत्पादन (000' मीट्रिक टन में)			उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्टेयर में)		
	धान	गेहूं	दलहन	धान	गेहूं	दलहन	धान	गेहूं	दलहन
2011-12 (आधार वर्ष)	1,703	5,261	4,763	2,280	14,544	3,718	1,339	2,764	781
2012-13	1,801	5,613	5,329	3,113	16,518	5,043	1,728	2,943	946
2013-14	1,930	5,976	4,832	5,361	17,478	3,918	2,778	2,925	810
2014-15	2,153	6,002	4,911	5,438	18,480	4,350	2,526	3,079	885
2015-16 (अंतिम)	2,024	5,911	5,267	5,614	18,510	5,125	2,774	3,131	973

(स्रोत: संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा प्रदान की गई, राज्य भूमि अभिलेख आंकड़े)

तालिका 2.1.1 इंगित करता है कि खाद्यान्न के उत्पादन में आधार वर्ष के स्तर की तुलना में वृद्धि हुई। वृद्धि प्रतिशत धान में 146 फीसदी, गेहूं में 27 फीसदी और दालों में 38 फीसदी रही। उत्पादन में वृद्धि बुवाई क्षेत्र में वृद्धि एवं संबंधित फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि, अंतर वर्ष बदलाव के साथ हो सकता था। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता घटकर नौ प्रतिशत से घटी एवं दलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार वर्ष 2012-13 के तुलना में वर्ष 2013-14 में 14 प्रतिशत से कम हुई।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वर्ष 2013-14 में गेहूं और दालो की उत्पादकता, कम वर्षा और ओला की वजह से प्रभावित हुई। शासन ने यह भी बताया कि वर्ष 2014-15 में धान की उत्पादकता मानसून पूर्व बारिश और बरसात के मौसम में कम वर्षा की वजह से प्रभावित हुई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों का क्रियान्वयन राज्य में वर्ष 2014-15 से शुरू किया गया था। मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के समग्र स्थिति आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में तालिका 2.1.2 के अनुसार रही।

⁴ एक वार्षिक पुरस्कार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत देश के खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य को प्रदाय किये जाते हैं।

तालिका 2.1.2: मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों (गन्ना, कपास) की बुवाई क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति

वर्ष	बुवाई क्षेत्र ('000 हेक्टेयर में)			उत्पादन ('000 मीट्रिक टन में)			उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्टेयर में)		
	मोटा अनाज	वाणिज्यिक फसले		मोटा अनाज	वाणिज्यिक फसले		मोटा अनाज	वाणिज्यिक फसले	
		गन्ना	कपास		गन्ना	कपास		गन्ना	कपास
वर्ष-2013-14 (आधार वर्ष)	1,535	73	514	2,934	3,623	1,090	1,911	49,630	2,120
2014-15	1,711	111	636	3,428	4,567	1,243	2,004	41,144	1,955
2015-16 (अनंतिम)	1,700	103	547	4,295	7,750	1,070	2,526	75,243	1,955

(स्रोत: संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा प्रदान की गई, राज्य भूमि अभिलेख आंकड़े)

जैसा कि तालिका 2.1.2 में दर्शाया गया है, मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में आधार वर्ष (2013-14) के तुलना में क्रमशः 46 प्रतिशत और 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, वर्ष 2014-15 के दौरान गन्ने की प्रति हेक्टेयर यील्ड में 17 प्रतिशत की कमी थी, जबकि 2015-16 के अनंतिम आंकड़ों में इसकी उत्पादकता में 52 फीसदी की वृद्धि इंगित हुई। कपास का उत्पादन वर्ष 2013-14 में 1090 टन से घटकर वर्ष 2015-16 में 1070 टन रहा और वर्ष 2013-14 की तुलना में इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी आठ प्रतिशत की गिरावट वर्ष 2014-15 और 2015-16 में आई।

संचालनालय ने बताया (फरवरी 2017) कि कपास के उत्पादन में कमी का कारण कपास के देशी बीजों की अनुपलब्धता एवं कपास क्षेत्र का दाल क्षेत्र में परिवर्तन था।

2.1.6.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में खाद्यान्न का उत्पादन


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों को अतिरिक्त उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य सूचित नहीं किये गये

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की 2.5 करोड़ टन के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना था। हालांकि, संचालनालय कृषक कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया (जनवरी 2017) कि भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कोई उत्पादन लक्ष्य सूचित नहीं किए गए और राज्य शासन ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया था। उत्पादन लक्ष्य के अभाव में, योजना के उद्देश्य, विभिन्न खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों की प्रगति लेखा परीक्षा में पता नहीं चल सकी।

राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में वर्ष 2011-12 (आधार वर्ष) से वर्ष 2014-15 के दौरान तीन घटकों (धान, गेहूँ और दालों) का बुवाई क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता का स्थिति चार्ट 2.1.1, 2.1.2 और 2.1.3 में दिखाई गई है। विभाग वर्ष 2015-16 के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सका (दिसम्बर 2016), जिसकी वजह से वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान और गेहूँ) में जिलों के प्रदर्शन, एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों) के समग्र प्रदर्शन उपलब्ध नहीं थे।

• धान जिलों में योजना का प्रभाव

चार्ट 2.1.1 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान जिलों में बुवाई क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता



योजना से धान का बोया रकबा में केवल मामूली वृद्धि प्राप्त की गई

मध्य प्रदेश के आठ⁵ जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान लागू किया गया था। चार्ट 2.1.1 में दर्शाए अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में वर्ष 2014-15 के दौरान धान का बुवाई क्षेत्र में वर्ष 2011-12 की तुलना में पांच प्रतिशत की मामूली वृद्धि थी। हालांकि, यह वृद्धि राज्य स्तर पर धान की बुवाई क्षेत्र के औसत विकास 26 प्रतिशत की तुलना में काफी कम थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में धान की औसत उत्पादकता 2014-15 में 2,180 किलोग्राम/हेक्टेयर थी, जो राज्य स्तर पर 2,526 किलोग्राम/हेक्टेयर की औसत उत्पादकता से कम थी। 2012-13 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान के आठ जिले, 2013-14 में छह जिले और 2014-15 में पांच जिले राज्य की औसत उत्पादकता हासिल नहीं कर सका। जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

धान की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि थी जो वर्ष 2012-13 के 1,195 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 2,530 किलोग्राम /हेक्टेयर वर्ष 2013-14 के दौरान रही, संचालनालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कृषकों द्वारा संकर और अधिक उत्पादकता देने वाली किस्म के बीज का उपयोग, धान की एस.आर.आई. (सिस्टम आफ राइस इन्टेन्सिव) पद्धति का प्रयोग किये जाने से अत्यधिक वृद्धि हुई। धान की पैदावार में अचानक वृद्धि के लिये बताये गये कारण संदिग्ध थे, क्योंकि संकर और उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज का वास्तविक वितरण वर्ष 2013-14 (2,948 क्विंटल) जो वर्ष 2012-13 (8,264 क्विंटल) की तुलना में काफी कम थी, जैसे की अनुवर्ती कंडिका 2.1.8.1 में चर्चा की गई है। इसके अलावा तीन जिलों (कटनी, मंडला और सीधी) में वर्ष 2013-14 में उत्पादकता की तीव्र (अत्यधिक) वृद्धि दर्शायी गई है, जिनमें वर्ष 2014-15 में अचानक गिरावट तालिका 2.1.3 में दर्शाए अनुसार हुई, जिससे वर्ष 2013-14 के दौरान धान जिलों की उत्पादकता और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा, विभाग को करना वांछित है।

तालिका 2.1.3: तीन जिलों में धान की उत्पादकता का विवरण

जिला	2012-15 के दौरान किलोग्राम/हेक्टेयर में धान की उत्पादकता		
	2012-13	2013-14	2014-15
कटनी	1,226	3,729	2,182
मंडला	672	2,634	1,515
सीधी	1,398	2,464	1,232


⁵ अनूपपुर, दमोह, डिंडोरी, कटनी, मंडला, पन्ना, रीवा और सीधी

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में उत्पादन में विकास प्रतिशत, राज्य स्तर पर उत्पादन की औसत विकास दर के लगभग बराबर था। आगे यह भी कहा गया कि वर्ष 2014-15 में धान का कम उत्पादन मानसून के कारण प्रभावित हुआ। हालांकि, उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करने की सलाह देकर प्रयास किए गए थे।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि, इन जिलों में योजनांतर्गत धान के बुवाई क्षेत्र में केवल मामूली वृद्धि हासिल की जा सकी, जो पूरे राज्य की औसत वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले वर्ष 2012-15 के दौरान राज्य स्तर पर धान की औसत उत्पादकता भी प्राप्त नहीं कर सके थे।

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहूं जिलों में योजना का प्रभाव

चार्ट 2.1.2 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूं का बुवाई क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता



रा.खा.सु.मि. जिलों में गेहूं की औसत उत्पादकता राज्य औसत से कम रही।

राज्य के 17 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं⁶ लागू किया गया था। चार्ट 2.1.2 में दर्शाए अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि वर्ष 2011-12 के 55.32 लाख मि. टन से वर्ष 2014-15 में 74.03 लाख मि. टन हुई है। हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूं की औसत उत्पादकता वर्ष 2014-15 में 2,872 किलो/हेक्टेयर थी, जो राज्य औसत 3079 किलोग्राम/हेक्टेयर से काफी कम थी। 17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं जिलों में से वर्ष 2012-13, में केवल पांच जिले⁷ वर्ष 2013-14, में पांच जिले⁸ वर्ष 2014-15 में, सात जिले⁹ परिशिष्ट 2.3 में दर्शाए अनुसार राज्य के औसत से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सके।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2016) कि, कम उत्पादकता वाले जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में उत्पादन का विकास प्रतिशत, राज्य स्तर पर उत्पादन की औसत वृद्धि की तुलना में अधिक था।

⁶ अशोकनगर, छतरपुर, गुना, कटनी, खंडवा, खरगोन, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, शिवपुरी, सीधी, सिवनी, टीकमगढ़ और विदिशा

⁷ गुना, खण्डवा, रायसेन, सतना, और शिवपुरी


⁸ गुना, रायसेन, सतना, शिवपुरी और सिवनी

⁹ गुना, खण्डवा, खरगोन, रायसेन, राजगढ़, रीवा और सतना

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले वर्ष 2012-16 के दौरान राज्य स्तर पर गेहूं की औसत उपज भी प्राप्त नहीं कर सके थे। इसके अलावा योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूं उत्पादन में निरंतर वृद्धि प्रदान नहीं कर सके एवं आठ जिले (अशोकनगर, छतरपुर, कटनी, पन्ना, राजगढ़, सागर, शिवपुरी और टीकमगढ़) में वर्ष 2014-15 के दौरान बुवाई क्षेत्र में, पिछले साल की तुलना में कमी थी।

• **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन जिलों में योजना का प्रभाव**

चार्ट-2.1.3 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में दलहन के बुवाई क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता



वर्ष 2012-13 के दलहन के उत्पादन स्तर को बाद के वर्षों में प्राप्त नहीं किया जा

11वीं पंचवर्षीय योजना के 20 जिलों के मुकाबले, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य के सभी 51 जिले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन के तहत चयनित किए गए थे। चार्ट 2.1.3 में दर्शाए अनुसार वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में दालों की बुवाई रकवे में तीन फीसदी की मामूली वृद्धि हुई थी। दालों का उत्पादन वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के क्रियान्वयन की प्रथम वर्ष में सबसे अधिक थी, जो बाद के वर्षों के दौरान काफी हद तक कम हुई। हालांकि वर्ष 2015-16 के अस्थायी आंकड़े, दालों के उत्पादन में वृद्धि के संकेत देते थे। इस प्रकार, दालों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रभाव स्पष्ट नहीं था।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण दालों का उत्पादन प्रभावित हुआ था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले, धान और गेहूं में राज्य की औसत उपज हासिल नहीं कर सके। राज्य में दालों की औसत उत्पादकता में कमी थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों को उत्पादन लक्ष्य प्रदान नहीं किये जाने से, इन जिलों की उपलब्धि मापी नहीं जा सकती थी। इसके अतिरिक्त राज्य में कुल कृषकों के केवल दो प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लाभान्वित हुए थे, अतः राज्य के समग्र खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का योगदान सीमित रहा।

2.1.7 आयोजना

2.1.7.1 वार्षिक कार्य आयोजनाओं की तैयारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका-8.1 के अनुसार जिला स्तर पर एजेंसी (डीएफएसएमईसी) अपनी वरीयता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए जिले की वार्षिक कार्य आयोजना (ए.ए.पी.) तैयार कर राज्य स्तरीय एजेंसी को प्रस्तुत करेगी।

जिला वार्षिक कार्य आयोजना बनाने के पूर्व जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं/ब्लॉक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त नहीं की गई।

विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि तकनीकी प्रबंधन समिति एवं किसानों के स्व-सहायता समूह की भागीदारी डी.एल.एस.एम.ई.सी. में रहेगी। वार्षिक कार्य आयोजना तैयार करने के पूर्व जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) से जानकारी प्राप्त किया जाना था। राज्य स्तरीय एजेंसी जिले से प्राप्त वार्षिक कार्य आयोजना के आधार पर राज्य ए.ए.पी. तैयार करेंगे, जिसे एसएफएसएमईसी द्वारा जांचने के उपरांत भारत सरकार कृषि मंत्रालय, के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि नमूना जांच किये गए जिलों में, जिले की वार्षिक कार्यआयोजनाएं जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (डीएफएसएमईसी) के स्थान पर संबंधित उप संचालकों कृषि दवारा तैयार की गई थी। जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं/ब्लॉक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त किये बगैर ही वार्षिक कार्यआयोजना तैयार की गई थी। इस प्रकार, जिले की वार्षिक कार्यआयोजना हितधारकों से आवश्यक विचार विमर्श के बाद तैयार नहीं थे।

दो उप संचालकों खरगोन और सीधी ने सूचित किया कि वार्षिक कार्यआयोजना को गत वर्ष की प्रगति में 10 प्रतिशत जोड़कर तैयार किया गया था। उप संचालक शाजापुर ने सूचित किया कि उन्होंने संचालनालय से प्राप्त लक्ष्यों का कार्यान्वयन किया गया। ग्यारह¹⁰ उप संचालकों ने सूचित किया कि वार्षिक कार्यआयोजना, ब्लॉक कार्यालयों के साथ साप्ताहिक बैठकों में विचार विमर्श के उपरांत तैयार की गई। परन्तु इन 11 उप संचालकों के द्वारा ने ब्लॉक कार्यालयों के साथ हुए बैठक के कार्यवाही विवरण उपलब्ध नहीं करा सके। इसके अलावा, तीन उप संचालकों (भिंड, पन्ना और हरदा) से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वार्षिक कार्यआयोजनाएं स्थाई समिति¹¹ के साथ विचार विमर्श के बाद जिला स्तर पर तैयार की गई थी। सभी जिला कार्यालयों को ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उप संचालकों कृषि द्वारा वार्षिक कार्यआयोजना तैयार करने के लिए इस प्रक्रिया का अपनाए जाने के बावत सूचित नहीं किया था। ब्लॉक कार्यालयों/पंचायती राज संस्थाओं से जानकारी नहीं लेने के कारण, विभिन्न घटकों में ऐसे सुझावों जिनमें कृषकों की मांग नहीं थी को भी शामिल होना पाया गया, जैसे कि कंडिका 2.1.8, 2.1.11 और 2.1.13.1 में चर्चा की गई है।

2.1.7.2 संदर्शी योजना की तैयारी एवं आधारभूत अध्ययन का संचालन

दिशा निर्देशों के पैरा 4.2.4 के अनुसार राज्य स्तर एजेंसी, मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करीबी समन्वय से एक संदर्शी आयोजना तैयार करेगी। राज्य स्तरीय एजेंसी प्रचालन क्षेत्र (जिला, उपजिला या जिलों का समूह) में मूल सर्वेक्षण और आधारभूत अध्ययन भी आयोजित करेगी, जिससे फसल उत्पादन की स्थिति, इसकी संभावना और मांग का निर्धारण किया जा सके।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि संचालनालय द्वारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए राज्य स्तरीय एजेंसी था, संदर्शी योजना तैयार नहीं की गई थी। मूल सर्वेक्षण और आधारभूत अध्ययन भी आयोजित नहीं किये गए, जिसके कारण फसलों की उत्पादकता की स्थिति एवं इसकी क्षमता का निर्धारण नहीं किया जा सका था।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि जिलों से प्राप्त वार्षिक कार्यआयोजना, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों और भारत सरकार से प्राप्त अस्थायी परिव्यय/कार्यक्रम,

फसलों की उत्पादकता की स्थिति एवं इसकी क्षमता के निर्धारण के लिये संदर्शी योजना और आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया गया।

¹⁰ छतरपुर, दमोह, धार, डिण्डोरी, होशंगाबाद, इंदौर, मण्डला, सिवनी, उज्जैन और विदिशा

¹¹ कृषि स्थाई समिति – त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थापित एक समिति

को ध्यान में रखकर राज्य की वार्षिक कार्यआयोजना तैयार की गयी है। आधारभूत सर्वेक्षण के संचालन के संबंध में शासन ने बताया कि राज्य भूमि रिकार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर इसे किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य स्तरीय एजेंसी ने संदर्शी आयोजना तैयार नहीं की, यद्यपि योजना के तहत यह जरूरी था। इसके अलावा प्रचालन क्षेत्रों में फसल की क्षमता और मांग के डेटाबेस, राज्य भूमि अभिलेख आंकड़ों में शामिल नहीं थे, जिसका मूल्यांकन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, मूल सर्वेक्षण और आधारभूत अध्ययन में किया जाना था।

2.1.8 घटकों का क्रियान्वयन

कृषि कार्य में कृषकों की दक्षता बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा निर्देशों में निम्नलिखित घटक उपलब्ध थे:

- त्वरित फसल उत्पादन कार्यक्रम जिसमें फसल प्रणाली आधारित उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शनों का आयोजन ;
- आवश्यकता आधारित आदानों, जिसके उप-घटकों में संकर/प्रमाणित बीज का वितरण, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदासुधारकों¹², पौध संरक्षण उपाय, कृषि यंत्रीकरण और प्रशिक्षण जैसे इनके उपघटक एवं
- सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों और स्थानीय प्रयासों के लिए पुरस्कार।

प्रत्येक घटक की अन्य घटकों के साथ परस्पर संवादात्मक भूमिका थी तथा प्रत्येक फसल घटक में उनके साथ साथ क्रियान्वयन किये जाने पर ही इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकते थे। बजट आवंटन में घटकवार योगदान तालिका 2.1.4 में दर्शाए अनुसार था।


तालिका 2.1.4: वर्ष 2012-16 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों के लिए बजट आवंटन

घटक का नाम	2012-16 के दौरान आवंटन	
	राशि ₹ लाख में	आवंटन प्रतिशत
बीज वितरण	17,714	20
प्रदर्शन	30,125	33
पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारकों	12,511	14
कृषि यंत्रीकरण	23,907	27
प्रशिक्षण	978	1
अन्य-स्थानीय पहल,परियोजना प्रबंधन व्यय, आदि	4,885	5
योग	90,120	100

वर्षों 2012-13 से 2015-16 के दौरान उपरोक्त घटकों का अंश चार्ट 2.1.4 में दर्शाया गया है।

¹² सामग्री जो पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी को अधिक अनुकूल बनाती है और/या मिट्टी के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है।

चार्ट 2.1.4 : विभिन्न घटकों के अंश का विवरण



चार्ट 2.1.4 में दर्शाए अनुसार, कृषि यंत्रीकरण पर सिलसिलेवार वर्षों में बजट आवंटन में कमी आई थी, जो वर्ष 2012-13 में 40 प्रतिशत से, वर्ष 2015-16 में 17 प्रतिशत रही। बीज वितरण के तहत आवंटन की हिस्सेदारी, वर्ष 2012-13 में 9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 32 प्रतिशत हुई, लेकिन यह वर्ष 2015-16 में कम होकर 18 प्रतिशत रह गई। तालिका 2.1.3 और चार्ट 2.1.4 में दर्शाए बजट आवंटन के पैटर्न में, योजनांतर्गत कार्यान्वित उपायों में किसी भी तालमेल के संकेत नहीं थे। चयनित जिलों में संघटकवार घटकों में लक्ष्य एवं उपलब्धियों, की आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.8.1 बीज का वितरण

फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण आदानों में से एक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन दिशा-निर्देशों के कंडिका 14.2.1 में निर्धारित हैं कि, राज्य द्वारा अधिकृत बीज उत्पादन एजेंसियां,¹³ चयनित जिलों में कृषकों को बीज वितरित करेंगी। बीज की खरीद के लिए कृषकों को सहायता के मानदंड तालिका 2.1.5 में विवरण अनुसार थे।

चार्ट 2.1.5 : बीज की खरीद के लिए कृषकों को सहायता के मानदंड

फसल का नाम	संकर	किस्में 10 वर्ष से कम
धान	₹ 50/किलो या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो	₹ 10/ किलो
गेहूं		₹ 10/ किलो
दलहन		₹ 25/किलो या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो
मोटा अनाज	₹ 50/किलो	₹ 15/किलो या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो

रा.खा.सु.मि. जिलों में धान, गेहूं, दलहन और मोटा अनाज बीजों के वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने में कमी थी।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान धान, गेहूं और दलहन के बीज के वितरण के लिए प्राप्त, कुल बजट आवंटन ₹ 177.44 करोड़ के विरुद्ध, विभाग द्वारा केवल राशि ₹ 39.26 करोड़ व्यय की गई। इस घटक के तहत फसल वार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति इस प्रकार है:-

धान के बीजों का वितरण

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान धान के बीजों वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 2.1.6 में दर्शाए अनुसार थी।

¹³ राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.)/राज्य बीज निगम (एस.एस.सी.)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस.ए.यू.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.)/निजी कंपनियां

तालिका 2.1.6: धान बीज वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि

(किंटल में)

वर्ष	संकर किस्में						अधिक उत्पादकता देने वाली किस्में					
	8 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिलों में			लेखा परीक्षित जिले (5 जिले)			8 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिलों में			लेखा परीक्षित जिले (5 जिले)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रति-शत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रति-शत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रति-शत
2012-13	500	1,464	293	175	110	63	15,000	6,800	45	6,720	2,216	33
2013-14	2,000	71	4	760	0	0	20,000	2,877	14	8,200	1,395	17
2014-15	5,900	52	1	2,170	0	0	31,000	2,002	6	11,300	288	3
2015-16	2,400	8	0	1,800	0	0	15,000	5,236	35	13,600	5,068	37
योग	10,800	1,595	14.77	4,905	110	2	81,000	16,915	21	39,820	8,967	23

(स्रोत: जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिलों में संकर और उच्च उत्पादकता किस्म के धान बीज के वितरण वर्ष 2012-16 के दौरान संकर बीज के लक्ष्य का केवल 15 प्रतिशत एवं अधिक उत्पादकता देने वाली किस्मों के लक्ष्य का 21 प्रतिशत वितरण किया गया।

गेहूं के बीजों का वितरण

वर्ष 2012-14 के दौरान 10 साल से कम अवधि की किस्मों के प्रमाणित गेहूं के बीज की खरीद के लिए कृषकों को सहायता उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के दौरान अधिक उत्पादकता वाली किस्मों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 2012-16 के दौरान गेहूं के बीज के वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों तालिका 2.1.7 में दर्शाए अनुसार रहीं।

तालिका 2.1.7: गेहूं के बीज वितरण की भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि

(किंटल में)

साल	17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं जिलों में			लेखा परीक्षित जिले में (7 जिले)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
2012-13	1,40,000	1,07,983	77.13	25,471	16,697	65.55
2013-14	2,40,000	1,17,873.80	49.11	46,000	16,070	34.93
2014-15	2,40,000	42,040.57	17.52	84,000	20,483	24.38
2015-16	68,004	25,843	38.00	32,860	9,190	27.96
योग	6,88,004	2,93,740.37	42.69	1,88,331	62,440	33.15

(स्रोत: जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार, गेहूं के बीज के वितरण के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी कमी थी। संचालनालय ने बताया (जनवरी 2017) कि वर्ष 2015-16 के लिए लक्ष्य, भारत सरकार द्वारा सूचित अस्थायी परिव्यय को देखते हुए कम रखा गया था। हालांकि, लक्ष्य कम रखने के बावजूद उपलब्धि निराशाजनक थी।

दलहन बीजों का वितरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन सभी 51 जिलों में लागू किया गया था। वर्ष 2012-14 के दौरान, कृषकों को "10 वर्ष से कम" एवं "10 वर्ष से अधिक किस्मों" के दलहन बीज की खरीद के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2014-16 के दौरान अधिक उत्पादकता वाली किस्मों की खरीद हेतु सहायता प्रदान की गई। दलहन बीज वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों, तालिका 2.1.8 के अनुसार रहें।

तालिका 2.1.8: दलहन के बीज वितरण की भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि

(क्विंटल में)

वर्ष	बीज किस्म	राज्य (51 जिले)			लेखा परीक्षित जिले (17 जिले)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
2012-13	< 10 वर्ष	16,500	14,837	90	7,170	12,315	172
	>10 वर्ष	50,590	41,429	82	22,250	17,869	80
2013-14	< 10 वर्ष	32,000	26,015	81	25,797	19,065	74
	>10 वर्ष	1,53,650	1,12,650	73	74,848	70,839	95
2014-15	एचवाईव्ही	2,65,000	45,656	17	1,21,460	42,674	35
2015-16	एचवाईव्ही	1,80,080	18,116	10	75,790	10,298	14
योग		6,97,820	2,58,703	37	3,27,315	1,73,060	53

(स्रोत: जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार, राज्य में दलहन बीज वितरण में प्रगति अवधि 2012-13 से 2015-16 के दौरान कम होती रही, जो वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः केवल 17 और 10 फीसदी रही।

मोटा अनाज बीजों का वितरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू किया गया था। वर्ष 2014-16 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि तालिका 2.1.9 में दर्शाए अनुसार रही।

तालिका 2.1.9: धान बीज वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि

(क्विंटल में)

वर्ष	संकर किस्मे						अधिक उत्पादकता देने वाली किस्में					
	राज्य में (16 जिले)			लेखा परीक्षित जिले (5)			राज्य में (16 जिले)			लेखा परीक्षित जिले (5)		
	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	उप-लब्धि	प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	उप-लब्धि	प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	उप-लब्धि	प्रति-शत
2014-15	4,450	905	20.33	1,411	180	12.75	6,500	169	2.6	1,316	0	0
2015-16	9,499	0	0	1,100	0	0	9,736	835	8.57	1,050	0	0
योग	13,949	905	6.48	2,511	180	7.17	16,236	1,004	6.00	2,366	0	0

(स्रोत: जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

तालिका 2.1.9 में दर्शाए अनुसार राज्य में संकर और अधिक उत्पादकता किस्म के मोटा अनाज के बीज के वितरण में प्रगति अल्प थी, क्योंकि वर्ष 2014-16 के दौरान संकर और अधिक उत्पादकता किस्म के मोटा अनाज बीज वितरण के लक्ष्य की केवल छह फीसदी उपलब्धि प्राप्त की गई।

इस प्रकार सभी फसल घटकों में कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज के वितरण में राज्य का समग्र निष्पादन अल्प था। नमूना जांच किए गए जिलों ने सूचित किया कि बीज की अनुपलब्धता, कृषकों में मांग की कमी, आदि अल्प उपलब्धि के लिए कारण थे। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि, इस घटक के 260 में से 250 लाभार्थियों ने, लाभार्थी सर्वेक्षण में बताया कि उन्होंने विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बीज का उपयोग करके अधिक उत्पादकता हासिल की थी। इसमें इच्छुक कृषकों को बीज वितरण व्यवस्था की समीक्षा को आवश्यक बनाया, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत लक्षित अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि धान, गेहूँ और दलहन में बीज वितरण के लक्ष्य उच्च उत्पादकता किस्मों (10 वर्ष से कम) की अपर्याप्त उपलब्धता एवं मोटा अनाज के वितरण में संकर/अधिक उत्पादकता देने वाली किस्मों की उपलब्धता में समस्या की

वजह से प्रभावित हुए थे। आने वाले सीजन के दौरान बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि लाभार्थी कृषकों को वितरण के लिए गुणवत्ता बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य शासन की जिम्मेदारी थी।

2.1.8.2 जिला बीज समिति का कार्य करना

परिचालन दिशा-निर्देशों के कंडिका 12.5 निर्धारित करती है कि, जिला खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यकारी समिति (डीएफएसएमईसी) के अध्यक्ष द्वारा बीज उपलब्धता एवं कृषकों को बीज वितरण सुनिश्चित करने के लिये, एक जिला स्तरीय बीज समिति गठित की जायेगी। बीज समिति को बीजों हेतु लाभार्थियों की सूची, सत्यापित करने बीज मांग पत्र और बीज का विनरण अंतिम उपयोगकर्ताओं को सुनिश्चित वितरण करने के लिये सत्यापन करना था।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 17 लेखा परीक्षित जिलों में से पांच जिलों¹⁴ में बीज समिति गठित नहीं की गई थी। शेष 12 जिलों में, जहां इन समितियों का गठन किया गया था, अभिलेखों से यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि, बीज समितियों द्वारा बीज के लाभार्थियों की सूची का सत्यापन एवं उसका वितरण सुनिश्चित किया गया।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यालयों को जिला बीज समितियों की स्थापना एवं नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2.1.8.3 बीजों की गुणवत्ता

कृषकों को वितरित बीज की गुणवत्ता, बीज अधिनियम 1966 के तहत विनियमित किया जा रहा है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति बेचने के व्यवसाय, बिक्री के लिए रखने, बेचने की पेशकश, वस्तु विनियमय अन्यथा किसी भी अधिसूचित किस्म के बीज की आपूर्ति नहीं करेंगे, जब तक की बीज, अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा के अनुरूप नहीं हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में कृषकों को प्रमाणित बीज के वितरण की परिकल्पना की गई है।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि लेखापरीक्षित 17 जिलों को वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान, संचालनालय से 3766 बीज गुणवत्ता परीक्षण कराने का लक्ष्य प्राप्त हुई थी, जिसके विरुद्ध परिशिष्ट 2.4 में दर्शाए अनुसार 3126 (83 प्रतिशत) नमूने लिए गए। बीज नमूने का परीक्षण, कृषकों को वितरण से पूर्व किया जाना था। हालांकि सात¹⁵ लेखा परीक्षित जिलों में 582 नमूने बुवाई की अवधि (खरीफ: जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह; रबी: अक्टूबर मध्य से नवम्बर के प्रथम सप्ताह) के बाद एकत्र किए गए थे।

गुणवत्ता परीक्षण उपरांत प्राप्त 3110 प्रतिवेदनों में से 1,218 के परिणाम बुवाई अवधि पश्चात् प्राप्त हुए। इसके अलावा प्रमाणित बीज के 369 नमूने (प्राप्त प्रतिवेदनों के 11.86 प्रतिशत) निम्नतर पाए गए। इन निम्नतर नमूनों के लाटो में से वितरित बीज की मात्रा, संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने से सत्यापित नहीं किया जा सकी।

नमूने लेने में देरी और गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त होने के कारण कृषकों द्वारा निम्नतर बीज की बुवाई करनी पड़ी, जिसने फसल उत्पादन और कृषकों की आय के सृजन, को जोखिम में डाल दिया।

नमूने लेने अथवा बुवाई अवधि के पश्चात् परिणाम प्राप्त होने से विलंब के कारण बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई।

¹⁴ होशंगाबाद, मण्डला, सीधी, उज्जैन और विदिशा

¹⁵ दमोह, धार, होशंगाबाद, मण्डला, सीधी, उज्जैन और विदिशा

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि बीज के नमूनों को समय पर संग्रहित करने के निर्देश जिला कार्यालयों को जारी किए गए, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.1.9 स्थल प्रदर्शन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत फसल प्रणाली पर एवं एकल फसल पर उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी का स्थल प्रदर्शन, आयोजित किया जाना था। कम से कम 30 फीसदी प्रदर्शन फसल प्रणाली आधारित दृष्टिकोण पर किया जाना था। प्रदर्शन का संचालन खेतों को दो ब्लॉकों में विभाजित करते हुए एक ब्लॉक संवर्धित प्रथाओं (प्रदर्शन प्लॉट) और दूसरा कृषकों की प्रथाओं (कंट्रोल प्लॉट) में किया जाना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिला परामर्शदाता/तकनीकी सहायकों को प्रदर्शनों के संचालन पर परीवीक्षण करना था और इनके परिणामों को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर, जिला स्तरीय जिला प्रबंधन दल को उपलब्ध करना था।

लाभार्थियों का चयन सहयोपरक विधि से, गांव में बैठकें आयोजित करके प्रदर्शनों के उद्देश्यों को समझा कर किया जाना था। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एकल फसल प्रदर्शन की लागत ₹ 7,500 और फसल अनुक्रम प्रदर्शन के लिए ₹ 12,500 निर्धारित था, जबकि एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मोटा अनाज प्रदर्शन की लागत ₹ 5,000 थी।

वर्ष 2012-16 के दौरान राज्य एवं चयनित जिलों में प्रदर्शन के वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धि परिशिष्ट 2.5 में दर्शाए गए हैं, जिसका एक सार तालिका 2.1.10 में दिया गया है।

तालिका 2.1.10: वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान प्रदर्शनों की लक्ष्य और उपलब्धि

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ करोड़ में)

घटक	राज्य				नमूना जांच किये गए जिले			
	भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
धान	17,948	16,308	13.46	9.42	11,445	8,914 (77.89)	8.93	5.14 (57.46)
गेहूं	71,761	73,306	69.55	52.08	30,330	29,245 (96.42)	27.26	22.11 (81.11)
दलहन	4,89,393	5,04,112	316.90	282.38	2,42,234	2,41,203 (99.57)	141.71	123.40 (87.08)
मोटा अनाज	46,580	29,434	23.29	8.52	11,800	9,200 (77.97)	5.90	2.72 (45.93)
योग	6,25,682	6,23,160	423.20	352.40	2,95,809	2,88,562 (97.55)	183.80	153.37 (83.44)

(स्रोत: राज्य और जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार, मोटा अनाज और धान के तहत प्रदर्शन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी थी, जबकि गेहूं और दलहन के लक्षित प्रदर्शनों को लगभग पूरी तरह से प्राप्त किया गया।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) है कि मोटा अनाज और धान के लक्षित प्रदर्शन को गुणवत्ता बीज की कमी की वजह से हासिल नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, प्रदर्शन के साथ ही गुणवत्ता बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवम् लाभार्थी किसानों में उसका वितरण करना राज्य शासन की जिम्मेदारी थी।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी करने के लिए सामान्यकृत पैकेज अपनाने के कारण स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं का अभाव रहा।

2.1.9.1 प्रदर्शन प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप दिया जाना

परिचालन दिशा निर्देशों में प्रावधान था कि प्रदर्शनों के लिए प्रदान किए जाने वाले आदानों का एक पैकेज, कार्यक्षेत्र में स्थित एस.ए.यू./के.वि.के.¹⁶ के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों के साथ परामर्श के पश्चात् पहचान की जानी थी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि संचालनालय ने राज्य स्तर पर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श उपरांत, प्रदर्शनों के लिए आदानों की एक पैकेज को तैयार कर, जिलों को अनुपालन हेतु मुहैया कराया। जिलों द्वारा इस पैकेज को एस.ए.यू./के.वि.के. के जिला स्तर के अनुसंधान केन्द्रों से पुष्टि के बिना अपनाने के कारण, अपनाई गई तकनीक में स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं का अभाव रहा।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि पैकेज में कृषि विज्ञान केन्द्र के जिला स्तर के कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ परामर्श के बाद आवश्यक बदलाव करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2.1.9.2 फसल प्रणाली आधारित स्थल प्रदर्शन

फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, भूमि के एक ही प्लॉट में अनुक्रम फसल के स्थल प्रदर्शनों पर जोर देता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों में निर्धारित है कि प्रदर्शनों का 30 प्रतिशत फसल प्रणाली आधारित होगी।

नमूना जांच किए गए जिलों में फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों के निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया। नमूना जांच किए गए जिलों द्वारा वर्ष 2012-16 के दौरान आयोजित कुल 2.89 लाख प्रदर्शनों में से **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाए अनुसार केवल 6,555 प्रदर्शन फसल प्रणाली पर आधारित थे, जो केवल 2.27 फीसदी था।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि उचित समय पर फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों के संचालन के लिए निर्देश (नवम्बर 2016) जारी किए गए थे।

तथ्य वही रहा कि जिला कार्यालयों के दिशा-निर्देशों के परिपालन में फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों के संचालन में विफलता के कारण कृषकों को कृषि क्षेत्र स्तर की अर्थ व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए, फसल प्रणाली को अपनाये जाने की जागरूकता से वंचित रहे।

2.1.9.3 प्रदर्शन के परिणामों के लिए अभिलेख

प्रदर्शनों के परिणामों को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संकलित किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर प्रदर्शनों के परिणामों को दस्तावेज के रूप में संकलित किया जाना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर एक प्रदर्शन पंजी, रखना था जिसमें कृषक के चयन, मृदा परीक्षण की तारीख, उपयोग किए गए बीज किस्म का नाम, बुवाई की तारीख, इस्तेमाल किये गये सामग्री की मात्रा एवं नाम और फसल कटाई प्रयोगों के परिणामों के संबंध में सभी सूचना संधारित किया जाना था। प्रत्येक परिणाम में कृषक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। दिशा निर्देश में यह भी बताया गया था कि परिणाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिला एवं तकनीकी सलाहकारों द्वारा तैयार किए जाने चाहिए।

आठ नमूना जांच किए गए जिलों (भिंड, छतरपुर, डिण्डोरी, होशंगाबाद, इंदौर, मंडला, सिवनी और विदिशा) द्वारा प्रदर्शन का रिकार्ड, सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, यद्यपि इन जिलों में पिछले चार वर्षों के दौरान राशि ₹ 91.71 करोड़ व्यय कर 1,73,636 प्रदर्शन आयोजित किये गए थे। सात¹⁷ अन्य नमूना जांच किए गए जिलों में,

अभिलेखों का अनुचित संधारण, डिस्प्ले बोर्डों में अधूरी जानकारी प्रदर्शित किये जाने के कारण कृषकों के मध्य उन्नत प्रथाओं के बारे में जागरूकता लाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

¹⁶ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों

¹⁷ दमोह, धार, गुना, हरदा, खरगोन, पन्ना और सीधी

प्रदर्शन के परिणामों में प्रदर्शन प्लाट और कंट्रोल प्लाट का तुलनात्मक परिणाम उपलब्ध नहीं था एवं परिणामों पर किसान, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर नहीं थे। इन जिलों में परिणाम तैयार करने में सलाहकार की भूमिका, परिणाम में उनके हस्ताक्षर नहीं होने से ज्ञात नहीं हो सकी। जिला उच्चजैन द्वारा कृषक वार प्रदर्शन परिणामों के बजाय, सभी प्रदर्शनों के परिणामों का सारांश ही प्रदान किया गया।

शासन ने अपने जबाब में कहा (दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण प्रदर्शनों के परिणाम तैयार नहीं किए गए और अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए जा चुके थे (दिसम्बर 2016)।

तथ्य वही रहा है कि, आठ नमूना जाँच किए गए जिलों में आयोजित 1,73,636 प्रदर्शनों के परिणामों के अभिलेखों के अभाव में, राशि ₹ 91.71 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ। इसके अलावा कंट्रोल प्लाट एवं प्रदर्शन प्लाट के तुलनात्मक परिणाम का उल्लेख किए बिना प्रदर्शनों के परिणामों को बनाये जाने से, प्रदर्शित प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में कृषकों को जागरूक करने के उद्देश्य, विफल हुआ।

2.1.9.4 प्रदर्शन बोर्ड का उपयोग

प्रदर्शन बोर्ड, पर कृषकों की संख्या, गांव, उपयोजित बीज की किस्म, प्रदर्शन के प्रकार, उपयोजित उर्वरक, उपयोजित जैव उर्वरकों, उपयोजित सूक्ष्म पोषक तत्व, बुवाई/रोपाई की तारीख, बीज दर और अंतर, जिला सलाहकार/तकनीकी सहायक के मोबाइल नंबर, की जानकारी अंकित करते हुए, प्रदर्शन प्लाट पर प्रदर्शित करने थे।

लेखा परीक्षा जांच में पता चला कि प्रदर्शन प्लाट में प्रदर्शन बोर्डों पर व्यय किया गया था। हालांकि दो जिलों—छतरपुर और सिवनी में डिस्प्ले बोर्ड के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि डिस्प्ले बोर्ड में दिशा-निर्देशों के तहत जरूरी सभी जानकारी शामिल नहीं की गई थी। इसके अलावा, उप संचालक, कृषि खरगोन ने सूचित किया कि वर्ष 2015-16 में प्रदर्शन बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किए गए थे।



ग्राम पचवारा ब्लॉक नौगांव, जिला छतरपुर में कृषक के खेत में अधूरी जानकारी प्रदर्शित करता हुआ डिस्प्ले बोर्ड

ग्राम धूमा ब्लॉक लखनादौन, जिला सिवनी में कृषक के खेत में अधूरी जानकारी प्रदर्शित करता हुआ प्रदर्शन बोर्ड

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि जिलों को प्रदर्शन बोर्ड पर पूरी जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2.1.9.5 क्षेत्र दिवस का आयोजन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन संबंधी दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं, कि फसल के उत्पादक चरण में, वरियत: अनाज के दाने भरने में चरण में, वैज्ञानिकों की भागीदारी

सुनिश्चित करते हुए एक क्षेत्र दिवस, आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें कृषकों की समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियों और समाधान प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि क्षेत्र दिवस का आयोजन छह¹⁸ जिलों में आयोजित किया गया। हालांकि, पांच जिलों¹⁹ में इसका आयोजन नहीं किया गया, जिसके लिये, या तो वैज्ञानिकों की अनुपलब्धता या कोषालयों द्वारा लगाए गए अग्रिमों के आहरण पर प्रतिबंध को कारण बताया गया। इंदौर जिले में क्षेत्र दिवस, वैज्ञानिकों की भागीदारी के बिना आयोजित किया गया। हालांकि, अन्य पांच²⁰ जिलों में क्षेत्र दिवस के आयोजन के संबंध में स्थिति न अभिलेखों पर पाई गई और न ही जिलों द्वारा प्रदान की गई।

शासन ने अपने जबाब में कहा (दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यालयों को क्षेत्र दिवस आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे (दिसम्बर 2016)।

2.1.10 आवश्यकता आधारित आदान

2.1.10.1 पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका 14.2.2 के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों/चूना/जिप्सम या अन्य सल्फरयुक्त उर्वरकों जैसे फॉस्फर-जिप्सम/बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग एक आधारीय/पर्णीय अनुप्रयोग²¹ के रूप में, आईसीएआर/संबंध राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सिफारिशों के आधार पर किया जाना था। डीएफएसएमईसी लाभार्थियों की सूची को ग्राम पंचायत के परामर्श से अंतिम रूप देंगे। इन आदानों की लागत का पचास प्रतिशत या तालिका 2.1.11 में दर्शाये गए अधिकतम सहायता राशि को शासन द्वारा वहन किया जाना था और शेष राशि कृषकों को स्वयं वहन करना था।

तालिका 2.1.11: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषकतत्व अनुसार स्वीकार्य सहायता मानदंड

पोषक तत्व का नाम	स्वीकार्य सहायता (₹ में)
सूक्ष्म पोषक तत्वों	500 प्रति हेक्टेयर
अम्लीय मिट्टी का चूना या पेपर मड	1000 प्रति हेक्टेयर
जिप्सम/ सल्फर के अन्य स्रोतों	750 प्रति हेक्टेयर
जैव उर्वरक जैसे राईजोबियम, दालों के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाईजिंग बैक्टेरिया (पीएसबी)	100 प्रति हेक्टेयर

वर्ष 2012-2016 के दौरान, इस घटक के अंतर्गत, राज्य और चयनित जिलों में वर्षवार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि के विवरण परिशिष्ट 2.7 से 2.9 में दिए गए थे। जिसका एक सार तालिका 2.1.12 में दिया गया है।

तालिका 2.1.12: पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारकों के वितरण की लक्ष्य और उपलब्धि (भौतिक-हेक्टेयर में और वित्तीय ₹ करोड़ में)

घटक	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले					नमूना जांच किए गए जिले				
	लक्ष्य		उपलब्धि			लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
सूक्ष्म पोषक तत्व										
धान (परिशिष्ट 2.7)	73,500	3.68	73,709	100.28	2.98	39,850	1.99	26,291	65.97	1.25
गेहूं	4,20,000	21.00	3,30,439	78.68	15.05	1,99,259	9.96	1,84,296	92.49	8.57

18 छतरपुर, गुना, खरगोन, मण्डला, शाजापुर और उज्जैन

19 दमोह, धार, पन्ना, सीधी, और विदिशा

20 भिण्ड, डिण्डोरी, हरदा, होशंगाबाद और सिवनी

21 आधारीय अनुप्रयोग, बुवाई के पूर्व अथवा बुवाई के बाद सीधे जमीन में मिलाया जाता है, और पर्णीय अनुप्रयोग खड़ी फसलों पर छिड़काव किया जाता है।

घटक	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले					नमूना जाँच किए गए जिले				
	लक्ष्य		उपलब्धि			लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
(परिशिष्ट 2.8)										
दलहन (परिशिष्ट 2.9)	9,24,428	46.22	7,26,374	78.58	28.87	2,50,390	13.07	2,28,499	91.26	10.08
लाइम/ जिप्सम										
गेहूं (परिशिष्ट 2.8)	1,23,000	7.93	55,672	45.26	2.30	46,660	2.68	21,490	46.06	1.10
दलहन (परिशिष्ट 2.9)	1,64,376	12.33	1,39,620	84.94	7.74	68,630	5.38	54,851	79.92	3.19
राईजोबियम कल्चर/ फास्फेट सोल्यूबिलाईजिंग बैक्टेरिया (पीएसबी)										
दलहन (परिशिष्ट 2.9)	4,71,300	8.14	3,33,402	70.74	3.64	2,09,516	4.60	1,53,914	73.46	1.71

इस प्रकार, नमूना जाँच किए गए जिलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों लाइम/ जिप्सम और राईजोबियम कल्चर के वितरण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गए। आगे संवीक्षा में निम्न प्रकार हुआ:-

(i) समेकित पोषण प्रबंधन (आई.एन.एम.) पैकेज के उपयोग

स्थानीय राष्ट्रीय कृषि विश्व विद्यालय/ कृषि अनुसंधान केन्द्र के अनुमोदन के बगैर सामान्यीकृत पैकेज को अपनाये जाने से आई.एन.एम. पैकेज के अंतर्गत वितरित आदानों में, स्थान विशिष्ट आवश्यकता का अभाव रहा।

संचालनालय ने राज्य स्तर पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से परामर्श के बाद तैयार की गई सामान्यीकृत आई.एन.एम. पैकेज, कार्यान्वयन के लिए जिलों को प्रदान की। नमूना जाँच किए गए सत्रह जिलों में से चार²² जिलों ने प्राप्त पैकेज के अनुसार आई.एन.एम. के उपयोग को सूचित किया। परिणामतः आई.एन.एम. पैकेज स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना कृषकों को वितरित किए गए।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि सभी जिला कार्यालयों को जिला स्तर पर आदानों के पैकेज के बारे में निर्णय करने के लिए निर्देश जारी (दिसम्बर 2016) किए गए थे।

(ii) जिला स्तर पर आई.एन.एम. के वितरण के अभिलेख नहीं रखा जाना

किसी भी नमूना जाँच किए गए जिलों द्वारा आई.एन.एम. पैकेज के अंतर्गत वितरित सामग्री के वितरण सुनिश्चित करने के लिए कृषकों की पावती उपलब्ध नहीं कराई गई। उप संचालकों द्वारा सूचित किया कि पावतियां ग्राम स्तर में कार्यरत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के पास उपलब्ध थी। इस प्रकार, ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं को वास्तविक वितरण सुनिश्चित किये बिना, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा कृषकों को वितरण के लिए प्राप्त सामग्री मूल्य ₹ 25.87 करोड़ के विरुद्ध प्रदाय पावती के आधार पर भौतिक प्रगति दर्शायी जा रही थी।

शासन ने ब्लॉक स्तर पर वितरण से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिला कार्यालयों को अनुदेश (दिसम्बर 2016) जारी किए हैं।

(iii) आई.एन.एम. पैकेज वितरित नहीं होना

जिलों की प्रगति रिपोर्ट की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि छह जिलों (सीधी, गुना, शाजापुर, खरगोन, दमोह और होशंगाबाद) में दलहन, गेहूं और धान में सूक्ष्म पोषक तत्व, नौ जिलों (विदिशा, पन्ना, दमोह, इंदौर, होशंगाबाद, सीधी, शाजापुर, गुना और छतरपुर) में दलहन और गेहूं में, लाइम/ जिप्सम एवं तीन जिलों (शाजापुर, इंदौर और होशंगाबाद) में दलहन के लिए राईजोबियम कल्चर वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान परिशिष्ट 2.10 में दर्शाए अनुसार वितरित नहीं किए गए थे।

²² छतरपुर, खरगोन, मण्डला और पन्ना

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) है कि पैकेज के अंतर्गत आदानों को उनके स्थानीय उपलब्धता और कृषकों की मांग के अनुसार वितरित किए गए। हालांकि, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला कार्यालयों के लिए अनुदेश पुनः से जारी किए गए।

(iv) व्यय के बिना भौतिक उपलब्धि दर्शाया जाना

17 जिलों की प्रगति प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि परिशिष्ट 2.11 में दर्शाए विवरण के अनुसार तीन²³ जिलों ने 14,372 हेक्टेयर हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण, चार²⁴ जिलों ने लाइम जिप्सम 2,675 हेक्टेयर हेतु वितरण और दो²⁵ जिलों ने 14,980 हेक्टेयर हेतु राईजोबियम कल्चर/जैव उर्वरकों के वितरण की संबंध वित्तीय उपलब्धि को "शून्य" दर्शाते हुए भौतिक उपलब्धि, दर्शायी गयी थी।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि संबंधित जिला कार्यालयों से वास्तविक स्थिति की जानकारी मांगी गयी है।

2.1.10.2 पौध संरक्षण उपाय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों (2012) की कंडिका 14.2.3 के अनुसार चिन्हित जिलों में ₹ 500 प्रति हेक्टेयर या लागत की 50 प्रतिशत जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता, पौध संरक्षण (पी.पी.) रसायन, जैव कीटनाशकों और वीडोसाइडस सहित समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम), के लिए प्रदान किया जाना था। लाभार्थियों की सूची को डीएफएसएमईसी द्वारा ग्राम पंचायत के परामर्श से अंतिम रूप दिये जाने थे।

अवधि 2012-16 के दौरान, इस घटक के अंतर्गत राज्य और चयनित जिलों में वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धि परिशिष्ट— 2.7, 2.8 और 2.12 में दर्शाया गया है। जिसका एक सार तालिका 2.1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.13: पौध संरक्षण के उपायों के वितरण की लक्ष्य और उपलब्धि

(भौतिक हेक्टेयर में, और वित्तीय ₹ करोड़ में)

घटक	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में				लेखा परीक्षित जिलों में			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक (प्रतिशत)	वित्तीय (प्रतिशत)	भौतिक	वित्तीय	भौतिक (प्रतिशत)	वित्तीय (प्रतिशत)
पीपी रसायन और जैव एजेंटों								
दलहन (परिशिष्ट 2.12)	7,19,261	35.96	6,14,187 (85.39)	27.04 (75.19)	2,81,512	14.49	2,70,427 (96.06)	12.67 (87.44)
धान (परिशिष्ट 2.7)	73,544	3.68	63,618 (86.50)	2.94 (79.89)	42,100	2.11	33,865 (80.44)	1.58 (74.88)
गेहूँ (परिशिष्ट 2.8)	1,63,930	8.20	1,50,895 (92.05)	6.72 (81.95)	88,675	4.43	85,254 (96.14)	4.32 (98.18)
वीडीसाइडस								
दलहन (परिशिष्ट 2.12)	85,064	4.25	49,656 (58.37)	2.00 (47.17)	42,504	2.14	22,554 (53.06)	0.82 (38.32)
धान (परिशिष्ट 2.7)	26,250	1.31	12,500 (47.62)	0.47 (35.88)	18,730	0.94	8,800 (46.98)	0.36 (38.30)
गेहूँ (परिशिष्ट 2.8)	11,000	0.55	6,639 (60.35)	0.15 (27.27)	3,710	0.18	2,060 (55.53)	0.08 (44.44)

²³ दमोह, धार, और सीधी

²⁴ छतरपुर, दमोह, धार, और सीधी

²⁵ छतरपुर, और सीधी

घटक	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में				लेखा परीक्षित जिलों में			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक (प्रतिशत)	वित्तीय (प्रतिशत)	भौतिक	वित्तीय	भौतिक (प्रतिशत)	वित्तीय (प्रतिशत)
आईपीएम पैकेज								
दलहन (परिशिष्ट 2.12)	2,00,000	15.00	2,13,715 (106.86)	15.77 (105.13)	88,671	7.00	94,303 (106.35)	7.77 (111.00)
दलहन (परिशिष्ट 2.12)	27,000	0.68	12,946 (47.95)	0.28 (41.18)	12,684	0.52	9,456 (74.55)	0.39 (75.00)

नमूना जांच किए गए जिलों की लेखा परीक्षा जांच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(i) गैर-अनुमोदित दर पर सहायता दिया जाना

दमोह में गेहूं (2012-13) में पौध संरक्षण रसायन और बायो एजेंटों के लिए सहायता, निर्धारित मानदंड राशि ₹ 500 प्रति हेक्टेयर के स्थान पर राशि ₹ 783 प्रति हेक्टेयर की दर से दी गई थी। उप संचालक ने कहा कि मद के वितरण पर वास्तविक व्यय (2,970 हेक्टेयर के लिए) ₹ 14.85 लाख था, जो मापदंड के अनुसार था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिले द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन में पौध संरक्षण रसायन और बायो-एजेंटों के लिए सहायता पर व्यय ₹ 23.28 लाख को व्यय की भांति दर्शाया, जिससे कृषकों को प्रदाय की गई सहायता राशि ₹ 783 प्रति हेक्टेयर (2,970 हेक्टेयर के लिए) होती है।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि तथ्यात्मक स्थिति संबंधित जिले से पता लगाई जा रही थी।

(ii) व्यय के बिना भौतिक उपलब्धि दर्शाया जाना

17 जिलों की प्रगति प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि दो जिलों (दमोह और सीधी) ने 1,750 हेक्टेयर के लिए बीडीसाइडस की आवश्यक मात्रा के भौतिक वितरण, जबकि दो अन्य जिलों (होशंगाबाद और सीधी) ने 7,050 हेक्टेयर के लिए पीपी रसायनों और बायो-एजेंटों की आवश्यक मात्रा के भौतिक वितरण दर्शाए हैं, किन्तु इसकी वित्तीय उपलब्धि, **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाए अनुसार, "शून्य" दिखाई गई थी।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि तथ्यात्मक स्थिति जिलों से मांगी गयी है और भविष्य में भी ऐसे मामलों से बचने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(iii) आईपीएम पैकेज वितरित नहीं किये गए

जिलों की प्रगति प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाए अनुसार पांच जिलों (सीधी, गुना, शाजापुर, पन्ना और इंदौर) ने पौध संरक्षण के लिए आवश्यक आदानों सहित आईपीएम पैकेज का वितरण, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के दौरान नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आदानों को स्थानीय उपलब्धता और कृषकों से मांग के अनुसार वितरित किया गया था। सभी जिला कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे लक्षित वितरण को प्राप्त करें।

2.1.11 फार्म यंत्रीकरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका 14.2.4 के अनुसार खेत से जुड़े कार्यों को समय से पूरा करने, खेत से जुड़े कार्यों की कुशलता बढ़ाने, फसल घनत्व में वृद्धि एवं खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से, चयनित कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा प्रत्येक यंत्र के लिए अधिकतम निर्धारित राशि की आर्थिक

सहायता उपलब्ध थी। राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (एसएफएसएमईसी) को कृषको को कृषि उपकरणों के विक्रय के लिए एजेंसी को नामित करने का एवं उपकरणों की लागत को निर्धारित करना था। लाभार्थियों की सूची (50 प्रतिशत उन कृषको को चयनित किया जाना है, जिनके खेत में प्रदर्शन आयोजित किया गया है) जिला कृषि अधिकारी के द्वारा जिला परिषद से विचार विमर्श करके तैयार करना था एवं डी.एफ.एस.एम.ई.सी से अनुमोदित कराया जाना था। संपूर्ण राज्य एवं नमूना जांच किए गए जिलों में, वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान इस घटक के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि तालिका 2.1.14 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1.14 कृषि यंत्रीकरण घटक के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय राशि ₹ करोड़ में)

क्र. स.	कृषि यंत्र	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत राज्य की जिले				जांच किये गए जिले			
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	कोनीवीडर	5,300	3.22	2,652	0.29	2,760	0.40	1,563	0.21
2	मैन्यूअल स्प्रेयर	45,525	2.73	26,146	1.34	14,840	0.89	9,545	0.53
3	नेपसेक स्प्रेयर	48,147	14.44	1,55,487	12.37	23,458	7.04	69,009	5.60
4	जीरो टिल सीड ड्रिल	295	0.44	80	0.10	88	0.13	7	0.009
5	मल्टीक्रॉप प्लान्टर	103	0.15	0	0.00	29	0.04	0	0
6	सीड ड्रिल	21,802	32.70	13,909	19.77	9,265	13.90	6,662	9.20
7	पांवर वीडर	57	0.08	4	0.006	23	0.03	0	0.00
8	रोटावेटर	16,914	55.32	12,312	37.54	7,169	23.16	5,056	14.66
9	विद्युत डीजल पंप	36,761	36.76	31,835	28.13	16,753	16.75	12,642	11.59
10	स्प्रिंकलर सेट	1,21,093	97.98	1,17,356	89.78	56,520	45.76	54,549	41.79
11	श्रोत से खेत तक पानी लाने हेतु पाइप क्रय हेतु सहायता	57,243	85.86	48,297	68.27	18,460	27.69	14,203	18.82
12	लीजर लैंड लेवलर	48	0.72	3	0.08	19	0.29	2	0.03
13	जीरो टिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर	71	0.10	0	0.00	18	0.03	0	0.00
14	रिज फेर्रो प्लान्टर	64	0.09	2	0.003	11	0.02	0	0.00
15	रेनगन	426	0.63	488	0.42	297	0.46	92	0.06
16	चिसलर	42	0.03	0	0.00	14	0.01	0	0.00
17	ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर	60	0.06	0	0.00	15	0.02	0	0.00
18	मल्टी क्रॉप थ्रेशर	1,880	7.52	1,150	3.71	706	2.82	387	1.25
19	ड्रम सीडर	15	0.002	0	0.00	8	0.005	0	0.00
20	स्वयं चलित धान ट्रांसप्लान्टर	7	0.05	0	0.00	4	0.03	0	0.00
योग		3,55,853	338.85	4,09,721	261.81	1,50,457	139.475	1,73,717	103.749

(स्रोत: राज्य एवं जिला कार्यालयों का प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार, जैसा कि तालिका 2.1.14 से स्पष्ट है, वर्ष 2012-16 के दौरान 1.50 लाख कृषि उपकरणों का वितरण करना था, मल्टी क्रॉप प्लान्टर, जीरोटिल मल्टी क्रॉप प्लान्टर, चिसलर, ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर, ड्रम सीडर एवं स्वयं चलित धान ट्रांसप्लान्टर का वितरण शासन द्वारा नहीं किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान इस घटक के अंतर्गत 330 हितग्राहियों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गयी थी जिसमें से 291 हितग्राहियों ने प्राप्त यंत्रों से संतुष्ट होने एवं उपकरणों के उपयोग से उन्हें अधिक उत्पादन उपज प्राप्त होने की जानकारी दी।

2.1.11.1 कृषि उपकरणों के लिए आपूर्ति एजेंसी एवं दरे निर्धारित नहीं किये जाने से अनियमित व्यय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति ने कृषकों को प्रदाय किए जाने वाले कृषि यंत्रों के एजेंसीयों एवं दरे को निर्धारण नहीं किये जाने से राशि ₹ 261.81 करोड़ का अनियमित व्यय

विभाग ने कृषकों का विभिन्न कृषि उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए एजेंसी नामित नहीं की एवं विभिन्न कृषि उपकरणों को कृषकों को प्रदाय करने के लिए उपकरणों की लागत राशि का भी निर्धारण नहीं किया, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन दिशा-निर्देशों में यह किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, कृषकों को गैर-अनुमोदित एजेंसी एवं गैर-अनुमोदित दरों से 4.10 लाख कृषि उपकरणों की क्रय करने पर सहायता प्रदान किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2012-16 के दौरान राशि ₹ 261.81 करोड़ का व्यय अनियमित रहा। इसके अतिरिक्त कृषि उपकरणों के दरों पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं रहा, जिससे इन उपकरणों के क्रय हेतु कृषकों की क्रयक्षमता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान प्रमुख सचिव, कृषि ने अवगत कराया कि यंत्रों की आपूर्ति हेतु एजेंसी एवं दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उपकरणों की आपूर्ति म.प्र.एग्रो एवं विपणन संघ द्वारा किये गए थे, जिनके पास उपकरणों के लिए एजेंसी एवं दरों के निर्धारण हेतु अपनी अलग प्रणाली है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति द्वारा कृषकों को कृषि उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए एजेंसी नामित एवं उपकरणों की लागत राशि का निर्धारण करना था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, म.प्र. एग्रो एवं विपणन संघ से क्रय पर कोई रियायत नहीं थी। अतः कृषकों को, गैर-अनुमोदित एजेंसी एवं दरों पर कृषि उपकरणों के क्रय पर दी गई सहायता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

2.1.11.2 कृषकों के चयन हेतु निर्धारित मापदंडों सुनिश्चित नहीं किया जाना

जिला कार्यालयों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, 50 प्रतिशत कृषक जिन्हें प्रदर्शन घटक के अंतर्गत चयनित किया गया हो, का भी चयन इस घटक में किया गया है, सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार (दिसम्बर 2016) करते हुए सभी जिला कार्यालयों को योजना के दिशानिर्देशों को पालन करने के अनुदेश जारी किये।

2.1.11.3 उपकरणों के वितरण पर अनियमित अधिक सहायता

संचालनालय ने वर्ष 2013-14 तक स्प्रिंकलर सेट्स पर सहायता ₹ 7,500 प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, के आधार पर प्रदान की। वर्ष 2014-15 से उच्चतम दर को राशि ₹ 10,000 प्रति हेक्टेयर तक पुनरीक्षित किया गया था। नमूना जांच किये गये 17 जिलों में से दो जिलों (शाजापुर एवं उज्जैन) में पाया गया कि 470 कृषक जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि का स्वामित्व था, को अनुपातिक आधार के स्थान पर अधिकतम निर्धारित दर पर सहायता प्रदाय की गई, जिसके फलस्वरूप **परिशिष्ट 2.13** में दर्शाए अनुसार राशि ₹ 12.89 लाख की अनियमित अधिक सहायता प्रदाय किया गया।

इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन के दिशा-निर्देश 2012 के अनुसार "स्रोत से खेत तक पानी लाने हेतु पाइप" में सहायता लागत का 50 प्रतिशत अथवा ₹ 25 प्रति मीटर अधिकतम 600 मीटर पाइप तक अथवा अधिकतम राशि ₹ 15,000 जो भी कम हो, निर्धारित थी। नमूना जांच किये गए 17 जिलों में से, 14 जिलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 25 प्रति मीटर की निर्धारित मानदंड का पालन

स्प्रिंकलर सेट्स (₹ 12.89 लाख) एवं "स्रोत से खेत तक पानी लाने हेतु पाइप" (₹ 4.98 करोड़) में निर्धारित सहायता पर्टन का अनुपालन नहीं किये जाने से, ₹ 5.11 करोड़ की अनियमित सहायता प्रदाय की गई।

नहीं किया गया था, जिससे 7,867 कृषक जिन्होंने 600 मीटर से कम पाइप क्रय किये थे, को भी अधिकतम ₹ 15,000 के मान से सहायता दी गयी, जिससे **परिशिष्ट 2.14** में दर्शाए अनुसार राशि ₹ 4.98 करोड़ की अधिक अनियमित सहायता प्रदान की गयी।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) की इस संदर्भ में संबंधित जिला कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

अतः योजना के निर्देशों के कंडिका 14.2.4 के उल्लंघन से, कुशलता बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए आवश्यक कृषि उपकरण सस्ते मूल्य पर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। ऐसे उपकरणों को भी आयोजना में शामिल किया गया जिनकी कृषकों में मांग नहीं थी, फलस्वरूप उन उपकरणों की वितरण में प्रगति शून्य/न्यूनतम रही। स्प्रिंकलर सेट्स एवं पाइपलाईन वितरण में सहायता प्रदाय करने हेतु अनुदान मानकों का पालन नहीं किया गया था।

2.1.12 फसल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

उन्नत फसल उत्पादन तकनीकों की जानकारी से कृषकों को त्वरित अवगत कराने के लिए, कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना था (कंडिका 14.2.5)। प्रत्येक प्रशिक्षण में चार शिक्षण सत्र एक-एक रबी एवं खरीफ ऋतु पूर्व एवं एक एक रबी एवं खरीफ ऋतु के दौरान आयोजित किया जाना था। प्रशिक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि/विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना था। प्रत्येक सत्र में 30 कृषक एवं चारों शिक्षण-सत्र में उन्ही कृषकों के समूह को शामिल किया जाना था। राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-16 के दौरान इस घटक में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि **परिशिष्ट 2.15** में दिखाई गयी हैं एवं उसका सार **तालिका 2.1.15** में दिया गया है।

तालिका 2.1.15 फसल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय राशि ₹ करोड़ में दर्शित)

फसल	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत राज्य के जिले				जांच किये गए जिले			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
दलहन	4,734	6.63	3,836	5.10	1,731	2.42	1,524	1.98
गेहूं	1,865	2.61	1,689	2.13	729	1.02	719	0.83
धान	385	0.54	371	0.50	187	0.26	183	0.25
योग	6,984	9.78	5,896	7.73	2,647	3.70	2,426	3.06

(स्रोत: राज्य एवं जिला कार्यालयों के प्रगति प्रतिवेदन)

नमूना जांच किये गए जिलों के संबंधित उपसंचालकों के अनुसार पर्याप्त-संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने से लक्ष्य पूर्ति में कमी रही। उपसंचालक शाजापुर, ने सूचित किया कि ब्लॉक स्तर अधिकारी के (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी) द्वारा प्रशिक्षण आयोजन करने से इंकार करने के कारण लक्ष्य पूर्ति नहीं की जा सकी।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) की सभी जिला कार्यालयों को लक्ष्य पूर्ति करने के अनुदेश जारी किये गए थे।

2.1.12.1 प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वैज्ञानिकों को सम्मिलित नहीं करना

लेखापरीक्षा की जांच में पता चला कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि विशेषज्ञ के स्थान पर विभागीय/सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। निर्देशों में आवश्यकता अनुसार जिला परामर्शदाताओं द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सृजित नहीं किए गए। जिससे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/की विशेषज्ञता का उपयोग कृषकों को उन्नत फसल उत्पादन तकनीकों

प्रशिक्षण के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को सम्मिलित नहीं किये जाने से प्रशिक्षण पर किया गया व्यय राशि ₹ 3.05 करोड़ का निष्फल रहा।

की जानकारी प्रदाय करने के लिए नहीं की गई यद्यपि कृषकों के प्रशिक्षण के लिए नमूना जांच किये गये जिलों द्वारा वर्ष 2012-2016 के दौरान राशि ₹ 3.05 करोड़ व्यय का किया गया।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि जिला स्तर पर कृषि वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होने से विभागीय/सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पाठ्यक्रम सृजित नहीं किये जाने एवं वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने से, कृषकों को प्रदत्त प्रशिक्षण के मानक प्रभावित हुए।

2.1.13 स्थानीय पहल

स्थानीय पहल के अंतर्गत प्रारंभ किये गए घटक, जिलों की एसआरईपी के भाग नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप कृषकों से मांग के बिना मदों को सम्मिलित किया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका 14.8 के अनुसार राज्यों को स्थान विशिष्ट क्रियाकलापों (जो मिशन के सामान्य क्रियाकलापों के तहत समाहित नहीं किये गए) जो धान, गेहूँ, दलहन एवं मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक होगी, का समर्थन करने के लिए जिलों को प्रत्येक घटक की लागत का 50 प्रतिशत की सहायता उपलब्ध थी। चयनित क्रियाकलाप जिला परिषद के साथ परामर्श से एवं जिले के कार्यनीति, अनुसंधान और विस्तार आयोजना (एस.आर.ई.पी.) का हिस्सा होना चाहिए।

इस घटक के अंतर्गत राज्य और चयनित जिलों में वर्ष 2012-16 के दौरान वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि परिशिष्ट 2.16 से 2.18 में दर्शाए अनुसार रही। जिसका सार तालिका 2.1.16 में दिया गया है।

तालिका 2.1.16: स्थानीय पहल घटक में प्राप्त लक्ष्य और उपलब्धि

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ करोड़ में)

गतिविधि का नाम	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में					नमूना जांच किये गये जिले में				
	लक्ष्य		उपलब्धि			लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
धान (परिशिष्ट 2.16)										
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिये पाइप	2,400	3.60	2,432	101.33	3.39	1,256	1.88	1,309	104.22	1.88
विनोदर	6,680	1.67	1,826	27.34	0.36	4,023	1.01	1,192	29.63	0.27
गेर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन	250	0.19	0	0.00	0	56	0.04	0	0.00	0
गेहूँ (परिशिष्ट 2.17)										
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिये पाइप	735	1.10	745	101.36	1.10	307	0.46	447	145.60	0.53
गतिविधि निर्दिष्ट नहीं		1.20	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
मल्टी क्रॉप श्रेणर	842	3.37	31	3.68	0.004	153	0.61	11	7.19	0.00
गेर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन	1,280	0.96	170	13.28	0.03	150	0.11	0	0.00	0.00
दलहन (परिशिष्ट 2.18)										
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिये पाइप	1,290	1.94	1,290	100.00	1.94	2,890	4.34	2,943	101.83	4.59
बीज उपचार ड्रम	39,194	3.92	1,916	4.89	0.13	14,538	1.46	119	0.82	0.01
स्पाइरल ग्रेडर	39,000	7.80	3,821	9.80	0.13	14,878	2.94	560	3.76	0.05
के.वी.के. द्वारा प्रदर्शन	3,000	2.25	1,122	37.40	0.60	902	0.68	432	47.89	0.24

(स्रोत: राज्य और जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि संचालनालय से प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार इस घटक के अंतर्गत गतिविधियां प्रारंभ की थी। चूंकि जिलों को स्थानीय पहल अंतर्गत प्रदान की गई लक्ष्य, जिला कार्यनीतिक, अनुसंधान और विस्तार योजना का हिस्सा नहीं थे, इस घटक के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न गतिविधियों (स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप को छोड़कर) के भौतिक लक्ष्य अप्राप्त रहे, जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन घटक में न्यूनतम शून्य (परिशिष्ट 2.16 और 2.17) बीज उपचार ड्रम में 0.82 प्रतिशत, एवं स्पाइरल ग्रेडर में 3.76 प्रतिशत (परिशिष्ट 2.18) रही।

आगे जांच में यह भी प्रकट हुआ है कि "स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप", जो एन.एफ.एस.एम. के सामान्य गतिविधि "कृशल जल उपयोग उपकरण" के तहत उपलब्ध था, को भी स्थानीय पहल के तहत लिया गया था। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों के विपरीत था, जिसके अनुसार केवल वे गतिविधियां, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के सामान्य गतिविधियों के तहत उपलब्ध नहीं थे, को ही स्थानीय पहल के अंतर्गत लिया जाना था।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार करते हुए आश्वासन (दिसंबर 2016) दिया कि भविष्य में वार्षिक कार्य योजना प्रावधानों, को दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार की जायेगी।

2.1.14 उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों के लिए पुरस्कार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों (2012) के कंडिका 14.7 के अनुसार, प्रत्येक दो साल में ₹ 5.00 लाख का नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रत्येक चार घटकों धान, गेहूँ, दलहन और मोटा अनाज में, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को दिये जाने का प्रावधान था। राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति को, जिलों का चयन, प्रदर्शन का आंकलन के निर्धारित मानदंड के आधार पर पुरस्कार देने के लिए चयन करना था। परंतु विभाग ने पुरस्कार हेतु सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले के प्रस्ताव भारत सरकार को अभी तक प्रेषित नहीं किया गया।

शासन ने कहा (दिसंबर 2016) कि कार्यवाही प्रगति पर है। इस प्रकार, राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए जिलों को वर्ष 2012-16 के दौरान प्रोत्साहन प्रदान करने में विफल रहा।

2.1.15 निधि प्रबंधन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका 7 (12 वीं पंचवर्षीय योजना) में निर्धारित निधि प्रवाह के तंत्र के अनुसार, मिशन के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए निधि राज्य शासन को विमुक्त की जाएगी, जो बाद में राज्य स्तरीय एजेंसी को उपलब्ध होगी। राज्य स्तरीय एजेंसी प्राप्त निधियों को जिलों के अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तरीय एजेंसी को उपलब्ध करायेंगे। निधियों को किस्तों में, प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने पर जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2012-13 और 2013-14 के वर्षों के दौरान सीधे राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) जो म.प्र. में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यान्वयन हेतु नियुक्त नोडल एजेंसीयों को अनुदान सहायता सीधे जारी की। संचालनालय से मांग पत्र प्राप्त होने पर (एसआईईटी) ने संबंधित जिले के उप संचालक कृषि को उनके संबंधित बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि, वितरित की। हालांकि वर्ष 2014-15 से आगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अनुदान सहायता सीधे राज्य सरकार को जारी किया गया, जिसे संचालनालय

द्वारा जिला कार्यालयों को राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से वितरित किया गया।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निधि के उपलब्धता एवं उपयोग की स्थिति को वर्षवार तालिका 2.1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.17: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निधि का वर्षवार उपलब्धता और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	पिछला अन्तिम शेष	प्राप्त ब्याज	वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम शेष	उपयोग (प्रतिशत)
2012-13	247.14	6.68	2.04	255.86	241.85	14.01	95
2013-14	366.07	14.01	2.33	382.41	334.78	47.63	88
2014-15*	214.70	47.63	0	262.33	179.18	83.15	68
2015-16*	223.50	72.75	0.46	296.71	189.37	107.34	64

(स्रोत : संचालनालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े) *बिना लेखापरीक्षा के आंकड़े

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि, का पूर्ण उपयोग राज्य द्वारा वर्ष 2012-16 के दौरान नहीं किया जा सका।

राज्य में रा.खा.सु.मि. निधि के उपयोग की प्रवृत्ति लगातार कम होना पाया गया, जो वर्ष 2012-13 के अधिकतम 95 फीसदी से वर्ष 2015-16 में 64 प्रतिशत रही। लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि धन उपलब्ध कराने के लिए बजटीय प्रणाली लागू किये जाने के वर्ष 2014-15 से नमूना जांच किये गये जिलों द्वारा वर्ष 2014-16 के दौरान प्राप्त कुल बजट आवंटन ₹ 106.35 करोड़ का 26.88 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया जा सका, जो परिशिष्ट 2.19 में दर्शाए विवरण अनुसार, व्यपगत अथवा समर्पित कर दिया गया।

इसके अलावा वर्ष 2015-16 के प्रारम्भिक शेष (₹ 72.75 करोड़) वर्ष 2014-15 के अव्यतित शेष (₹ 83.15 करोड़) के अनुरूप नहीं था। वर्ष 2015-16 के गलत अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण के कारण से अंतर थी, जिसे शासन ने अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र, भेजने से पूर्व सुधारने का आश्वासन दिया।

अव्यतित शेषों के संदर्भ में, शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि भारत सरकार द्वारा राशि मार्च के अंत में जारी किये जाने के कारण वर्ष 2012-13 और 2015-16 में उपयोग नहीं किया जा सका। यह भी कहा गया कि त्रैमासिक बजट प्रणाली लागू होने, कम वर्षा, सूखा और कोषालयों में सर्वर से संबंधित समस्याओं के चलते, वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2015-16 में पूर्ण अनुदान राशि माह सितम्बर 2015 तक भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी थी एवं वर्ष 2012-13 के अनुदान सहायता ₹ 247.14 करोड़ में से केवल ₹ 3 करोड़ माह मार्च 2013 में प्राप्त हुआ था। वर्ष 2013-14 और 2014-15 में, त्रैमासिक बजट प्रणाली लागू होने एवं सर्वर से संबंधित समस्याओं को बेहतर वित्तीय नियोजन और तकनीकी सहायता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता था। इसके अलावा तथ्य कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में की गई चर्चा अनुसार, विभिन्न घटकों में वर्ष 2012-16 के दौरान लक्ष्यों की उपलब्धियों में कमी रही, जिससे मार्च 2016 की स्थिति में अनुपयोगित शेष ₹ 107.34 करोड़ का संचय हुआ।

2.1.15.1 लेखाओं का रखरखाव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.2.3 के अनुसार योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित लेखा संहिता के

अनुसार राज्य और जिला स्तरीय एजेंसियों द्वारा पृथक लेखे अनुरक्षित किये जाने थे। वार्षिक लेखे प्रति वर्ष सनदी लेखापाल से विधिवत लेखा परीक्षित कराया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा निर्धारित लेखा सहिता, नमूना जांच किये गये जिला कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा वर्तमान तक (दिसम्बर 2016) नहीं कराया गया। खातों के लेखाओं के प्रमाणिकरण के अभाव में प्राप्तियों की नियमितता और निधियों के उचित उपयोग के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त नहीं हो सका। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014-15 और 2015-16 के अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के इलेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में बिलंब के कारण से, प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

शासन ने सूचित किया (दिसम्बर 2016) कि अलग लेखा कोड भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि शासन ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारणों को सूचित नहीं किया।

2.1.15.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बैंक खातों का संचालन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जिलों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के समुचित उपयोग एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए संचालनालय, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास, मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु एक अलग बैंक खाता खोलने हेतु सभी जिला कार्यालयों को अनुदेश जारी किये थे (सितम्बर 2011)। वर्ष 2014-15 से जिला कार्यालयों के बैंक खाते में निधि अंतरण की प्रणाली बंद की गई और तिमाही आधार पर कोषालय के माध्यम से जारी किया जाने लगा। योजना के वित्त पोषण प्रणाली में किये गये इस परिवर्तन के फलस्वरूप, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत खोले गए बैंक खाते प्रचालित नहीं किये जाने थे एवं इसलिए अब इसे जारी रखना वांछित नहीं था। अभिलेखों की लेखापरीक्षा में, तथापि पाया गया कि संचालनालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खातों को बंद करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया।

इसके अतिरिक्त जांच में यह भी प्रकट हुआ कि नमूना जांच किये गये 17 उप संचालकों कृषि में से 12 उप संचालकों²⁶ कृषि ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खातों को बंद नहीं किये एवं उक्त खातों में राशि ₹ 8.68 करोड़ (परिशिष्ट 2.20) शेष थी। उप संचालकों कृषि द्वारा इन खातों का अन्य योजनाओं²⁷ की अप्रयुक्त निधियों को जमा करने के लिए किया जा रहा था, जो अनियमित था। इस प्रकार अनुपयोगित राशियों को संचालनालय को वापस करने के किसी आदेश के अभाव में ये राशियां जिला कार्यालयों द्वारा रखे गए एनएफएसएम खातों में निरंतर बनी रही।

किसी आदेश के बिना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खाते को जारी रखे जाने से इन बैंक खातों के दुरुपयोग के जोखिम में थे। अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि उप संचालक कृषि, विदिशा ने राशि ₹ 1.66 लाख का आहरण गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गति विधियों (कार्यालय व्यय आदि) के व्यय हेतु किया। इस आहरण में राशि ₹ 0.79 लाख की नगद निकासी (जिनमें से ₹ 0.50 लाख एक ट्रेवल एजेंसी को नगद भुगतान किया गया) शामिल थे और शेष राशि ₹ 0.29 लाख के उपयोग के प्रमाणक अभिलेखों में प्राप्त नहीं हुए। उप संचालक ने सूचित किया (फरवरी

अवधि 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खातों की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद संचालनालय, ने जिला कार्यालयों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खाते बंद करने के निर्देश नहीं दिये। 12 नमूना जांच किये गये जिला कार्यालयों में इन खातों में राशि ₹ 8.68 करोड़ अनुपयोगित पड़ी थी।

²⁶ भिण्ड, छतरपुर, धार, डिण्डोरी, गुना, होशंगाबाद, मण्डला, पन्ना, सिवनी, शाजापुर, सीधी और विदिशा

²⁷ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज ग्राम, कृषि विज्ञान केन्द्र, सूखा राहत, मृदा स्वास्थ्य

2016) कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बैंक खातों से राशि अति आवश्यक कार्यालयीन व्यय, जिसके लिए उनके पास बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं थे, हेतु आहरित किया गया।

लेखापरीक्षा जांच में यह भी पाया गया कि, किसी भी जिला कार्यालयों द्वारा मासिक आधार पर बैंक खातों एवं रोकड़ बही लेनदेन के साथ, बैंक समाधान पत्रक संचालित नहीं किये जा रहे थे, जो कि वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बैंक खातों का संचालन कर रहे हैं, को जारी निर्देश (जुलाई 2014)²⁸ के विपरीत था। इसके अलावा, 17 नमूना जांच किये गये जिलों में से 12 जिलों में रोकड़ बही और पास बुक में दर्शाए गए शेष राशि के आंकड़ों में ₹ 6.38 करोड़ का अंतर **परिशिष्ट 2.20** में दर्शाए अनुसार था। यद्यपि बैंक समाधान पत्रको के अभाव में, अंतर के कारणों का पता नहीं चल सका।

शासन ने बताया (दिसंबर 2016) कि शेष बैंक खातों को ऑफ बजट राशि के उपयोग के तुरंत बाद बंद कर दिया जाएगा। शासन ने यह भी कहा है कि, जिला कार्यालयों को बैंक समाधान पत्रक तैयार करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 2014-15 के बाद से योजना के वित्त पोषण प्रणाली में किये गए परिवर्तन की वजह से, अप्रयुक्त ऑफ बजट निधि को बजट/राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से सरणीकरण किया जाना आवश्यक था।

2.1.15.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— गेहूं के लिये चिन्हित नहीं किये गये जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि प्रदाय किये जाने से निधियों का व्यपवर्तन

अवधि 2012-14 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं के लिये चिन्हित नहीं किये गये 8 जिलों को योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया गया; जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान हेतु चिन्हित एक जिला एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज हेतु चिन्हित 5 जिलों को धन उपलब्ध नहीं कराया गये थे।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि आठ जिलों में जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं लागू नहीं किया जाना था, योजना निधि ₹ 26.63 करोड़ प्रदान किया गया, जिसके विरुद्ध इन जिलों द्वारा राशि ₹ 27.21 करोड़ व्यय किये गये। इसके अलावा, एक चिन्हित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान जिला एवं पांच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मोटा अनाज हेतु चिन्हित जिलों को वर्ष 2012-14 के दौरान निधि प्रदान नहीं की गई। विवरण **परिशिष्ट 2.21** में दर्शाया गया है।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि यद्यपि 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-13 से प्रारंभ थी, भारत सरकार से दिशा निर्देश अप्रैल 2014 में प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में चिन्हित जिलों के आधार पर जिलों को लक्ष्य प्रदान किये गये थे।

तथ्य वही रहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यान्वयन हेतु चिन्हित नहीं किये गये जिलों को प्रदाय किये जाने से निधि का व्यपवर्तन था, जिसके लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाना था। इसके अलावा निधि उपलब्ध कराने में विफलता के कारण अन्य छह चिन्हित जिलों के कृषकों को योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

2.1.16 योजना का परिवीक्षण

2.1.16.1 राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों में संगठनात्मक असमानता

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य शासन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक उपयुक्त

²⁸ पत्र संख्या 2014/3499 दिनांक 16.07.2014

योजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित स्वायत्तशासी एजेंसी को केवल मिशन का धन संरक्षक घोषित किया गया। जिला स्तर पर उपलब्ध एटीएमए का संगठनात्मक संरचना का उपयोग योजना कार्यान्वयन के लिये नहीं किया गया।

स्वायत्तशासी एजेंसी का सृजन अथवा नामित करना आवश्यक था। ऐसी एजेंसी राज्य स्तर पर राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (एस.ए.एम.ई.टी.आई.) और जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए/आत्मा) हो सकता है।

ए.टी.एम.ए. जिला स्तर पर प्रमुख हितधारकों की एक पंजीकृत सोसाइटी है। जो सतत कृषि विकास के लिए कार्ययोजना और विभिन्न कृषि गतिविधियों के कार्यान्वयन में संलग्न हैं। इसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के सभी लाइन विभागों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों, अनुसंधान संस्थानों, कृषक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित थे। योजना के कार्यान्वयन हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी परिचालन दिशा निर्देशों में इन्ही नामित एजेंसियों को 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान भी बने रहना परिकल्पित था।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि राज्य शासन ने दिसम्बर 2007 में एक स्वायत्त निकाय, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिये निधि वर्ष 2012-14 के दौरान सीधे राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान को योजना के कार्यान्वयन एजेंसी मानते हुए, जारी किया था। हालांकि एक संक्षिप्त अवधि मार्च 2014 से जनवरी 2015 को छोड़कर, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य नहीं कर रहा था।

राज्य सरकार ने राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान को मिशन का धन संरक्षक घोषित (अक्टूबर 2011) किया और योजना का कार्यान्वयन संचालनालय, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास के अधीन किया गया। इसी तरह जिला स्तर पर यह योजना एटीएमए के बजाय, कार्यान्वयन संचालनालय, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी।

अभिलेखों से इस संगठनात्मक बेमेल के कारणों का पता नहीं चल सका। शासन ने कहा (दिसंबर 2016) यद्यपि एक स्वायत्तशासी एजेंसी बनाई गई, एजेंसी में स्टाफ की कमी और विस्तार अधिकारियों की अनुपलब्धता की वजह से विभाग द्वारा ही मिशन का कार्यान्वयन किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कार्यान्वयन संचालनालय, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास और एटीएमए की संस्थागत व्यवस्था का उपयोग में विफलता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के परिचालन दिशा-निर्देशों से विचलन में था। इन एजेंसियों को पर्याप्त मजबूत बनाने के लिये जिम्मेदारी भी राज्य शासन की थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के गतिविधियों को जिलों के सामरिक अनुसंधान और विस्तार योजना²⁹ के साथ तालमेल नहीं किया जा सका और अन्य योजनाओं से समन्वयन करने में असफल रहे, जो ए.टी.एम.ए. संरचना के माध्यम से किया जा सकता था।

2.1.16.2 राज्य और जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन दल

परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.4.2 में अपेक्षित था कि राज्य और जिला स्तर पर एक परियोजना प्रबंधन टीम (पीएमटी) की स्थापना की जाएगी जिसमें अनुबंध के आधार पर नियुक्त परामर्शदाता और तकनीकी सहायको को सदस्यों के रूप में सम्मिलित करना था। राज्य/जिला स्तरीय पीएमटी की जिम्मेदारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने की थी, संगठनात्मक और तकनीकी मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने, मिशन के विभिन्न उपायों की कार्यान्वयन और परिवीक्षण में भी मदद करनी थी। इसके अलावा, पीएमटी को

²⁹ एटीएमए मॉडल के तहत, सामरिक अनुसंधान और विस्तार योजना एक बुनियादी दस्तावेज है जिसके आधार पर वार्षिक ब्लॉक कार्य योजना, जिला कार्य योजना और राज्य के विस्तार कार्य योजना सालाना बनाये जाते हैं।

ब्लॉक, जिला में एवं राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहायता करने के लिये; प्रत्येक प्रदर्शन के कार्यान्वयन की निगरानी, फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से फसल की पैदावार आंकड़े, प्रत्येक प्रदर्शन के परिणामों के अभिलेख संकलन का एक पुस्तिका के रूप में, जिला/राज्य एजेंसियों की समवर्ती मुल्यांकन हेतु सहायता, दस्तावेजीकरण और सफलता की कहानियों का प्रसार, और मिशन की गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये प्रचार/सूचना अभियान का कार्य भी करना था।

राज्य सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर पीएमटी का गठन नवंबर 2007 में किया। अभिलेखों की जांच में पता चला कि पीएमटी के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त सलाहकार और तकनीकी सहायकों को नियमित कार्यालयीन कार्य में उपयोग किया जा रहा था। नमूना जांच किए गए 17 उपसंचालक कृषि कल्याण में से केवल पांच³⁰ जिले में पीएमटी गठित की गयी थी वह भी जिला कंसल्टेंट्स और तकनीकी सहायकों को सदस्यों के रूप में शामिल किए बिना। इसके अलावा खरगोन जिले ने पीएमटी का गठन नहीं किया और शेष 11 जिलों में पीएमटी के गठन को संबंधित अभिलेखों के अभाव में लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, अधिकांश मामलों में जिला पीएमटी क्रियाशील नहीं थे। परिणामतः, संचालनालय, फसल उत्पादन के आंकड़ों के लिए राजस्व विभाग पर निर्भर रहे। हालांकि, राजस्व विभाग से आंकड़ों की उपलब्धता में समय अंतराल था। वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों के उत्पादन आंकड़े दिसम्बर 2016 की स्थिति में विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। चूंकि ये आंकड़े, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों की आयोजना, कार्यान्वयन और परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण थे, संचालनालय को विलंबित उपलब्धता ने योजना को कार्यान्वयन प्रभावित किया। इसके अलावा योजना ए.टी.एम.ए. के माध्यम से जिला स्तर पर लागू नहीं करने एवं पी.एम.टी. कार्यात्मक नहीं रहने से, विभिन्न विभागों के साथ अपेक्षित तालमेल सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अलावा दिशा-निर्देशों में आवश्यकतानुसार प्रत्येक प्रदर्शन के परिणामों को राज्य स्तर पर एक पुस्तिका के रूप में संकलित नहीं किया गया।

शासन ने सूचित किया (दिसंबर 2016) कि पीएमटी कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदात्मक प्रकृति ने इन कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिये बाध्य किया, जिसके कारण वहाँ रिक्तियाँ थी। पीएमटी के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। सभी जिला कार्यालयों को फिर से पीएमटी की स्थापना के लिये निर्देश दिये जा रहे थे। सरकार ने यह भी कहा कि फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग द्वारा किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में पीएमटी के माध्यम से फसल कटाई आंकड़े तैयार किया जाना था। इसके अलावा, राज्य/जिला स्तरीय पी.एम.टी के लिये पर्याप्त मानव शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार थी।

2.1.16.3 राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (एसएफएसएमईसी) के कार्यकलाप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.2.1 में निर्धारित था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं विभिन्न शासकीय विभागों³¹ के सचिवों को सदस्यों के रूप में लेकर एसएफएसएमईसी का गठन किया जायेगा। राज्य सरकार ने एसएफएसएमईसी का गठन (अक्टूबर 2007) कर, उन्हें मिशन की गतिविधियों की निगरानी, एवं केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित परिचालन दिशा-निर्देशों में यदि

³⁰ छतरपुर, धार, इंदौर, पन्ना और शाजापुर

³¹ कृषि, सिंचाई, बिजली, पंचायतीराज, आदिवासी मामलों और समाज कल्याण विभागों

राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति का क्रिया कलाप अवधि 2012-16 के दौरान आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरण उपलब्ध नहीं होने से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य वार्षिक कार्य योजना भी भारत सरकार को राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति के अनुमोदन के बिना भेजी गई।

राज्य-विशिष्ट परिवर्तन आवश्यक हो तो सुझाव देने एवं भारत सरकार के अनुमोदन के बाद राज्य वार्षिक कार्य आयोजना, भारत सरकार को भेजने हेतु जिम्मेदार बनाया।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान एसएफएसएमईसी का अस्तित्व लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी क्योंकि, संचालनालय ने इस समिति की बैठकों के कार्यवृत्त प्रस्तुत नहीं किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य कार्य आयोजना एसएफएसएमईसी के अनुमोदन के बिना भारत सरकार को भेजी गयी थी।

शासन ने कहा (दिसंबर 2016) कि एसएफएसएमईसी का गठन किया गया है। हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की समीक्षा, मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय समीक्षा बैठकों में और प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित अन्य समीक्षा बैठकों में भी की गई थी। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि एसएफएसएमईसी की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी।

तथ्य वही रहा कि मिशन की गतिविधि की एसएफएसएमईसी द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के दौरान समीक्षा नहीं की गई थी।

2.1.16.4 जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति

परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.3.2 में जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति³² (डीएफएसएमईसी) का गठन, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन और योजना के घटकों की कृषि विभाग के माध्यम से निगरानी करने के लिए परिकल्पित था।

सभी नमूना जांच किए गए जिलों में डीएफएसएमईसी गठित होना सूचित किया। हालांकि, केवल चार जिलों³³ ने डीएफएसएमईसी की कार्यप्रणाली के समर्थन में बैठक के कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किये। इसलिये 13 जिलों में डीएफएसएमईसी की कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट नहीं थी।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यालयों को डीएफएसएमईसी की बैठकें समय पर आयोजित करने के निर्देश दिए जाएंगे। शासन ने यह भी कहा की योजना की गतिविधियों का मूल्यांकन डीएफएसएमईसी के माध्यम से करने के लिए जिला कार्यालयों को निर्देश दिए जायेंगे।

2.1.17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के पूरा होने के बाद एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित किया गया। राज्य के छह जिलों³⁴ को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया। राज्य के संदर्भ में रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार थे:

- प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में उल्लेख था कि 11वीं योजना की पूरी अवधि के दौरान एसएफएसएमईसी के केवल आठ बैठकें राज्य में आयोजित की गईं, जो औसत 1.6 बैठक प्रतिवर्ष रही। यह सिफारिश थी कि एसएफएसएमईसी बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित किये जाए, ताकि राज्य में मिशन की गतिविधियों की निगरानी अधिक बारीकी से हो सके। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि एसएफएसएमईसी बैठक, कंडिका 2.1.16.3 में चर्चा के अनुसार, 12वें योजना के दौरान आयोजित नहीं की गई।

- प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, जिला स्तर पर मिशन के तहत नियुक्त जिला परामर्शदाता और तकनीकी सहायकों का उपयोग अधिकतर, कार्यालय के नियमित

³² डीएफएसएमईसी में लाईन विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।

³³ धार, खरगोन, सीधी, और उज्जैन

³⁴ शहडोल, राजगढ़, देवास, सतना, डिण्डोरी और टिकमगढ़

प्रकृति के काम के लिये किया गया, एवं उनका उपयोग अपेक्षित, तकनीकी सेवा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटक की निगरानी के लिये नहीं किया गया। इसी तरह की प्रवृत्ति, निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान भी जारी रही जैसे कि कंडिका 2.1.6.2 में चर्चा की गई है।

- प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में आगे उल्लेख था कि डीएफएसएमईसी की बैठकों के आयोजन कम थे, और अधिकांश मामलों में डीएफएसएमईसी बैठक कृषि विभाग के अन्य समीक्षा बैठकों के साथ जोड़ दिए गए परिणामस्वरूप, फोकस और विवेचना में गहराई की कमी थी। बैठकों के अभिलेखों का संधारण भी ठीक से नहीं किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के कंडिका 2.1.16.4 में चर्चा किये अनुसार, डीएफएसएमईसी बैठक के कार्यवाही विवरण 17 में से केवल चार जिलों में उपलब्ध थे।

- प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार अध्ययन हेतु अध्ययन किये गए जिलों में से आधे में अलग बीज समिति गठित नहीं की गई थी, और सभी जिलों को सुझाव दिये गए थे कि वे बीज समितियों का गठन करें ताकि फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिये बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि पांच नमूना जांच किये गये जिलों में बीज समितियों का कंडिका 2.1.8.2 में चर्चा के अनुसार गठन नहीं किया गया। इस प्रकार, प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी हेतु प्रदाय की गई सुझावों में सुधारात्मक कारवाई नहीं की गई।

2.1.18 निष्कर्ष

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों को खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य नियत नहीं किये गए थे। परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के योजना उद्देश्य में उनकी प्रगति का पता नहीं लगाया जा सका। परिणामस्वरूप, वर्ष 2012-16 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत राज्य में ₹ 945.18 करोड़ व्यय करने पर भी कुल कृषकों के दो प्रतिशत कृषकों को लाभ मिल सका।

राज्य स्तर पर धान की बुवाई क्षेत्र में 26 फीसदी औसत वृद्धि दर के विरुद्ध, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में पांच प्रतिशत वृद्धि हो सकी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं जिले भी निरंतर वृद्धि हासिल नहीं कर सके, क्योंकि बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में कमी हुई थी। दालों का उत्पादन पहले वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में 22 प्रतिशत एवं वर्ष 2014-15 में 14 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी थी। इस प्रकार, दालों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रभाव स्पष्ट नहीं था। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के अंतर्गत विभाग द्वारा निधियों का उपयोग 2012-13 में 95 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 64 प्रतिशत रहा।

शासन द्वारा समय पर पर्याप्त बीज प्रदान नहीं किये गए। परिणामस्वरूप, गुणवत्ता वाले बीज सब्सिडी दरों पर वितरण किए जाने का योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक हितग्राही सर्वेक्षण में पाया कि 260 में से 250 किसानों द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा उच्च उपज वाले बीज उपलब्ध कराने के कारण अधिक उपज प्राप्त हुई।

जिला कार्यालय कृषकों को वितरित बीज की गुणवत्ता इसकी बुवाई से पहले सुनिश्चित नहीं कर सके, जिसने उत्पादन एवं कृषकों की आय सृजनता को जोखिम में डाल दिया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन के दिशा-निर्देशों में चाहे अनुसार विभाग ने एजेंसियों और कृषि उपकरणों की दरों का निर्धारण नहीं किया। कृषकों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सहायता दिए जाने से राशि ₹ 261.81 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

विभाग द्वारा कृषि उपकरणों जैसे पाईप और स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए मानदंडों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 14 जिलों में 8337 कृषकों को राशि ₹ 5.11 करोड़ की अनियमित सब्सिडी प्रदान की गई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए संदर्शी योजना तैयार नहीं की गई थी मूल सर्वेक्षण तथा आधारभूत अध्ययन भी आयोजित नहीं किए जिसके कारण फसलों की उत्पादकता की स्थिति एवं इसकी क्षमता का निर्धारण नहीं किया जा सका। जिला वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए ब्लाक कार्यालयों से आदान प्राप्त नहीं किए गए थे।

फसल प्रणाली प्रदर्शनों के संचालित करने में कमियों, वैज्ञानिकों के भागीदारी के अभाव तथा प्रदर्शन परिणामों के तैयार करने में कमियों के कारण, उन्नत रितियों की जानकारी प्रसारित करने के प्रदर्शन के उद्देश्य बहुतायत में पूर्ण नहीं हुए थे। आठ नमूना जांच किये गये जिलों में आयोजित 1.74 लाख प्रदर्शनों के परिणामों के अभिलेखों के अभाव में, राशि ₹ 91.71 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ।

राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था में अपर्याप्त समन्वय के साथ साथ परियोजना प्रबंधन टीमों के समुचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता ने आयोजना, क्रियान्वयन एवं परिवेक्षण को प्रभावित किया।

2.1.19 अनुशंसाएं

राज्य द्वारा जिलों को उत्पादन लक्ष्य प्रदान करना चाहिए तथा सभी फसल घटकों में बुवाई क्षेत्रों, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। राज्य को योजना के अंतर्गत कृषकों के कवरेज बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

विभाग को एक तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया।

बीज वितरण एवं बीज गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि सभी इच्छुक कृषकों को प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन परिणाम इस प्रकार बनाये गये हैं, कि कृषकों को प्रदर्शित प्रौद्योगिकी के उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनों में वैज्ञानिकों की भागीदारी हो।

सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया।

राज्य को राज्य एवं जिला स्तर पर, एनएफएसएम के कार्यान्वयन एवं परिवेक्षण के लिए निर्धारित विभिन्न संस्थानों के उचित कार्यकलापों को सुनिश्चित करना चाहिए। आधारभूत सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन कृषकों के संसाधनों, फसल उत्पादन की स्थिति, इसकी क्षमता और मांग का आकलन के लिए कराया जाना चाहिए।

सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया।

जल संसाधन विभाग

2.2 मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

कार्यपालन सारांश

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.), मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) द्वारा विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) को लिया गया। इसमें पांच नदी कछारों (चंबल, बेतवा, केन, सिंध एवं टोंस) में 654 सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण का लक्ष्य था। परियोजना कार्यान्वयन आयोजना (पी.आई.पी.) में लाईन विभागों, जैसे किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के प्रभावी सहयोग के माध्यम से कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण करना परिकल्पित था।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के लिए योजना आयोग द्वारा 2011–12 के मूल्य स्तर पर ₹ 1,919 करोड़ की निवेश अनापत्ति प्रदान की गई। परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ₹ 1,919 करोड़ (अगस्त 2004) से ₹ 2,498 करोड़ (अप्रैल 2015) पुनरीक्षित की गई थी। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी., पांच समय वृद्धियों के पश्चात ₹ 2,497.52 करोड़ के कुल व्यय से समाप्त हुआ था (जून 2015)।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यान्वयन पर 2010–11 से 2015–16 के दौरान एक निष्पादन लेखापरीक्षा में परियोजना के विलंबित कार्यान्वयन, लाईन विभागों के कमजोर एकीकरण अपर्याप्त ठेका प्रबंधन एवं मानिट्रिंग के अभाव प्रकट हुए। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन इस प्रकार थे:

परिसंपत्ति आधुनिकीकरण के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

परियोजना इन पांच नदी कछारों में 6.18 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र की 654 विद्यमान सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य था। परियोजना के धीमे निष्पादन के परिणामस्वरूप, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र को जून 2012 में पुनर्गठित किया गया एवं इसके कार्यक्षेत्र से 362 सिंचाई योजनाओं को छोड़ दिया गया। जल संसाधन विभाग शेष 292 योजनाओं में से परियोजना के अंत तक मात्र 228 सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार कर पाया।

(कंडिका 2.2.7.1)

वर्ष 2012 में विभाग ने सिंध कछार को छोड़कर, जहां चंबल नहर प्रणाली पर उल्लेखनीय रूप से अधिक राशि निर्धारण के कारण आवंटन को 488.93 प्रतिशत बढ़ाया था, सभी कछारों में राशि के आवंटन को 51.43 प्रतिशत से 78.68 प्रतिशत कम किया।

(कंडिका 2.2.8.2)

2012–14 के दौरान, विभाग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कुल व्यय का 24 प्रतिशत चंबल नहर प्रणाली के क्रियान्वयन पर व्यय किया। अत्यधिक बल दिए जाने के परिणामस्वरूप सिंचाई योजनाओं में कछार वार असंतुलन हुआ एवं इसके साथ आधुनिकीकरण आयोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण परियोजना से 362 लघु योजनाओं का अपवर्जन हुआ। सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग, जो कि क्रियान्वयन के लिए आसान थी, 2012–14 के दौरान चंबल नहर प्रणाली पर होने वाले व्यय का 94 प्रतिशत भाग थी। इस कारण, छोड़ी गई योजनाओं के परिकल्पित हितग्राहियों के खेत स्तरीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 2.2.7.1)

कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण

परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) में लाईन विभागों के लिए ₹ 144.61 करोड़ के प्राक्कलित प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 115.04 करोड़ था, जो एम. पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कुल व्यय का 4.61 प्रतिशत था। लाईन विभागों के साथ कमजोर एकीकरण, कृषकों को सतत जल आपूर्ति का अभाव एवं जल उपभोक्ता संस्थाओं (डब्ल्यू.यू.ए.) को प्रशिक्षण के अभाव ने फसल विविधता को प्रभावित किया।

हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान, 334 में से 133 (40 प्रतिशत) कृषकों ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेना प्रतिवेदित किया। इस प्रकार, फसल विविधीकरण के लाभों के बारे में कृषकों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए संस्थागत स्तर पर प्रयासों का अभाव था।

कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र की उपलब्धि में वृद्धि के अनुरूप नहीं था। पी.आई.पी. में कृषि सघनीकरण के लिए चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र के प्रभाव को एक संकेतक के रूप में लिया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में 2011-12 की तुलना में 2014-15 में चने एवं अरहर के बुआई क्षेत्र में क्रमशः 20 एवं 35 प्रतिशत की कमी प्रकट हुई थी। आगे, 2012-13 की तुलना में 2014-15 में सरसों का बुआई क्षेत्र 19 प्रतिशत कम हुआ था। पी.आई.पी. में परिकल्पित सिंचित क्षेत्रफल के 21 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध फलों, सब्जियों एवं मसालों के पौधरोपण का क्षेत्रफल, 2.90 प्रतिशत से 7.31 प्रतिशत तक कम रहा एवं यह राज्य औसत के नौ प्रतिशत से भी कम था।

(कड़िका 2.2.7.4)

ढेका प्रबंधन एवं क्रियान्वयन

विभाग ने योजना आधुनिकीकरण आयोजनाओं (एस.एम.पी.) के कार्यक्षेत्र के परे एस.एम.पी. से विचलनों के औचित्य को सिद्ध करने वाली आवश्यकता के किसी आंकलन के बिना सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग पर ₹ 263.85 करोड़ व्यय किया।

(कड़िका 2.2.8.3)

मुख्य अभियंता द्वारा एन.सी.बी. के संलग्न विशिष्टियों के प्रावधान तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय अनदेखे किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी कार्य की ट्रिनिंग एवं नहरों की सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के कार्यों में ₹ 65.18 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त, कार्यों का गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त था।

(कड़िकाएं 2.2.9.2, 2.2.9.4, 2.2.9.6 एवं 2.2.10.3)

कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अनुबंधों के प्रावधानों का अनुसरण सुनिश्चित नहीं किया गया इसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त अतिरिक्त सुरक्षा जमा, क्षतिपूर्ति वसूलियों, रायल्टी प्रभारों एवं कार्यों के बीमा कवरेज पर ठेकेदारों को ₹ 68.74 करोड़ के अदेय वित्तीय लाभ हुए थे।

(कड़िकाएं 2.2.9.9, 2.2.9.10, 2.2.9.11 एवं 2.2.9.12)

दरों की अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था तथा गिट्टी की त्रुटिपूर्ण लीड, मिट्टी भराई की त्रुटिपूर्ण दर एवं ब्लास्टिंग की अस्वीकार्य मद को सम्मिलित किया जाना तथा श्रींकेज एलाउन्स के कारण अधिक भुगतान के ₹ 24.02 करोड़ की अतिरिक्त लागत के दृष्टांत अवलोकित किए गए थे।

(कड़िकाएं 2.2.9.3, 2.2.9.5, 2.2.9.7 एवं 2.2.9.14)

गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिवीक्षण

गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिवीक्षण अपर्याप्त था जैसा कि कार्यों के कोर परीक्षण सुनिश्चित नहीं किए गए थे, जिससे ठेकेदारों को ₹ 20.47 करोड़ की अदेय वित्तीय सहायता हुई, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के निम्न विशिष्टि कार्य क्रियान्वित किए गए थे तथा ठेकेदारों को अदेय लाभ प्रदान किए गए थे।

(कड़िका 2.2.10.3)

2.2.1 प्रस्तावना

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.), मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन), राज्य में 10 नदी कछारों³⁵ में सिंचाई परिसंपत्तियों के सृजन द्वारा सिंचाई प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। पांच नदी कछारों (चंबल, बेतवा, केन, सिंध एवं टोंस) में जल संसाधन प्रबंधन एवं सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) भी की गई थी। इन नदी कछारों को उनके सह-सानिध्य, जीर्ण सिंचाई योजनाओं को उपस्थिति एवं गरीबी के अधिकता के कारण चयनित किया गया था।

कृषि, उद्यानिकी, पशु प्रबंधन एवं मत्स्य के लिए उचित विस्तार के प्रावधान के साथ इन पांच नदी कछारों की 6.18 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) की 654 विद्यमान सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण करना परियोजना में लक्षित था। बाद में, जल संसाधन विभाग ने परियोजना हेतु एक और यथा 43,136 हेक्टेयर सी.सी.ए. का वैनगंगा कछार जोड़ा (मार्च 2008)।



म.प्र. शासन ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के लिए ₹ 1,919 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अगस्त 2004)। परियोजना को विश्व बैंक से सहायता से लिया गया एवं भारत सरकार (जी.ओ.आई.) एवं इण्टरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेण्ट³⁶ (आई.बी.आर.डी.) के साथ एक ऋण अनुबंध 30 नवम्बर 2004 को निष्पादित किया गया था। प्रारंभ में एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. 31 मार्च 2011 तक पूर्ण करने हेतु नियत था जो कि पांच समय वृद्धियों के पश्चात जून 2015 में पूर्ण हुआ।


2.2.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, विभाग के शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वय इकाई (पाइकू) परियोजना के समग्र कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थी। मुख्य अभियंता (सी.ई.), अधीक्षण अभियंता (एस.ई.), एवं जल संसाधन विभाग के संबद्ध संभागों के कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) ने परियोजना के कार्यान्वयन में परियोजना निदेशक, पाइकू को सहायता प्रदान की। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.

³⁵ बेतवा, चंबल, केन, माही, नर्मदा, सिंध, सोन, ताप्ती, टोंस एवं वैनगंगा

³⁶ आई.बी.आर.डी. विश्व बैंक का एक संस्थान है जो मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण देता है।

पी. की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर मार्च 2005 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक साधिकार समिति गठित की गई थी। संगठनात्मक संरचना का ढांचा नीचे आर्गेनोग्राम में दिया गया है:



2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य यह परीक्षण करने के लिए थे कि क्या:

- एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के समस्त घटक, जैसा कि परिकल्पित था, पूर्ण हुए थे एवं परियोजना ने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया,
- निधियां समय पर उपलब्ध थीं एवं दक्षतापूर्वक तथा मितव्ययिता से उपयोग की गईं,
- सिंचाई कार्यों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्य का क्रियान्वयन जैसा आयोजनाबद्ध था एवं विशिष्टियों एवं ठेके के नियम तथा शर्तों के अनुसार दक्षता पूर्वक एवं मितव्ययी रूप से किया गया तथा
- गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिवीक्षण तंत्र विद्यमान था एवं गुणवत्ता मानकों का पालन किया गया।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा आपत्तियां निम्नलिखित से लिए गए मानदण्डों पर आधारित थीं:

- विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश,
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए भारतीय मानक (आई.एस.) कोड,
- मध्य प्रदेश कार्य विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली के प्रावधान, सिंचाई कार्यों के लिए विशिष्टियां एवं कार्यों के लिए दरों की एकीकृत अनुसूची (यू.एस.आर.),
- विभाग द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र एवं अन्य आदेश,
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं आयोजना दस्तावेज तथा
- कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ठेके के नियम एवं शर्तें।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

विभाग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत 2010-11 एवं 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 1,797.80 करोड़ व्यय किए। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कार्य छह नियंत्रण कार्यालयों (मुख्य अभियंताओं) के अधीन छह नदी कछारों में जल संसाधन विभाग के 43 संभागों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे थे।

2010-11 से 2015-16 के दौरान एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का कार्यान्वयन लेखापरीक्षा में आच्छादित (कवर) किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक चयन पद्धति का उपयोग करते हुए 13 संभागों³⁷ का चयन इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक कछार से न्यूनतम एक सम्भाग प्राप्त हो। जनवरी 2016 से जून 2016 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा में 13 चयनित संभागों एवं परियोजना निदेशक पाइकू के अभिलेखों का नमूना जांच किया गया। चयनित किए गए 13 संभागों में, पूर्ण कार्यों के ₹ 1,424.35 करोड़ लागत के 105 अनुबंधों का विश्लेषण किया गया जिनमें से ₹ 968.13 करोड़ मूल्य के 94 अनुबंध 2010-16 की अवधि के दौरान निष्पादित किए गए थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली को अवगत कराने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन 02 फरवरी 2016 को आयोजित किया गया था। प्रारूप प्रतिवेदन शासन को अगस्त 2016 में जारी किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा प्रमुख सचिव के साथ 03 अक्टूबर 2016 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में भी की गई थी। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन के प्रत्युत्तर निष्पादन लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

परियोजना के बारे में छह नदी कछारों के मुख्य अभियंताओं एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास एवं पशुपालन जैसे लाइन विभागों तथा जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जे.एन.के. वी.वी.) से भी जानकारी एकत्रित की गई थी। इसके अतिरिक्त, हितग्राही सर्वेक्षण एवं लाइन विभागों के भागीदारों से साक्षात्कार भी किए गए थे (जून 2016, दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 2017) एवं उनकी प्रतिक्रिया निष्पादन लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से सम्मिलित की गई हैं।

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए विभाग द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

2.2.6 सीखे गए सबक एवं त्रुटि संकेतों के प्रति संवेदनशीलता

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. पर 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.3 के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। मुख्य कमियां एवं लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) को शासन के उत्तर का विवरण तालिका 2.2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.2.1: पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई मुख्य कमियां एवं पी.ए.सी. को शासन के उत्तर

कंडिका का विवरण	विभाग का उत्तर
प्रतिबद्धता प्रभारों के लिए परिहार्य देयता	योजना आधुनिकीकरण आयोजना (एस.एम.पी.), परामर्शदाता का नियोजन एवं सामग्री क्रय के लिए अनापत्ति देने में विश्व बैंक ने अधिक समय लिया। प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान से छूट चाही गई।

³⁷ जल संसाधन संभाग— बालाघाट, भिण्ड, देवास, गोहद, जौरा, राजगढ़, रायसेन, सागर, सतना, सबलगढ़, शाजापुर, श्योपुरकलां एवं मुरैना

कंडिका का विवरण	विभाग का उत्तर
लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी	एस.एम.पी. को स्वीकृत करने में विश्व बैंक से 6 माह से 12 माहों तक का विलंब था। इसलिए, क्रय आयोजना के अनुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी थी। बाद में, विश्व बैंक ने अनुमोदन की प्रक्रिया में छूट दी। बहुत से कार्य, कार्यों में प्रगति प्राप्त नहीं होने के कारण रद्द किए गए थे।
सिंचाई क्षमता को सृजित करने में विफलता	प्राथमिकता के आधार पर चम्बल, हरसी एवं मध्यम परियोजनाओं के कार्यों के माध्यम से सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए प्रयास किए गए थे।
ठेकेदार को अदेय वित्तीय लाभ	कार्य की पूर्णता होने तक असंतुलित मदों की राशि को रोकने के अनुदेश जारी किए गए थे।
क्षतिपूर्ति राशि की वसूली में विफलता	माइलस्टोन प्राप्त न करने के लिए क्षतिपूर्ति राशि की वसूली अनुबंध के अनुसार की जा रही थी।
चूककर्ता ठेकेदार से वसूली नहीं करने के कारण हानि	समान ठेकेदार के अन्य कार्यों से शेष वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्व के प्रतिवेदन में इंगित की गई अधिकतर कमियां विद्यमान रहीं, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा आपत्तियां

2.2.7 आयोजना एवं कार्यान्वयन

2.2.7.1 एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत परिसंपत्ती आधुनिकीकरण के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. में राज्य के पांच नदी कछारों (चम्बल, सिंध, बेतवा, केन एवं टोंस) की 654 सिंचाई योजनाओं का आधुनिकीकरण करना लक्षित था। जीर्ण नहरों के कारण सृजित सिंचाई क्षमता एवं उपयोगी क्षमता के मध्य अधिक अंतर होने से, इन सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार चिन्हित किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान आयोजना बद्ध कार्यक्षेत्र में निरंतर बदलावों के कारण एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. ने अपना केन्द्रीय लक्ष्य खो दिया, इससे इन सिंचाई योजनाओं की आधुनिकीकरण आयोजना एवं इनके हितग्राही किसान प्रभावित हुए, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

• परियोजना कार्यक्षेत्र से सिंचाई योजनाओं को बड़ी संख्या में छोड़ा जाना

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के प्रारंभिक कार्यक्षेत्र में 6.18 लाख हेक्टेयर के सी.सी.ए. को आच्छादित करने वाली 654 सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार करना सम्मिलित था। इसमें, गुरुत्वीय सिंचाई वितरण प्रणालियां एवं उद्वहन सिंचाई योजनाएं (एल.आई.एस.) दोनो को सम्मिलित करते हुए 5 वृहद, 33 मध्यम एवं 616 लघु सिंचाई योजनाएं सम्मिलित थीं। परियोजना को मार्च 2011 तक पूर्ण करना आयोजनाबद्ध था।

जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में इंगित किया गया था, जल संसाधन विभाग ने छह वर्ष की परियोजना अवधि के विरुद्ध पांच वर्ष में मात्र 100 योजनाएं (15 प्रतिशत) प्रारंभ की एवं मात्र नौ योजनाएं पूर्ण की थीं। सलाहकारों की नियुक्ति में विलंबों से परिणामों में अनुवर्ती विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना में विलंब हुआ।

परियोजना के धीमे निष्पादन के कारण, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का कार्यक्षेत्र जून 2012 में पुनर्गठित किया गया एवं एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्य क्षेत्र में से 362 सिंचाई योजनाएं छोड़ दी गईं। यद्यपि, जल संसाधन विभाग परियोजना के अंत तक पुनर्गठित

पी.आई.पी. के धीमे कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, 362 सिंचाई योजनाओं को एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत आधुनिकीकरण के कार्यक्षेत्र से छोड़ दिया गया।

आयोजना की 292 योजनाओं के विरुद्ध वास्तव में 228 सिंचाई योजनाओं पुनर्स्थापित कर पाया। आयोजनाबद्ध एवं क्रियान्वित योजनाओं का योजनावार विवरण तालिका 2.2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2.2: योजनाओं के पुनरीक्षण की स्थिति

योजना का प्रकार	वृहद	मध्यम	लघु	योग
2004 में मूल पी.आई.पी. में चिन्हित योजनाएं	5	33	616	654
कमान क्षेत्र हे. में (पी.आई.पी. के अनुसार)	2,97,150	90,063	2,31,548	6,18,761
2012 में पुनरीक्षित आयोजना के अनुसार योजनाएं	4	23	265	292
कमान क्षेत्र हे. में (2012 में पुनरीक्षण के अनुसार)	3,29,949	82,337	76,093	4,88,379
वास्तव में क्रियान्वित योजनाएं	5	21	202	228
कमान क्षेत्र हे. में (क्रियान्वयन के अनुसार)	5,22,736	70,413	57,785	6,50,934

(स्रोत: पाइकू द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

इंगित किए जाने पर पाइकू ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि एक वृहद योजना, एक मध्यम योजना एवं 215 लघु योजनाओं के साथ 217 सिंचाई योजनाएं, मरम्मत, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार (आर.आर.आर.) योजना एवं बुंदेलखण्ड सूखा शमन पैकेज के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने के लिए एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्य क्षेत्र से छोड़ दी गई थीं। यह भी सूचित किया गया कि 148 योजनाएं छोड़ दी गई थीं क्योंकि शहरीकरण एवं जलीय समस्याओं के कारण जलग्रहण क्षेत्र एवं कमान क्षेत्र में कमी के कारण पुनर्स्थापन के लिए अव्यवहार्य पाई गई थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 362 योजनाओं को एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र से निकाला जाना सुविचारित आयोजना का परिणाम नहीं था, किन्तु यह चिन्हित की गई सिंचाई परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन में विलंब के कारण था। बुंदेलखण्ड सूखा शमन पैकेज³⁸, भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2009 में अनुमोदित किया गया था, जिस समय तक बेतवा नदी कछार की 250 योजनाओं में से 248 एवं केन नदी कछार की 118 योजनाओं में से 117 सिंचाई योजनाओं को एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत चरणों में लिए जाने के लिए आयोजनाबद्ध किया गया था। इस प्रकार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. से 79 सिंचाई योजनाओं का बुंदेलखण्ड सूखा शमन पैकेज में विस्थापन, इन सिंचाई परिसंपत्तियों के नियत समय सूची के अनुसार आधुनिकीकरण करने में जल संसाधन विभाग की विफलता को इंगित करता था। इसके अतिरिक्त, इन विलंबों ने बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को और खराब किया था। आगे, विभाग ने, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पुनर्गठित कार्यक्षेत्र से 64 योजनाओं को छोड़ने के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सका।

इस प्रकार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण का कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन के अवस्था में बड़े बदलाव के अधीन था। आगे, परियोजना के विलंबित कार्यान्वयन से 148 योजनाएं (चिन्हित कुल योजनाओं का 22 प्रतिशत) अव्यवहार्य हुईं।

- **आसान क्रियान्वयन के कारण चंबल नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन पर अधिक महत्व**

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की परियोजना कार्यान्वयन आयोजना के अंतर्गत, वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर कमान क्षेत्र के पदों में 48 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 37 प्रतिशत महत्व था। यद्यपि, जैसा कि तालिका 2.2.2 में दर्शाया गया है, पुनर्स्थापित की

³⁸ बुंदेलखण्ड पैकेज केवल बेतवा एवं केन नदी कछारों के लिए लागू था।

विभाग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर. पी. की समय सीमा को प्राप्त करने के लिए चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण को महत्व देते हुए वर्ष 2012 के बाद सी.सी. लाईनिंग के ₹ 606.24 करोड़ के कार्य हेतु अनुबंध किए।

गई वृहद योजनाओं का कमान क्षेत्र 5.22 लाख हेक्टेयर था जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत प्राप्त किए गए 6.50 लाख हेक्टेयर के कुल कमान क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक था। इस प्रकार, जल संसाधन विभाग ने लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं की तुलना में वृहद योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिक महत्व दिया था। यद्यपि, विभाग जानकारी नहीं प्रदान कर सका कि क्या छोड़ी गई सभी लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को सिंचाई परिसंपत्तियों के लिए किसी अन्य पुनर्स्थापन योजना में वास्तव में लिया गया।

आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जल संसाधन विभाग ने चंबल नहर प्रणाली जो सिंध नदी कछार के अंतर्गत एक वृहद सिंचाई योजना थी, पर अधिक बल दिया। चंबल नहर प्रणाली का पुनर्स्थापित कमान क्षेत्र 3.62 लाख हेक्टेयर था जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत पुनर्स्थापन किए गए कुल कमान क्षेत्र का 56 प्रतिशत था। यह चंबल नहर प्रणाली के मूल पी.आई.पी. में आयोजनाबद्ध 1.86 लाख हेक्टेयर एवं एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पुनर्गठित कार्यक्षेत्र के 2.12 लाख हेक्टेयर से महत्वपूर्ण रूप से अधिक था।


चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर व्यय ₹ 1,156.33 करोड़ था, जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. पर कुल व्यय ₹ 2,515.65 करोड़ का 46 प्रतिशत था। यह, चंबल नहर प्रणाली के लिए चिन्हित ₹ 276.05 करोड़ के पी.आई.पी. के प्रारंभिक आयोजनाबद्ध आवंटन, जो कि संपूर्ण परियोजना के मूल ₹ 1,919 करोड़ के मूल प्रशासनिक अनुमोदन का 14 प्रतिशत था, से बिल्कुल विपथित था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चंबल नहर प्रणाली के लिए 2012-13 से 2013-14 के दौरान ₹ 606.24 करोड़ (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कुल व्यय का 24 प्रतिशत) के मूल्य के कार्य प्रारंभ किए गए थे। इनमें से, चंबल नहर प्रणाली के लिए 2012-14 के दौरान सौंपे गए कार्यों का ₹ 571.65 करोड़ (94.29 प्रतिशत) का भाग सी.सी. लाईनिंग का था, जो कि अधिक व्यय के साथ कम समय अवधि में आसानी से क्रियान्वित की जा सकती थी।

इस प्रकार, चंबल नहर प्रणाली के आसान क्रियान्वयन ने जल संसाधन विभाग को जून 2012 में परियोजना के पुनर्गठन के बाद इस पर अधिक बल देने के लिए उद्यत किया, जब विश्व बैंक ने परियोजना की समापन तिथि जून 2015 नियत की थी। चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर अधिक महत्व ने परियोजना की पूर्णता के लिए पुनरीक्षित लक्षित तिथि के भीतर परियोजना की समाप्ति के लिए आवश्यक वित्तीय प्रगति को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। विभाग की हड़बड़ी एवं चंबल नहर प्रणाली के कार्यों के क्रियान्वयन में अन्य अनियमितताओं को प्रतिवेदन की कंडिका 2.2.8.3 के अंतर्गत पुनः मुख्यांकित किया गया है।

• पुनर्स्थापन में कछार वार असंतुलन एवं हितग्राहियों पर इसका प्रभाव

चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर अधिक महत्व देने के साथ साथ एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र से बड़ी संख्या में योजनाओं को छोड़े जाने के परिणामस्वरूप आयोजनाबद्ध एवं क्रियान्वित योजनाओं की कुल संख्या में कछार वार असंतुलन हुआ, जैसा कि चार्ट 2.2.1 में विवरण दिया गया है।

चार्ट 2.2.1



चंबल नहर प्रणाली एवं वैनगंगा नहर प्रणाली (जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत पुनर्स्थापन के लिए मूल रूप से आयोजनाबद्ध नहीं थी) को छोड़कर उपलब्धि के कमान क्षेत्र का कछार वार विवरण तालिका 2.2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.2.3: चंबल नहर प्रणाली एवं वैनगंगा नहर प्रणाली को छोड़कर उपलब्धि के कमान क्षेत्र का कछार वार विवरण

कछार का नाम	बेतवा	चंबल	केन	सिंध	टोंस	महायोग
कुल आयोजनाबद्ध योजनाएं	250	137	118	53	95	653
कुल ली गई योजनाएं	70	89	21	13	33	226
छोड़ी गई योजनाओं का प्रतिशत	72	35.04	82.20	75.47	65.26	65.39
आच्छादित किए जाने वाला सी.सी.ए. हे. में.	1,63,489	54,389	60,996	96,524	59,331	4,34,729
वास्तव में आच्छादित सी.सी.ए.	85,820	39,269	15,367	80,295	24,946	2,45,697
आच्छादित किए जाने वाले क्षेत्र में कमी प्रतिशत में	47.51	27.80	74.81	16.81	57.95	43.48

(स्रोत: पाइकू द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

एक वृहद योजना पर महत्व देने के कारण समस्त पांच कछारों से बड़ी संख्या में लघु योजनाएं छोड़ी गई थी।

इस प्रकार, सभी पांच कछारों में आच्छादित किए जाने वाले मध्यम एवं लघु योजनाओं की उपलब्धि के सी.सी.ए. में महत्वपूर्ण कमी थी। संयोगवश, जल संसाधन विभाग ने चंबल कछार जिसका 28 प्रतिशत आयोजनाबद्ध सी.सी.ए. छोड़ दिया गया था, के लिए उसके नदी कछार आयोजना (2015) में स्वीकार किया कि किसानों को एकमात्र भूजल स्रोत पर निर्भर रहना था एवं सतत विदोहन से भविष्य उजड़ सकता है, यदि वे एकमात्र स्रोत को खो देते हैं।



रिक्त बमुलिया भाटी जलाशय का दृश्य (दिसम्बर 2016 की स्थिति में)

चंबल नदी कछार में लघु सिंचाई योजनाओं के हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान (दिसम्बर 2016), बमुलिया भाटी एवं भौरी जलाशय लघु सिंचाई योजनाओं के 15 में से 12 हितग्राहियों ने नहरों में पानी की उपलब्धता का अभाव होना एवं 10 हितग्राहियों ने कम उत्पादन होना प्रतिवेदित किया।

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में बताया कि विभाग ने कमान क्षेत्र वार


संपूर्ण उपलब्धि को आंकलित किया था। शासन ने उसके लिखित उत्तर में बताया (नवम्बर 2016) कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए अनुदान की भांति उपलब्ध निधियों का उपयोग करने के लिए योजनाओं की संख्या में बदलाव किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक आयोजना में सम्मिलित कुछ उद्वहन सिंचाई योजनाओं को भी हटाया गया था। 4,95,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध अंतिम परियोजना परिणाम में 6,51,000 हेक्टेयर की उपलब्धि को दर्शाया गया था, इस प्रकार योजना के अनुसार उद्देश्य प्राप्त हुआ। आगे यह भी बताया गया कि ऋण अनुबंध में संशोधन के माध्यम से वैनगंगा कछार को कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना के अंतर्गत आयोजनाबद्ध परिणामों की तुलना में कछार वार वास्तविक परिणाम प्रभावी रूप से भिन्न थे। आगे, पी.आई.पी. के अनुसार योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने में विभाग की विफलता के परिणामतः एम.पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र से 362 योजनाएं निकाल दी गई थीं। आगे, विभाग ने परियोजना के लिए जून 2015 की पूर्णता तिथि से पहले उपलब्ध निधियों को उपयोग करने के लिए केवल वृहद परियोजना के आधुनिकीकरण के कार्यों पर महत्व दिया। केवल एक वृहद सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण पर अधिक महत्व देने एवं छोड़ी हुई योजनाओं की बड़ी संख्या के परिणामस्वरूप, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी., चयनित पांच कछारों में परिसंपत्तियों आधुनिकीकरण के अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका एवं इसने छोड़ी गई योजनाओं के परिकल्पित हितग्राहियों की खेत स्तरीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया।

2.2.7.2 एस.एम.पी. के अनुमोदन के पश्चात कार्य प्रारंभ करने में विलंब

एस.एम.पी. के अनुमोदन के पश्चात भी 135 कार्य विलंब से प्रारंभ किए गए थे, जिनमें से 104 कार्य क्रियान्वयन के दौरान विलंबित हुए थे।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की पी.आई.पी. में सिंचाई योजनाओं को छह समूहों में उनके सी.सी.ए. के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। इनके वर्गीकरण के आधार पर, परिसंपत्ति आधुनिकीकरण की ये सिंचाई योजनाएं, उनके प्रारंभ होने से एक से चार वर्षों की अवधि के भीतर चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु आयोजनाबद्ध थीं। विश्व बैंक से एस.एम.पी. के अनुमोदन से दो माह के भीतर कार्य प्रारंभ किए जाने थे।



अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1.42 लाख हेक्टेयर के कमान क्षेत्र वाले 228 कार्यों में से 135 कार्य विश्व बैंक से एस.एम.पी. के अनुमोदन की तिथि से सात माह से 68 माह तक के विलंबों से प्रारंभ हुए थे। कार्यों को प्रारंभ करने में विलंबों का विवरण चार्ट 2.2.2 में दर्शाया गया है। कार्यों को प्रारंभ करने के साथ साथ कार्यान्वयन स्तर पर विलंबों के परिणामस्वरूप 135 कार्यों में से 104 कार्य एक माह से 54 माह तक के विलंब से पूर्ण हुए थे (जैसा कि परिशिष्ट 2.22 में विवरण दिया गया है)।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि विलंब, निविदा दस्तावेज बनाने में सलाहकारों के भाग पर थे। ऐसे विलंबों से बचने के लिए, पाइकू में केन्द्रीकृत क्रय

प्रक्रिया सफलतापूर्वक अपनाई गई थी एवं क्रय प्रक्रिया को गति दी गई थी।

तथ्य वहीं रहता है कि कार्यों की प्रगति के परिवीक्षण एवं प्रकरणों में, जहां पर सलाहकारों द्वारा निविदा दस्तावेजों को तैयार करने में विलंब हुए थे, समय से सुधारात्मक कार्रवाई करने में पाइकू की विफलता के परिणामस्वरूप एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत परिसंपत्ति आधुनिकीकरण की पूर्णता में विलंब हुए थे।

2.2.7.3 माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कार्य

माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के लिए चिन्हित ₹ 205.52 करोड़ अन्य कार्यों में व्ययवर्तित किए गए थे।

सिंचाई योजनाओं की एस.एम.पी. में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कार्य, जिसमें वाटर कोर्स के कार्य, फील्ड चैनल के निकासी बिंदु पर वितरण बाक्स, खेत सड़क में पुलियों एवं समन्वयनीय आनुपातिक माड्यूल (ए.पी.एम.)³⁹ का निर्माण करना परिकल्पित था। नहर स्वचालन को, परियोजना प्रचालन केन्द्र (पी.ओ.सी.) एवं सुदूर परिवीक्षण इकाई (आर.एम.यू.) तथा नहरों की नियंत्रण संरचनाओं पर संचालकों के साथ संचार के लिए स्काडा⁴⁰ अनुप्रयोग के उपयोग करते हुए स्थापित किया जाना था।

चंबल नहर प्रणाली के अंतर्गत माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के निर्माण के लिए प्रावधान तालिका 2.2.4 में दिए गए विवरण के अनुसार थे।

तालिका 2.2.4: चंबल नहर प्रणाली में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

नहर का नाम	दूरियों का विवरण	कमान क्षेत्र में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का प्रावधान	नहर स्वचालन	योग
चंबल दायीं तट मुख्य नहर	कि.मी. 0 से कि.मी. 120	47.77	2.32	50.09
लोअर मेन कैनाल	कि.मी. 120 से कि.मी. 169	7.57	0.94	8.51
अम्बाह शाखा नहर	कि.मी. 0 से कि.मी. 50	33.31	1.50	34.81
मुर्ना शाखा नहर	कि.मी. 0 से कि.मी. 83.90	34.69	1.66	36.35
मुर्ना शाखा नहर	कि.मी. 83.90 से कि.मी. 143.40	22.63	1.41	24.04
मुर्ना शाखा नहर	कि.मी. 0 से कि.मी. 36.60	50.53	1.19	51.72
योग		196.50	9.02	205.52

(स्रोत: चंबल नहर प्रणाली के लिए एस.एम.पी.)

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के कार्य क्रियान्वित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के लिए चिन्हित ₹ 205.52 करोड़ के प्रावधान को अन्य उद्देश्यों के लिए व्ययवर्तित किया गया था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि पूर्व की परियोजना में कमान क्षेत्र विकास के कार्य अलग से लिए गए थे। बाद में विभाग ने केन्द्रीय सहायता के साथ बड़े पैमाने पर कमान क्षेत्र विकास के लिए एक वृहद योजना बनाई थी। तदनुसार, कमान क्षेत्र के अलग शाखा का सुदृढीकरण किया गया था एवं केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसलिए, सी.ए.डी. कार्यों में विश्व बैंक ऋण का भाग उपयोग नहीं किया गया था। यद्यपि, चंबल नहर प्रणाली में पूर्ण सिंचाई प्रदान की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि औचित्यपूर्ण आधार पर नियंत्रित जल आपूर्ति के प्रति आश्वस्त होने के उद्देश्य के लिए एस.एम.पी. में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के लिए प्रावधान थे। आगे, केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता मुख्य रूप से चंबल नहर प्रणाली की मुख्य नहर एवं वितरिकाओं में लाईनिंग कार्य के क्रियान्वयन में अधिक व्यय के कारण थी, जैसा कि कंडिका 2.2.8.3 में चर्चा की गई है।

³⁹ ए.पी.एम. किसानों में न्यायसंगत जल वितरण करने हेतु एक संरचना है, जिसे जल संसाधन विभाग ने प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी (25-11-91) तकनीकी परिपत्र 34 से अपनाया था।

⁴⁰ पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण एवं डाटा अर्जन प्रणाली

2.2.7.4 सिंचाई परिसंपत्तियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लाइन विभागों के साथ सहयोग

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत पी.आई.पी. में उन्नत कृषि सहायता सेवाओं, शोधकर्ताओं-विस्तारकों-कृषक-बाजार कंडियों का सुदृढीकरण, म.प्र. शासन के लाइन विभागों (जल संसाधन विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जे.एन.के.वी.वी. जबलपुर) के प्रभावी सहयोग के माध्यम से कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण परिकल्पित था। यह अपेक्षा की गई थी कि परियोजना से फसल सघनता में वृद्धि, तिलहन, दालों एवं अनाज फसलों उन्नत उत्पादकता, सब्जियों, फलों, फूलों मसालों एवं अन्य उच्च मूल्य की फसलों की क्षेत्र तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी।

2004-05 से 2015-16 के दौरान लाइन विभाग वार मूल प्रावधान, पुनर्गठित प्रावधान एवं व्यय के विवरण तालिका 2.2.5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.2.5: लाइन विभाग वार प्रावधान एवं किया गया व्यय

लाइन विभाग का नाम	पी.आई.पी. के अनुसार मूल प्रावधान	पुनर्गठित प्राक्कलित प्रावधान	कुल व्यय (₹ लाख में)
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	4,907	2,846	2,763
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	2,384	2,423	2,382
पशुपालन	2,415	2,415	3,415
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास	3,445	1,902	1,902
कृषि विश्वविद्यालय	1,310	1,064	1,042
योग	14,461	10,650	11,504

(स्रोत: पाइकू द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, कुल व्यय ₹ 115.04 करोड़ था, जो कि प्राक्कलित प्रावधान का 79.55 प्रतिशत एवं परियोजना के अंतर्गत कुल व्यय का 4.61 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआ:

• कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण

पी.आई.पी. के अनुसार, असिंचित क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन कृषि सघनीकरण के लिए मानदण्ड के रूप में लिया गया था। चंबल नहर प्रणाली एवं वैनगंगा नहर प्रणाली का सी.सी.ए. 4,05,238 हेक्टेयर था, जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कुल आच्छादित क्षेत्र का 62 प्रतिशत था। चंबल नहर प्रणाली से आच्छादित भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में असिंचित क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन में वृद्धि अल्प थी, जैसा कि तालिका 2.2.6 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.2.6: चंबल नहर प्रणाली के भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में समस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल एवं कुल सिंचित क्षेत्रफल

वर्ष	समस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल सिंचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सिंचित क्षेत्रफल का फसलों के क्षेत्रफल से प्रतिशत
2010-11	9,88,228	4,59,174	46.46
2011-12	9,85,960	4,90,335	49.73
2012-13	9,94,808	5,13,944	51.66
2013-14	10,39,768	5,43,757	52.30

जल उपभोक्ता संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं असिंचित क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन अपर्याप्त था।

वर्ष	समस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल सिंचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सिंचित क्षेत्रफल का फसलों के क्षेत्रफल से प्रतिशत
2014-15	10,52,208	5,93,733	56.43

(स्रोत: म.प्र. भू अभिलेख की वेबसाइट से आंकड़े)

इस प्रकार, सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ही कुल फसलों का क्षेत्रफल बढ़ा था। आगे, बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर प्रणाली के कमान क्षेत्र के प्रकरण में धान बुआई क्षेत्रफल वर्ष 2011-12 में 2,55,517 हेक्टेयर था जो वर्ष 2015-16 में 2,59,790 हेक्टेयर रहा।

कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में उपलब्धि में वृद्धि के समतुल्य नहीं था। चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र को पी.आई.पी. में कृषि सघनीकरण के एक संकेतक भांति लिया गया था। 10 नमूना जांच किए गए जिलों में 2011-12 से 2015-16 के दौरान चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र तालिका 2.2.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.2.7: नमूना जांच किए गए जिलों में चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र का विवरण

वर्ष	(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)				
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
चना	7,47,245	7,60,213	7,24,888	6,45,410	5,99,155
अरहर	1,29,879	1,05,050	73,924	69,546	84,244
सरसों	उपलब्ध नहीं	3,89,129	3,88,173	3,20,348	3,13,730

(स्रोत: म.प्र. भू अभिलेख वेबसाइट से आंकड़े)

इस प्रकार, चने का बुआई क्षेत्र 2011-12 में 7.47 लाख हेक्टेयर से 2015-16 में 5.99 लाख हेक्टेयर (19.81 प्रतिशत) तक कम हुआ एवं अरहर का बुआई क्षेत्र 2011-12 में 1.29 लाख हेक्टेयर से 2015-16 में 0.84 लाख हेक्टेयर (35.14 प्रतिशत) तक कम हुआ था। आगे, सरसों का बुआई क्षेत्र 2012-13 में 3.89 लाख हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 3.13 लाख हेक्टेयर (19.38 प्रतिशत) तक कम हुआ था। इस प्रकार, उत्पादन माडल के अनुसार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पश्चात कृषि सघनीकरण ऋणात्मक था।

• पी.आई.पी. के अनुसार, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को जल संसाधनों एवं भूमि के सतत उपयोग के लिए किसानों/जल उपभोक्ता संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना था। जे.एन.के.वी.वी. ने 2006-07 से 2015-16 के दौरान जल उपभोक्ता संस्थाओं के लिए क्षमता विकास⁴¹ की गतिविधि के रूप में 275 प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध 196 प्रशिक्षण आयोजित किए थे जो लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी का सूचक था। हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान 334 किसानों में से 133 (40 प्रतिशत) ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना प्रतिवेदित किया था। इस प्रकार, फसल विविधीकरण के लाभ के बारे में किसानों के मध्य जागरूकता को पैदा करने में संस्थागत स्तर पर प्रयास का अभाव था।

10 जिलों के 96 गांवों के 75 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (आर.ए.ई.ओ.) से साक्षात्कार के दौरान उत्पादन के विवरण से यह अवलोकन किया गया कि 64 आर.ए.ई.ओ. के 74 ग्रामों (77 प्रतिशत) में कृषि विविधीकरण नहीं हुआ था। कृषि विविधीकरण

⁴¹ क्षमता निर्माण में, मैदानी अधिकारियों का प्रशिक्षण, कृषि विकास केन्द्रों में जल उपभोक्ता संस्थाओं को प्रशिक्षण एवं कृषि विकास केन्द्रों में कार्यशाला तथा सेमिनारों का आयोजन समाविष्ट है।

के बारे में पूछे जाने पर, 53 प्रतिशत किसानों ने या तो मना किया या कोई उत्तर नहीं दिया था।

उद्यानिकी फसलों के माध्यम से विविधीकरण

पी.आई.पी. के अनुसार, विविधीकरण विश्लेषण राज्य स्तर आच्छादन के नौ प्रतिशत की तुलना में परियोजना क्षेत्र में रूपांकित सिंचित क्षेत्रफल के 21 प्रतिशत में फल, सब्जियों एवं मसालों को बोया जाना था।

उद्यानिकी फसलों के माध्यम से 21 प्रतिशत का लक्षित विविधीकरण प्राप्त नहीं किया गया था।

चंबल नहर प्रणाली के कमान क्षेत्र में फलों, सब्जियों एवं मसालों के पौधरोपण का क्षेत्रफल 2.90 प्रतिशत से 7.31 प्रतिशत तक कम रहा जैसा कि तालिका 2.2.8 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.2.8: चंबल नहर प्रणाली के भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में बोए गए फल, सब्जियों एवं मसालों की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	फल	सब्जियां	मसाले	कुल क्षेत्रफल	चंबल नहर प्रणाली के कमान क्षेत्र के संदर्भ में प्रतिशत
2011-12	112	8,092	4,852	13,056	3.61
2012-13	85	6,828	3,581	10,494	2.90
2013-14	82	6,782	3,701	10,565	2.92
2014-15	160	7,483	13,522	21,165	5.85
2015-16	349	8,622	17,490	26,461	7.31

(स्रोत: म.प्र. भू अभिलेख वेबसाइट से आंकड़े)

जैसा कि उपर विवरण दिया गया है, यद्यपि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में फलों एवं मसालों का क्षेत्र बढ़ा था किन्तु सब्जियों के प्रकरण में यह स्थिर रहा, जो अपर्याप्त विविधीकरण को इंगित करता है।

संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2016) कि नर्सरियों के सुदृढीकरण एवं कृषि यंत्रीकरण के लिए किसानों को पॉली शेड प्रदाय किए गए थे। तथापि, मांगे जाने पर आठ जिलों के 42 ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारियों (आर.एच.ई.ओ.) में से 39 (93 प्रतिशत) ने पॉली हाउस के उपयोग के कोई विवरण प्रदान नहीं किए। भिण्ड जिले में दो आर.एच.ई.ओ. में बताया (जनवरी 2017) कि 2010-11 से 2015-16 तक उद्यानिकी से संबंधित गतिविधियां प्रारंभ नहीं की गई थीं। इस प्रकार, पॉली शेड के अल्प उपयोग एवं चंबल नहर प्रणाली के संपूर्ण कमान क्षेत्र में कम एकीकरण से उद्यानिकी फसलों के माध्यम से विविधीकरण प्रभावित हुआ था।

सर्वेक्षण किए गए 334 किसानों में से केवल 101 (30 प्रतिशत) किसानों ने नहरों से खेतों में पर्याप्त जल आपूर्ति होना प्रतिवेदित किया था। आगे, सागर में बीला तालाब के जल उपभोक्ता संस्थाओं के 12 सदस्यों ने पानी की अपर्याप्त उपलब्धता एवं नहरों से आपूर्ति के कम दिवसों को प्रतिवेदित किया था।

मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के माध्यम से विस्तार गतिविधियां

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का उद्देश्य विद्यमान जल संसाधनों से मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ाना था। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग ने 170 तालाबों के अंतर्गत 26,931 हेक्टेयर में मत्स्य उत्पादन को विकसित किया। यद्यपि, पांच जिलों⁴² के 46 मत्स्य अधिकारियों में से 21 (46 प्रतिशत) ने तालाबों से पानी छोड़े जाने के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ना प्रतिवेदित किया था।

⁴² देवास, मुरैना, रायसेन, सतना एवं श्योपुर

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग ने फिश फार्म पौंडी में डोरमेट्री सह विश्रामगृह के निर्माण के लिए जल संसाधन संभाग सतना को ₹ 84.33 लाख प्रदान किए (सितम्बर 2010)। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग द्वारा दरों के अनुमोदन में विलंब के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था (जून 2015)। बाद में ₹ 88.42 लाख की राशि परियोजना निदेशक, पाइकू को अनुपयोगित लौटा दी गई। इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बाद भी अभिष्ट लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

- परियोजना मूल्य निर्धारण दस्तावेज (पी.ए.डी.) के अनुसार, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, नस्ल सुधार, चारा उपयोग में आधिक्य, खेतों में चारा उत्पादन एवं चारा नर्सरियों हेतु कृषि प्रणाली खोज एवं प्रदर्शन के लिए सहायता प्रदान किया जाना था। ये गतिविधियां, अन्य कृषि, उद्यानिकी एवं मत्स्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिए जाने के लिए जून 2012 में पुनर्गठन के दौरान छोड़ दी गई थीं।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने चिन्हित गतिविधियों पर ₹ 34.15 करोड़ व्यय किए। पुनर्गठित प्राक्कलन में, पशुपालन विभाग (ए.एच.डी.) के लिए ₹ 24.15 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें से शिवपुरी में पशुचारा संयंत्र की स्थापना के लिए ₹ 20.54 करोड़ म.प्र. डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को अंतरित किए गए थे (2013-16), जो जनवरी 2017 तक ₹ 19.29 करोड़ का व्यय किए जाने के पश्चात भी प्रारंभ नहीं हुए थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में प्रमुख सचिव ने ए.एच.डी. द्वारा कार्य की अपूर्णता पर चिंता व्यक्त की एवं परियोजना निदेशक, पाइकू को प्रकरण में ध्यान देने हेतु निर्देशित किया। शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि लाइन विभागों से उत्तर मांगे गए हैं।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का कार्य जून 2015 में समाप्त हो गया था, यद्यपि विभाग लाइन विभागों द्वारा किए गए कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से भिन्न नहीं था।

2.2.8 निधि प्रवाह एवं व्यय

योजना आयोग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. हेतु 2011-12 मूल्य स्तर पर ₹ 1,919 करोड़ के लिए निवेश अनापत्ति प्रदान की (जुलाई 2004)। राज्य शासन ने ₹ 1,918.57 करोड़ (अगस्त 2004) के प्रशासनिक अनुमोदन को ₹ 2,498 करोड़ तक पुनरीक्षित किया (अप्रैल 2015)। विश्व बैंक के माध्यम से निधि का प्रवाह, पात्र व्यय पर आधारित था, जो प्रतिपूर्ति के योग्य था। विश्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संधारित किए गए परियोजना के खाते में धन को जमा करते हुए निधियों को प्रदान किया।

परियोजना की निधि राज्य बजट के माध्यम से होकर थी। तदनुसार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. योजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग को आवंटन दिए गये थे। जल संसाधन संभागों एवं लाइन विभागों को निधियां परियोजना निदेशक, पाइकू, भोपाल के माध्यम से प्रदान की गई थीं। परियोजना की समाप्ति के पश्चात मार्च 2016 तक किया गया कुल व्यय ₹ 2,515.65 करोड़ था। 2015-16 के अंत तक विगत छह वर्षों के लिए निधियों के प्रतिबद्ध वितरण, पाइकू को आवंटन एवं एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत व्यय की स्थिति का विवरण तालिका 2.2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.2.9: परियोजना की मार्च 2016 तक वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निधियों का प्रतिबद्ध वितरण ⁴³	पाइकू को आवंटन	व्यय
2010-11	128.60	310.10	277.77
2011-12	320.00	200.00	171.28
2012-13	200.67	218.38	208.04
2013-14	300.00	336.43	328.67

⁴³ परियोजना निदेशक, पाइकू द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी के अनुसार

वित्तीय वर्ष	निधियों का प्रतिबद्ध वितरण ⁴³	पाइकू को आवंटन	व्यय
2014-15	404.60	457.95	436.62
2015-16	295.76	377.00	375.42 ⁴⁴
योग	1,649.63	1,899.86	1,797.80

(स्रोत : पाइकू द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

निधि प्रवाह एवं व्यय की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआ:

2.2.8.1 प्रतिबद्धता प्रभारों की परिहार्य देयता

विश्व बैंक के साथ ऋण अनुबंध के अनुच्छेद-11 के खण्ड 2.05 के अनुसार, ऋणी को सहमत अनुसूची के अनुसार आहरित न किए गए ऋण की मूल राशि पर एक प्रतिशत के 3/4 भाग प्रति वर्ष की दर से प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान करना था।

विश्व बैंक ऋण के विलंबित उपयोग के कारण ₹ 1.12 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों की परिहार्य देयता निर्मित हुई थी।

जैसा कि तालिका 2.2.9 से स्पष्ट है, विभाग ने वर्ष 2011-12 में ₹ 320 करोड़ की निधि के प्रतिबद्ध वितरण के विरुद्ध ₹ 171.28 करोड़ का व्यय किया था। ₹ 148.72 करोड़ (46.48 प्रतिशत) के कम उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों की देयता संचित हुई। 2005-10 के दौरान निधियों का कम उपयोग होने के कारण ₹ 8.26 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों की देयता के संचित होने को पूर्व के 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में पहले ही प्रतिवेदित किया गया था। प्रतिबद्धता प्रभारों की परिहार्य देयता, जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण में धीमी गति एवं लाइन विभागों द्वारा निधियों का कम उपयोग के कारण थी, जैसा कि कंडिकाओं 2.2.7.1 एवं 2.2.7.4 में चर्चा की गई है।

शासन ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में बताया कि राज्य शासन प्रतिबद्धता प्रभारों की देयता के बारे में अवगत नहीं था क्योंकि ऋण अनुबंध भारत सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य निष्पादित हुआ था। आगे यह बताया गया (नवम्बर 2016) कि विभाग द्वारा प्रतिबद्धता प्रभारों के लिए कभी कोई प्रावधान नहीं किया गया था, न ही राज्य शासन द्वारा कोई भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऋण अनुबंध के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग के कारण प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान का प्रावधान था एवं विश्व बैंक की इस शर्त के अधित्याग के बारे में विभाग कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका।

2.2.8.2 कछार वार आवंटन एवं व्यय

पी.आई.पी. के अनुसार, 654 सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण एवं पुर्नगठन के लिए विश्व बैंक ऋण के माध्यम से विभाग ने निधियों का आवंटन कछार वार किया था। यद्यपि, पूर्व के आवंटन (2004), पुनरीक्षित आवंटन (2012) एवं व्यय (जून 2015) में असामान्य भिन्नता थी, जैसा कि तालिका 2.2.10 में विवरण दिया गया है।

⁴⁴ वित्तीय वर्ष 2015-16 का, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की समाप्ति तक व्यय ₹ 357.29 करोड़ था एवं वित्तीय वर्ष की बकाया अवधि में ₹ 18.13 करोड़ था, जो प्रतिपूर्ति योग्य नहीं था।

तालिका 2.2.10: एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत निधियों की कछार वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

कछार का नाम	मूल पी.ए. डी. (2004) के अनुसार आवंटन	2012 में पुनरीक्षित आवंटन	2012 के मूल्य स्तर ⁴⁵ पर 2004 का आवंटन	2012 के मूल्य स्तर पर आवंटन में भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता	जून 2015 तक व्यय
1	2	3	4	5 = (3-4)	6=5/4*100	7
चंबल	478.51	120	562.95	-442.95	-78.68	111.50
सिंध	202.06	1,400	237.72	1,162.28	488.93	1,360.90
बेतवा	402.50	230	473.53	-243.53	-51.43	229.62
केन	159.07	70	187.14	-117.14	-62.59	66.93
टोंस	161.30	50	189.41	-139.41	-73.60	44.35
वैनगंगा ⁴⁶	0	0	0	0	0	127.99
योग	1,403.14	1,870	1,650.75	219.25		1,941.29

(स्रोत: पाइकू, डब्ल्यू.बी.पी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

विभाग ने सिंध कछार को छोड़कर, जहां पर चंबल नहर प्रणाली पर अत्यधिक आवंटन के कारण आवंटन को 488.93 प्रतिशत तक बढ़ाया था, सभी कछारों में निधियों का आवंटन 51.43 प्रतिशत से 78.68 प्रतिशत तक कम किया था।

पी.ए.डी. (2004) में, जल संसाधन विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से चंबल नहर प्रणाली को चंबल कछार में सम्मिलित किया जिसे बाद में 2012 में पुनरीक्षित आवंटन के समय सिंध कछार में विचारित किया। जैसा कि तालिका 2.2.10 में स्पष्ट है, ₹ 442.95 करोड़ की राशि को चंबल कछार के आवंटन से वापिस किया गया है। यद्यपि, सिंध कछार में समान राशि के आवंटन को बढ़ाने के स्थान पर विभाग ने ₹ 1,400 करोड़ का आवंटन किया, जो 105.70 प्रतिशत⁴⁷ अधिक था। जैसा कि कंडिका 2.2.8.3 में चर्चा की गई है, कम समय सीमा में आसान क्रियान्वयन की दृष्टि से चंबल नहर प्रणाली के अंतर्गत कार्यों के लिए अधिक प्रावधान किया गया ताकि परियोजना को जून 2015 तक पूर्ण किया जाए।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी., योजनाओं की संख्या या कछार वार क्षेत्रफल पर निर्भर किए बिना कुल 4,95,000 हेक्टेयर सिंचाई को प्राप्त करने के लिए लक्षित था। इसके अलावा, चंबल नहर प्रणाली के माध्यम से पानी को चंबल कछार से सिंचाई लिए सिंध कछार में स्थानांतरित किया गया था। पी.आई.पी. में चंबल नहर प्रणाली की आयोजना को त्रुटिवश सिंध कछार के स्थान पर चंबल कछार में दर्शाया गया था। इसलिए चंबल नहर प्रणाली का व्यय जो चंबल कछार में दर्शाया गया था, सिंध कछार का व्यय था एवं सिंध कछार में प्रतिवेदित व्यय वास्तव में केवल सिंध कछार के व्यय से संबद्ध था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना विकास का उद्देश्य 654 चिन्हित योजनाओं के माध्यम से राज्य के सभी चयनित नदी कछारों में जल की उत्पादकता बढ़ाने का

⁴⁵ यू.एस. डालर के मूल्य क्रमशः ₹ 43.86 एवं ₹ 51.60 के आधार पर 2004 के मूल्य स्तर को 2012 में परिवर्तित करने के लिए 1.18 गुणांक का उपयोग किया गया, जैसा कि एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग, वित्त मंत्रालय (<http://aaad.gov.in>) द्वारा संधारित लोन लेजर में उल्लेखित किया गया है।

⁴⁶ वैनगंगा कछार में कोई आवंटन नहीं किया गया था क्योंकि वैनगंगा कछार में कार्य का क्रियान्वयन, यू.एस. डालर की तुलना में भारतीय रूप के अवमूल्यन के कारण हुई बचत से किया गया।

⁴⁷ ₹ 442.95 करोड़ + ₹ 237.72 करोड़ = ₹ 680.67 करोड़
(1400-680.67/680.67)* 100 = 105.70 प्रतिशत

था। आगे, विभाग ने पी.ए.डी. (2004) में चंबल नहर प्रणाली के लिए ₹ 276.05 करोड़ का आवंटन किया था, जो 2012 मूल्य स्तर पर ₹ 325.74 करोड़ संगणित होता था। जिसके विरुद्ध 2012 के पुनरीक्षित आवंटन में चंबल नहर प्रणाली पर ₹ 917.95 करोड़ आवंटित किए गए थे, जो 182 प्रतिशत अधिक था एवं वास्तविक व्यय (₹ 1,156.33 करोड़) और भी अधिक था। चंबल नहर प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण समस्त कछारों में आवंटन 42.86 प्रतिशत से 74.92 प्रतिशत तक कम हुआ था जो परियोजना विकास उद्देश्यों के प्रतिकूल था।

2.2.8.3 योजना आधुनिकीकरण आयोजनाओं के कार्यक्षेत्र से परे कार्यों पर व्यय

सलाहकारों द्वारा विभाग के अधिकारियों एवं सलाहकार के संयुक्त पारगमन के आधार पर योजना आधुनिकीकरण आयोजनाएं (एस.एम.पी.) तैयार की गई थीं एवं विभाग तथा विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित की गई थीं। एस.एम.पी. में सिंध कछार की चंबल नहर प्रणाली की चयनित दूरियों में लाइनिंग का प्रावधान था।

एस.एम.पी. के कार्यक्षेत्र से परे अधिक मात्राओं एवं लम्बाई में क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 263.85 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ।

तीन जल संसाधन संभागों (मुरैना, सबलगढ़ एवं श्योपुर) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि छह नमूना जांच किए गए कार्यों में सी.सी. लाइनिंग के लिए विशिष्ट दूरियां पहचानी गई थी एवं एस.एम.पी. में 5,15,295.85 घन मीटर की सी. सी. लाइनिंग की मात्रा प्रावधानित की गई थी। अन्य दो कार्यों⁴⁸ में 28,737 मीटर में सी.सी. लाइनिंग की लंबाई प्रावधानित की गई थी। यद्यपि, विभाग ने छह कार्यों में 11,02,935.02 घन मीटर एवं अन्य दो कार्यों में 71,441 मीटर की संपूर्ण लम्बाई में सी.सी. लाइनिंग का कार्य को क्रियान्वित किया। सी.सी. लाइनिंग का अधिक क्रियान्वित आवश्यकता के किसी निर्धारण के बिना था, जिससे एस.एम.पी., जिन्हें संयुक्त पारगमन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था, से विचलन हुआ। इस प्रकार, सी.सी. लाइनिंग के 5.88 लाख घनमीटर एवं 42,704 मीटर में अधिक मात्राओं के परिणामस्वरूप ₹ 263.85 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ। (परिशिष्ट 2.23)

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में विभाग ने बताया कि पूर्व में लाइनिंग को टुकड़ों में किया जाना था, किन्तु बाद में यह समझा गया कि लाइनिंग की आवश्यकता नहरों की संपूर्ण लंबाई में थी। शासन ने उसके लिखित उत्तर में बताया (नवम्बर 2016) कि वर्षा एवं सिंचाई के पश्चात जल आप्लवन की समस्या को ध्यान में रखते हुए पानी के दक्ष उपयोग के लिए सभी संभावित दूरियों में लाइनिंग कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं सलाहकारों के संयुक्त पारगमन के माध्यम से एस.एम.पी. में चयनित दूरियों में सी.सी. लाइनिंग की आवश्यकता को निर्धारित किया गया था। सी.सी. लाइनिंग के लिए दूरियां नहर के पानी के सीपेज एवं जल आप्लवन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए पहचानी गई थीं। तथापि, जल संसाधन संभाग, जौरा ने सी.सी. लाइनिंग के प्रावधान जिनका विवरण एस.एम.पी. में दिया गया था, का पालन किया था, अन्य संभाग, सी.सी.लाइनिंग के अधिक क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता का निर्धारण किए बिना एस.एम.पी. से विचलित हुए थे।

2.2.9 ठेका प्रबंधन एवं कार्य का क्रियान्वयन

ठेका प्रबंधन, व्यवस्थित एवं दक्षतापूर्वक ठेका सृजन प्रबंधन, प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन के उद्देश्य से, विश्लेषण और क्रियान्वयन करने तथा लागत वृद्धि तथा समयावधि वृद्धि के जोखिम को कम करने की प्रक्रिया है। प्राक्कलन, निविदाकरण तथा

⁴⁸ निचली मुख्य नहर की वितरिका 1 एल से 4 आर.सी. एवं 6 एल. से 16 एल. तथा 5 एल वितरिका

क्रियान्वयन में कमियां थीं, जिनके परिणामस्वरूप नहरों और तालाबों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन के 71 ठेकों में ₹ 204.10 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त लागत/अधिक भुगतान/अदेय लाभ/अस्वीकार्य भुगतान/ठेकेदारों को बढ़े हुए भुगतान हुए थे।

2.2.9.1 सी.सी.लाइनिंग का अनियमित क्रियान्वयन

नहर लाइनिंग के लिए उच्चतर विशिष्टि को अपनाने के कारण ₹ 47.70 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

तकनीकी परिपत्र (टी.सी.) क्रमांक 1/84⁴⁹ के प्रावधान के अनुसार, 0.3 क्यूमेक से 3 क्यूमेक एवं अधिक का जल प्रवाह ले जानी वाली नहरों के लिए एम-10⁵⁰ श्रेणी में सी.सी. लाइनिंग प्रावधानित किया जाना है। विभाग ने टी.सी. संख्या 47 के द्वारा एम-10 श्रेणी में सी.सी. लाइनिंग को प्रावधानित करने के लिए प्रावधान की पुनः पुष्टि की (मार्च 2003)।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सात जल संसाधन संभागों⁵¹ के अंतर्गत नहरों के पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के 30 कार्यों के प्रकरण में विभाग ने एम-15 श्रेणी की सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग के 10,63,440 घन मीटर को प्रावधानित एवं क्रियान्वित किया। एम-15 श्रेणी की सी.सी. लाइनिंग का प्रावधान एवं क्रियान्वयन टी.सी. के प्रावधानों एवं एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. कार्यों के लिए मानदण्डों के विपरीत था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 47.70 करोड़ के सी.सी. लाइनिंग का अनियमित क्रियान्वयन हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 2.24 में विवरण दिया गया है।

शासन में बताया (नवम्बर 2016) कि सी.सी. लाइनिंग का कार्य एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. कार्यों के लिए जारी तकनीकी विशिष्टियों के विस्तृत दिशा निर्देशों एवं विशिष्टियों के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। ये विशिष्टियां अनुबंध का भाग थीं। यह उल्लेख किया गया था कि कांक्रीट सामान्यतः आई.एस. 456-2000 द्वारा संचालित होगा, जिसमें एम-15 को कांक्रीट की न्यूनतम श्रेणी की भांति प्रावधानित किया गया था। 84-85 का तकनीकी परिपत्र 1 एक बहुत पुरानी टी.सी. थी एवं लम्बे समय से पुनरीक्षण के अधीन थी। आगे, निदेशक (नहरें), बोधी ने सूचित किया (फरवरी 2017) कि टी.सी. 1/84 को अधिक्रमित करते हुए नहर लाइनिंग के लिए पुनरीक्षित दिशा निर्देश जारी किए गए थे (दिसम्बर 2016)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.एस. 456: 2000 एम-15 को कांक्रीट की न्यूनतम श्रेणी प्रावधानित नहीं करता है एवं 10 न्यूटन प्रति वर्ग मि.मी. की लाक्षणिक क्षमता वाले एम-10 श्रेणी का प्रावधान भी कांक्रीट की श्रेणियों में सम्मिलित था। आगे, तथ्य वही रहता है कि क्रियान्वयन की अवधि के दौरान टी.सी. 1/84 लागू थी एवं इसलिए इसका पालन किया जाना था तथा प्राधिकार के बिना परिपत्र का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना आवश्यक था।

2.2.9.2 मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग के लिए अवांछित प्रावधान के कारण अतिरिक्त लागत

मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग के लिए अवांछित प्रावधान के कारण ₹ 17.73 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई।

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण (एन.सी.बी.) दस्तावेज के साथ संलग्न नहर लाइनिंग के लिए विशिष्टियों के अध्याय-111 की शर्त 7 के अनुसार, नहर लाइनिंग के नीचे नहर सेक्शन में कांक्रीट को बिछाने के लिए सबग्रेड को अंतिम रूप से तैयार करने में ट्रिमिंग के कार्य का प्रावधान एवं कांक्रीट बिछाने के लिए सबग्रेड को तैयार करने में प्राइड सेक्शन⁵² को हटाना सम्मिलित था। लाइनिंग के नीचे ढलानों एवं तल में लाइनिंग की मोटाई के बराबर प्राइड सेक्शन को बिना खुदा हुआ छोड़ा जाना था। कांक्रीट लाइनिंग को बिछाने के लिए एम्बेकमेंट को प्रदाय करने एवं लगाने में सबग्रेड

⁴⁹ प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र (टी.सी.) क्र. 1/84

⁵⁰ यह सीमेंट, रेत एवं कोर्स एग्रीगेट का मिश्रण 1:3:6 के अनुपात में दर्शाता है।

⁵¹ बालाघाट, भिण्ड, जौरा, मुरैना, सबलगाढ़, सतना एवं श्योपुर

⁵² नहर का सेक्शन जिसमें असमतल सतहें हों।

को अंतिम रूप से तैयार करने की लागत सम्मिलित थी एवं इसके लिए अलग से कोई भुगतान किया जाना अनुमत नहीं था।

सात जल संसाधन संभागों⁵³ में 37 कार्यों⁵⁴ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मिट्टी कार्य की मद को, स्ट्रिपिंग, खुदाई (हाउसिंग), एम्बेकमेंट के लिए मिट्टी कार्य, वाटरिंग एवं कम्पेक्शन की मदों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया था। यह अवलोकित किया गया कि एन.सी.बी. की मदों की अनुसूची में ट्रिमिंग की एक अलग मद प्रावधानित की गई थी एवं 178.78 लाख वर्ग मीटर के क्रियान्वयन के लिए ₹ 17.73 करोड़ की राशि भुगतान की गई थी। जैसा कि कांक्रीट को बिछाने के लिए सबग्रेड को अंतिम रूप से तैयार करने की मद में ट्रिमिंग का प्रावधान एवं क्रियान्वयन पहले से ही सम्मिलित था, ट्रिमिंग को एक अलग मद के रूप में सम्मिलित करना एवं इसका भुगतान एन.सी.बी. के प्रावधानों के प्रतिकूल था। इसके परिणामस्वरूप मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग के लिए अवांछित प्रावधान के कारण ₹ 17.73 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.25** में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि यू.एस.आर. में प्रावधानित मद के अनुसार मेकेनाइज्ड ट्रिमिंग की मद को सम्मिलित किया गया था। लाइनिंग की मोटाई को एकरूप रखने के लिए सब ग्रेड को ट्रिम करना आवश्यक था एवं कम्पेक्शन के बाद भी सबग्रेड में यहां वहां छोटे उतार चढ़ाव थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.सी.बी. दस्तावेज में संलग्न नहर लाइनिंग की विशिष्टियों में प्रावधानित था कि सबग्रेड को अंतिम रूप से तैयार करने में ट्रिमिंग का कार्य सम्मिलित था। इसलिए ट्रिमिंग के लिए अलग भुगतान अस्वीकार्य था एवं इस मद को प्राक्कलनों में त्रुटिपूर्ण सम्मिलित करने एवं टी.एस में इसे अनुमोदित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक था।

2.2.9.3 ब्लेक ट्रेप गिट्टी की लीड/ दर को सम्मिलित करने के कारण अधिक भुगतान

प्राक्कलन के दौरान नहर लाइनिंग में सी.सी. कार्य के लिए गिट्टी के प्रकार का चयन करते समय, के दौरान कार्य के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में कोर्स एग्रीगेट के प्रकार की उपलब्धता मुख्य नियंत्रक कारक है। ब्लेक ट्रेप (बी.टी.), बेसाल्ट या लोकल गिट्टी को कोर्स एग्रीगेट की भांति उपयोग करने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं।

छह जल संसाधन संभागों⁵⁵ में 18 कार्यों के प्रकरणों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सी.सी. लाइनिंग के लिए प्राक्कलनों में बी.टी. मेटल के उपयोग के लिए 220 कि.मी. तक के लीड प्रभारों को सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त दर का प्रावधान सम्मिलित किया गया, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.26** में दिया गया है। आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि बी.टी. मेटल के उपयोग करने के आधार पर, 83 कि.मी. तक की समीप की उपलब्ध खदान से गिट्टी का उपयोग नहीं किया था। बी.टी. मेटल की अधिक लीड का प्रावधान अवांछित था क्योंकि सी.सी. लाइनिंग के कार्य के लिए पास के क्षेत्र में उपलब्ध कोर्स एग्रीगेट उपयोग की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि सी.सी. लाइनिंग के कार्यों के लिए बी.टी. मेटल का उपयोग करते हुए मिक्स डिज़ाईन तैयार किया जाना प्रतिवेदित किया गया

बी.टी. मेटल की लीड/दरों को सम्मिलित करने के कारण ₹ 16.43 करोड़ का अधिक भुगतान

⁵³ बालाघाट, भिण्ड, गोहद, जौरा, मुरैना, सबलगढ़ एवं श्योपुर

⁵⁴ जल संसाधन विभाग भिण्ड संभाग एवं जल संसाधन विभाग गोहद संभाग

⁵⁵ भिण्ड, गोहद, जौरा, मुरैना, सबलगढ़ एवं श्योपुर

था। यद्यपि, मिक्स डिजाईन में कोर्स एग्रीगेट की विशिष्ट घनत्व⁵⁶ को 2.65 तक मापा गया था। चूंकि बी.टी. मेटल का विशिष्ट घनत्व 2.8 से 3.0 तक होता है, कांक्रीट के मिक्स डिजाईन में एवं इसलिए सी.सी. लाइनिंग के कार्य में वास्तव में बी.टी. मेटल उपयोग नहीं की गई थी। इस प्रकार, वास्तविक उपयोग के बिना बी.टी. मेटल की लीड के लिए भुगतान के परिणामस्वरूप 18 कार्यों में ₹ 16.43 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि सी.सी. लाइनिंग की मोटाई 7.5 से.मी. से 10 से.मी. तक प्रदाय की गई थी। क्रशर से प्राप्त की गई 20 मि.मी. गिट्टी को सी.सी. लाइनिंग में उपयोग किया गया था। क्रशर में गिट्टी बनाने के लिए बी.टी./ग्रेनाइट/बेसाल्ट चट्टानों का उपयोग किया गया। बी.टी./ग्रेनाइट/बेसाल्ट मेटल के लिए लीड की यू.एस.आर. दरें समान थीं। इसलिए, बी.टी./ग्रेनाइट/बेसाल्ट गिट्टी के लिए लीड को जोड़ा गया था। जहां तक मिक्स डिजाईन में कोर्स एग्रीगेट के विशिष्ट गुरुत्व का प्रश्न है, मेटल ग्रेनाइट हो सकता था, जिसका विशिष्ट घनत्व 2.6 से 2.7 तक की सीमा में था। इस प्रकार बी.टी. मेटल की लीड/दर के कारण कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यक्षेत्र के समीप के क्षेत्र में उपलब्ध कोर्स एग्रीगेट को उपयोग नहीं किया गया था। आगे, सी.सी. लाइनिंग के प्राक्कलनों में अतिरिक्त लीड के साथ बी.टी. मेटल को सम्मिलित करने के बावजूद भी, कार्यपालन यंत्री ने कार्य में बी.टी. मेटल का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया था। इस प्रकार, स्थल की परिस्थिति के आधार पर बी.टी. मेटल की लीड के कारण ₹ 16.43 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान वांछनीय नहीं था।

2.2.9.4 कार्य की निरर्थक मद के कारण अतिरिक्त लागत

सी.सी. लाइनिंग की मद में एयर एन्ट्रेनिंग एजेन्ट की निरर्थक मद लिए जाने के कारण ₹ 5.46 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

विशिष्टियों के अध्याय-।।। नहर लाइनिंग की शर्त 9.2 के अनुसार, एयर एन्ट्रेनिंग एजेन्ट (ए.ई.ए.) को एक एडमिक्सचर की रूप में सारे कांक्रीट में एडमिक्सचर के समान वितरण को सुनिश्चित करने के ढंग से डाला जाना चाहिए। आगे, विशिष्टियों के अध्याय-।। की शर्त 7 प्रावधानित करती है कि प्रभारी अभियंता के अनुमोदन के पश्चात ही ए.ई.ए. को डाला जाना चाहिए। लगाए जाने वाले एडमिक्सचर को कांक्रीट की इकाई दर सम्मिलित करेगी।

दो जल संसाधन संभागों, जौरा एवं मुरैना में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (मई एवं जून 2016) कि सी.सी. कार्य के मिक्स डिजाईन में ए.ई.ए. जोड़े जाने का प्रावधान सम्मिलित नहीं था, यद्यपि, विभाग ने ए.ई.ए. के बिना सी.सी. लाइनिंग का उपयोग करने के तथ्य को अनदेखा करते हुए ए.ई.ए. का उपयोग किया जाना अनुमत्य किया, जैसा कि विवरण तालिका 2.2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.2.11: ए.ई.ए की लागत का विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	ए.ई.ए. की मात्रा लीटर में	दर ₹ प्रति लीटर में	₹ लाख में
1	ज.सं. संभाग जौरा	01/2007-08	48,134.99	304	146.33
2	ज.सं. संभाग मुरैना	01/2007-08	1,25,199.03	319	399.46
कुल			1,73,334.02		545.79

(स्रोत: कार्यों के क्लबिंग स्टेटमेंट)

जैसा कि उपर विवरण दिया गया है, विभाग ने अनुबंध के साथ संलग्न सी.सी. लाइनिंग की विशिष्टियों के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए कुल 1.73 लाख लीटर ए.ई.ए. का

⁵⁶ ठोस के विशिष्ट घनत्व को, पदार्थ के घनत्व से जल के घनत्व से अनुपात में मापरहित इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है।

उपयोग किया एवं ठेकेदारों को ₹ 5.46 करोड़ का भुगतान किया। अनुमोदित मिक्स डिज़ाईन को ध्यान में रखते हुए ए.ई.ए. का उपयोग परिहार्य था। इसलिए, क्लबिंग स्टेटमेंट में ए.ई.ए. की लागत को जोड़ना एवं इसका भुगतान अनुमत्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 5.46 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि ए.ई.ए. जल-सीमेंट अनुपात में अधिक वृद्धि के बिना कांक्रीट की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। कांक्रीट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कांक्रीट की कार्यक्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है इसलिए नहर लाइनिंग में ए.ई.ए. का उपयोग किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों के लिए डिज़ाईन मिक्स का उपयोग किए गए थे, जिनमें जल-सीमेंट अनुपात को अनुमोदित एवं अनुशंसित किया गया था। आगे, एम.पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत सी.सी. लाइनिंग के अन्य कार्यों में ए.ई.ए. उपयोग नहीं किया गया था। अध्याय-11 की शर्त 7 के पदों में ए.ई.ए. की अतिरिक्त दर अनुमत्य नहीं थी क्योंकि यू.एस.आर. में सी.सी. लाइनिंग की इकाई दर ए.ई.ए. को सम्मिलित करते हुए थी। चूंकि ठेके को शासित करने वाली विशिष्टि के पदों में मिक्स डिज़ाईन में ए.ई.ए. का कोई प्रावधान नहीं था, यह स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं था एवं अनुबंध के पदों के लिए के प्रति निष्ठा को सुनिश्चित करने में सक्षम प्राधिकारी के भाग पर लापरवाही को दर्शाता है।

2.2.9.5 एम्बेकमेंट की दर को त्रुटिपूर्ण अपनाए जाने के कारण अतिरिक्त लागत

एम्बेकमेंट की त्रुटिपूर्ण दर को अपनाने के कारण ₹ 5.21 करोड़ की अतिरिक्त लागत व्यय की गई।

जल संसाधन विभाग के यू.एस.आर. (2009) में नये कार्य एवं संधारण एवं मरम्मत कार्यों के लिए मिट्टी कार्य की दो अलग मद सम्मिलित थी। नये कार्यों के लिए मिट्टी कार्य की मद की दरों में विभिन्न दूरियों के लिए (₹ 43 प्रति घनमीटर से ₹ 64 प्रति घनमीटर के मध्य की) लीड के साथ दरों का प्रावधान सम्मिलित था जबकि संधारण एवं मरम्मत के लिए मिट्टी कार्य की दर में लीड की दर का प्रावधान सम्मिलित नहीं था एवं समस्त लीड के साथ ₹ 38 प्रति घनमीटर की सम्मिश्र दर नियत थी।

पांच जल संसाधन संभागों⁵⁷ में पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के 16 कार्यों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मरम्मत एवं संधारण के लिए ₹ 38 प्रति घनमीटर के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से नये कार्य के लिए मिट्टी कार्य की दर सम्मिलित की गई थी। मिट्टी कार्य के लिए उच्चतर दर अपनाए जाने के परिणामस्वरूप 24.76 लाख घनमीटर के मिट्टी कार्य के क्रियान्वयन के लिए ₹ 5.21 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.27** में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि पुनर्गठन का कार्य एक नया कार्य है मरम्मत एवं संधारण का सामान्य कार्य नहीं है जिसके लिए दर ₹ 36 प्रति घनमीटर थी। आगे, यह बताया गया कि मदों के प्राक्कलन एवं क्लबिंग निविदा दस्तावेज के भाग नहीं थे। इस प्रकार, खुली प्रतिस्पर्धात्मक दरों में निविदत्त दरों पर कार्य क्रियान्वित कराया गया था।

उत्तर व्याख्या नहीं करता है कि यू.एस.आर. के प्रावधानों के विपरीत त्रुटिपूर्ण दरों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति क्यों प्रदान की गई थी। यू.एस.आर. को अलग करने के लिए स्पष्ट नामावली के अभाव में ₹ 5.21 करोड़ की राशि त्रुटिपूर्ण ढंग से भुगतान की गई थी एवं वसूल किया जाना आवश्यक थी। इसलिए, त्रुटिपूर्ण दरों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना था।

⁵⁷ बालाघाट, राजगढ़, सागर, श्योपुर एवं शाजापुर

2.2.9.6 लाइनिंग की अधिक मोटाई का अवांछित क्रियान्वयन

सी.सी. लाइनिंग की अवांछित अधिक मोटाई के लिए ₹ 4.82 करोड़ की अतिरिक्त लागत व्यय की गई।

जल संसाधन विभाग द्वारा सी.सी. लाइनिंग के लिए जारी विशिष्टियों की कंडिका 25.6.3.2 के अनुसार, पानी गहराई 2.5 मीटर से कम तथा पांच से 50 क्यूमेक क्षमता वाली नहरों के लिए अधिकतम 75 मि.मी. मोटी स्थल पर ढलित लाइनिंग को प्रावधानित किया जाना था।

जौरा जल संसाधन संभाग में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2016) में प्रकट हुआ कि मुरैना शाखा नहर का शीर्ष प्रवाह 14.16 क्यूमेक एवं पानी की गहराई 1.45 मीटर थे, इसलिए मुरैना शाखा नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 36.10 में लाइनिंग के लिए 75 मि.मी. की मोटाई की लाइनिंग को अपनाया जाना था। यद्यपि, विभाग ने एम.15 श्रेणी की कांक्रिट का उपयोग करते हुए 100 मि.मी. की मोटाई को अपनाया। इसलिए मुरैना शाखा नहर में आवश्यक मोटाई से आधिक्य में लाइनिंग का क्रियान्वयन विशिष्टियों के प्रावधानों के विपरीत था एवं परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़⁵⁸ की अतिरिक्त लागत आई। विभाग नहर लाइनिंग की अधिक मोटाई को अपनाने के कारणों को बताने में विफल रहा।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि एक विशिष्ट प्रवाह या पानी की गहराई के लिए लाइनिंग की मोटाई निर्धारित न्यूनतम मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। यह स्थल परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार अधिक हो सकती है। तदनुसार एम.पी. डब्ल्यू. एस. आर.पी. के लिए विशिष्टियां आरेखित की गई थी एवं निविदा दस्तावेज/अनुबंध के साथ संलग्न की गई थीं। तदनुसार कार्य को क्रियान्वित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.एस. कोड आई.एस.: 3872, 1993 की कंडिका 5.2 की विशिष्टियों के अनुसार 5 क्यूमेक से 50 क्यूमेक के प्रवाह वाली नहर के लिए पानी की गहराई 2.5 मीटर से कम होनी चाहिए एवं पूर्ण पानी की गहराई 2.5 मीटर तक होनी चाहिए, नहर लाइनिंग की मोटाई 60–75 मि.मी. होनी चाहिए। अधिक गहरी नहरों के लिए एवं बर्फीली परिस्थितियों में सतह की विकृति संभावित हो तो मोटाई को बढ़ाया जा सकता है। आई.एस. कोड के प्रावधानों के विपरीत विभाग ने इस विचलन के लिए किसी औचित्य के बिना सी.सी. लाइनिंग की उच्चतर मोटाई को अपनाया था। इसप्रकार, विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रावधान एवं सिंचाई विशिष्टियों के विरुद्ध प्राक्कलन एवं नहर लाइनिंग की उच्चतर मोटाई की 100 मि.मी. की मोटाई में क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, ₹ 4.82 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

2.2.9.7 ब्लास्टिंग की अस्वीकार्य मद को सम्मिलित करने के कारण अतिरिक्त लागत

सी.सी. लाइनिंग में ब्लास्टिंग की मद को सम्मिलित करने के कारण ₹ 85.72 लाख की अतिरिक्त लागत आई।

जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए यू.एस.आर. की मद 2512 के अनुसार, सी.सी. लाइनिंग की मद की दर सीमेंट कांक्रिट को सभी सामग्री यथा सीमेंट, रेत, गिट्टी एवं पानी को सम्मिलित करते हुए एक पूर्ण मद थी। इसके अतिरिक्त सी.सी. लाइनिंग की मद के लिए क्लबिंग में सामग्री यथा सीमेंट, गिट्टी एवं रेत की दुलाई के लिए लीड का सम्मिलित किया गया था जो कि भुगतान योग्य थीं।

जल संसाधन संभाग बालाघाट में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने सी.सी. लाइनिंग की सम्मिश्र मद के लिए दर की गणना, नहर तल, पार्श्व ढलानों में सी.सी. लाइनिंग, लीड एवं ब्लास्टिंग की दरों को मिलाते⁵⁹ हुए की थी। यद्यपि, सी.सी. लाइनिंग के लिए सामग्री को प्रदाय करने एवं लगाने का उत्तरदायित्व

⁵⁸ (₹ 3,645 प्रति घन मी * 52,919.19 घन मी = 19,28,90,447) का 25 प्रतिशत = ₹ 4,82,22,611

⁵⁹ कार्य के लिए क्लबिंग स्टेटमेंट, सम्मिश्र मद की दर की गणना हेतु यू.एस.आर. की विभिन्न मदों की दरों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया जाता है।

ठेकेदार का था, पत्थर की ब्लास्टिंग के लिए अलग प्रावधान को सम्मिलित किया जाना स्वीकार्य नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 85.72 लाख की अतिरिक्त लागत आई जैसा कि विवरण तालिका 2.2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.2.12: सी.सी. लाइनिंग के क्रियान्वयन में ब्लास्टिंग की अतिरिक्त लागत का विवरण

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्यान्वित मात्रा घन मीटर में	ब्लास्टिंग के लिए अतिरिक्त दर ₹ प्रति घनमीटर	अतिरिक्त लागत ₹ में
1.	वैनगंगा मुख्य नहर चेन 0 से चेन 963	47,916.170	74.80	45,84,129
2.	मेंढकी शाखा नहर चेन 0 से चेन 1181, वारासिवनी शाखा नहर चेन 0 से चेन 330	31,827.292	74.80	23,80,681
3.	वैनगंगा मुख्य नहर चेन 963 से चेन 1356	18,043.375	74.80	16,08,026
कुल		97,786.837		85,72,836

(स्रोत: कार्यों के अंतिम देयक एवं क्लबिंग स्टेटमेंट)

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि वास्तव में यू.एस.आर. अध्याय 25—नहर लाइनिंग की टिप्पणी 3 (बी) स्पष्ट रूप से उल्लिखित करती है कि कांक्रीट मर्दों के लिए उपयोग की गई गिट्टी की आवश्यक मात्रा के लिए ब्लास्टिंग प्रभार मद 514 के अनुसार भुगतान योग्य थे। और आगे, सभी अध्यायों में जहां पर कांक्रीट कार्य सम्मिलित हैं टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि गिट्टी की ब्लास्टिंग की मद के प्रभार भुगतान योग्य हैं। इसलिए ब्लास्टिंग को सम्मिलित किया जाना अनुमत था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार को यू.एस.आर. के मर्दों में प्लेन सीमेंट कांक्रीट की संपूर्ण मद को प्रदाय करना था। आगे, सामग्री के पद में गिट्टी सम्मिलित था न कि पत्थर। कार्य के लिए उपयोग होने वाली समस्त सामग्री का ठेकेदार द्वारा प्रबन्ध किया जाना था एवं सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामग्री (गिट्टी, रेत, सीमेंट एवं पानी) की लागत यू.एस.आर. की लाइनिंग की सम्बद्ध मद में इकाई लागत में सम्मिलित थे। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत नहर लाइनिंग के अन्य कार्यों में ब्लास्टिंग की मद अनुमत नहीं थी। इसप्रकार, ब्लास्टिंग की दर को त्रुटिपूर्ण रूप से मिलाए जाने के परिणामस्वरूप सी.सी. लाइनिंग के 97,787 घनमीटर के क्रियान्वयन के लिए ₹ 85.72 लाख की अतिरिक्त लागत आई।

2.2.9.8 कार्य के क्षेत्र से परे अतिरिक्त कार्यों का अनियमित सौंपा जाना

म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.125 के अनुसार, उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत रूपांकनों में उस प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। एन.सी.बी. की शर्त 34.1 के अनुसार, सफल निविदाकार स्वीकृति के पत्र की पावती के 21 दिवस के भीतर, निष्पादन प्रतिभूति के लिए नियोजक को ठेका मूल्य के पांच प्रतिशत के तुल्य राशि सौंपेगा। आगे, एन.सी.बी. की शर्त 38.2 के अनुसार, नियोजक यथा परियोजना निदेशक, पाइकू से पूर्व अनुमोदन को छोड़कर, यदि प्रारंभिक ठेका मूल्य 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ता है तो अभियंता मात्रा में परिवर्तन से दरों को समायोजित नहीं करेगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि चंबल नहर प्रणाली के पुनर्गठन के लिए विभाग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत तीन कार्य सौंपे, जैसा कि विवरण तालिका 2.2.13 में दिया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना ₹ 35.80 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों को अनियमित रूप से सौंपा गया था।

तालिका 2.2.13: अतिरिक्त कार्यों के सौंपे जाने के विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग	कार्य का नाम	ठेका राशि	सौंपा गया अतिरिक्त कार्य	अतिरिक्त कार्य का प्रतिशत	ठेकेदार से प्राप्त न की गई निष्पादन प्रतिभूति
1	ज.सं. संभाग गोहद	मौ शाखा नहर की बांयी टेल वितरिका कि.मी. 0 से कि.मी. 27.90	2,660.87	2232.36	83.90	90.90
2	ज.सं. संभाग मुरैना	33 आर/ अम्बाह शाखा नहर एवं इसकी माइनर सब माइनर का पुनरुद्धार	3,161.13	943.30	29.84	47.17
3	ज.सं. संभाग मुरैना	अम्बाह शाखा नहर आर.डी. कि. मी. 147.279 से कि.मी. 162.637 एवं अम्बाह शाखा नहर की 60 आर एवं 61 आर वितरिकाएं	1,240.43	404.10	32.58	20.01
कुल			7,062.43	3,579.76		158.08

(स्रोत: जल संसाधन संभागों के अभिलेख)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, ₹ 31.66 करोड़ के सौंपे गए (मार्च 2015) अतिरिक्त कार्य ठेका राशि के 29.84 प्रतिशत से 68.32 प्रतिशत के मध्य तक थे। यद्यपि, अतिरिक्त कार्य 15 प्रतिशत से अधिक थे, परियोजना निदेशक पाइकू का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, अतिरिक्त कार्यों के कारण व्यय अनियमित था। आगे, विभाग ने क्रियान्वयन एवं त्रुटि देयता अवधि के दौरान शासन के हित को सुरक्षित करने के लिए ठेकेदारों से ₹ 1.58 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की। इसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक ठेकेदार को अदेय लाभ हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. एक समय बद्ध कार्यक्रम था जो 30 जून 2015 से पूर्व पूर्ण किए जाने के लिए नियत था एवं निविदाएं आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था, इसलिए समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, ये कार्य उन्हीं ठेकेदारों को उनके विद्यमान कार्यों की अनुबंधित दरों पर सौंपे गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों को नियत समय के भीतर पूर्ण करने के लिए कार्यों की आवश्यकताओं का आंकलन पहले से ही एस.एम.पी. में किया गया था। अतिरिक्त समय को अनुमत न किया जाकर अतिरिक्त कार्यों को सौंपा जाना भी अनियमित था एवं इसके परिणामस्वरूप निम्न विशिष्ट कार्य हुए थे जैसा कि कंडिका 2.2.10.3 में चर्चा की गई है। कार्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि ने ठेके के मूल्य एवं अधिकार क्षेत्र को अत्यधिक बदला था एवं नयी निविदा को आमंत्रित न किए जाने से पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता मानदण्डों का उल्लंघन हुआ था।

2.2.9.9 कार्यों की असंतुलित मदों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जमा

15 कार्यों में ₹ 27.49 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा जमा प्राप्त नहीं की गई थी।

ठेके के एन.सी.बी. दस्तावेज खण्ड-1 की शर्त 29.5 एवं 34.1 तथा ठेके की शर्तें खण्ड-3 की शर्त 52 के अनुसार यदि सफल निविदाकार की निविदा ठेके के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत, प्राक्कलन के संबंध में अत्यधिक रूप से असंतुलित है तो सफल निविदाकार चूक की दशा में नियोजक को वित्तीय हानि से बचाने के लिए, स्वीकृति के पत्र की प्राप्ति के 21 दिवसों के भीतर पर्याप्त स्तर तक अतिरिक्त सुरक्षा जमा को जमा करेगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (अक्टूबर 2015 से जुलाई 2016) कि सात जल संसाधन संभागों⁶⁰ के 15 कार्यों में (परिशिष्ट 2.28) विभाग ने अनुबंध के पदों के अनुसार ₹ 27.49 करोड़ की राशि की अतिरिक्त सुरक्षा जमा प्राप्त नहीं की थी। विभाग द्वारा भुगतान में विलंब के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान के लिए एन.सी.बी.के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ए.एस.डी. पर ब्याज की गणना ₹ 14.12 करोड़ हुई। इसप्रकार ए.एस.डी. को प्राप्त करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 41.61 करोड़ की अदेय सहायता हुई।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि विश्व बैंक दिशा निर्देशों के अंतर्गत मानक प्रथा के अनुसार पांच प्रतिशत तक की असंतुलित निविदाएं संपूर्ण ठेका राशि के विरुद्ध पांच प्रतिशत सुरक्षा राशि के अतिरिक्त पांच प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति से सुरक्षित की गई थीं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चल देयक से छह प्रतिशत अवरोधन राशि भी काटी गई थी। आगे यह बताया गया कि जब भी यह अनुभव किया गया कि विभाग को शासन के हित/जोखिम से सुरक्षित रखना है तो ठेकेदार से अतिरिक्त सुरक्षा जमा प्राप्त की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यपालन यंत्रि ने अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती के अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया। यदि ठेकेदार को यह लाभ प्रदान किया गया था, तो दरों के लिए समझौता किया जा सकता था।

2.2.9.10 कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति राशियां

कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब के लिए ₹ 16.11 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशियां नहीं/कम वसूल की गई थीं।

ठेकों की शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों के भाग पर कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिए अंतिम ठेका मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्ययधीन कान्ट्रेक्ट डाटा⁶¹ में उल्लेख की गई दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि को वसूल किया जाना आवश्यक था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि पांच जल संसाधन संभागों⁶² के अंतर्गत नौ कार्यों में ठेकेदारों के भाग पर 15 माह से 48 माह के विलम्ब थे एवं ठेकेदार एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की पूर्णता तिथि (जून 2015) तक कार्यों को पूर्ण करने में विफल रहे थे। यद्यपि, विभाग ने अनुबंध में उद्धृत दर पर क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं की एवं वसूली योग्य ₹ 17.10 करोड़ के विरुद्ध तीन कार्यों के प्रकरण में ₹ 99.90 लाख की कटौती की थी। इसके परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि की ₹ 16.11 करोड़ की कम वसूली हुई थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.29** में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि अनुबंध के अनुसार, मुख्य अभियंता नियोजक थे एवं क्षतिपूर्ति घटना को निर्धारित करते थे। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्य, जुलाई-सितम्बर वर्षा ऋतु होने से एवं अक्टूबर-मार्च में रबी मौसम के लिए नहर का उपयोग किए जाने से, अप्रैल-जून की सीमित कार्य अवधि के भीतर क्रियान्वित किए गए थे। इस बाध्यता के कारण नियोजक ने माइलस्टोन को पुनरीक्षित किया एवं इसलिए क्षतिपूर्ति राशि अनुमत्य नहीं थी। आगे यह बताया गया कि भिण्ड मुख्य नहर चेन 902 से चेन 2565 एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों का कार्य विशेष मरम्मत के अंतर्गत किया गया था, जिसकी पूर्णता अवधि छह माह थी एवं अनुबंध की शर्त के अंतर्गत समय वृद्धि प्रदान की गई थी। चंबल दायीं मुख्य नहर (सी.आर.एम.सी.) कि.मी. 0 से कि.मी. 60 में, क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की गई थी किन्तु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लंबित था। 6 एल से 15 एल के कार्य में समय वृद्धि प्रदान की

⁶⁰ जौरा, मुरैना, रायसेन, राजगढ़, सागर, शाजापुर एवं श्योपुर

⁶¹ कान्ट्रेक्ट डाटा, अनुबंध के साथ संलग्न होता है जिसमें अनुबंध में दी गई विभिन्न शर्तों में प्रयुक्त आंकड़ों को दर्शाया जाता है।

⁶² बालाघाट, भिण्ड, रायसेन, सतना एवं श्योपुर

गई थी एवं नियोजक द्वारा माइल स्टोन पुनरीक्षित किए गए थे इसलिए क्षतिपूर्ति राशि अनुमत्य नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य के क्रियान्वयन के लिए अवधि को वर्षाकाल सहित अनुमत किया गया था। आगे, माइल स्टोन के पुनरीक्षण के प्रकरण में विलंब के लिए शास्ति के आरोपण के प्रावधान में छूट देने के लिए अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था।

2.2.9.11 मिनरल के उपयोग के विरुद्ध रायल्टी प्रभारों का संग्रहण

खनिज विभाग के लघु खनिज अधिनियम के अनुसार, कार्य में लघु खनिज के उपयोग के लिए ठेकेदार के देयक से निर्धारित दर पर रायल्टी प्रभारों की कटौती की जाएगी। खनिज विभाग द्वारा जारी (मार्च 2013) संशोधन के अनुसार निर्माण कार्य में संलग्न खदान अनुमति धारक/ ठेकेदार, निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए खनिज के लिए रायल्टी के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए खनिज देयता न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। आगे, खनिज विभाग ने पुनः ठेकेदारों के अंतिम देयक का भुगतान करने से पूर्व लघु खनिज के उपयोग के लिए कलेक्टर से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुबंधों में शर्त को सम्मिलित करने हेतु निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2006)।

चार जल संसाधन संभागों⁶³ के अंतर्गत आठ कार्यों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने अनुबंधों में ठेकेदारों से अंतिम देयकों के भुगतान से पहले अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विशेष शर्त 45.1 (सी) सम्मिलित की थी। यद्यपि, कार्यों में लघु खनिज के उपयोग के लिए ठेकेदारों ने न तो खनिज देयता न होने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, न ही विभाग ने ठेकेदारों के अंतिम देयकों के भुगतान को रोका। आगे, विभाग ने ₹ 6.23 करोड़ की राशि के रायल्टी प्रभारों (परिशिष्ट 2.30) के लिए कलेक्टर से अदेयता प्रमाण पत्र को सुनिश्चित किए बिना ₹ 4.16 करोड़ की सावधि जमा रसीदों (एफ.डी.आर.) को रखते हुए ठेकेदारों के अंतिम देयकों का अनियमित रूप से भुगतान कर दिया।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि निविदा दस्तावेज/अनुबंध में खनिज रायल्टी प्रभारों की वसूली/कटौती के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। निर्माण कार्य के लिए रायल्टी प्रभारों का संग्रहण करना खनिज विभाग की जिम्मेदारी है। यद्यपि, विभाग ने अतिरिक्त सावधानी की उपाय के रूप में ठेकेदारों से सावधि जमा रसीदों के रूप में राशि को रखा था ताकि ठेकेदारों से रायल्टी वसूल करने की आवश्यकता पड़ने पर इसे उपयोग किया जाए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों के अनुबंध में शर्त 45.1 (सी) को प्रावधानित किया गया था। विभाग को इसलिए कलेक्टर से अदेयता प्रमाण पत्र के अभाव में अंतिम देयकों का भुगतान रोकना आवश्यक था। विभाग में सामग्री के क्रय के विरुद्ध रायल्टी प्रभारों के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र होना चाहिए। आगे, ठेकेदारों से वसूली योग्य रायल्टी के विरुद्ध सावधि जमा रसीदों को प्राप्त करना लघु खनिज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।

2.2.9.12 कार्यों के लिए बीमा कवरेज

ठेके की शर्त में धारा 13 के अनुसार, ठेकेदार को ठेके में विभिन्न जोखिमों को कवर करने हेतु निर्धारित राशियों के लिए, ठेके के प्रारम्भ दिनांक से त्रुटि देयता⁶⁴ अवधि के अंत तक बीमा कवर प्रदान करना आवश्यक था।

⁶³ भिण्ड, गोहद, मुरैना एवं सबलगढ़

⁶⁴ त्रुटि दायित्व अवधि, कार्य पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष की वह अवधि है जिसमें ठेकेदार, इस अवधि के दौरान नियोजक द्वारा अवलोकित की गई समस्त त्रुटियों को उसकी लागत पर सुधारेगा।

एक वृहद, एक मध्यम एवं तीन लघु सिंचाई योजनाओं के नमूना जांच किए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 29 अनुबंधों में संविदागत आवश्यकता होने के बावजूद भी 12 जल संसाधन संभागों⁶⁵ में जिनका विवरण परिशिष्ट 2.31 में दिया गया है, विभाग ने कार्यों को बीमित नहीं किया था। विभाग ने स्वयं के द्वारा कार्यों को बीमित कराने के लिए बीमा प्रीमियम के लिए ठेकेदारों से ₹ 4.79 करोड़ की राशि वसूल नहीं की।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि विभाग में उपलब्ध ठेकेदार की राशियों से बीमा कवरेज के लिए राशि को वसूल करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे थे।

2.2.9.13 बड़ी हुई मापों के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान

वास्तव में क्रियान्वित न की गई मात्राओं के लिए ठेकेदार को ₹ 13.10 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के लिए माप पुस्तिकाएं (एम.बी.) संधारित की जाती हैं। ठेकेदारों को चलित देयक एवं अंतिम देयक एम.बी. में अभिलिखित किए गए वास्तविक मापों के आधार पर भुगतान किए जाते हैं।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि चम्बल दांयी मुख्य नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 60 का कार्य नवम्बर 2007 में प्रारम्भ हुआ एवं जून 2013 में पूर्ण हुआ। ठेकेदार को ₹ 155.77 करोड़ के कुल मूल्य का 61वां देयक पूर्व देयक की भांति भुगतान किया गया (जून 2013)। ₹ 142.67 करोड़ के भुगतान के लिए अंतिम देयक तैयार किया जिसे जुलाई 2016 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इससे इंगित हुआ कि 61वें चल देयक में ठेकेदार को भुगतान किए गए कार्य की मदों की मात्राएं अंतिम रूप से मापी गई मात्राओं से अधिक थीं। भुगतान की गई अधिक मात्राओं का मूल्य ₹ 13.10 करोड़ था। ठेकेदार से देय राशि को वसूल करने का कोई स्रोत नहीं था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि मुख्य अभियंता, यमुना कछार ग्वालियर ने प्रतिवेदित किया कि त्रुटि देयता अवधि में ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य का अनुपालन न करने के कारण ₹ 13.13 करोड़ की राशि कम की गई थी। प्रकरण तथापि न्यायाधिकरण के कोर्ट के अंतर्गत निर्णय के अधीन था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुधार कार्य को किए जाने में विफलता के लिए कटौती को देयकों में अलग से दर्शाया जाना था एवं यह अंतिम देयक में किए गए कुल कार्य को प्रभावित नहीं करता। अंतिम देयक में किए गए कार्य का कुल मूल्य पहले के देयक से कम था। इस प्रकार विभाग ने क्रियान्वित न की गई मात्राओं के लिए ₹ 13.10 करोड़ का अधिक भुगतान किया था।

2.2.9.14 श्रींकेज एलाउन्स की कटौती न किए जाने के कारण अधिक भुगतान

जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए यू.एस.आर. 2009 के अध्याय 4 की सामान्य टिप्पणी के अनुसार, लाइट रोलिंग⁶⁶ से दबाई एवं जल सिंचित किए गए मिट्टी कार्य के लिए 10 प्रतिशत अनुच्छेदीय मापों की कटौती किया जाना था। पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण कार्यों के प्राक्कलनों में मिट्टी कार्य के लाइट रोलिंग का प्रावधान सम्मिलित किया गया था।

⁶⁵ भिण्ड, देवास, गोहद, जौरा, मुरैना, रायसेन, राजगढ़, सबलगढ़, सागर, सतना, शाजापुर एवं श्योपुर

⁶⁶ नान-पावर्ड रोलर/ हैण्ड रेमिंग द्वारा कम्पेक्शन

श्रीकेज एलाउन्स की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 1.52 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि गोहद जल संसाधन संभाग में पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के पांच कार्यों के प्रकरण में विभाग ने 25,94,278.77 घन मीटर का मिट्टी कार्य क्रियान्वित किया जिसके लिए 10 प्रतिशत की दर से अनुच्छेदीय माप से कटौती नहीं की गई थी, यद्यपि कम्पेक्शन को लाइट रोलिंग से क्रियान्वित किया गया था। मिट्टी कार्य के जांच परिणामों से भी 90 प्रतिशत का अधिकतम शुष्क घनत्व इंगित हुआ। श्रीकेज एलाउन्स की कटौती में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 1.52 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ था जैसा कि **परिशिष्ट 2.32** में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि ठेकेदारों को कोई अधिक भुगतान नहीं हुआ था क्योंकि मिट्टी कार्य विद्यमान नहर खण्डों पर किया गया था। यह एक नया कार्य नहीं था। यह भी बताया गया कि मिट्टी कार्य में श्रीकेज उंचाई को जोड़ा गया था एवं श्रीकेज के लिए कोई कटौती नहीं की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उल्लिखित किए गए पुनरुद्धार के कार्य में नया मिट्टी कार्य सम्मिलित था जिसके लिए श्रीकेज एलाउन्स की कटौती की जानी थी। इसलिए, विभाग को यू.एस.आर. के प्रावधान के अनुसार मापों में से 10 प्रतिशत मात्रा की कटौती करना थी, जो नहीं किया गया। ₹ 1.52 करोड़ की राशि इस प्रकार ठेकेदार से वसूली योग्य थी।

2.2.10 निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण

पी.आई.पी. के अनुसार, परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली एवं बेंचमार्क परियोजना के प्रारंभिक चरण में क्रियान्वित किया जाने चाहिए। समस्त निर्माण कार्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण के माध्यम से चयनित प्रतिष्ठित कम्पनी द्वारा पक्षेतर पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन होंगे। कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परियोजना क्रियान्वयन के वास्तविक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए पुनरुद्धार किए गए सिंचित क्षेत्र के निष्पादन संकेतक को एम. पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पुनर्गठन अभिलेख में सम्मिलित किया गया था।

नीचे चर्चा किए गए निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मुद्दे अवलोकित किए गए:

2.2.10.1 राज्य जल दर/अधिकार नियामक आयोग का गठन

परियोजना मूल्य निर्धारण दस्तावेज (पी.ए.डी.) के अनुसार जल क्षेत्र लागत का परिवीक्षण एवं समीक्षा करने तथा युक्तियुक्त एवं थोक जल उपयोगकर्ता फीस हेतु दिसम्बर 2005 तक यथा एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के प्रारंभिक चरण में क्षेत्र संस्थानों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में समर्थ करने के लिए एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के घटक ए के अंतर्गत एक केन्द्रीकृत स्वायत्त एजेंसी राज्य जल दर/ अधिकार नियामक आयोग (स्वाट्रेक) की स्थापना किया जाना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विश्व बैंक ने "इन्स्टीट्यूशंस एवं इन्स्ट्रुमेंट्स" घटक के अंतर्गत धीमे जल क्षेत्र सुधारों के लिए बाध्यता विश्लेषण संचालित किया एवं प्रतिवेदित रूप से उल्लेख किया कि "इन्स्टीट्यूशंस एवं इन्स्ट्रुमेंट्स" को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया था एवं प्रस्तावित किया कि केन्द्रीकृत स्वायत्त एजेंसी स्वाट्रेक एवं राज्य जल संसाधन डाटा एवं विश्लेषण केन्द्र (स्वारडेक) के अधिदेश को एक संस्थान में समग्र अधिदेश के साथ विलय किया जाना था। यद्यपि, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की समाप्ति (जून 2015) के बाद भी दिसम्बर 2015 तक ऐसे नियामक प्राधिकरण की भूमिका पर चर्चा जारी थी। इस प्रकार, क्षेत्र संस्थानों को वित्तीय रूप से आत्म निर्भर बनाने हेतु समर्थ करने का उद्देश्य विफल हुआ था।

शासन ने बताया कि (नवम्बर 2016) कि विधायिका की सम्प्रभुता में यह घटक उल्लंघन पाया गया एवं इसलिए जब परियोजना का पुनर्गठन किया गया, विश्व बैंक ने परियोजना से इस घटक को छोड़ दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल लागत एवं राजस्व के निगरानी के लिए एक केन्द्रीकृत स्वायत्त एजेंसी को स्थापित किया जाना था, जो नहीं किया जा सका।

2.2.10.2 कार्यों का पक्षेतर पर्यवेक्षण

समस्त निर्माण कार्य, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण के माध्यम से चयनित एक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा पक्षेतर पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन होंगे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग को जुलाई 2005 तक एम. पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों के पक्षेतर पर्यवेक्षण/ तकनीकी परीक्षण के लिए एन.सी.बी. के माध्यम से सलाहकार सेवाओं का नियोजन करना था, जो नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने तथ्यों से सहमत होते हुए बताया (अक्टूबर 2016) कि विभाग ने कार्य के लिए किसी सलाहकार को काम में नहीं लगाया था एवं पर्यवेक्षण का कार्य विभागीय रूप से संचालित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.आई.पी. में स्वतंत्र गुणवत्ता पर्यवेक्षण/आश्वासन परिकल्पित था, जिसका पालन नहीं किया गया था।

2.2.10.3 कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण

ठेका अनुबंध (अध्याय-3) की शर्त 14 प्रावधानित करती है कि संबद्ध दूरियों में बिछाई कांक्रीट लाइनिंग की मोटाई, घनत्व, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए कोर टेस्ट⁶⁷ संचालित किया जाना अनिवार्य था। कोर को कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए भी टेस्ट किया जाना था। यदि कोर की औसत स्ट्रेंथ, क्यूब स्ट्रेंथ के कम से कम 85 प्रतिशत के तुल्य होती है तो कोर टेस्ट को स्वीकार्य समझा जाएगा। कांक्रीट लाइनिंग का अंतिम भुगतान, अभियंता को स्वीकार्य संतोषजनक कोर टेस्ट परिणामों के पश्चात किया जाएगा। आगे, शर्त 16 के अनुसार, चलित भुगतान स्वीकृत इकाई दर के 80 प्रतिशत तक किया जाना था एवं 100 प्रतिशत दर का अंतिम भुगतान, कोर के टेस्ट परिणामों को प्राप्त होने के पश्चात किया जाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआ:

कार्यों के कोर टेस्ट सुनिश्चित नहीं किए गए थे एवं ठेकेदारों को अदेय वित्तीय सहायता दी गई थी।

- आठ संभागों⁶⁸ के अंतर्गत 12 कार्यों के प्रकरण में संबंधित दूरियों में बिछाई गई कांक्रीट लाइनिंग की गुणवत्ता, घनत्व, मोटाई एवं कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य टेस्ट संचालित नहीं किए गए थे। यद्यपि, अनुबंधित दर के 80 प्रतिशत की दर से भुगतान करने के स्थान पर ठेकेदारों को सी.सी. लाइनिंग की पूर्ण दरों पर भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 20.47 करोड़ की अदेय वित्तीय सहायता हुई, जैसा कि परिशिष्ट 2.33 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इन कार्यों की गुणवत्ता की अभिपुष्टि नहीं हो सकी।

- पांच जल संसाधन संभागों⁶⁹ के नौ कार्यों के प्रकरण में, कार्यों के लिए सी.सी. लाइनिंग हेतु मिक्स डिजाइन तैयार किए गए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि क्यूब टेस्ट के कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के परिणाम एवं कोर टेस्ट के कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के परिणाम मिक्स डिजाइन की आवश्यक स्ट्रेंथ से मेल नहीं खाते थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा

⁶⁷ कोर टेस्ट पद का उपयोग, सी.सी. लाइनिंग के जांच के लिए, 28 दिनों के पश्चात लाइनिंग के कार्य के टुकड़ों को लेकर, लाइनिंग की मोटाई, घनत्व, स्ट्रेंथ एवं गुणवत्ता की जांच के लिए किया जाता है।

⁶⁸ बालाघाट, देवास, गोहद, रायसेन, राजगढ़, सबलगढ़, सतना एवं शाजापुर

⁶⁹ बालाघाट, गोहद, जौरा, सबलगढ़ एवं श्योपुर

में आगे प्रकट हुआ कि कोर टेस्ट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, क्यूब टेस्ट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से अधिक थी जो औसत तुल्य स्ट्रेंथ के प्रावधानों के विपरीत था एवं जो संभव नहीं था। इससे टेस्ट परिणामों की वैधता दूषित हुई। आगे, सी.सी. लाइनिंग की मद का ठेकेदारों को पूर्ण राशि का भुगतान किया गया था। टेस्ट परिणामों के मिक्स डिजाइन के अनुसार नहीं होने के कारण सी.सी. लाइनिंग की राशि का 20 प्रतिशत रोकने में संभागों की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 37.17 करोड़ (परिशिष्ट 2.34) की अदेय वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक टेस्ट के लिए विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। सी.सी. लाइनिंग कार्यों के लिए क्यूब टेस्ट एवं कोर टेस्ट, जब भी आवश्यक थे, विभागीय प्रयोगशालाओं में निष्पादित किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कोर टेस्ट को निष्पादित किए बिना एवं कोर टेस्ट के स्वीकार्य मापदण्डों को सुनिश्चित किए बिना सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग के विरुद्ध पूर्ण भुगतान की छूट के लिए कारण की व्याख्या नहीं करता है।

2.2.10.4 चंबल नहर प्रणाली में सिंचाई क्षमता को अधिक प्रतिवेदित करना

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. राज्य के छह नदी कछारों में सिंचाई परिसंपत्तियों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण करने हेतु उद्देश्यित था। तदनुसार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पुनर्गठन अभिलेख में पुनरुद्धार किए गए सिंचाई क्षेत्र के निष्पादन संकेतक सम्मिलित किए गए थे। प्रस्तावित रबी फसलों के लिए पानी की आवश्यकता को 170 हेक्टेयर प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.सी.एम.) प्राक्कलित किया गया था एवं भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में चंबल नहर प्रणाली की एस.एम.पी. में तदनुसार प्रावधानित किया गया था।

चंबल नहर प्रणाली के प्रकरण में सिंचाई क्षमता को अधिक प्रतिवेदित किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने पानी की उपलब्धता के आधार पर चंबल नहर प्रणाली की एस.एम.पी. में चिन्हित 2.73 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध सिंध कछार में 4.42 लाख हेक्टेयर के कमान को सृजित करने के लिए कार्यों को प्रतिवेदित किया। विभाग ने प्रतिवेदन के दौरान केवल नहर नेटवर्क के माध्यम से सिंचाई कवरेज के स्थान पर चंबल नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचित कमान क्षेत्र में समस्त स्रोतों से सिंचाई को सम्मिलित करते हुए सिंचाई उपलब्धि को विचारित किया। वर्षवार पानी की उपलब्धता⁷⁰, प्रतिवेदित सिंचाई, उपलब्ध पानी से मापदण्डों के अनुसार सिंचाई एवं अधिक प्रतिवेदन करना तालिका 2.2.14 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2.14 पानी की उपलब्धता एवं प्रतिवेदित सिंचाई के विवरण


वर्ष	पानी का कुल आपूर्ति (एम.सी.एम. में)	प्रतिवेदित की गई कुल सिंचाई (हेक्टेयर में)	उपलब्ध पानी के साथ मापदण्ड के अनुसार सिंचाई	सिंचाई का अधिक प्रतिवेदन किया जाना (हेक्टेयर)
2010-2011	451.46	1,12,534	76,748	35,786
2011-2012	1,045.97	2,58,161	1,77,815	80,346
2012-2013	1,080.72	2,96,047	1,83,722	1,12,325
2013-2014	883.47	3,08,453	1,50,190	1,58,263
2014-2015	1,073.91	3,23,784	1,82,565	1,41,219
2015-2016	1,334.36	3,65,327	2,26,841	1,38,486

(स्रोत : जल संसाधन संभागों के अभिलेख)

⁷⁰ पार्वती एक्वाडक्ट, जो राज्य में चंबल नहर प्रणाली में जल की आपूर्ति करता है, पर जल की उपलब्धता।

जैसा कि तालिका 2.2.14 में इंगित किया गया है, चंबल नहर प्रणाली में 2010-16 के दौरान उपलब्ध पानी से सिंचाई क्षेत्र (आई.ए.) का अधिक प्रतिवेदन 35786 हेक्टेयर से 1,58,263 हेक्टेयर तक था। यद्यपि वर्ष 2013-14 में विभाग ने आई.ए. का 105 प्रतिशत अधिक प्रतिवेदन किया था जबकि विभाग ने जैसा कि कंडिका 2.2.7.3 में उल्लेख किया गया है पानी के उपयोग को इष्टतम करने के लिए माइक्रो डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के कार्यों को क्रियान्वित नहीं किया था। संभावित सिंचाई, चंबल नहर प्रणाली से प्रतिवेदित सिंचाई एवं चंबल नहर प्रणाली से सिंचाई किए जा रहे भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में मंडी आवक का विवरण चार्ट 2.2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.2.3



उपरोक्त चार्ट इंगित करता है कि उपलब्ध पानी से संभव सिंचाई का रेखा प्रतिरूप, मंडी आवकों के रेखा प्रतिरूप के समरूप था। इसप्रकार, मंडी आवक, उपलब्ध पानी से मेल खाते थे न कि प्रतिवेदित सिंचाई के साथ। इससे इंगित हुआ कि विभाग ने सिंचाई उपलब्धियों को प्रतिवेदित करते समय अन्य स्रोतों (ट्यूब वेल, कुएं, नदी से साइफनिंग इत्यादि) से सिंचित क्षेत्र को हिसाब में लिया था। इसके परिणामस्वरूप विभाग ने सिंचित क्षेत्र का निष्पादन संकेतक नहीं परखा एवं चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन का वास्तविक प्रभाव मापने में विफल रहा।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि पानी की आवश्यकता फसल प्रतिरूप पर निर्भर करती है। क्षेत्र में अधिकतर फसल प्रतिरूप तिलहन एवं सरसों के उत्पादन का था, जिसके लिए पानी की आवश्यकता गेहूं से कम थी। इसलिए कमान क्षेत्र में उपलब्धि ठीक थी। प्रणाली की एस.एम.पी. 170 हेक्टेयर प्रति एम.सी.एम. के अनुभव सिद्ध नियम पर आधारित थी, जो सही नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चंबल नहर प्रणाली के क्षेत्र में गेहूं मुख्य रबी फसल थी एवं चंबल नहर प्रणाली में फसल पद्धति के साथ साथ फसल विविधीकरण में कोई बदलाव अवलोकित नहीं किया गया था। रबी की 170 हेक्टेयर प्रति एम.सी.एम. पानी की आवश्यकता को विचारित करते हुए एस.एम.पी. तैयार की गई थी जो कि प्रमुख अभियंता द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित था। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत वास्तविक सृजित सिंचाई क्षमता की गणना एस.एम.पी. में अपनाए गए समान आधार पर की जानी चाहिए थी ताकि योजना के प्रभाव को ठीक ढंग से मापा जाए।

2.2.10.5 एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन पर अपर्याप्त निगरानी

पी.ए.डी. के अनुसार, दिन प्रतिदिन परियोजना क्रियान्वयन, समन्वय का कार्य पाइकू के अधीन था जिसे परियोजना समन्वय, क्रय प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रतिवेदन तथा निगरानी और मूल्यांकन करना होगा। परियोजना में परिकल्पित पर्याप्त गुणवत्ता

नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना के तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय पहलूओं से पाइकू को अवगत होना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि योजनाओं के चयन में पाइकू द्वारा सुदृढ़ आयोजना के अभाव एवं विलंबित क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र से अत्यधिक सिंचाई योजनाओं को छोड़ा गया। विभाग ने एक और वैनगंगा कछार को मार्च 2008 में इस परियोजना में जोड़ा। यद्यपि वैनगंगा योजना की एस.एम.पी. विश्व बैंक को मार्च 2013 में यथा एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की प्रारंभिक पूर्ण करने की तिथि (मार्च 2011) के दो वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, प्राक्कलन, निविदाकरण में विसंगतियां एवं टेका शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त/अधिक भुगतान/अदेय लाभ/अस्वीकार्य भुगतान इत्यादि अवलोकित किए गए थे। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. सिंचाई परिसंपत्तियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लाइन विभागों के साथ अपर्याप्त एकीकरण के कारण सारभूत फसल विविधीकरण को नहीं दर्शा सका जिसके चलते परियोजना का समग्र उद्देश्य एवं निष्पादन प्रभावित हुआ। इससे पाइकू के स्तर पर कार्यों के क्रियान्वयन में आंतरिक नियंत्रण में कमी एवं अपर्याप्त परीक्षण इंगित हुआ।

2.2.11 निष्कर्ष

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. को जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) द्वारा विश्व बैंक की सहायता से छह कछारों में सिंचाई परिसंपत्तियों के पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण तथा लाइन विभागों द्वारा विभिन्न गतिविधियों को आरंभ करने हेतु प्रारंभ किया गया था। आयोजना में बार-बार होने वाले परिवर्तनों के कारण, परियोजना अवधि 2004-15 के दौरान ₹ 2,498 करोड़ का व्यय करने के बाद भी परियोजना के कार्यान्वयन में उद्देश्यित सभी नदी कछारों में वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाओं के पुनरुद्धार के माध्यम से संतुलित एवं संधारणीय विकास के लक्ष्य को नहीं पाया जा सका।

परियोजना, इन पांच नदी कछारों की 6.18 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र की 654 विद्यमान सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण करने हेतु उद्देश्यित थी। परियोजना के धीमे निष्पादन के परिणामस्वरूप, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र को जून 2012 में पुनर्गठित किया गया एवं इसके कार्यक्षेत्र से 362 सिंचाई योजनाओं को छोड़ दिया गया। जल संसाधन विभाग शेष 292 योजनाओं में से परियोजना के अंत तक 228 सिंचाई योजनाओं को पुनरुद्धार कर सका।

विभाग ने 2012-14 के दौरान एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कुल व्यय का 24 प्रतिशत चंबल नहर प्रणाली के क्रियान्वयन पर व्यय किया। अत्यधिक बल दिए जाने के कारण सिंचाई योजनाओं में कछार वार असंतुलन हुआ एवं इसके साथ आधुनिकीकरण आयोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण परियोजना से 362 लघु योजनाओं का अपवर्जन हुआ। सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग, जो कि क्रियान्वयन के लिए आसान थी, 2012-14 के दौरान चंबल नहर प्रणाली पर होने वाले व्यय का 94 प्रतिशत भाग थी। इसके कारण छोड़ी गई योजनाओं के परिकल्पित हितग्राहियों के कृषि स्तर की आर्थिकी पर भी प्रभाव पड़ा।

परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) में लाईन विभागों के लिए ₹ 144.61 करोड़ के प्राक्कलित प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 115.04 करोड़ था। यद्यपि, लाईन विभागों के कमजोर एकीकरण, कृषकों को सतत जल प्रदाय के अभाव एवं जल उपभोक्ता संस्थाओं को प्रशिक्षण की अपर्याप्तता ने फसल विविधता को प्रभावित किया।

कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र की उपलब्धि में वृद्धि के अनुरूप नहीं था। पी.आई.पी. में कृषि सघनीकरण के लिए चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र के प्रभाव को एक संकेतक के रूप में लिया गया था।

लेखापरीक्षा संविधा में पता चला कि 2011-12 की तुलना में 2014-15 के दौरान चने एवं अरहर के बुआई क्षेत्र में क्रमशः 20 एवं 35 प्रतिशत की कमी हुई थी। आगे, सरसों का बुआई क्षेत्र 2012-13 की तुलना में 2014-15 में 19 प्रतिशत से कम हुआ था। फलों, सब्जियों एवं मसालों के पौधारोपण का क्षेत्रफल, पी.आई.पी में परिकल्पित सिंचित क्षेत्रफल के 21 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध, 2.90 प्रतिशत से 7.31 प्रतिशत तक कम रहा एवं यह नौ प्रतिशत के राज्य औसत से भी कम था।

तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय मुख्य अभियंता द्वारा एन.सी.बी. के संलग्न विशिष्टियों के प्रावधान अनदेखे किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग एवं नहरों की सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के कार्यों में ₹ 65.18 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त कार्यों का गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त था।

कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अनुबंधों के प्रावधानों का अनुसरण सुनिश्चित नहीं किया गया इसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त सुरक्षा जमा, क्षतिपूरक वसूलियों, रायल्टी प्रभारों एवं कार्यों के बीमा कवरेज पर ठेकेदारों को ₹ 68.74 करोड़ के अदेय वित्तीय लाभ हुए थे।

दरों की अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था, यथा गिट्टी की त्रुटिपूर्ण लीड, मिट्टी भराई की त्रुटिपूर्ण दर एवं ब्लास्टिंग की अस्वीकार्य मद को सम्मिलित किया जाना तथा श्रीकेज एलाउन्स पर अधिक भुगतान के कारण ₹ 24.02 करोड़ की अतिरिक्त लागत के दृष्टांत अवलोकित किए गए थे।

परियोजना का गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी अपर्याप्त था जैसा कि कार्यों के कोर परीक्षण सुनिश्चित नहीं करने, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के निम्न विशिष्टि कार्य क्रियान्वित करने से ठेकेदारों को अदेय लाभ को अवलोकित किया गया था।

2.2.12 अनुशंसाएं

शासन को प्रतिबद्धता प्रभारों की देयता का टालने के लिए उपलब्ध ऋण के समय पर उपयोग के लिए ठोस आयोजना एवं समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया बनाना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।

शासन को योजना के कवरेज में चूक एवं निष्पादन में विलंब से बचने के लिए परियोजना के दौरान योजनाओं के चयन एवं निधियों के वितरण में मूर्त मानदण्ड को अपनाना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।

विभाग को अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा पानी के इष्टतम उपयोग के लिए मुख्य नहर के आधुनिकीकरण कार्य के साथ साथ माइक्रो वितरण नेटवर्क के क्रियान्वयन के लिए एस.एम.पी. के प्रावधानों का कड़ा अनुसरण सुनिश्चित करना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।

शासन को अपने हित की सुरक्षा के लिए चूककर्ता ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत/अधिक भुगतान, विलंब के लिए शास्ति, अतिरिक्त सुरक्षा निधि की कटौती एवं कार्यों के बीमा कवरेज की वसूली करने के लिए आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ कर ठेका प्रबंधन के पूर्णतः अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।

शासन को स्थापित विशिष्टियों के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के पक्षेतर पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए समुचित व्यवस्था बनाने हेतु विचार करना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।

तीसरा अध्याय

अनुपालन लेखापरीक्षाएं

- 3.1 सड़क कार्यों के प्राक्कलनों की तैयारी पर लेखापरीक्षा
- 3.2 फसल बीमा योजना पर लेखापरीक्षा
- 3.3 लेखापरीक्षा के अनुपालन की कंडिकाएं

तीसरा अध्याय

अनुपालन लेखापरीक्षाएं

लोक निर्माण विभाग

3.1 सड़क कार्यों के प्राक्कलनों की तैयारी पर लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

लोक निर्माण विभाग सड़कों, शासकीय भवनों और अधौसंरचना विकास के योजनाकरण, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख एजेंसी है। 2013-16 की अवधि के दौरान, नई सड़कों के निर्माण/वर्तमान सड़कों के उन्नयन तथा सुदृढीकरण पर ₹ 4,559.47 करोड़ का व्यय किया गया था।

2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए "सड़क निर्माण कार्यों के प्राक्कलनों की तैयारी" पर लेखा परीक्षा में प्रकट हुआ कि अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलन तैयार किए गए, जिसके परिणामस्वरूप क्रियान्वयन के समय प्राक्कलनों से व्यापक विचलन हुए, आवश्यकता का पता लगाये बिना महंगे मद अपनाए गए, विलंबित पूर्णता के साथ अधूरी सड़कों पर निष्फल व्यय भी हुआ। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

सड़क निर्माण कार्यों के प्राक्कलनों की तैयारी के लिए पूर्व अपेक्षित गतिविधियाँ, जैसे कि व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान नहीं किये गये थे। 103 सड़क कार्यों के लेवल्स लेने में विफलता और 93 सड़क कार्यों में त्रुटिपूर्ण लेवल्स विचार में लेने के कारण प्राक्कलनों में मिट्टीकार्य की मात्रा के सही ढंग से प्रावधान नहीं किए गए थे, परिणामस्वरूप 68 सड़क कार्यों में ₹ 25.71 करोड़ (10 प्रतिशत से अधिक) के परिवर्तन हुए।

(कंडिकाएं 3.1.2.1 और 3.1.2.2)

वन और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्राक्कलन में पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए बिना सड़क कार्य सौंपे गये थे। जिसके परिणामस्वरूप 196 नमूना जांच किये गये सड़क कार्यों में से 26 सड़क कार्यों में दो महीने से छह वर्ष तक का विलंब हुआ, जिनमें 15 सड़क कार्य शामिल हैं जिन पर ₹ 66.86 करोड़ का व्यय किया गया था किन्तु 21 से 68 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अधूरे पड़े थे।

(कंडिका 3.1.2.4)

10 प्राक्कलनों में उपयोगिताओं के स्थानांतरण की लागत का प्रावधान संबंधित विभागों से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना कल्पना के आधार पर किया गया था परिणामस्वरूप सड़कों के निर्माण में 11 माह से 27 माह के विलंब के अलावा सड़क की लागत में ₹ 7.14 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 3.1.2.5)

13 प्राक्कलनों में, सड़क की क्रस्ट के लिए यातायात डिजाइन की गलत तरीके से गणना के परिणामस्वरूप 10 प्राक्कलनों में अवमानक विशिष्टियाँ अपनायी गई एवं तीन प्राक्कलनों में महंगी विशिष्टियों के कारण ₹ 2.98 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत हुई। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 20 प्राक्कलनों में यद्यपि डिजाइन यातायात सही ढंग से संगणित किए गए थे, लेकिन विभाग के गलती से महंगी विशिष्टियाँ अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 21.30 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई।

(कंडिका 3.1.3.1)

क्रास ड्रेनेज (96 प्राक्कलनों में) और सड़क की लंबाई (30 प्राक्कलनों में) के प्रावधान, सर्वेक्षण और अनुसंधान के बिना किए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप 94 प्राक्कलनों

में बड़े विचलन देखे गए थे जिससे ₹ 32.56 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था। इसी तरह, प्राक्कलनों के विनिर्दिष्ट छह सड़कों में सड़क की लंबाई में तीन किलोमीटर तक की वृद्धि हुई और 24 सड़कों के कार्य में 10.5 किलोमीटर तक की कमी आई थी।

(कंडिकाएं 3.1.4.1 और 3.1.4.2)

3.1.1 परिचय

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) सड़कों, शासकीय भवनों, और अधौसंरचना विकास की आयोजना, डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव में संलग्न मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख एजेंसी है। वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों के निर्माण/ वर्तमान सड़कों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण पर ₹ 4,559.47 करोड़ तथा सड़क की वार्षिक मरम्मत कार्य पर ₹ 1,740.39 करोड़ व्यय किए गए थे।


सड़क निर्माण में गुणवत्ता और स्वीकृत लागत के भीतर उनको समय पर पूरा करने के अलावा योजनाकरण और उपलब्ध संसाधनों का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सड़क परियोजनाओं के सटीक और यथार्थवादी प्राक्कलनों की तैयारी पूर्व अपेक्षित है। मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों के यथोचित होने का आकलन करने के लिए भी प्राक्कलन एक आधार प्रदान करते हैं।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग मैनुअल की कण्डिका 2.006, के अनुसार हर कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए ठीक से विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना चाहिए। यह स्वीकृति "प्राक्कलनों के लिए तकनीकी स्वीकृति" के रूप में जानी जाती है जिसे कार्य आरंभ करने से पूर्व प्राप्त किया जाना चाहिए। निर्माण विभाग मैनुअल की कण्डिका 2.028 आगे निर्धारित करती है कि प्राक्कलन के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी, ड्राइंग के संदर्भ में सभी आवश्यक मदों को प्राक्कलन में शामिल किए जाने और डिज़ाइन की सुदृढ़ता के लिए उत्तरदायी है। शासन द्वारा तकनीकी स्वीकृति के अनुसार परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। सड़क निर्माण कार्यों में विभाग नवीनतम भारतीय रोड कांग्रेस संहिताओं (आईआरसीकोड) का अनुसरण करता है।

सड़क संरचना का संयोजन

सड़क संरचना का "क्रॉस सेक्शन" विभिन्न घटकों से बना है, नामशः सब-ग्रेड, सब-बेस, जल निकासी परत (ड्रेनेज लेयर), बेस-कोर्स, सतह और शोल्डर्स आदि इनसे कार्य की मात्रा एवं लागत का मूल्यांकन किया जाता है। चित्र 3.1 बिटुमिनस सड़क के एक क्रॉस सेक्शन की विभिन्न परतों को इंगित करता है:

चित्र 3.1: बिटुमिनस सड़क का क्रॉस सेक्शन



सब-ग्रेड—यह प्राकृतिक भूमि की मिट्टी है जो मिट्टीकार्य के पूरा होने के बाद अपना अंतिम आकार लेती है जिस पर पूरी सड़क संरचना टिकी होती है।

ड्रेनेज लेयर—भूमिगत जल के निकास के लिए सम्पूर्ण निर्माण की चौड़ाई में सबग्रेड के ऊपर दानेदार सामग्री की एक परत।

सब-बेस—तैयार सब-ग्रेड पर अच्छी तरह से वर्गीकृत सामग्री बिछाकर संहतिकरण करने से सब-बेस बनती है।

बेस—सब-ग्रेड/सब-बेस पर बारीक संहतिकृत सामग्री से बना निर्माण (दानेदार बेस और बिटुमिनस बेस) है; उस पर ड्राइविंग सतह डाली जाती है।

सतह—सड़क की ऊपरी परत जिस पर यातायात चलता है।

शोल्डर— सड़क (कैरिज वे)के किनारे के बिल्कुल पास जिस पर कभी कभी क्रासिंग के समय यातायात गुजर सकता है।

3.1.1.1 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2013-14 से 2015-16 के दौरान निष्पादित नई सड़कों, प्रगतिरत एवं पूर्ण सड़कों के सुदृढीकरण और उन्नयन कार्यों के प्राक्कलनों की नवंबर 2015 से जून 2016 के दौरान लेखा परीक्षा में जांच की गई थी। लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाने के लिए था कि क्या प्राक्कलनों की तैयारी करने के पूर्व अपेक्षित गतिविधियाँ पर्याप्त रूप से की गई थीं; क्या विस्तृत प्राक्कलन विभागीय मैनुअल में निहित प्रावधानों, आईआरसी विनिर्देशों और तकनीकी परिपत्रों के आधार पर तैयार किये गये थे; और क्या सड़क कार्य प्राक्कलनों में किए गए प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित किये गये थे।

57 लो.नि.वि. संभागों में से 12 संभागों¹ का स्तरीकृत सरल यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर चयन किया गया था। नमूना जाँच किए गए संभागों ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान ₹ 1,699.25 करोड़ मूल्य के 391 सड़क कार्य निष्पादित किए थे, जिसमें से ₹ 1,250.74 करोड़ मूल्य के 196 प्राक्कलनों (50 प्रतिशत) का संवीक्षा हेतु चयन किया गया था (परिशिष्ट 3.1)। इसमें एक किलोमीटर (लागत ₹ 38.69 लाख) से लेकर 57.84 किलोमीटर (लागत ₹ 41.77 करोड़) के सड़क कार्य सम्मिलित थे।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश के साथ 17 फरवरी 2016 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड और कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श किया गया था। प्रारूप प्रतिवेदन अगस्त 2016 में विभाग को जारी किया गया था। 03 नवंबर 2016 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में भी लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के साथ चर्चा की गई थी। निर्गम सम्मेलन के दौरान व्यक्त विचारों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.2 प्राक्कलनों की तैयारी से पहले पूर्व अपेक्षित गतिविधियाँ

3.1.2.1 विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के बिना प्राक्कलन के तैयारी

आईआरसी-19 के विनिर्देशों में पूर्व अपेक्षित गतिविधियाँ अर्थात् व्यवहार्यता/साध्यता अध्ययन और विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के दो चरणों में निर्धारित की गई हैं। ये पूर्व अपेक्षित गतिविधियों में बेंच मार्क लगाना, 50-100 मीटर के अंतराल पर ग्राउण्ड लेवल लेना, यातायात सर्वेक्षण, पटरी का डिज़ाइन, संबंधित प्राधिकारियों से हाइड्रोलॉजिकल, भौतिक और बुनियादी डेटा का संग्रहण, स्थानीय जांच और आसपास

व्यवहार्यता/साध्यता अध्ययन और विस्तृत सर्वेक्षण और जांच के बिना प्राक्कलन तैयार किये गये थे।

¹ अशोक नगर, बालाघाट, दमोह, गुना, इंदौर एक, मंडला, नीमच, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, और विदिशा

के क्षेत्र की एक ही प्रवाह पर सड़क संरचनाओं का अध्ययन, मिट्टी और सामग्री सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण की मात्रा की पहचान करना शामिल हैं।

अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान, विभाग व्यवहार्यता/साध्यता अध्ययन और विस्तृत सर्वेक्षण और सड़क निर्माण कार्य के प्राक्कलन से संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं प्रदान कर सका, यद्यपि उनके परिणामों का कुछ प्राक्कलनों में उपयोग किया गया था। संबंधित प्रतिवेदनों के अभाव में वास्तविक रूप से किये गए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं किए जा सके।

29 प्राक्कलनों में यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया था और क्रस्ट भी डिजाइन नहीं की गयी थी जैसा **परिशिष्ट 3.1** में दिखाया गया है। शेष 167 सड़क कार्यों में यातायात सर्वेक्षण के स्थान का यातायात जनगणना में उल्लेख नहीं किया गया था, यद्यपि, आईआरसी-19 के तहत प्रोफार्मा में इसकी आवश्यकता है। अभिलेखों की आगे जांच से पता चला है कि चार संभागों (दमोह, गुना, सागर और विदिशा) ने पांच सड़कों के यातायात सर्वेक्षण और डिजाइन गणना शीट का उपयोग 11 सड़क कार्यों में किया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा (नवंबर 2016) कि सर्वेक्षण और अनुसंधान वर्तमान सड़कों/उन्नयन में नहीं किया गया है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं था। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि यह नई सड़क निर्माण कार्य में किया जाना चाहिए लेकिन यह सड़कों की कम लंबाई के कारण नहीं किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आईआरसी विनिर्देशों में नए निर्माण के साथ साथ वर्तमान सड़कों के उन्नयन के मामले में सर्वेक्षण और अनुसंधान कराना निर्धारित है। इसके अलावा, कम लंबाई की सड़कों के लिए वहाँ कोई छूट नहीं थी, साथ ही नमूना जाँच की गई नई सड़कें 1.5 किमी और 31.9 किमी के बीच थीं जिनको कम लंबाई की सड़क के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

प्राक्कलनों की तैयारी से पहले आवश्यक पूर्व अपेक्षित गतिविधियों का संचालन करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप वास्तविक क्रियान्वयन के समय प्राक्कलनों से बड़े विचलन हुए, आवश्यकता का पता लगाये बिना, महंगे मद अपनाई गई एवं विलंबित पूर्णता के साथ अधूरी सड़कों पर निष्फल व्यय भी हुआ जैसा कि अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

3.1.2.2 प्राक्कलन में मिट्टी के कार्य का प्रावधान

आईआरसी -19 की कण्डिका 12.3.1 में निर्धारित करती है कि बेंच-मार्क दो किमी के अंतराल पर और अस्थायी बेंच मार्क 250 मीटर के अंतराल पर स्थापित किये जाने चाहिए। इसके अलावा, आईआरसी-19 की कण्डिका 12.4.2 के अनुसार, लेवल्स अंतिम केन्द्रीय रेखा (फ़ायनल सेन्ट्रल लाइन) के साथ लिये जाने चाहिए। यह लेवल मिट्टीकार्य की मात्रा की गणना में सहायता करता है।


अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि बेंच मार्क स्थापित नहीं किए गए थे और 196 कार्यों में से 103 कार्यों में मिट्टी कार्य की मात्रा का आकलन करने के लिए लेवल भी नहीं लिए गये थे (**परिशिष्ट 3.1**)। इन प्राक्कलनों में 200 मिमी से 600 मिमी की औसत मोटाई लेकर मिट्टीकार्य की मात्रा की गणना की गई थी। शेष 93 प्राक्कलनों में लेवल्स का उल्लेख है, तथापि, लेवल्स का पता लगाने के समर्थन में सर्वेक्षण के रिकॉर्ड संभागों में उपलब्ध नहीं थे।

लेवल्स लेने में विफलता के साथ-साथ गलत लेवल्स माप करने के कारण, मिट्टी कार्य की मात्रा की गणना का मूल प्राक्कलन में सही ढंग से प्रावधान नहीं किया गया था। 68 मामलों में उत्खनन और तटबंध कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान अनुमानित मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक के परिवर्तन (वृद्धि या कमी) राशि ₹ 25.71 करोड़ में देखे गये थे जैसा **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया है। इनमें से 29 प्राक्कलनों में कथित तौर पर लेवल्स

लेवल लेने में विफलता के कारण मिट्टी कार्यों के 68 प्राक्कलनों में अनुमानित मात्रा से ₹ 25.71 करोड़ राशि के 10 प्रतिशत से अधिक के परिवर्तन देखे गये।

लेना बताया गया जबकि 39 प्राक्कलन लेवल्स लिए बिना तैयार किये गये थे। इसके अलावा, 68 प्रकरणों में से 23 में ₹ 16.86 करोड़ की राशि के व्यापक परिवर्तन (50 प्रतिशत से अधिक) थे। प्राक्कलनों की तुलना में तटबंध में मिट्टीकार्य/खुदाई की मात्राओं में 14 प्रतिशत से लेकर 877 प्रतिशत की भिन्नता थी जैसा चार्ट 3.1.1 में दिखाया गया है।

चार्ट 3.1.1: क्रियान्वयन के दौरान मूल प्राक्कलन से मिट्टीकार्य की मात्रा में भिन्नता की श्रेणी



निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा (नवंबर 2016) कि मिट्टीकार्य की मात्रा भिन्न हो सकती है यहां तक कि उन मामलों में जहां लेवल्स लिए गये हैं। मिट्टीकार्य की मात्रा में भिन्नता को विद्यमान सड़कों में टाला नहीं जा सकता है, हालांकि, नई सड़क के निर्माण कार्य में मिट्टीकार्य की मात्रा में व्यापक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि मात्रा में परिवर्तन के कारणों को पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के समय अंकित किया जाना चाहिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 103 सड़क कार्यों में मिट्टीकार्य की मात्रा का आंकलन करने के लिए लेवल्स नहीं लिए गए थे। इसके अतिरिक्त शेष 93 सड़कों में सड़क के लेवल्स लेने के लिए सर्वेक्षण किए जाने का कोई साक्ष्य समर्थन में नहीं थे। इसके अलावा, 68 सड़कों में से 39 सड़कें नई सड़कें थीं जिनमें मिट्टीकार्य की मात्रा में 14 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक भिन्नता हुई।

3.1.2.3 दानेदार बेस कोर्स के महंगे मद को अपनाना

सड़क और पुल निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों और मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची, वाटर बाउण्ड मेकेडम (डब्ल्यूबीएम)² और वेट मिक्स मेकेडम (डब्ल्यूएमएम)³, दो प्रकार के बेस कोर्स की मदों की व्यवस्था करते हैं, जिनमें से डब्ल्यूएमएम महंगी मद है। प्रमुख अभियंता ने मुख्य जिला सड़कों (एमडीआर)⁴ के निर्माण/उन्नयन पर डब्ल्यूबीएम के स्थान पर डब्ल्यूएमएम का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया था (दिसंबर 2010)। इसके

² डब्ल्यूबीएम सब-बेस, बेस और सतह कोर्स के निर्माण के लिए अपनायी जाती है, जो कोर्स एग्रीगेट्स और रिक्तियों को भरने के लिए स्क्रिनिंग सामग्री से बनती है।

³ डब्ल्यूएमएम कार्य तैयार सब-ग्रेड/सब-बेस पर बिछाने के लिए, पानी के साथ पूर्वमिश्रित साफ ग्रेडेड एग्रीगेट्स और दानेदार सामग्री मिलाकर संहतिकृत कर एक घने पिण्ड से बनेगी।

⁴ ये एक जिले के भीतर उत्पादन और बाजार के क्षेत्रों में सेवारत और एक दूसरे के साथ या मुख्य राजमार्गों के साथ इनको जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें हैं।

अलावा, राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत डब्ल्यूबीएम के उपयोग के साथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा था।

प्रमुख अभियंता की अपेक्षित निर्देशों के बिना डब्ल्यूबीएम के स्थान पर डब्ल्यूएमएम के महंगे आइटम के प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 10.12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत हुई।

लेखा परीक्षा जांच में पता चला है कि 12 संभागों की ग्रामीण सड़कों के 81 प्राक्कलनों में डब्ल्यूएमएम के महंगे मद का प्रावधान किया गया था और तदनुसार कार्य निष्पादित किया गया था। डब्ल्यूबीएम के स्थान पर डब्ल्यूएमएम के महंगे मद के प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 10.12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत हुई जैसा **परिशिष्ट 3.3** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

इसके अलावा, सड़क और पुल निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विनिर्देशों की कण्डिका 406 और मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार, डब्ल्यूएमएम उपयुक्त क्षमता के अनुमोदित मिक्सिंग प्लांट में तैयार की जाएगी जिसमें नियंत्रित रूप से पानी मिलाने और ताकत के साथ/सकारात्मक मिश्रण की व्यवस्था हो। अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि संबंधित संभागों ने इन 81 सड़क कार्यों में उपयोग करने के लिए किसी भी मिक्सिंग प्लांट का अनुमोदन नहीं किया था। इस प्रकार डब्ल्यूएमएम, मिक्सिंग प्लांट के उपयोग को सुनिश्चित किए बिना कार्य निष्पादित किया गया जो संहितीय प्रावधानों के उल्लंघन में था। इसके अलावा, इसने बेहतर गुणवत्ता वाले कार्य के लिए महंगे मद डब्ल्यूएमएम, के उपयोग के उद्देश्य को भी परास्त किया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा (नवंबर 2016) है कि ग्रामीण सड़कों में डब्ल्यूबीएम के स्थान पर डब्ल्यूएमएम के उपयोग के लिए आदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि डब्ल्यूएमएम मिक्सिंग प्लांट के माध्यम से डब्ल्यूएमएम निष्पादित किया जा रहा था और कोई साक्ष्य आवश्यक नहीं था क्योंकि मद के नामकरण में मिक्सिंग प्लांट द्वारा डब्ल्यूएमएम का क्रियान्वयन शामिल है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूएमएम की मद प्रमुख अभियंता के अपेक्षित निर्देशों के बिना ग्रामीण सड़कों पर निष्पादित की गयी थी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी ग्रामीण सड़कों का निर्माण डब्ल्यूबीएम के साथ किया गया था। इसके अलावा, मिक्सिंग प्लांट के उपयोग के साक्ष्य को प्रभारी-यंत्री द्वारा डब्ल्यूएमएम मिक्सिंग प्लांट के लिए अनुमोदन के रूप में विभाग द्वारा रखा जाना आवश्यक था जैसा कि दर अनुसूची और सड़क और पुल निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विनिर्देशों की कण्डिका 406 में निर्धारित किया गया है।

3.1.2.4 वन भूमि और प्राक्कलन में निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान

वन एवं निजी भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण से 26 सड़क निर्माण कार्य दो महीने से 79 महीने तक विलंबित हुए। इसके अलावा निजी भूमि के अधिग्रहण और वन भूमि के लिए निपटान में ₹ 9.16 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था जिसका प्राक्कलन में प्रावधान नहीं किया गया था।

एमपीडब्ल्यूडी मैनुअल के परिशिष्ट 1.25 (vi) के अनुसार कार्यपालन यंत्री का यह कर्तव्य है कि कार्य, खदानों के लिए भूमि की आवश्यकता को संगणित कर कार्यों के आरंभ करने के लिए निर्धारित की गई लक्षित दिनांक से पहले भूमि अधिग्रहण/भूमि हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करे। इसके अलावा, आईआरसी-19 की कण्डिका 17.3.2 के अनुसार कार्य के सामान्य सार में भी भूमि और क्षतिपूरक वनीकरण की लागत को शामिल करना चाहिए।

लेखा परीक्षा जांच में पता चला है कि 10 संभागों में 27 प्राक्कलनों (**परिशिष्ट 3.4**) की तैयारी के समय पर सड़क के रास्ते में वन भूमि और निजी भूमि के अस्तित्व को विचार में नहीं लिया गया था। कार्य भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सौंपे गये थे। विभाग द्वारा वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की शुरुआत विलंब से की थी। परिणामतः, केवल एक ही सड़क का कार्य समय पर पूरा किया गया था, 11 सड़क निर्माण कार्य 2 महीने से लेकर 79 महीने के

विलंब से पूर्ण किये गये थे। इसके अलावा, 15 सड़क कार्य जिन पर ₹ 66.86 करोड़ पहले ही व्यय कर दिये गये थे, वन स्वीकृति प्राप्त करने और भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण 21 महीने से लेकर 68 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी अधूरे पड़े थे (जून 2016)। इन 27 मामलों में से पांच कार्यों में निजी भूमि के अधिग्रहण और वन भूमि के लिए निपटान में ₹ 9.16 करोड़ की राशि व्यय की गयी थी जिसका प्राक्कलनों में प्रावधान नहीं किया गया था। उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

- रीवा जिले की रीवा सिरमौर सड़क से गारगिन टोला-तिवारियान टोला से राजगढ़ सड़क का निर्माण नए संरेखण (एलाइन्मेंट) पर ₹ 4.95 करोड़ की अनुमानित लागत से अक्टूबर 2013 कार्य पूर्ण करने की शर्त के साथ सौंपा गया था (फरवरी 2013)। प्राक्कलन में 1.8 हेक्टेयर (हे.) भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹ 10.56 लाख का संभावित आधार पर प्रावधान किया गया था। क्रियान्वयन के दौरान विभाग ने देखा कि वास्तविक भूमि की आवश्यकता 2.726 हेक्टेयर थी जिसके लिए राजस्व विभाग ने ₹ 81.03 लाख की मांग की थी।

विभाग ने भूमि के अधिग्रहण के लिए दो किस्तों (अगस्त 2015 और मार्च 2016) में ₹ 81.03 लाख की राशि जमा की थी। विभाग को भूमि का स्थानांतरण नहीं किया गया था (मार्च 2016)। इस बीच, कार्यपालन यंत्री ने सूचित किया कि ठेकेदार कार्य जारी रखने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। मुख्य अभियंता ने अधूरे कार्य को बंद (फोरक्लोज़) कर दिया (जनवरी 2016)।



निजी भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण रीवा जिले की रीवा सिरमौर सड़क से गारगिन टोला एवं राजगढ़ रोड के किमी 6/6 और का 6/4 पर अपूर्ण खण्ड का दिसंबर 2016 का दृश्य

अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पता चला कि सड़क के कार्य में विलंब का कारण, 150 मीटर से लेकर 1,260 मीटर के चार खंडों⁵ में निहित 1,768 मीटर की सड़क की लंबाई के लिए समय पर भूमि के अधिग्रहण में विभाग की विफलता थी। चूंकि ये सड़कें अंतिम छोर तक पूर्ण नहीं हो रही थीं और वे सड़क के विभिन्न खण्डों के बीच पड़ रही थीं; ग्रामीणों के लिए पहुँच प्रदान करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा था। इस प्रकार, प्राक्कलन में भूमि अधिग्रहण के लिए संभावित आधार पर प्रावधान के कारण सड़क के निर्माण में ₹ 2.68 करोड़ के व्यय के बाद भी 25 माह से अधिक का विलंब हुआ।

⁵ चैनेज 1,768 मीटर पर सड़क का कार्य (चैनेज 825 मीटर से 975 मीटर = चैनेज 150 मीटर, चैनेज 1,325 मीटर से चैनेज 1,475 मीटर = चैनेज 150 मीटर, चैनेज 5,200 मीटर से चैनेज 6,460 मीटर = चैनेज 1,260 मीटर एवं चैनेज 9,142 मीटर से चैनेज 9,350 मीटर = चैनेज 208 मीटर यानी कुल चैन: 1,768 मीटर)

कार्यपालन यंत्री ने इस तथ्य को स्वीकार किया (अप्रैल 2016) और कहा कि भूमि अधिग्रहण न होने के कारण सड़क की लंबाई के भाग का निर्माण नहीं किया गया।

- गुना जिले की 45.40 किलोमीटर लंबी नए संरेखण पर अनारद से निहाल देवी सड़क का निर्माण ₹ 23.52 करोड़ की अनुमानित लागत पर फरवरी 2010 में सौंपा गया था। लेखा परीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि सड़क की 21 किलोमीटर लंबाई वन क्षेत्र से गुजर रही थी। सड़क के निर्माण के लिए 11.70 मीटर की चौड़ाई में भूमि आवश्यक थी। तथापि, कार्यपालन यंत्री ने त्रुटिपूर्ण रूप से 4.5 मीटर की चौड़ाई की सड़क निर्दिष्ट करते हुए वन विभाग की स्वीकृति की अनुमति के लिए का प्रस्ताव रखा (नवंबर 2008)।

वन विभाग ने 4.5 मीटर चौड़ाई की सड़क के निर्माण के लिए अनुमति दी (जनवरी 2009)। तथापि, मुख्य अभियंता ने इस तथ्य की अनदेखी कर कि वन विभाग द्वारा 4.5 मीटर चौड़ाई में सड़क निर्माण की अनुमति प्रदान की गई, 11.70 मीटर चौड़ाई में निर्माण के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (नवंबर 2009)। कार्य 22 महीने में पूरा करने के लिए सौंपा गया था (फरवरी 2010)। कार्य निष्पादित किया जा रहा था तब वन विभाग ने दी गई स्वीकृति से अधिक वन भूमि के उपयोग के आधार पर अनुमति को रद्द कर दिया (जून 2010)।

तत्पश्चात्, अधीक्षण यंत्री, गुना ने 12 मीटर की चौड़ाई के साथ सड़क के निर्माण के लिए अनुपूरक अनुमति देने के लिए वन संरक्षक (सीएफ) से अनुरोध किया (जुलाई 2010)। वन संरक्षक, गुना ने कार्यपालन यंत्री को अवगत कराया (मई 2012) कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस शर्त के साथ सड़क के निर्माण की अनुमति दी है कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए ₹ 6.16 करोड़ की राशि जमा करायी जाए जिसे विभाग द्वारा सितंबर 2013 में भुगतान किया गया था। इसके अलावा, ठेकेदार को कार्य के अद्यतन मूल्य के लिए ₹ 4.29 करोड़ का भुगतान किया गया था (दिसंबर 2011)। मुख्य अभियंता द्वारा इस तर्क पर अनुबंध समाप्त किया (नवंबर 2014) कि वन विभाग से अनुमति मिलने में विलंब हुआ था।



वन भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव में विलंब के कारण जनवरी 2017 की स्थिति में अनारद से निहालदेवी सड़क के किमी चैनेज 1200 और 2100 पर एक अपूर्ण कार्य का दृश्य

इस प्रकार, वन विभाग की स्वीकृति हेतु चौड़ाई के गलत प्राक्कलन के कारण पांच से अधिक वर्षों तक कार्य अपूर्ण पड़ा रहने के परिणामस्वरूप ₹ 10.45 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ था। इसके अलावा, असुरक्षित रहने के कारण सड़क के आंशिक निर्माण की परतों की क्षति होने का खतरा था।

कार्यपालन यंत्री गुना ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2016) कि आरंभ में प्राक्कलन की तैयारी से पहले 4.5 मीटर की चौड़ाई के लिए वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी। उन्होंने आगे कहा कि विभाग ने पुनः 11.75 मीटर चौड़ाई में सड़क के निर्माण के लिए अनुमति हेतु आवेदन किया था जिसकी अनुमति वन विभाग द्वारा बाद में दी गई थी इसलिए विलंब विभाग की ओर से नहीं किया गया था। शासन का उत्तर अपेक्षित है (जनवरी 2017)।

कार्यपालन यंत्री गुना का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शुरू में वन विभाग ने 4.5 मीटर चौड़ाई में सड़क के निर्माण के लिए अनुमति दी थी, किन्तु प्राक्कलन 11.75 मीटर की चौड़ाई के लिए स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा, कार्य सौंपे जाने से पहले 11.75 मीटर की चौड़ाई के लिए अनुमति, प्राप्त की जानी चाहिए थी जो नहीं किया गया था।

3.1.2.5 उपयोगिताओं के स्थानांतरण का प्राक्कलनों में अपर्याप्त प्रावधान

उपयोगिताओं के स्थानांतरण के अपर्याप्त प्रावधानों के परिणामस्वरूप और सड़क निर्माण कार्यों में विलंब एवं लागत में वृद्धि हुई।

आईआरसी-19 की कण्डिका 17.3.2 के अनुसार, बिजली की लाइनें, टेलीफोन के खंभे, भूमिगत केबिल, गैस लाइनें, नाली, पानी के पाइप और पेड़ों की हटाने जैसी उपयोगिताओं के स्थानांतरण की लागत को सामान्य सार में भी शामिल करना चाहिए। उपयोगिता स्थानांतरण की लागत को संबंधित विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्राक्कलन में शामिल किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा जांच में पता चला कि छह संभागों (परिशिष्ट 3.4) के 10 प्राक्कलनों में उपयोगिता स्थानांतरण अर्थात् बिजली के खंभों और पानी की पाइप लाइनों के स्थानांतरण के प्रावधान, बिजली की लाइनें डालने आदि का या तो प्राक्कलन में प्रावधान नहीं किया गया था या इन उपयोगिताओं के स्थानांतरण पर होने वाले व्यय का विस्तृत विश्लेषण किए बिना काल्पनिक आधार पर प्रावधान किया गया था। परिणाम स्वरूप, चार सड़क कार्य 10 महीने तक के विलंब के साथ पूर्ण किये गये थे। अन्य चार सड़क कार्य जिन पर ₹ 28.96 करोड़ का व्यय पहले ही किया गया था 11 माह से 27 माह बीत जाने के बाद भी अपूर्ण थे (जून 2016)। सड़क कार्यों में विलंब का कारण उपयोगिताओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया सड़क निर्माण कार्य के क्रियान्वयन के दौरान शुरू करना थी जो कार्य के सौंपने से पहले आरंभ की जानी चाहिए थी। साथ ही कार्य की लागत में ₹ 7.14 करोड़ की वृद्धि हुई। उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- रीवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 में किमी 229/8 से किमी 231/6 एवं किमी 243/2 से 239/4 किलोमीटर का चौड़ा करने का कार्य ₹ 11.46 करोड़ की अनुमानित लागत सितंबर 2013 में दिया गया था। प्राक्कलन की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि मूल प्राक्कलन में पानी की पाइप लाइनों और हैंडपंप की उपयोगिता के स्थानांतरण के लिए एक मुश्त ₹ 15.74 लाख की राशि का प्रावधान किया गया था। क्रियान्वयन के दौरान पुनरीक्षित प्राक्कलन में इसे ₹ 49.95 लाख तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, मूल प्राक्कलन में ₹ 4.12 करोड़ की राशि से स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सहित बिजली के खंभों के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं किया गया था जिसे पुनरीक्षित प्राक्कलन में शामिल किया गया था। इस प्रकार, मूल प्राक्कलन में उपयोगिता स्थानांतरण के अपर्याप्त प्रावधान के फलस्वरूप कार्य की लागत में ₹ 4.46 करोड़ की राशि की वृद्धि हुई है, साथ ही 24 महीने के विलंब के बाद भी कार्य अभी तक पूर्ण किया जाना था।

- रीवा जिले की निपानिया-तमारा सड़क के सुदृढीकरण एवं चौड़ा करने का कार्य ₹ 8.44 करोड़ लागत पर सितंबर 2013 में दिया गया था। लेखा परीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि उपयोगिता स्थानांतरण के किसी विवरण के बिना मूल प्राक्कलन में उपयोगिता स्थानांतरण के लिए एकमुश्त ₹ 80 लाख की राशि का प्रावधान किया गया था। क्रियान्वयन के दौरान, पुनरीक्षित प्राक्कलन में उपयोगिता स्थानांतरण की लागत को

पुनः एकमुश्त ₹ 2.48 करोड़ रुपये के लिए संशोधित किया गया था। लेखा परीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि खंभे हटाने हेतु मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से और पानी की पाइप लाइनों के स्थानांतरण के लिए नगर निगम से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना मूल एवं संशोधित प्राक्कलनों में प्रावधान किए गए थे। उपयोगिता स्थानांतरण के लिए प्राक्कलन में अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप कार्य की लागत में ₹ 1.68 करोड़ तक वृद्धि हुई।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा (नवंबर 2016) कि सड़क निर्माण में विलंब को टालने के लिए खंभों, पानी की पाइप लाइनों आदि के स्थानांतरण के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एकमुश्त प्राक्कलन बनाए गए हैं, क्योंकि संबंधित विभाग के माध्यम से स्वीकृति के लिए समय लग सकता है।

तथ्य यह है कि प्राक्कलन में उपयोगिता स्थानांतरण के लिए अपर्याप्त प्रावधान के कारण कार्य विलंबित हुए थे। इसके अलावा, संबंधित विभागों की तकनीकी स्वीकृति के बिना उपयोगिता स्थानांतरण के लिए अपर्याप्त प्रावधान करने के कारण कार्य की लागत में वृद्धि हुई थी।

3.1.2.6 सड़क फर्नीचर की मदों को प्राक्कलनों में शामिल नहीं करना

29 प्राक्कलनों में सड़क फर्नीचर के आइटम्स के लिए ₹ 65.71 लाख की राशि का प्रावधान किया गया था लेकिन वे क्रियान्वित नहीं किए गए थे जो सुरक्षित ड्राइविंग को प्रभावित करता है।

आईआरसी-67 और दर की अनुसूची के अनुसार सड़क फर्नीचर आइटम नामशः किलोमीटर स्टोन, रेट्रो-रेफ्लेक्टोराइज़्ड और दिशा एवं स्थान की पहचान के साइन बोर्ड सड़कों पर लगाये जाएंगे। आईआरसी-67 उन यातायात संकेतों को लगाना निर्धारित करती है जिसे भारत में कानून का समर्थन है और भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 116 में शामिल किया गया है।

अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पता चला कि छह संभागों⁶ के आठ प्राक्कलनों में सड़क फर्नीचर मद (किलोमीटर स्टोन, रेट्रो- रेफ्लेक्टोराइज़्ड और दिशा और स्थान की पहचान के साइन बोर्ड) के प्रावधान मूल प्राक्कलन में नहीं रखे गये थे और पुनरीक्षित प्राक्कलनों में शामिल किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप कार्य की लागत में ₹ 1.39 करोड़ की राशि की वृद्धि हुई (परिशिष्ट 3.5)।

आठ संभागों (परिशिष्ट 3.5) के 29 प्राक्कलनों की लेखा परीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि यद्यपि, सड़क फर्नीचर के मद के लिए ₹ 65.71 लाख की राशि का प्रावधान किया गया था लेकिन वे क्रियान्वित नहीं किए गए थे। सड़क फर्नीचर लगाने में विफलता संबंधित संहितीय प्रावधानों के उल्लंघन में थी, जो सुरक्षित ड्राइविंग को प्रतिकूल रूप से भी प्रभावित कर सकती थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने लेखा परीक्षा अभ्युक्ति से सहमत हुए (नवंबर 2016) और कहा कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए संकेतक आवश्यक था और इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा।

3.1.3 प्राक्कलनों की तैयारी

3.1.3.1 लचीले पटरी या मार्ग (फ्लेक्सिबल पेवमेंट) की क्रस्ट डिजाइन

फ्लेक्सिबल पेवमेंट के डिजाइन के लिए आईआरसी-37⁷ विनिर्देशों के अनुसार क्रस्ट (मोटाई) के साथ ही डामरीकृत तह के प्रकार को सब-ग्रेड⁸ की कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियों (सीबीआर)⁹ और मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए)¹⁰ के रूप में यातायात

⁶ इंदौर, नीमच, रीवा, सागर, सतना और विदिशा

⁷ लचीले पटरी या मार्ग के डिजाइन के लिए दिशा-निर्देश

⁸ सड़कों में उपर मिट्टीकार्य की 30 सेमी से 50 सेमी परत सब-ग्रेड है

⁹ सीबीआर मिट्टी की ताकत को दर्शाता है।

¹⁰ एमएसए सड़क पर यातायात का भार को दर्शाता है।

डिजाइन के आधार पर बनाया गया है जो वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सीव्हीपीडी), वाहन क्षति कारक (व्हीडीएफ¹¹), डिजाइन जीवन और लेन वितरण कारक (एलडीएफ) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आईआरसी विनिर्देश आगे व्यवस्था करता है कि जहाँ भी यातायात एक एमएसए है और सब-ग्रेड की सीबीआर 10 प्रतिशत तक है बिटुमिनस वीयरिंग कोर्स के रूप में सील कोट के साथ केवल 20 मिमी ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स कारपेट का प्रावधान किया जाना चाहिए। बिटुमिनस मेकेडम (बीएम) और सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एसडीबीसी) के प्रावधान करने की आवश्यकता है, जब यातायात सर्वेक्षण के आधार पर संचयी यातायात 5 एमएसए आता है।

लेखापरीक्षा जाँच में क्रस्ट डिजाइन में अनियमितताओं के मामलो का पता चला, उदाहरण नीचे दिये गये है।

(i) आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना प्राक्कलन में महँगे विशिष्टों का प्रावधान

14 प्रकरणों में यातायात सर्वेक्षण किये बिना महँगे विनिर्देश के प्रावधान और क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप ₹ 10.91 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत हुई।

अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पता चला है कि, 12 संभागों के 29 प्राक्कलनों में, यातायात डिजाइन के लिए आवश्यक, यातायात जनगणना और क्रस्ट के डिजाइन संगणित नहीं किए गए थे। 15 प्राक्कलनों¹² में जहां यातायात जनगणना नहीं की गयी थी और क्रस्ट भी डिजाइन नहीं की गयी थी, विभाग ने ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स कारपेट और सील कोट अपनाया। हालांकि 14 प्राक्कलनों¹³ में विभाग ने बी.एम./डेन्स बिटुमिनस मेकेडम (डीबीएम) और एसडीबीसी को मिलकर बिटुमिनस कोर्स के महँगे विनिर्देश अपनाने के लिए तकनीकी स्वीकृति दी गई। लेखा परीक्षा ज्ञात नहीं कर सका कि क्या यातायात जनगणना के अभाव में इन कार्यों के लिए महँगे विनिर्देश आवश्यक थे। इस प्रकार, उचित औचित्य और इसकी आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना महँगे विनिर्देश के प्रावधान और क्रियान्वयन के कारण के लिए कार्य की लागत में ₹ 10.91 करोड़ की वृद्धि हुई (परिशिष्ट 3.6)।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव महँगे विनिर्देशों के प्रावधान के बारे में लेखा परीक्षा अवलोकन के साथ सहमत थे (नवंबर 2016) और कहा कि विनिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक अनुदेश शीघ्र ही जारी किये जाएंगे।

(ii) क्रस्ट के लिए डिजाइन यातायात की गलत गणना

तीन प्रकरणों में क्रस्ट के डिजाइन यातायात की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 2.98 करोड़ की अतिरिक्त लागत के साथ 10 प्रकरणों में अवमानक कार्य का क्रियान्वयन हुआ।

आईआरसी-37 की कण्डिका 3.3.4.4 के अनुसार, डिजाइन यातायात के निर्धारण के लिए 0-150 सीव्हीपीडी के लिए 1.5 और 150-1500 सीव्हीपीडी के लिए 3.5 होना चाहिए। व्हीडीएफ का संकेत मूल्य वास्तविक यातायात की गणना के अनुसार लिया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि आठ संभागों के 13 प्राक्कलनों में से 11 में सीव्हीपीडी और व्हीडीएफ का संकेत मूल्य गलत विचार में लेने से विभाग ने सड़कों के डिजाइन यातायात की त्रुटिपूर्ण तरीके से गणना की थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में विस्तृत जानकारी दी गई है। अन्य दो प्राक्कलनों¹⁴ में, डिजाइन यातायात की गणना के लिए सभी आवश्यक मापदंडों के मूल्य को सही ढंग से लिया गया था लेकिन गलत अंकगणितीय गणना के कारण क्रस्ट का गलत तरीके से प्रावधान किया गया था।

¹¹ मानक एक्सल लोड आवृत्ति की संख्या को विभिन्न एक्सल लोड के वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में परिवर्तित करने के लिए वीडीएफ एक गुणक है।

¹² सभी ग्रामीण सड़कें हैं।

¹³ सात मुख्य जिला सड़कें और सात ग्रामीण सड़कें।

¹⁴ बेका-रसकुंडिया-कुलथाना रोड (इंदौर संभाग) और करारिया-शमशाबाद रोड (विदिशा)।

फलस्वरूप, विभाग ने तीन प्राक्कलनों¹⁵ में बी.एम. और एसडीबीसी की महंगे विशिष्टियों के बिटुमिनस कोर्स को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.98 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई। शेष 10 प्राक्कलनों¹⁶ में, अवमानक विनिर्देश के बिटुमिनस और वीयरिंग कोर्स (परिशिष्ट 3.7) अपनाये गये थे जो भविष्य में पर्याप्त अतिरिक्त लागत पर पेवमेंट की मरम्मत की आवश्यकता को जन्म दे सकते हैं।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में प्रमुख सचिव ने क्रस्ट डिजाइन की गलत गणना के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति दी और कहा कि विनिर्देश का पालन किया जाना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक अनुदेश शीघ्र ही जारी किये जाएंगे।

(iii) गलत क्रस्ट संरचना का अपनाना

11 संभागों में 36 प्राक्कलनों की लेखा परीक्षा जांच में पता चला है कि डिजाइन यातायात एमएसए के संदर्भ में सही ढंग से संगणित किया गया था किन्तु विभाग ने संबंधित एमएसए और सब-ग्रेड की सीबीआर के लिए आईआरसी-37 में निर्धारित बिटुमिनस कोर्स के साथ वीयरिंग कोर्स नहीं अपनाया था। आईआरसी-37 के प्रावधान के विपरीत नौ संभागों के 20 में प्राक्कलनों¹⁷ में विभाग द्वारा बी.एम., ओजीपीसी और सील कोट के स्थान पर डी.बी./बी.एम. के बेस कोर्स और बीसी/एसडीबीसी के वीयरिंग कोर्स की महंगी विशिष्टियों को अपनाया। प्राक्कलनों में महंगी विशिष्टियों के अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 21.30 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा परिशिष्ट 3.8 में विस्तृत है।

छह संभागों के 16 प्राक्कलनों¹⁸ में विभाग द्वारा क्रस्ट संरचना (परिशिष्ट 3.9) को गलत अपनाने के कारण डीबीएम, एसडीबीसी/बीसी के स्थान पर बीएम, ओजीबीसी के साथ सील कोट की अवमानक विशिष्टियों को अपनाया जिससे समयपूर्व क्रस्ट की विफलता की संभावना बढ़ गई।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने गलत विनिर्देश को अपनाने के बारे में लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की (नवंबर 2016) और कहा कि विनिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक अनुदेश शीघ्र ही जारी किये जाएंगे।

3.1.3.2 क्रस्ट में दानेदार सब-बेस की अधिक मोटाई का प्रावधान और क्रियान्वयन

आईआरसी-37 विनिर्देशों के अनुसार एमएसए और सब-ग्रेड की सीबीआर के रूप पर डिजाइन यातायात के आधार पर सड़क की क्रस्ट में दानेदार सब-बेस की मोटाई (जीएसबी) निश्चित की जानी है। पांच प्रतिशत की सीबीआर के सब-ग्रेड और एक, दो, तीन और पांच एमएसए के डिजाइन यातायात के लिए, जीएसबी क्रमशः 205 मिमी, 215 मिमी, 230 मिमी और 250 मिमी की मोटाई में प्रदान की जानी चाहिए।

छह संभागों में 12 प्राक्कलनों की लेखा परीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि पांच प्रतिशत की सीबीआर के सब-ग्रेड और एक एमएसए और दो एमएसएके लिए सड़कों की क्रस्ट को डिजाइन किया गया था। तथापि, आईआरसी-37 के प्रावधानों के विपरीत, विभाग ने छह कार्यों में एक एमएसए के लिए 250 मिमी से 300 मिमी के साथ और अन्य छह मामलों में दो एमएसए के लिए 250 मिमी की मोटाई में जीएसबी का प्रावधान और क्रियान्वयन किया था। जीएसबी की अधिक मोटाई के अपनाने के परिणामस्वरूप

20 प्रकरणों में क्रस्ट संरचना को गलत अपनाने के कारण कार्य की लागत में ₹ 21.30 करोड़ की वृद्धि हुई।

12 सड़क कार्यों में अतिरिक्त मोटाई में जीएसबी निष्पादित करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई

¹⁵ एक मुख्य जिला सड़कें और दो ग्रामीण सड़कें। त्रुटिपूर्ण अंकगणितीय गणना के कारण एक अनुमान में और अन्य दो मामलों में यातायात डिजाइन के गलत मापदंडों के अपनाने के कारण लागत में वृद्धि हुई थी।

¹⁶ दो मुख्य जिला सड़कें और आठ ग्रामीण सड़कें।

¹⁷ छह मुख्य जिला सड़कें और 14 ग्रामीण सड़कें

¹⁸ तीन मुख्य जिला सड़कें और 13 ग्रामीण सड़कें

₹ 1.86 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में विस्तृत रूप में है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव लेखा परीक्षा अवलोकन से सहमत हुए (नवंबर 2016) और कहा कि मामले की जांच की जाएगी।

3.1.3.3 कम मोटाई में हार्ड शोल्डर्स का प्रावधान और क्रियान्वयन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देश की कण्डिका 407.1 और दर अनुसूची निर्धारित करते हैं कि ड्रेनेज लेयर (जल निकासी परत) पर सड़क पटरी के दोनों तरफ शोल्डर्स¹⁹ का निर्माण किया जाना चाहिए। आईआरसी-34 की कण्डिका 5.3 में निर्धारित है कि एक केपिलरी कट ऑफ (जल निकासी परत) भूमिगत जल के निकास के लिए दी जानी चाहिये। इसके अलावा, आईआरसी-37 की कण्डिका 5.3 के अनुसार यह सावधानी रखी जानी चाहिये कि ड्रेनेज लेयर के खुले सिरे तटबंध मिट्टी द्वारा ढंके नहीं जाए।

39 प्राक्कलनों में ₹ 16.79 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया क्योंकि ड्रेनेज लेयर को तटबंध की मिट्टी से ढंक दिया गया था।

छह संभागों के 39 प्राक्कलनों की लेखा परीक्षा जांच में पता चला कि विभाग ने भूमिगत जल के निकास एवं केशिका वृद्धि (केपिलरी राइज़) को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से सड़क के संपूर्ण निर्माण की चौड़ाई²⁰ पर तटबंध मिट्टी (सीबीआर > 5 प्रतिशत) के ऊपर 20 प्रतिशत से अधिक सीबीआर की 100 मिमी से 150 मिमी ड्रेनेज लेयर प्रदान की थी। ड्रेनेज लेयर के ऊपर क्रस्ट (पेवमेंट) का 300 मिमी से 525 मिमी की मोटाई में निर्माण किया गया था। विनिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, विभाग द्वारा ड्रेनेज लेयर पर क्रस्ट की पूर्ण मोटाई तक पेवमेंट के दोनों तरफ हार्ड शोल्डर्स (सीबीआर > 12 प्रतिशत की मिट्टी) का प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके उल्लंघन में, हार्ड शोल्डर्स केवल 100 मिमी से 325 मिमी की मोटाई में दिया गया था और हार्ड शोल्डर्स और ड्रेनेज लेयर के बीच में तटबंध मिट्टी (सीबीआर > 5 प्रतिशत) बिछायी गई थी।

इसके अलावा, दो प्राक्कलनों की लेखा परीक्षा जांच में पता चला कि यद्यपि ड्रेनेज लेयर सड़क के पूरे निर्माण की चौड़ाई में दी गयी थी, क्रस्ट की पूरी मोटाई में सीबीआर > 12 प्रतिशत के हार्ड शोल्डर्स के बजाय शोल्डर्स का निर्माण पांच प्रतिशत की सीबीआर की तटबंध मिट्टी के साथ किया गया।

इस प्रकार, 39 सड़क निर्माण कार्यों में ड्रेनेज लेयर के प्रावधान और क्रियान्वयन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था क्योंकि ड्रेनेज लेयर पर तटबंध मिट्टी ड्रेनेज लेयर को अवरुद्ध करेगी जिससे ड्रेनेज लेयर पर ₹ 16.79 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जैसा **परिशिष्ट 3.11** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव सहमत थे (नवंबर 2016) कि ड्रेनेज लेयर पर तटबंध मिट्टी नहीं दी जानी चाहिए और आगे कहा कि पूर्ण मोटाई में हार्ड शोल्डर्स के निर्माण के लिए अनुदेश जारी किए गए थे।

3.1.4 सड़क कार्यों का क्रियान्वयन

3.1.4.1 अपर्याप्त आंकड़ों पर क्रास ड्रेनेज का प्रावधान

आईआरसी-19 की कंडिका 16.1 निर्धारित करती है कि क्रास ड्रेनेज (सीडी) संरचनाओं के डिज़ाइन हेतु स्थल के चयन और आंकड़ों के संग्रहण के लिए सर्वेक्षण और

¹⁹ दर अनुसूची में दो प्रकार के शोल्डर्स, नामतः मिट्टी के शोल्डर्स/सीबीआर > 5 प्रतिशत की तटबंध मिट्टी एवं सीबीआर > 12 प्रतिशत की मिट्टी के साथ कड़े शोल्डर्स शामिल हैं।

²⁰ 3.75 मी पेवमेंट के लिए निर्माण की चौड़ाई 9.3 मीटर होना चाहिए।

अनुसंधान अनिवार्य रूप से किया जाना था। विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रकाशित जल विज्ञान, भौतिक और नींव के आंकड़ों को एकत्रित करना आवश्यक था। इसके अलावा, उच्च बाढ़ स्तर (एचएफएल), परिमार्जन की प्रवृत्ति और अधिकतम बहाव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय जांच और आसपास के क्षेत्र में एक ही धारा पर आसपास की सड़क संरचनाओं के अध्ययन के साथ स्थल निरीक्षण किया जाना था।

सर्वेक्षण और अनुसंधान के बिना 96 सड़क कार्यों में क्रास ड्रेनेज के प्रावधान के कारण क्रास ड्रेनेज की संख्या, प्रकार और स्थान प्राक्कलन से परिवर्तित हुए।

12 संभागों के 196 प्राक्कलनों की लेखा परीक्षा जांच से पता चला कि सिंचाई हायड्रोमैट्रोलोजी और भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग से हाइड्रोलॉजिकल, भौतिक और नींव के आंकड़ों का एकत्रण नहीं किया गया था। इसके अलावा स्थानीय जांच और आसपास के क्षेत्र में एक ही धारा पर पास सड़क संरचनाओं के अध्ययन भी संपादित नहीं की गयी थी। परिणामतः, 12 संभागों में 96 प्राक्कलनों में, क्रास ड्रेनेज के आकलन में उपयोग किए गए आंकड़ों, जैसे जलग्रहण क्षेत्र, जल का बहाव और उच्च बाढ़ स्तर सही नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप क्रास ड्रेनेज के प्रकार, स्थान और संख्या में विचलन हुआ।

27 प्राक्कलनों में क्रास ड्रेनेज की प्रस्तावित संख्या में 1 से 26 की वृद्धि हुई है और 62 प्राक्कलनों में 1 से 32 तक की कमी आई थी। सात प्राक्कलनों में निष्पादित क्रास ड्रेनेज की संख्या समान थी जो प्राक्कलन में थी लेकिन क्रास ड्रेनेज के प्रकार और स्थान बदल गये थे। क्रास ड्रेनेज की संख्या और प्रकार में इन विचलनों के कारण 29 कार्यों की लागत में ₹ 8.84 करोड़ की वृद्धि हुई और 65 कार्यों में ₹ 23.72 करोड़ की कमी हुई।

कार्यपालन यंत्री बालाघाट और दमोह ने अपने उत्तर में कहा कि प्राक्कलन बहुत ही कम समय में तैयार किए गए थे इसलिए विस्तृत सर्वेक्षण करना संभव नहीं था। कार्य आरंभ करने से पहले सड़कों के प्राक्कलनों की स्वीकृति के बाद, विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था और जलग्रहण क्षेत्र की गणना की गई थी। अतः क्रास ड्रेनेज के स्थान में अंतर था। अन्य कार्यपालन यंत्रियों ने कहा कि स्थल की दशा के अनुसार क्रास ड्रेनेज के कार्य निष्पादित किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में, प्रमुख सचिव ने कहा कि क्रास ड्रेनेज की संख्या और प्रकार में व्यापक विचलन के कारणों को पुनरीक्षित प्राक्कलन में दर्ज किया जाना चाहिए और आवश्यक अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

उत्तर, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रास ड्रेनेज की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए अपेक्षित आकड़ों के संग्रह के लिए आवश्यक सर्वेक्षण और अनुसंधान करना सुनिश्चित किए बिना तकनीकी स्वीकृतियाँ दी गई थीं।

3.1.4.2 सड़क की लंबाई में विचलन

वास्तविक स्थल की आवश्यकताओं का आकलन किए बिना सड़क लंबाईयाँ प्राक्कलन में सम्मिलित की गई थीं जिससे छह सड़कों की लागत में ₹ 2.72 करोड़ की वृद्धि और 24 सड़कों में ₹ 29.01 करोड़ की कमी हुई।

सड़क निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण और अनुसंधान इस प्रकार किए जाने चाहिये कि क्रियान्वयन के लिए आइटम के सभी पहलुओं की पहचान की जा सके। क्रियान्वयन के समय पर किसी भी बड़े विचलन से बचने के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान के समय मात्रा और पर्याप्तता का निर्णय लिया जाना चाहिए। प्राक्कलन की तैयारी के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूमि किसी भी अतिक्रमण के बिना उपलब्ध थी और यह भी किसी अन्य एजेंसी/प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी।

10 संभागों में 30 बिटुमिनस सड़क कार्यों (परिशिष्ट 3.12) के प्राक्कलनों की जांच में प्रकट हुआ कि प्राक्कलनों में प्रस्तावित सड़कों की लंबाई के संदर्भ में निष्पादित सड़कों की कुल लंबाई में व्यापक परिवर्तन किया गया था। छह सड़कों की कुल लंबाई में तीन किलोमीटर तक की वृद्धि हुई और 24 सड़कों में अनुमानित लंबाई की तुलना में 10.5 किमी तक की कमी हुई। सड़क लंबाई में विचलन विभिन्न कारणों, नामशः

संरक्षण में परिवर्तन, वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं देने, पंचायतों और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को सड़क स्थानांतरित होना आदि से था।

इस प्रकार, सड़क की लंबाई को भूमि की उपलब्धता और पंचायत तथा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श के आंकलन के बिना प्राक्कलन में लिया गया था। परिणामतः, कार्य की लागत छह प्रकरणों में ₹ 2.72 करोड़ की वृद्धि हुई है और 24 प्रकरणों में ₹ 29.01 करोड़ की कमी हुई।

स्वीकृत प्राक्कलनों में प्रस्तावित लंबाई की तुलना में 20 कार्यों में सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क की लंबाई में 100 मीटर से 2,130 मीटर तक की वृद्धि हुई और 10 कार्यों में 100 मीटर से 1,700 मीटर तक की कमी आई थी। फलस्वरूप 20 कार्यों में सड़क निर्माण कार्य की लागत में ₹ 8.91 करोड़ की वृद्धि हुई और 10 कार्यों में ₹ 4.91 करोड़ की कमी हुई थी (परिशिष्ट 3.13)। सीमेंट कंक्रीट सड़कों की लंबाई में वृद्धि ग्रामीण हिस्से में जल भराव क्षेत्र के आधार पर हुई थी और कमी होने का कारण सड़कों की लंबाई पहले से ही निर्मित होना थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में प्रमुख सचिव ने कहा कि सड़कों की लंबाई में विचलन मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और पंचायत को हस्तांतरित सड़कों तथा क्रियान्वयन के दौरान जनता की मांग के कारण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्राक्कलन की तैयारी के दौरान अन्य संगठनों/विभाग के अंतर्गत सड़कों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

3.1.5 निष्कर्ष

- विभाग ने सड़क प्राक्कलनों की तैयारी में म.प्र. निर्माण विभाग मैनुअल और आईआरसी कोड का पालन नहीं किया था। पूर्व अपेक्षित गतिविधियों, जैसे व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान, यातायात सर्वेक्षण के बिना प्राक्कलन तैयार किए गए थे। परिणामस्वरूप, क्रियान्वयन के समय प्राक्कलनों से व्यापक विचलन थे।
- प्राक्कलनों में वास्तविक ग्राउण्ड लेवल लिए बिना औसत मोटाई लेकर मिट्टी कार्य की मात्रा का प्रावधान किया गया था। लेवल लेने में विफलता और गलत लेवल विचार में लेने के कारण मिट्टी कार्य की मात्रा का प्राक्कलनों में सही ढंग से प्रावधान नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप 68 सड़क कार्यों में ₹ 25.71 करोड़ की भिन्नता (10 प्रतिशत से अधिक) हुई।
- प्राक्कलन में वन और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए बिना सड़क निर्माण कार्य दिये गये थे। उपयोगिता स्थानांतरण की लागत का प्रावधान, संबंधित विभागों से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बिना पूर्वानुमान के आधार पर किया गया था। यह बाद में सड़क कार्यों की लागत में वृद्धि, कार्यों के पूर्ण होने में विलंब और भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता स्थानांतरण की प्रत्याशा में अधूरी सड़कों के रूप में परिणामित हुआ।
- महंगी विशिष्टताओं के प्रावधान इनकी आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना किए गये थे, सड़क की क्रस्ट के डिज़ाइन यातायात की गलत तरीके से गणना की गई थी और क्रस्ट संरचना त्रुटिपूर्ण रूप से अपनायी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत और क्रस्ट की समयपूर्व विफलता की संभावना है।
- क्रॉस ड्रेनेज और सड़क की लंबाई के प्रावधान विस्तृत सर्वेक्षण के बिना किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप क्रियान्वयन के दौरान सड़क की लंबाई में विचलन और क्रॉस ड्रेनेज के प्रकार, संख्या और स्थान में व्यापक परिवर्तन हुए थे।

3.1.6 अनुशंसाएँ

- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संहितीय प्रावधानों के अनुपालन में सर्वेक्षण और अनुसंधान कराने के बाद ही तकनीकी स्वीकृतियाँ दी जानी चाहिये।
- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राक्कलनों की तैयारी के समय उपयोगिता स्थानान्तरण और निजी और वन भूमि के अधिग्रहण की वास्तविक लागत संबंधित विभागों से प्राप्त करना चाहिये।
- शासन को सड़क क्रस्ट के डिजाइन के लिए गलत महंगे विशिष्टियों के साथ ही अवमानक विनिर्देशों को अपनाने और गणना में गलतियों के लिए जवाबदेही निर्धारित की जाना सुनिश्चित करना चाहिए।
- शासन क्रास ड्रेनेज के प्रकार, संख्या और स्थान और सड़क की लंबाई का आकलन करने के लिए प्राक्कलन की तैयारी से पहले पंचायत, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और अन्य शासकीय एजेंसियों के साथ पर्याप्त परामर्श सुनिश्चित करना चाहिए।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

3.2 फसल बीमा योजना पर लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से फसल खराब होने के कारण किसानों की वित्तीय हानि कम करने के लिए रबी 1999–2000 के मौसम से शुरू की गई थी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (ए.आई.सी.) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी थी। मध्य प्रदेश शासन ने 1999–2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को अपनाया था।

बीमा लाभ के लिए कवर किये गये फसलों और क्षेत्रों (पटवारी हल्कों) की वार्षिक अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य शासन उत्तरदायी थी। अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थाओं (एफ.आई.) से मौसमी कृषि परिचालन (एस.ए.ओ.) ऋण का लाभ उठाने वाले किसानों (अर्थात्, ऋणी किसानों) को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में अनिवार्य रूप से शामिल होना था। एस.ए.ओ. ऋणों का लाभ नहीं लेने वाले किसानों (अर्थात् गैर-ऋणी किसान) के लिए योजना वैकल्पिक थी। राज्य सरकार द्वारा चालू मौसम में फसल काटने के प्रयोगों में उपज में आई कमी और उपज सीमा से तुलना कर दावों की गणना स्वचालित रूप से वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से की गई एवं निपटारे किए गए।

रबी मौसम 2010–11 से खरीफ मौसम 2015 तक की अवधि के दौरान राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा से निम्नानुसार पता चला: –

- रबी 2010–11 से खरीफ 2015 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का कवरेज राज्य में 88.72 लाख किसानों की कुल संख्या के 14.58 प्रतिशत से 33.80 प्रतिशत के बीच रहा। राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कृषि भूमि क्षेत्र का कवरेज 17.84 प्रतिशत से 40.93 प्रतिशत के बीच रहा। कवरेज में वृद्धि ऋणी किसानों के अनिवार्य बीमा के कारण ही हुई थी, जैसा कि रबी 2010–11 से खरीफ 2015 के दौरान केवल 2,841 गैर-ऋणी किसानों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया। योजना के अंतर्गत किसानों का अपर्याप्त कवरेज किए जाने पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कृषि आय को स्थिर करने के उद्देश्यों को विशेष रूप से आपदा के वर्षों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।

(कंडिका 3.2.2.1)

- राज्य सरकार योजना के फसल वार समाहित किये जाने वाले क्षेत्र को समय पर अधिसूचित करने में विफल रही और अधिसूचना में आठ माह के अन्तर तक के विलंब हुए। बीमा एजेंसी द्वारा प्राप्ति की घोषणा के लिए नियत दिनांक के बाद के इन क्षेत्रों के लिए अधिसूचनाओं को जारी करने में विलंब के कारण 120 पटवारी हल्कों के किसान इस योजना के लाभों से वंचित रहे।

(कंडिका 3.2.2.2)

- फसल काटने के प्रयोगों के परिणाम प्रदान करने में अधीक्षक भू-अभिलेख एवं कृषि उप संचालक की विफलता के परिणामस्वरूप ए.आई.सी. 6,702 पटवारी हल्कों में किसानों के बीमा दावों की गणना नहीं कर सका।

(कंडिका 3.2.2.3)

- बीमांकिक व्यवस्था में, कृषि बीमा कंपनी अपनी सांख्यिकीय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित बीमा प्रभार में वृद्धि से किसानों के बीमा दावों को वहन करेगी। हांलाकि,

राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का परिचय होने के पाँच वर्ष बाद भी इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। यह रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 692.92 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय बोझ में परिणामित हुई।

(कंडिका 3.2.2.4)

• आपदा की स्थिति में वित्त पोषण के लिए स्थापित कार्पस निधि की राशि ₹ 18.03 करोड़ का ए.आई.सी. के द्वारा उपयोग नहीं किया गया। “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” की नई योजना के अन्तर्गत कार्पस निधि के लिए कोई प्रावधान न होने को देखते हुए राज्य सरकार को निधि वापस की जानी थी।

(कंडिका 3.2.2.5)

• रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान किसानों के बीमा दावों के वितरण में एक माह से लेकर दो वर्षों तक का विलंब हुआ था। पांच जिलों में 256 किसानों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 16 प्रतिशत किसानों ने कहा कि वे दावों की प्राप्ति में विलंब के कारण समय पर अपने ऋण चुकता नहीं कर सके थे, और इसलिए अगले सत्र में ऋण के लिए वंचित किए गए थे। इस प्रकार, दावों के वितरण में विलंब के परिणामस्वरूप दावेदारों के लिए कठिनाई हुई।

(कंडिका 3.2.2.9)

• किसानों को वित्त उपलब्ध कराने की सीमाओं का पालन करने में वित्तीय संस्थाओं की विफलता के कारण किसानों के द्वारा प्रस्तुत बीमा दावों में ₹ 101.07 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। जिसके कारण सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा।

(कंडिका 3.2.2.10)

• खरीफ 2013 के दौरान 42 जिलों के 3,362 पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के दर्शाए गए क्षेत्र की तुलना में बीमा किए गए क्षेत्र 9.06 लाख हेक्टेयर अधिक थे। इसके लिए विभाग ने किसानों द्वारा एक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने को उत्तरदायी ठहराया।

(कंडिका 3.2.2.12)

3.2.1 परिचय

प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के हमले और वनस्पति रोगों के कारण कृषि उच्च जोखिम उद्यम है, जिससे उत्पादन और कृषि आय में कमी होने से किसान गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। किसानों की फसल के नुकसान व खराब होने के कारण वित्तीय नुकसान कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में शुरू की गई। ए.आई.सी. को योजना का कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया था।


मध्य प्रदेश शासन ने 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को अपनाया था। बीमा लाभ के लिए समाहित फसलों और क्षेत्रों (पटवारी हल्कों) की वार्षिक अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी था। अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थाओं²¹ से मौसमी कृषि परिचालन (एस.ए.ओ.) ऋण का लाभ उठाने वाले किसानों (अर्थात्, ऋणी किसानों) को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में अनिवार्य रूप से शामिल होना था। वित्तीय संस्थाएं प्रीमियम के लिए अतिरिक्त ऋण मंजूर करके ऋणी किसानों के लिए ए.आई.सी. को प्रीमियम भेजती थीं।

²¹ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (पैक्स), सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

एस.ए.ओ. ऋण का लाभ नहीं उठाने वाले किसानों (अर्थात्, गैर-ऋणी किसान) के लिए यह योजना वैकल्पिक थी। ऐसे किसानों के संबंध में, किसानों द्वारा प्रीमियम की पूरी राशि को वित्तीय संस्थाओं के पास जमा किया जाएगा, जो प्रस्तावों को समेकित करेगी और ए.आई.सी. को अग्रेषित करेंगी। राज्य सरकार द्वारा चालू मौसम में फसल काटने के प्रयोगों में उपज में आई कमी और उपज सीमा से तुलना कर दावों की गणना स्वचालित रूप से वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से की गई एवं निपटारे किए गए। प्रीमियम के 100 प्रतिशत से ऊपर निर्धारित बीमा दावे के मामले में, ए.आई.सी. 50:50 के आधार पर भारत सरकार और म.प्र. शासन की हिस्सेदारी के लिए मांग करती है। महासंकट से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए एक कोर्पस निधि भी भारत सरकार और म.प्र. शासन के बराबर योगदान द्वारा सृजित किया जाना था।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (एफ.डब्लू.ए.डी.डी.), राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग था। योजना की निगरानी के लिए, विभाग ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समितियाँ गठित की थीं। विभिन्न एजेंसियों जैसे भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन वित्तीय संस्थाएं और ए.आई.सी. की भूमिका और जिम्मेदारियाँ प्रवाह चार्ट द्वारा परिभाषित हैं।

फलो चार्ट : गतिविधि फलो चार्ट



3.2.1.1 अन्य कृषि बीमा योजनाएं

भारत सरकार ने (सितंबर 2010) पायलट आधार पर चयनित जिलों में एक संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आरंभ की। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य के तीन जिलों (दतिया, ग्वालियर, श्योपुर) में रबी 2010-11 से प्रारम्भ की गयी थी और शेष 48 जिलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाना जारी रखा गया था।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अप्रैल 2016 से मौजूदा दो योजनाओं (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना) की जगह ले ली। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ की फसलों के लिए दो प्रतिशत बीमा के प्रीमियम एवं रबी फसलों के लिए बीमा राशि का डेढ़ प्रतिशत का भुगतान करना होगा जबकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में विभिन्न खरीफ फसलों के लिए 2.5 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत और विभिन्न रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और दो प्रतिशत था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल काटने के बाद होने वाली हानि और प्रतिकूल

मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई/रोपण जोखिम के लिए संरक्षण प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में कवर नहीं किया गया था।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में कई समान विशेषताएं हैं, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचनाएं जारी करना, वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, फसल कटाई प्रयोगों (सी.सी.ई.) के आधार पर उपज डाटा का पता लगाना, दावा निर्धारण की विधि, आई.ए. द्वारा योजना का प्रचार, राज्य स्तर और जिला स्तर पर समितियों द्वारा इस योजना की निगरानी, आदि।

3.2.1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

रबी मौसम 2010-11 से खरीफ मौसम 2015 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से संबंधित गतिविधियों/लेन-देन को लेखापरीक्षा में समाहित किया गया था। लेखापरीक्षा, यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन को जो कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं वे पूरी की गईं थी, बीमा दावों को यथार्थतः अंतिम रूप दिया गया था और किसानों को समय पर वितरित किया गया था।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत समाहित 48 जिलों में से सोलह जिलों²² के कार्यालयों (33 प्रतिशत) का स्तरीकृत सरल यादृच्छिक चयन के आधार पर नमूना जांच के लिए चयन किया गया था। किसान कल्याण तथा कृषि विकास निदेशालय, ए.आई.सी., वित्तीय संस्थाओं और जिलों के राजस्व विभाग से जानकारियाँ एकत्रित की गईं थीं। पांच जिलों²³ में यह पता लगाने के लिए लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया कि क्या वास्तविक किसानों को योजना के अंतर्गत विधिवत लाभान्वित किया गया था। 24 फरवरी 2016 को प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा के तरीके पर चर्चा करने के लिए एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। 8 नवंबर 2016 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। शासन के उत्तरों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.2.1 किसानों, क्षेत्रों और फसलों का अपर्याप्त कवरेज

2011 में की गई कृषि जनगणना के अनुसार राज्य के पास में 158.36 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र था और राज्य में किसानों की कुल संख्या 88.72 लाख थी। रबी 2010-11 से रबी 2014-15 और खरीफ 2011 से खरीफ 2015 तक की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत समाहित किसान, प्राप्त प्रीमियम और वितरित किये गए दावों के बारे में जानकारी क्रमशः तालिका 3.2.1 (ए) एवं 3.2.1 (बी) में दर्शायी गई है।

²² बैतूल, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, सागर, सतना, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और विदिशा।

²³ बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर एवं टीकमगढ़

तालिका 3.2.1 (ए): ए.आई.सी. द्वारा प्राप्त प्रीमियम, रबी 2010-11 से रबी 2014-15 के दौरान वितरित किये दावे एवं कवर किये गये किसान

(₹ करोड़ में)

फसल का मौसम	समाहित किसानों की संख्या	किसानों की संख्या जिनको मुआवजा दिया गया	मुआवजा प्राप्त किसानों में कवर किसानों की सीमा (प्रतिशत में)	ए.आई.सी. द्वारा प्राप्त प्रीमियम की राशि	संवितरित दावों की राशि	प्रीमियम के लिए दावे की सीमा (प्रतिशत में)	संवितरण दावों में अंशदान		
							ए.आई.सी.	म.प्र. शासन	भारत सरकार
रबी 2010-11	12,92,609	5,28,937	40.92	46.17	270.21	585.25	42.15	114.03	114.03
रबी 2011-12	13,62,148	1,20,187	8.82	52.08	58.53	112.37	50.07	4.23	4.23
रबी 2012-13	19,86,175	3,59,559	18.10	96.95	316.82	326.80	94.32	111.25	111.25
रबी 2013-14	23,63,917	5,39,912	22.84	121.14	373.76	308.54	121.04	126.36	126.36
रबी 2014-15	25,36,588	1,98,902	7.84	140.93	150.84	107.03	140.93	4.955	4.955
योग	95,41,437	17,47,497		457.27	1,170.16		448.51	360.825	360.825

(स्रोत: निदेशक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के माध्यम से ए.आई.सी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

तालिका 3.2.1 (बी): किसान कवर, ए.आई.सी. द्वारा प्राप्त प्रीमियम और खरीफ 2011 से खरीफ 2014 के दौरान भुगतान किये गए दावे, समाहित क्षेत्र एवं समाहित किसान

(₹ करोड़ में)

फसल का मौसम	समाहित किसानों की संख्या	किसानों की संख्या जिनको मुआवजा दिया गया	मुआवजा प्राप्त किसानों में समाहित किसानों की सीमा (प्रतिशत में)	ए.आई.सी. द्वारा प्राप्त प्रीमियम की राशि	संवितरित दावों की राशि	प्रीमियम के लिए दावे की सीमा (प्रतिशत में)	संवितरण दावों में योगदान		
							ए.आई.सी.	म.प्र. शासन	भारत सरकार
खरीफ 2011	15,29,272	1,43,892	9.41	130.38	250.56	192.18	121.03	64.766	64.766
खरीफ 2012	20,32,541	74,358	3.66	207.79	75.08	36.13	75.08	0.000	0.000
खरीफ 2013	23,37,003	14,20,662	60.79	277.75	2,187.43	787.55	263.00	962.216	962.216
खरीफ 2014	24,54,306	4,25,136	17.32	319.05	541.99	169.88	306.77	117.610	117.610
खरीफ 2015	29,98,497	20,46,638	68.26	400.14	4,416.85	1,103.83	360.95	2,027.95	2,027.95
योग	1,13,51,619	41,10,686		1,335.11	7,471.91		1,126.83	3,172.542	3,172.542

(स्रोत: निदेशक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के माध्यम से ए.आई.सी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

इस प्रकार, रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का कवरेज राज्य में किसानों की कुल संख्या का 14.58 प्रतिशत से 33.80 प्रतिशत के बीच रहा। आगे की जांच से पता चला कि केवल 2,841 गैर-ऋणी किसानों को इस योजना के अंतर्गत रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान कवर किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.14** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत क्षेत्र का कवरेज भी कम था, जो 17.84 प्रतिशत से 40.93 प्रतिशत के बीच था जैसा कि **तालिका 3.2.2** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.2.2: क्षेत्रों का कवरेज

फसल का मौसम	कुल कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	समाहित कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल कृषि क्षेत्र में समाहित क्षेत्र तक की सीमा (प्रतिशत में)
रबी 2010-11	1,58,35,877	28,24,721.00	17.84
खरीफ 2011	1,58,35,877	34,24,053.00	21.62
रबी 2011-12	1,58,35,877	29,40,873.00	18.57
खरीफ 2012	1,58,35,877	47,06,529.00	29.72
रबी 2012-13	1,58,35,877	43,03,983.00	27.18

फसल का मौसम	कुल कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	समाहित कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल कृषि क्षेत्र में समाहित क्षेत्र तक की सीमा (प्रतिशत में)
खरीफ 2013	1,58,35,877	52,86,356.00	33.38
रबी 2013-14	1,58,35,877	49,33,145.96	31.15
खरीफ 2014	1,58,35,877	54,69,982.29	34.54
रबी 2014-15	1,58,35,877	52,40,951.61	33.10
खरीफ 2015	1,58,35,877	64,81,955.43	40.93

(स्रोत: भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग की कृषि जनगणना)

किसानों और क्षेत्र के कम कवरेज के कारणों में मुख्य रूप से विभाग और ए.आई.सी. द्वारा किए गए प्रचार की कमी और अधिसूचना जारी करने में विलंब थे जैसा कि अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है। इसके अलावा, कुछ जिलों में प्रमुख फसलों को म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। खरीफ 2011 से खरीफ 2015 के दौरान उड़द²⁴ और मूंग²⁵ का बुवाई क्षेत्र क्रमशः 35.37 लाख हेक्टेयर और 7.42 लाख हेक्टेयर था और रबी 2011 से रबी 2014-15 के दौरान मसूर²⁶ का बुवाई क्षेत्र 20.69 लाख हेक्टेयर था। लेखापरीक्षा जांच में पाया कि खरीफ 2013, खरीफ 2014 और खरीफ 2015 के दौरान टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में उड़द का बुवाई क्षेत्र, कुल बुवाई क्षेत्र का 27.15 प्रतिशत से 40.80 प्रतिशत रहा था। तथापि, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बीमा के लिए उड़द, मूंग और मसूर को अधिसूचित नहीं किया था। इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को योजना के अंतर्गत संग्रहण से बाहर छोड़ दिया गया था और इन फसलों को उगाने वाले किसान योजना कवरेज से वंचित थे। निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में विभाग ने कहा कि रबी 2015-16 के बाद गैर-ऋणी किसानों के कवरेज में वृद्धि हुई थी। इस योजना के अंतर्गत मूंग, मसूर, उड़द को कवर करने में विफलता के संदर्भ में विभाग ने कहा कि उड़द, मूंग और मसूर की फसल काटने के प्रयोगों के पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण अधिसूचित नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1999 से इस योजना के संचालन के बावजूद गैर-ऋणी किसानों का कवरेज काफी कम रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मुख्य फसलों उड़द, मूंग और मसूर को अधिसूचित करने में विफलता के लिए 10 वर्ष के फसल काटने के प्रयोगों के आंकड़ों के उपलब्ध नहीं होना बताया, जबकि योजना 15 से अधिक वर्षों से लागू है। इस प्रकार, किसानों (ऋणी और गैर-ऋणी) का कम कवरेज होने से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के उद्देश्यों विशेष रूप से आपदा के वर्षों में कृषि आय को स्थिर करने में मदद करने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

3.2.2.2 फसलवार अधिसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचनाएं

योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत संचालन के तौर तरीकों की कण्डिका 9 के अनुसार म.प्र. शासन प्रत्येक फसल मौसम के अग्रिम में फसलवार अधिसूचित क्षेत्र और लागू प्रीमियम दरें अधिसूचित करेगा। ए.आई.सी. किसानों की जानकारी के बारे में घोषणा पत्र और खरीफ और रबी फसलों के लिये वित्तीय संस्थाओं से प्रीमियम क्रमशः नवंबर और मई की अंतिम दिनांक तक स्वीकार करेंगे।

²⁴ 2011: 6,01,300 हेक्टेयर, 2012: 6,24,000 हेक्टेयर, 2013: 5,85,100 हेक्टेयर, 2014: 8,62,000 हेक्टेयर, 2015: 8,65,334 हेक्टेयर

²⁵ 2011: 80,600 हेक्टेयर, 2012: 73,000 हेक्टेयर, 2013: 89,500 हेक्टेयर, 2014: 1,55,300 हेक्टेयर 2015: 3,44,554 हेक्टेयर

²⁶ 2011-12: 5,87,100 हेक्टेयर, 2012-13: 5,11,000 हेक्टेयर, 2013-14: 5,30,080 हेक्टेयर 2014-15: 4,40,867 हेक्टेयर

योजना, इकाई क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर संचालित है। राज्य में अधिकांश खाद्य फसलों/तिलहन²⁷ के लिए पटवारी हल्का और कुछ फसलों²⁸ के लिए तहसील बीमा का इकाई क्षेत्र था। राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचनाओं में इसकी घोषणा की थी कि एक पटवारी हल्के में एक विशेष फसल का बुवाई क्षेत्र 100 हेक्टेयर या अधिक होना चाहिए। म.प्र. शासन ने अपनी अधिसूचनाओं में खरीफ और रबी के लिए घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि क्रमश 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल के रूप में निर्धारित की थी।


● **फसलवार अधिसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होने में विलंब**

इस योजना के अंतर्गत जिन फसलों और क्षेत्रों को शामिल किया जाना था उनके लिए अधिसूचनाएं 19 दिनों से लेकर 244 दिनों तक के विलंब के साथ जारी की गई थीं।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बुवाई क्षेत्र के प्राथमिक आंकड़े पटवारियों द्वारा इकट्ठे किये जाने थे। सत्यापन के बाद, राजस्व निरीक्षकों ने इन आंकड़ों को जिला स्तर पर आयुक्त, भू-अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिए संकलित किया। पिछले वर्षों के बुवाई क्षेत्रों के आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और संकलन में विलंब के कारण राज्य सरकार एस.ए.ओ. ऋण सत्र से पूर्व अधिसूचना जारी नहीं कर सकी। अधिसूचना जारी होने के बाद अधिसूचित क्षेत्रों को भी कई बार पुनरीक्षित किया गया था।

खरीफ 2011 से खरीफ 2015 मौसमों के दौरान, अधिसूचनाएं 32 दिनों से 88 दिनों के विलम्ब से एवं अंतिम पुनरीक्षित अधिसूचनाएं 151 दिनों से 244 दिनों के विलम्ब से जारी की गई थीं। रबी 2011-12 से रबी 2014-15 के मामले में अधिसूचनाएं 19 दिनों से 65 दिनों के विलम्ब से और अंतिम अधिसूचनाएं 46 दिनों से 195 दिनों के विलम्ब से जारी की गई थीं। म.प्र. शासन द्वारा प्रकाशित पहली अधिसूचनाएं और अंतिम पुनरीक्षित अधिसूचनाएं जारी करने में विलम्ब का ब्यौरा चार्ट 3.2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2.1: प्रत्येक फसल के मौसम के लिए अधिसूचना जारी होने में विलंब



गैर-ऋणी किसानों द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि खरीफ के लिए जुलाई और रबी फसलों के लिए दिसंबर थी। विलंबित अधिसूचना के परिणामस्वरूप, गैर-ऋणी किसान फसल बीमा के दायरे से बाहर किए गए थे। इस भूमिका ने किसानों को हतोत्साहित करने का कार्य किया क्योंकि ए.आई.सी. द्वारा दावों पर निर्धारित तिथि के बाद विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा, अधिसूचना जारी

²⁷ बाजरा, चना, मक्का, धान, सरसों, सोयाबीन, गेहूं।
²⁸ अलसी, कपास, मूंगफली, ज्वार, तिल।

करने में विलम्ब के कारण वित्तीय संस्थाओं को ऋणी किसानों के संबंध में घोषणा पत्र भेजने के लिए बहुत ही कम समय मिला।

लेखापरीक्षा जांच में पाया कि म.प्र. शासन ने घोषणा पत्र की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के बाद पुनरीक्षित अधिसूचनाएं जारी की थी। ए.आई.सी. ने निर्धारित तिथियों के बाद घोषणा पत्र और फसल बीमा के लिए प्रीमियम को स्वीकार नहीं किया जैसा कि **तालिका 3.2.3** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.2.3: उदाहरण जहां ए.आई.सी. ने प्राप्ति में विलंब के कारण घोषणा पत्र स्वीकार नहीं किये

(₹ लाख में)

क्र. स.	फसल का मौसम	ज़िला	वित्तीय संस्था का नाम	किसानों की संख्या	घोषणा पत्र की प्रस्तुति		प्रीमियम राशि	बीमा राशि
					ए.आई.सी. को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि	ए.आई.सी. में वास्तविक प्राप्ति दिनांक		
1	खरीफ 2014	बैतूल	भारतीय स्टेट बैंक	611	31 अक्टूबर 2014	18-11-2014	10.44	298.42
2	खरीफ 2014	राजगढ़	बैंक ऑफ इंडिया	41	31 अक्टूबर 2014	22-11-2014	3.59	104.39
3	खरीफ 2014	राजगढ़	बैंक ऑफ इंडिया	100	31 अक्टूबर 2014	22-11-2014	1.68	47.90
4	खरीफ 2014	राजगढ़	पंजाब नेशनल बैंक	320	31 अक्टूबर 2014	01-01-2015	9.96	290.69
योग				1,072				

(स्रोत : संबंधित जिलों के वित्तीय संस्था और डीडीए के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने में विलंब के कारण ऋणी किसानों के साथ ही गैर-ऋणी किसान लाभ लेने से वंचित रह गए और एक प्राक्कलन²⁹ के अनुसार 120 पटवारी हल्कों के 47,640 किसान बीमा कवरेज से वंचित थे, वहाँ अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचना निर्धारित तिथि के बाद जारी की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में विभाग ने भविष्य में अधिसूचनाओं को समय पर जारी करने और इन अधिसूचनाओं की बीमा पोर्टल अपलोड करने का आश्वासन दिया।

• बीमा कवरेज के लिए क्षेत्रों को शामिल किए जाने में विसंगति

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि खरीफ 2013 से रबी 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने पांच जिलों³⁰ में 2.49 लाख हेक्टेयर कुल बुवाई क्षेत्र के 1,059 पटवारी हल्कों को अधिसूचित नहीं किया था, हालांकि इन पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसल का बुआई क्षेत्र 100 हेक्टेयर और 1,238 हेक्टेयर के बीच था जैसा कि **परिशिष्ट 3.15** में विवरण दिया गया है। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान इन पांच जिलों में अधिसूचित फसलें क्षतिग्रस्त हो गयी थीं और ₹ 559.89 करोड़ रुपये का बीमा दावा वितरित किया गया था। इस प्रकार, 1,059 पटवारी हल्कों के किसानों को बिना कारण योजना कवरेज से बाहर रखा गया था और अधिसूचित फसलों की क्षति की सूचना के

इकाईयों के चयन में विसंगति के परिणाम स्वरूप 1,059 पटवारी हल्कों को संग्रहण से बाहर रखा गया और होने वाले लाभ 200 अपात्र पटवारी हल्कों के किसानों को दे दिये गए।

²⁹ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में किसानों की कुल संख्या 88.72 लाख थी और 2012-13 में कुल 22,371 पटवारी हल्के थे। इस प्रकार, किसानों की औसत संख्या प्रति पटवारी हल्का 397 है।

³⁰ होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, रायसेन, टीकमगढ़

बावजूद खरीफ 2013 से रबी 2014-15 के दौरान उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला।

आगे की जांच में यह भी पाया गया कि खरीफ 2013 से रबी 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने पांच जिलों³¹ में 200 पटवारी हल्कों को अधिसूचित किया हालांकि पटवारी हल्का का बुवाई क्षेत्र 100 हेक्टेयर से कम था जैसा परिशिष्ट 3.16 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, बीमा कवरेज अपात्र पटवारी हल्कों के लिए विस्तारित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार और म.प्र. शासन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में विभाग ने कहा कि बीमा इकाइयों के चयन कलेक्टरों द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख, को दिए प्रस्ताव में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया था। इसलिए, इस मामले को आगे सुधारात्मक उपायों और भविष्य में अनुपालन के लिए आयुक्त, भू-अभिलेख, राजस्व विभाग के ध्यान में लाया गया था।

तथ्य वही है कि अधिसूचना सूचना जारी करने के पूर्व जिन क्षेत्रों को अधिसूचित होना था उनकी सूची की यथार्थता का अधीक्षक भू-अभिलेख, (एसएलआर) ने पर्याप्त सत्यापन नहीं किया था। परिणामतः, पात्र पटवारी हल्के के किसानों को योजना कवरेज से बाहर रखा गया और अपात्र पटवारी हल्कों के किसानों को लाभ दिया गया था।

3.2.2.3 फसल काटने के अपर्याप्त प्रयोग

योजना के दिशा-निर्देशों की कण्डिका 11 के अनुसार राज्य सरकार फसल की उपज का आकलन करने के उद्देश्य से बीमा इकाइयों में सभी अधिसूचित फसलों के लिए फसल काटने के प्रयोगों का आवश्यक संख्या में संचालन करने के लिए योजना और प्रबंध करेगी। फसल की उपज, बीमा दावे का पता लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसके बिना ए.आई.सी. दावे पर विचार नहीं करेगी। प्रत्येक जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख (एस.एल.आर.) और उप संचालक कृषि (डी.डी.ए) प्रत्येक पटवारी हल्के में 5 मी x 5 मी के एक क्षेत्र में फसल की उपज का पता लगाने के लिए कम से कम चार फसल काटने के प्रयोगों (दो एस.एल.आर. और दो डीडीए द्वारा) का संचालन करने के लिए जिम्मेदार थे।

फसल काटने के प्रयोगों से सम्बन्धित आंकड़ों के अभाव में ए.आई.सी., 6,702 पटवारी हल्कों में दावों की गणना नहीं कर सका और इन पटवारी हल्कों के वास्तविक किसान योजना का लाभ लेने से वंचित रहे थे।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13 और खरीफ 2014 के दौरान म.प्र. शासन द्वारा ए.आई.सी. को 5,128 पटवारी हल्कों के कोई उपज आंकड़े (फसल काटने के प्रयोगों के परिणाम) नहीं भेजे गए और 1,574 पटवारी हल्कों के अधूरे उपज आंकड़े (यानी चार फसल काटने के प्रयोगों से कम) भेजे गए। आगे की जांच में पाया गया कि अकेले खरीफ 2014 के मौसम में, 774 पटवारी हल्कों के कोई उपज आंकड़े नहीं भेजे गए और 60,824 किसानों के संबंध में 25 पटवारी हल्कों के अधूरे उपज आंकड़े ए.आई.सी. को भेजे गए। इन किसानों के संबंध में ₹ 311.26 करोड़ की (बीमा की गयी राशि) के बीमा कवरेज के लिए कुल ₹ 10.20 करोड़ बतौर बीमा प्रीमियम ए.आई.सी. के पास जमा किए गए थे। प्रमुख चूककर्ता जिले/तहसीलें, जिन्होंने ए.आई.सी. को कोई उपज आंकड़े नहीं भेजे या अधूरे उपज आंकड़े भेजे तालिका 3.2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.4 : खरीफ 2014 के दौरान प्रमुख चूककर्ता जिले जिन्होंने फसल काटने के प्रयोगों के उपज आंकड़े भेजे नहीं या अधूरे उपज आंकड़े भेजे।

ज़िले का नाम	तहसील का नाम	पटवारी हल्कों की संख्या
रायसेन	गोहरगंज	81
	रायसेन	35

³¹ होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, रायसेन, टीकमगढ़

ज़िले का नाम	तहसील का नाम	पटवारी हल्कों की संख्या
	बरेली	34
	उदयपुरा	14
	गैरतगंज	11
	सुल्तानपुर	06
नरसिंहपुर	गाडरवारा	148
	गोटेगांव	41
	करेली	22
	नरसिंहपुर	20
	तेंदुखेडा	09
शिवपुरी	कोलारस	13
	पिछोर	13

ए.आई.सी. को फसल काटने के प्रयोगों के परिणाम प्रदान करने में एस.एल.आर. और डीडीए की विफलता के परिणामस्वरूप, 6,702 पटवारी हल्कों³² के किसान योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित रहे।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में विभाग ने कहा कि इस मामले को राजस्व विभाग के ध्यान में लाया जाएगा और इसके भविष्य में अनुपालन के लिए एवं सुधारात्मक उपाय के लिए, ए.आई.सी. से जानकारी मांगी जाएगी।

प्रकरण के एक बैठक में भी (दिसंबर 2016) सी.एल.आर. के साथ चर्चा की गई थी, जिसने सूचित किया कि पटवारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण फसल काटने के प्रयोग समय पर आयोजित नहीं किए गए थे। सी.एल.आर. ने आगे बताया कि वहाँ भी डी.डी.ए द्वारा फसल काटने के प्रयोगों के परिणाम देने में विलंब किया गया था।

तथ्य यही है कि पर्याप्त फसल काटने के प्रयोगों को सुनिश्चित करने में एफ.डब्ल्यू.ए. डी.डी. द्वारा निगरानी की कमी रही जिससे बीमित किसानों को फसल बीमा के लाभ नहीं मिले।

3.2.2.4 शासन और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच जोखिम की साझेदारी

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड का गठन (अक्टूबर 2003) भारत सरकार द्वारा किया गया था। कंपनी के मुख्य शेयरधारकों में जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (35 प्रतिशत), कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक (नाबार्ड) (30 प्रतिशत), नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (8.75 प्रतिशत), न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (8.75 प्रतिशत), ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (8.75 प्रतिशत) और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (8.75 प्रतिशत) हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की कण्डिका 8 (क) के अनुसार, 100 प्रतिशत से ऊपर प्रीमियम के दावे भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन किये जायेंगे जब तक कि बीमांकिक व्यवस्था³³ पांच वर्ष की अवधि में पूर्ण रूप से स्थान लेती है। इसके बाद सभी सामान्य दावे अर्थात् प्रीमियम के 150 प्रतिशत तक के दावे कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा और 150 प्रतिशत से ऊपर के दावों को तीन साल की अवधि के लिए कोर्पस निधि³⁴ से भुगतान किया जाएगा। इस तीन साल की अवधि के

³² पटवारी हल्कों की कुल संख्या = 5,128 + 1,574 = 6,702

³³ यह एक चरण है जब क्रियान्वयन एजेंसी इसके सांख्यिकीय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित बीमा प्रभार (प्रीमियम) को बढ़ाकर दावे वहन करेंगे।

³⁴ आपदा से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए एक कोर्पस निधि 50:50 के आधार पर भारत सरकार और म.प्र. शासन के योगदान के साथ बनाया जाएगा।

बाद, 200 प्रतिशत तक का दावा कार्यान्वयन एजेंसी पूरा करेगी और इस सीमा से अधिक के दावे कोर्पस निधि से पूरे किये जायेंगे।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को रबी 1999 से मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। हालांकि, आज दिनांक तक बीमांकिक व्यवस्था लागू नहीं किया गया और प्रीमियम के स्तर से ऊपर बीमा दावों को 50:50 के आधार पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन किया गया था। रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान स्वीकार किये दावों की स्थिति, तालिका 3.2.5 में दिखाया गया।

तालिका 3.2.5: भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन पर अतिरिक्त बोझ दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ए.आई.सी. के पास जमा प्रीमियम	वर्ष के दौरान स्वीकार किये गए दावे	ए.आई.सी. द्वारा भुगतान होने वाले दावे (एकत्र प्रीमियम का 200 प्रतिशत)	वास्तव में ए.आई.सी. द्वारा भुगतान किए गए दावे	भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन पर अतिरिक्त बोझ
रबी 2010-11	46.17	270.20	92.34	42.15	50.19
खरीफ 2011	130.38	250.56	250.56	121.03	129.53
रबी 2011-12	52.08	58.54	58.54	50.07	8.47
खरीफ 2012	207.79	75.08	75.08	75.08	0
रबी 2012-13	96.95	316.82	193.90	94.32	99.58
खरीफ 2013	277.78	2,187.43	555.50	263.00	292.56
रबी 2013-14	121.05	373.76	242.11	121.05	121.05
खरीफ 2014	319.05	541.99	541.99	306.78	235.21
रबी 2014-15	140.93	150.84	150.84	140.93	9.91
खरीफ 2015	400.14	4,416.85	800.28	360.95	439.33
योग	1,792.32	8,642.07	2,961.14	1,575.36	1,385.83

(स्रोत: संचालक, एफ.डब्ल्यू.ए.डी.डी. के माध्यम से ए.आई.सी. द्वारा प्रदान जानकारी)

चूंकि बीमांकिक व्यवस्था लागू नहीं किया गया था, ₹ 692.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान रूप से वहन किया गया।

इस प्रकार, बीमांकिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं करने के कारण रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान ए.आई.सी. की ओर से ₹ 1,385.83 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन (₹ 692.92 करोड़) द्वारा वहन किया गया था जैसा के तालिका 3.2.5 में दर्शाया गया है। इसलिये, यह बीमा एजेंसी को उदारता दिखाना था।

ए.आई.सी. ने कहा (जुलाई 2015) कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक और हर मौसम के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया था और बीमांकिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय केवल भारत सरकार द्वारा लिया जा सकता है।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में विभाग ने कहा कि नई योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) में बीमांकिक व्यवस्था लागू की जा रही थी और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के दिशानिर्देशों में कोई बीमांकिक प्रीमियम दरों की व्यवस्था नहीं थी।

तथ्य यही है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के पांच साल के बाद भी बीमांकिक व्यवस्था जैसा कि इस योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित था लागू नहीं किया गया, परिणामस्वरूप रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 692.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ सहन करना पड़ा।

3.2.2.5 कोर्पस निधि

₹ 18.03 करोड़ की कोर्पस निधि ए.आई.सी. के पास बेकार रही और आपदा से हुए नुकसान के दौरान उपयोग नहीं हो पायी।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 16 में निर्धारित किया गया है कि, आपदा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के क्रम में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के बराबर योगदान से एक कोर्पस निधि बनाया जाएगा। आपदा राहत कोष के एक हिस्से का योगदान कोर्पस निधि के लिए उपयोग किया जाएगा। कोर्पस निधि का प्रबंध ए.आई.सी. द्वारा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच और ए.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चला है कि मध्य प्रदेश शासन ने (अक्टूबर 2000 और अप्रैल 2002) में ₹ 3.00 करोड़ और ₹ 4.42 करोड़ जी.आई.सी. को कोर्पस निधि के लिए प्रदान की, जिससे रबी 1999-2000 से रबी 2002-03 के दौरान योजना लागू की जा सकी। ₹ 7.42 करोड़ का यह कोर्पस निधि गठन के बाद ए.आई.सी. को स्थानांतरित किया गया था। कोर्पस निधि के लिए आगे कोई योगदान मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा नहीं किए गए थे।

ए.आई.सी. को निधि के हस्तांतरण के बाद से, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) के नियमों के अनुसार, इसे कई तरह जैसे, सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, म्युचुअल फंड, इक्विटी, आदि विभिन्न उपकरणों के अंतर्गत निवेश किया गया था। निवेश पर वापसी एकत्रित करने के बाद कोर्पस निधि में 31.03.2016 तक ₹ 18.03 करोड़ शेष था।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि ए.आई.सी. ने 2013, 2014 और 2015 के दौरान राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि के कारण उत्पन्न भयावह स्थिति के दौरान बीमा के निपटारे के लिए कोर्पस निधि का उपयोग नहीं किया था। राज्य सरकार ने तथापि निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान सूचित किया कि कोर्पस निधि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत नहीं बनाया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार को कोर्पस निधि के अंतर्गत लेनदेन के बारे में पता नहीं था और कोर्पस निधि की शेष राशि ए.आई.सी. के साथ निष्क्रिय बनी रही।

जवाब में ए.आई.सी. (जनवरी 2017) ने कहा कि कोर्पस फंड का उपयोग नहीं किया गया था चूंकि शासन ने दावों के भुगतान के लिए धनराशि उपलब्ध करा दिया था। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में विभाग ने आगे कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोर्पस निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

तथ्य यही है कि ₹ 18.03 करोड़ ए.आई.सी. के खाते में अप्रयुक्त रखे गये थे, इस बात को देखते हुए भी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोर्पस निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं है निधि अभी तक भी राज्य सरकार को वापस नहीं किया गया था (जनवरी 2017)।

3.2.2.6 प्रशासनिक और ऑपरेटिव व्यय के लिए वित्तीय सहायता

ए.आई.सी. के प्रशासनिक और ऑपरेटिव व्ययों को वित्तीय सहायता में निरंतरता रखने के लिए राज्य सरकार ने ₹ 1.49 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की कण्डिका 15 के अनुसार, ए.आई.सी. के प्रशासनिक और ऑपरेटिव (ए. और ओ.) व्यय को समान रूप से भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन में सूर्यास्त आधार पर साझा किया जाएगा (यानी पहले वर्ष में 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत, तीसरे वर्ष में 60 प्रतिशत, चौथे वर्ष में 40 प्रतिशत, पांचवें वर्ष में 20 प्रतिशत और उसके बाद शून्य)।

ए.आई.सी. को 1 अप्रैल 2003 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया था, इसलिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से ए.आई.सी. के ए. और ओ. व्ययों के सहायता को खरीफ सत्र 2008 से बंद कर दिया जाना चाहिए था।

तथापि, लेखापरीक्षा जांच, में पता चला है कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार ने रबी 2011 से खरीफ 2015 के दौरान ए.आई.सी. को 100 प्रतिशत ए. और ओ. व्यय के लिए ₹ 2.99 करोड़³⁵ की राशि दी थी। परिणामस्वरूप यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन पर ₹ 2.99 करोड़ (प्रत्येक पर ₹ 149.51 लाख) का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा और ₹ 20.35 लाख³⁶ की राशि के ब्याज की भी हानि हुई।

ए.आई.सी. ने कहा (जुलाई 2015) कि शुरू में 100 प्रतिशत ए. और ओ. व्यय को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था जो अब (मार्च 2015) 20 प्रतिशत तक कम हो गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में विभाग ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला था और आगे की पहल/सुधारात्मक उपायों के लिए शासन तक इस मामले को ले जाने का आश्वासन दिया गया।

जवाब तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि ए. और ओ. व्यय को इस योजना के दिशा-निर्देशों को देखते हुए 2008 से पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना था।

3.2.2.7 ए.आई.सी. द्वारा सेवा शुल्क का भुगतान

ए.आई.सी. ने वित्तीय संस्थाओं को सेवा शुल्क के ₹ 33.90 करोड़ का भुगतान नहीं किया।

योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 16 के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी मौसम के अंत में दोनों ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के संबंध में वित्तीय संस्था को सेवा शुल्क प्रीमियम का 2.5 प्रतिशत की दर से एकत्र कर भुगतान करेगी। सेवा प्रभार भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला है कि वित्तीय संस्थाओं ने रबी 2012-13 से खरीफ 2015 तक की अवधि के दौरान बीमा प्रीमियम के रूप में ₹ 1,355.96 करोड़³⁷ एकत्र किये और ए.आई.सी. को भेजे। इस प्रकार, ₹ 33.90 करोड़ (₹ 1,355.96 करोड़ का 2.5 प्रतिशत की दर से) का सेवा शुल्क वित्तीय संस्थाओं को देय था। हालांकि, ए. आई.सी. ने जुलाई 2016 तक वित्तीय संस्थाओं को सेवा शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

ए.आई.सी. ने (जुलाई 2015) में कहा कि रबी 2012-13 से बैंक सेवा शुल्क का भुगतान भारत सरकार के शेयर न देने के कारण देय है। निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में विभाग ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

³⁵ 2010-11 ₹ 26.40 लाख, 2011-12 ₹ 59.13 लाख, 2012-13 ₹ 40.90 लाख, 2013-14 ₹ 59.28 लाख, 2014-15 ₹ 113.32 लाख

³⁶ विभिन्न वर्षों के दौरान 6.48 से लेकर 7.04 प्रतिशत की राज्य के औसत उधार ब्याज दर।

³⁷ रबी 2012-13 ₹ 96.95 करोड़, खरीफ 2013 ₹ 277.75 करोड़, रबी 2013-14 ₹ 121.14 करोड़, खरीफ 2014 ₹ 319.05 करोड़, रबी 2014-15 ₹ 140.93 करोड़ और खरीफ 2015 ₹ 400.14 करोड़

3.2.2.8 प्रचार/जागरूकता

एफ.डब्ल्यू.ए.डी.डी. के साथ ही ए.आई.सी. ने योजना के प्रचार के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी और जागरूकता पैदा करने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री और पैम्फलेट कृषि विस्तार अधिकारियों को नहीं दिये गये।

योजना के दिशा निर्देशों के अंतर्गत संचालन के तौर तरीकों की कण्डिका 8 के अनुसार किसानों के बड़े वर्ग में इसे स्वीकार्य योग्य बनाने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ए.आई.सी. और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिम्मेदार थे। इसके साथ दृश्य-श्रव्य मीडिया के माध्यम से प्रचार के लिए राज्य के कृषि विस्तार अधिकारियों (ए.ई.ओ.) की सेवाएं उपयोग में ली जानी थीं। एक अलग कार्य योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए तैयार किया जाना था और पैम्फलेट सभी गांवों को वितरित किया जाना था। योजना के सुचारु कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं के समाशोधन, संदेहों को स्पष्ट करने, शिकायत के निवारण में मदद करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और ए.आई.सी. अधिकारियों की बैंकों में उपस्थिति की व्यवस्था की जानी थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि किसानों के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता के लिए एफ.डब्ल्यू.ए.डी.डी. या ए.आई.सी. द्वारा कोई कार्य योजना तैयार नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने योजना के प्रचार/जागरूकता के लिए वर्ष 2010-15 के दौरान ए.आई.सी. को ₹ 7.09 लाख उपलब्ध कराए थे। तथापि, ए.आई.सी. द्वारा कोई कार्य योजना शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया था। पूछताछ करने पर नमूना जांच किए गए डी.डी.ए. ने बताया कि ए.आई.सी. के प्रतिनिधियों ने किसी भी कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। नमूना जांच किए गए 16 जिलों में कृषि विस्तार अधिकारियों को श्रव्य दृश्य सामग्री, पैम्फलेट, आदि प्रदान नहीं किये गये थे। अपर्याप्त प्रचार/जागरूकता के परिणामस्वरूप राज्य में गैर-ऋणी किसानों का कवरेज दो (खरीफ 2014) से लेकर 1,080 (रबी 2010-11) था।

योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य रूप से क्रियान्वित की जानी थी। तथापि, पांच जिलों के 256 ऋणी किसानों के लाभार्थी सर्वेक्षण में नीचे बताए अनुसार योजना लाभ के बारे में जागरूकता की कमी प्रकट हुई:

- 78 प्रतिशत किसानों को प्रीमियम की कटौती के बारे में सूचित नहीं किया गया,
- 92 प्रतिशत किसानों को अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित फसल के बारे में सूचित नहीं किया गया, और
- 65 प्रतिशत किसानों को अन्य किसानों के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में पता चला न कि ए.आई.सी. द्वारा किए गए प्रचार और जागरूकता के माध्यम से।

ए.आई.सी. ने बताया (जुलाई 2016) कि इस योजना के अंतर्गत किसानों की संख्या में वृद्धि प्रदर्शनियों/मेलों, में इस योजना के प्रचार, समाचार पत्रों में विज्ञापन देने, बैंकर्स आदि को प्रशिक्षण दिए जाने से हुई थी। चूंकि, योजना गैर-ऋणी किसानों के लिए क्षेत्र दृष्टिकोण के और स्वैच्छिक आधार पर चलती है किसान फसलों का बीमा पाने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वे अपने खेतों/फसलों का व्यक्तिगत आधार पर बीमा चाहते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन से केवल ऋणी किसानों के कवरेज में वृद्धि हुई थी जो उनके लिए लागू किया जाना अनिवार्य था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में, प्रमुख सचिव ने कहा कि नई योजना में प्रचार के लिए आवंटन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया था जिसकी वजह से गैर-ऋणी किसानों के कवरेज में काफी वृद्धि हुई थी।

तथ्य यह है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के संचालन के दौरान प्रचार अभियान के आयोजन नहीं किये गये थे जो इस योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित था, परिणामस्वरूप ऋणी किसानों के बीच इस योजना के लाभों के बारे में अज्ञानता और गैर-ऋणी किसानों का अपर्याप्त कवरेज था।

3.2.2.9 दावों के भुगतान में विलंब

म.प्र. शासन की हिस्सेदारी के वितरण में विलंब के कारण से, दावों के संवितरण में 1 माह से लेकर 31 माह के विलंब थे।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, खरीफ और रबी के लिए उपज डेटा की प्राप्ति के लिए निर्धारित दिनांक क्रमशः जनवरी और जुलाई है, लेकिन बीमा दावों के भुगतान के लिए कोई समय-सारणी निर्धारित नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि ए.आई.सी. ने उपज डेटा की प्राप्ति निर्धारित दिनांक से दावों का पता लगाने और म.प्र. शासन से मांग करने में एक माह से 17 माह लिये थे।

आगे की जांच से पता चला है कि म.प्र. शासन ने रबी 2010-11 से खरीफ 2015 की अवधि से संबंधित दावों के लिए अपने हिस्से के 27 संवितरण दे दिये थे जिनमें से 9 संवितरण ए.आई.सी. से मांग प्राप्त होने की दिनांक से एक माह से अधिक के विलंब के बाद मुक्त किए गये थे। रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान किसानों के दावों के चार प्रकरणों में एक माह से तीन माह, 16 प्रकरणों में चार माह से 11 माह, पाँच प्रकरणों में एक वर्ष से दो वर्ष और दो प्रकरणों में 24 माह से 31 माह तक की अवधि के विलंब थे जैसा परिशिष्ट 3.17 में दर्शाया गया है।

ए.आई.सी. ने वित्तीय संस्थाओं को किश्तों में और कभी कभी अगले एस.ए.ओ. ऋण सत्र के बाद बीमा दावों का भुगतान किया। सहकारी बैंक खरीफ एस.ए.ओ. ऋण के लिए 15 मार्च तक और रबी एस.ए.ओ. ऋण के लिए 15 जून तक कोई ब्याज प्रभारित नहीं करते हैं। यदि किसान निर्धारित अवधि के भीतर एस.ए.ओ. ऋण चुकाने में असफल हो, सहकारी बैंक वाणिज्यिक दर पर ब्याज वसूलते हैं। पांच जिलों में 256 किसानों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 16 प्रतिशत किसानों ने बताया कि दावों की प्राप्ति में विलंब के कारण वे समय पर अपने ऋण नहीं चुका सके और इसलिए विलंब के कारण अगले मौसम में ऋण के लिए वंचित थे। इस प्रकार, दावों के भुगतान में विलंब के परिणामस्वरूप दावेदारों को कठिनाई में डाल दिया गया।

ए.आई.सी. ने बताया (जुलाई 2016) कि दावे के निपटान में विलंब के कारण का तथ्य यह था कि उपज डेटा प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा जाँच की गई थी और त्रुटि/चूक के मामले में, म.प्र. शासन से स्पष्टीकरण मांगा गया था। दावे, स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद संसोधित किए गए थे। दावों के निपटान में विलंब के लिए अन्य कारण शासन की ओर से शेयर की प्राप्ति में विलंब था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार कर भविष्य में दावों का समय पर वितरण का आश्वासन दिया।

3.2.2.10 वित्त का स्केल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की कण्डिका 5 के अनुसार बीमाकित राशि जिले के वित्त के स्केल (एस.ओ.एफ़.) के अनुसार होगी। जिले की प्रत्येक फसल के लिये ऋण की वित्त सीमा एस.ए.ओ. के माध्यम से निर्णित की गई थी, जो उत्पादन लागत, उत्पादकता, फसल की कीमत, किसानों की चुकाने की क्षमता आदि के आधार पर एक जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गयी थी। म.प्र. शासन ने फसल और पटवारी हल्के की अधिसूचना में उल्लेख किया था कि बीमित राशि एस.ओ.एफ़. की सीमा तक होगी।

वित्त स्केल के उल्लंघन से बीमा दावों में ₹ 101.07 करोड़ तक की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप भासन को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा।

नमूना जाँच किए सात जिलों³⁸ के अभिलेखों की जांच से पता चला कि खरीफ 2013, रबी 2013-14 और खरीफ 2014 के दौरान 2,30,207.8 हेक्टेयर के लिए ₹ 497.07 करोड़ के एस.ए.ओ. ऋण वितरित किए गए थे। यद्यपि, एस.ओ.एफ. के अनुसार ₹ 335.41 करोड़ के एस.ए.ओ. ऋण होना चाहिए थे (परिशिष्ट 3.18)। ए.आई.सी. वित्त के स्केल और उसके द्वारा प्राप्त किये प्रीमियम के अनुसार आकलित अतिरिक्त दावों की जांच करने में विफल रहा और तदनुसार भुगतान किया। इस प्रकार, बीमा दावों में वित्त के स्केल के उल्लंघन के कारण ₹ 101.07 करोड़ की वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप शासन को अतिरिक्त वित्तीय बोझ हुआ।

ए.आई.सी. ने कहा (जुलाई 2016) कि अधिकांश बैंकर्स वित्त के स्केल के अनुसार बीमा कर रहे थे लेकिन कुछ वाणिज्यिक बैंकर्स ने वित्त के स्केल से अधिक और ऊपर बीमा कर दिया था। म.प्र. शासन द्वारा खरीफ 2015 के मौसम में वित्त के स्केल के लिए कवरेज को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया और कहा कि इस नई योजना अर्थात् प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार किया गया था।

तथ्य यह है कि ए.आई.सी. द्वारा एस.ओ.एफ. की तुलना में बीमा प्रीमियम की अपर्याप्त जांच से बीमा दावों में ₹ 101.07 करोड़ में वृद्धि हुई।

3.2.2.11 दावों का निपटान

अभिलेखों की जांच से योजना के कार्यान्वयन में वित्तीय संस्थाओं की निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकट हुईं:

(i) वित्तीय संस्थाओं द्वारा बीमा प्रीमियम की कटौती नहीं करना

खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014 और रबी 2014-15 के दौरान बैतूल, कटनी और राजगढ़ जिलों में वित्तीय संस्थाओं ने अधिसूचित क्षेत्रों के अधीन अधिसूचित फसलों के प्रीमियम को घटाया नहीं था। जैसा तालिका 3.2.6 में दिखाया गया है।

तालिका 3.2.6: वित्तीय संस्थाओं ने प्रीमियम नहीं घटाया

क्र. स.	फसल का मौसम	जिला	वित्तीय संस्था का नाम	किसानों की संख्या
1	खरीफ 2013	बैतूल	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, सोहागपुर	167
2	खरीफ 2013	कटनी	बैंक ऑफ बड़ौदा	44
3	रबी 2013-14	कटनी	बैंक ऑफ बड़ौदा	49
4	खरीफ 2014	कटनी	बैंक ऑफ बड़ौदा	30
5	रबी 2014-15	कटनी	बैंक ऑफ बड़ौदा	43
6	खरीफ 2015	कटनी	बैंक ऑफ बड़ौदा	02
7	खरीफ 2013	सागर	पंजाब एंड सिंध बैंक	01
8	खरीफ 2013	सागर	ओरिएंटल बैंक	04
9	खरीफ 2013	सागर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	21
10	खरीफ 2013	सागर	बैंक ऑफ इण्डिया	03
11	खरीफ 2013	सागर	इण्डियन बैंक	01
12	खरीफ 2013	सागर	जिला सहकारी सेण्ट्रल बैंक	15
13	खरीफ 2013	सागर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बड़ावेली	02
14	खरीफ 2013	सागर	पंजाब नेशनल बैंक	01
15	खरीफ 2013	सागर	आईसीआईसीआई बैंक	01
16	खरीफ 2013	सागर	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	11
योग				395

(स्रोत: वित्तीय संस्थाओं और संबंधित जिलों के डीडीए द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

वित्तीय संस्थाओं द्वारा बीमा प्रीमियम नहीं घटाने के कारण किसान, इस योजना के लाभ से वंचित थे वित्तीय संस्थाओं द्वारा गलत पटवारी हल्कों की अभिलेखन और बीमा प्रीमियम की कटौती की लेकिन ए.आई.सी. को भेजा नहीं।

³⁸

बैतूल, होशंगाबाद, कटनी, रायसेन, राजगढ़, सागर और शाजापुर

इस प्रकार, प्रीमियम की कटौती में वित्तीय संस्थाओं की विफलता के कारण 395 पात्र ऋणी किसान इस योजना के लाभ से वंचित थे।

(ii) बीमा प्रीमियम की कटौती की, लेकिन ए.आई.सी. को नहीं भेजा

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि खरीफ 2014 के दौरान बैतूल, कटनी और राजगढ़ जिलों में कटौती किए गए प्रीमियम ए.आई.सी. को नहीं भेजे थे या निर्धारित दिनांक के बाद ए.आई.सी. को भेजे गये थे जैसा तालिका 3.2.7 दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.7: वित्तीय संस्थाओं ने ए.आई.सी. को प्रीमियम नहीं भेजा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	फसल का मौसम	जिला	वित्तीय संस्था का नाम	किसानों की संख्या	घोषणा पत्र		प्रीमियम की राशि	बीमित राशि
					ए.आई.सी. को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक	ए.आई.सी. में प्राप्त करने की वास्तविक दिनांक		
1	खरीफ 2014	बैतूल	पंजाब नेशनल बैंक दुनावा	565	31 अक्टूबर 2014	भेजा नहीं	9.72	277.78
2	खरीफ 2014	कटनी	डीसीसीबी, जबलपुर	129	31 अक्टूबर 2014	भेजा नहीं	0.47	19.71
3	खरीफ 2014	कटनी	डीसीसीबी शाखा रीठी	43	31 अक्टूबर 2014	भेजा नहीं	0.59	23.40
4	खरीफ 2014	कटनी	पीएसीएस बड़गांव	34	31 अक्टूबर 2014	भेजा नहीं	0.13	26.01
योग				771				

(स्रोत: वित्तीय संस्थाओं और संबंधित जिलों के डीडीए द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

इस प्रकार, निर्धारित दिनांक से पूर्व बीमा प्रीमियम भेजने में वित्तीय संस्थाओं की विफलता के कारण 771 पात्र ऋणी किसान इस योजना के लाभ से वंचित थे। आगे की जांच में पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, गंज बासौदा, विदिशा ने 492 किसानों से रबी मौसम 2012-13 के लिए ₹ 11.86 लाख का प्रीमियम एकत्र किया था और 26 मार्च 2013 (निर्धारित दिनांक से पूर्व) को ए.आई.सी. को भेज दिये थे। तथापि, ए.आई.सी. ने दावों के निर्धारण और संवितरण में इस पर विचार नहीं किया। इस प्रकार, इन क्षेत्रों के 492 किसान इस योजना के लाभ से वंचित रहे।

ए.आई.सी. ने उन किसानों के दावों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जिन के प्रीमियम पंजाब नेशनल बैंक, गंजबासौदा, विदिशा से एकत्र किए गए थे।

(iii) वित्तीय संस्थाओं ने घोषणा पत्र में गलत पटवारी हल्के दर्ज किए

रबी 2012-13, रबी 2013-14 और खरीफ 2014 के दौरान राजगढ़ और शाजापुर जिलों में 140 किसान इस योजना के लाभ के लिए अपात्र हो गये क्योंकि वित्तीय संस्थाओं ने घोषणा पत्र में गलत पटवारी हल्के दर्ज किए थे जैसा तालिका 3.2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.8: वित्तीय संस्थाओं ने गलत पटवारी हल्के दर्ज किए

क्र. सं.	फसल का मौसम	जिला	वित्तीय संस्थाओं का नाम	किसानों की संख्या	प्रीमियम राशि	बीमित राशि
1	खरीफ 2014	राजगढ़	पी.ए.सी.एस., जामी	54	45,052	13,01,084
2	रबी 2012-13	राजगढ़	पी.ए.सी.एस., बावरीखेड़ा	69	30,310	15,15,500
3	रबी 2013-14	शाजापुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मक्सी	17	0	0
योग				140		

(स्रोत: वित्तीय संस्थाओं और संबंधित जिलों के डीडीए द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

इसलिए, वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर सत्यापन की कमी के कारण 140 किसान इस योजना के लाभ से वंचित रहे।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में, विभाग ने आश्वस्त किया कि मामलों को अलग-अलग देखा जाएगा और उसी के अनुसार समाधान किया जाएगा।

3.2.2.12 बुवाई क्षेत्र से बीमित क्षेत्र बढ़ गया


राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बिना बोये 9,05,896 हेक्टेयर के क्षेत्र का बीमा किया गया था।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के संचालन के तौर तरीकों की कण्डिका 4(1) के अनुसार बिना बोये क्षेत्रों के लिए दिए गए ऋण को योजना के द्वारा, कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दावे, फसल बोयी गयी थी और फसल की विफलता की स्थिति के बाद ही उद्भूत होते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण का संवितरण मात्र से योजना के अंतर्गत मुआवजे के लिए किसान हकदार नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि खरीफ 2013 के दौरान 42 जिलों के 3,362 पटवारी हल्कों में 22,64,195 हेक्टेयर बीमा क्षेत्र थे। तथापि, राजस्व अभिलेखों के अनुसार, वास्तव में इन पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के बुवाई क्षेत्र 13,58,299 हेक्टेयर थे जैसा **परिशिष्ट 3.19** में विवरण दिया गया है। इस प्रकार, 9,05,896 हेक्टेयर का बिना बोया गया क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया गया और प्रीमियम राशि एकत्र कर ए.आई.सी. को भेजा गया था। विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2016) कि ऐसे क्षेत्रों में दावों की गणना में "क्षेत्र कारक" सूत्र लागू किया गया था। इस प्रकार, वित्तीय संस्थाओं की चूक की वजह से किसानों को अनुमत्य मुआवजा नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि खरीफ 2014 के दौरान रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों में कुल बीमा क्षेत्र कुल कृषि योग्य क्षेत्र से अधिक था जैसा **चार्ट 3.2.2** में चित्रित है।

चार्ट 3.2.2 बीमा क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र से अधिक था



(स्रोत: वित्तीय संस्थाओं और संबंधित जिलों के डीडीए द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में, विभाग ने कहा कि यह विसंगति किसानों द्वारा एक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाते प्राप्त करने के कारण थी। हालांकि, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट "क्षेत्र कारक" सूत्र ऐसे क्षेत्रों में दावों की गणना में लागू किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि "क्षेत्र कारक" सूत्र राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लेखित नहीं था। इसके अलावा, एकल किसान क्रेडिट खाते रखना सुनिश्चित करना भी शासन की जिम्मेदारी थी।

3.2.2.13 परिभाषित क्षेत्र/बीमा इकाइयों को अपनाना

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि यह योजना इकाई क्षेत्र दृष्टिकोण अर्थात् बड़े पैमाने पर आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए परिभाषित क्षेत्र के आधार पर संचालित होगी। बीमे का इकाई क्षेत्र राज्य द्वारा तय किया गया एक ग्राम पंचायत, मंडल, होबली, फिरका, ताल्लुका आदि हो सकता है। तथापि, भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य को तीन वर्षों की अधिकतम अवधि में इकाई के रूप में ग्राम पंचायत के स्तर तक पहुँचना आवश्यक होगा। इससे फसल के नुकसान के सही आकलन में सुविधा होगी।

तहसील को, फसलों अर्थात् मूंगफली, कपास, तिल, अलसी और ज्वार के संबंध में बीमा की इकाइयों के रूप में निरंतर थीं।

लेखापरीक्षा जांच में फसलों अर्थात् मूंगफली, कपास, तिल, अलसी और ज्वार आदि के संबंध में प्रकट हुआ कि तहसीलें बीमे की इकाइयों के रूप में निरंतर थीं। परिणामस्वरूप फसलों के नुकसान यथार्थ रूप से निर्धारित नहीं किये गये थे और किसानों के मुआवज़े का आकलन उस आधार पर नहीं था जैसा इस योजना के अंतर्गत परिकल्पना की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में, विभाग ने कहा कि तहसील के स्थान पटवारी हल्का बीमा इकाई होगा जहाँ पटवारी हल्के में सी.सी.ई. डेटा भी उपलब्ध था।

3.2.2.14 परिवीक्षण में कमियाँ

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के परिचालन के तौर तरीकों की कण्डिका 6 के अनुसार राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परिवीक्षण समिति (डी.एल.एम.सी.) की स्थापना करेगी। जिला कृषि अधिकारी, डी.सी.सी.बी., जिला लीड बैंक के प्रतिनिधि और ए.आई.सी. इसके सदस्य होंगे। समिति फसल की स्थिति पर पाक्षिक रिपोर्ट और समय-समय पर मौसम की स्थिति, वितरित ऋण, और क्षेत्र की कृषि की सीमा आदि पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। डी.एल.एम.सी. जिले में सी.सी.ई. के संचालन की भी परिवीक्षण करेगी।

सम्मिलित विभागों के बीच कमजोर समन्वय और परिवीक्षण की कमी ने, जैसे उपज डाटा नहीं भेजने, कुल फसल क्षेत्र से अधिसूचित क्षेत्र बढ़ जाने, एस.ओ.एफ. के उल्लंघन और दावा निपटान जैसी अनियमितताओं के लिए योगदान किया।

16 चयनित जिलों के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि म.प्र. शासन ने अक्टूबर 2010 में जिला स्तरों पर डी.एल.एम.सी. बनाने के लिए एक आदेश जारी किया था। तथापि, चयनित जिलों में से किसी में डी.एल.एम.सी. नहीं बनाई गई थी। जिला स्तर पर परिवीक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियाँ थीं, जैसे ए.आई.सी. को उपज डेटा नहीं भेजना, योजना के अंतर्गत कवर किये जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ दिया जाना, कुल बुवाई क्षेत्र से अधिसूचित क्षेत्र बढ़ जाना, वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त के स्केल का उल्लंघन करना और इस योजना का अपर्याप्त प्रचार करना था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में, विभाग ने कहा कि अधिकतर जिलों में डी.एल.एम.सी. बैठकें आयोजित की गई थीं।

उत्तर, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना जाँच के जिलों के डीडीए ने लेखापरीक्षा को सूचित किया था कि डी.एल.एम.सी. का गठन नहीं किया गया था।

3.2.3 निष्कर्ष

- रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का कवरेज राज्य में 88.72 लाख किसानों की कुल संख्या के 14.58 प्रतिशत से 33.80 प्रतिशत के बीच रहा। कवरेज में वृद्धि ऋणी किसानों के अनिवार्य बीमा के

कारण ही हुई थी क्योंकि रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान केवल 2,841 गैर ऋणी किसानों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया। इस प्रकार, किसानों (ऋणी और गैर-ऋणी) के कम संग्रहण ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कृषि आय को स्थिर करने के उद्देश्यों को विशेष रूप से आपदा के वर्षों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।

- राज्य सरकार योजना के अंतर्गत फसल-वार क्षेत्र को कवर करने को समय पर अधिसूचित करने में विफल रहा था। अधिसूचना में 244 दिनों तक के विलंब थे। बीमा एजेंसी द्वारा घोषणा की प्राप्ति के लिए निर्धारित दिनांक के बाद इन क्षेत्रों के लिए अधिसूचनाओं के जारी करने में विलंब के कारण 120 पटवारी हल्कों के किसान इस योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित रहे।
- फसल काटने के प्रयोगों के परिणामों को उपलब्ध कराने में अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं कृषि के उप संचालक की विफलता के परिणामस्वरूप, ए.आई.सी. 6,702 पटवारी हल्कों में किसानों के बीमा दावों की गणना नहीं कर सका।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के पांच साल के बाद भी बीमांकिक व्यवस्था लागू नहीं किया गया जैसा कि इस योजना के दिशा-निर्देशों में विचारित था, जिसके परिणामस्वरूप रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 692.92 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करना पड़ा।
- रबी 2010-11 से खरीफ 2015 के दौरान बीमा दावों के भुगतान में एक माह से लेकर 31 माह के विलंब थे जिसने किसानों को बीमा दावे का समय पर लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा।

3.2.4 अनुशंसाएँ

- योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज का लाभ प्राप्त करने के लिए गैर-ऋणी किसानों को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए फसल बीमा के लिए फसलों और क्षेत्र की अधिसूचना समय पर जारी करने के लिए शासन को प्रभावी कदम उठाने चाहिए;
- शासन को किसानों के बीमा दावों की समय पर गणना के लिए बीमा एजेंसी को फसल काटने के प्रयोगों के परिणाम निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।
- शासन किसानों का कवरेज अधिकतम करने के लिए इस योजना का पर्याप्त प्रचार करना चाहिए।
- शासन को किसानों को कठिनाई से बचाने के लिए बीमा दावों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करना चाहिए।
- शासन को प्रमुख फसलों अर्थात् उड़द, मूंग और मसूर के बीमा कवरेज पर विचार करना चाहिए।
- शासन को विशिष्ट पहचान के साधन उपयोग कर एक किसान के लिए एकल किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) खाता रखना और बिना बोये क्षेत्र के बीमे से बचने के लिए राजस्व विभाग और वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए।
- शासन को दावों के निपटान और कवरेज में कमियों से बचने के लिए परिवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

3.3 लेखापरीक्षा के अनुपालन की कंडिकाएं

शासकीय विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं साथ ही स्वतंत्र संस्थाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा से संसाधनों के प्रबंधन में चूके तथा औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलताओं के अनेक दृष्टांत सामने आए। इन्हें आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

सहकारिता विभाग

3.3.1 परिवहन के लिए निविदाओं की उच्चतर दर को स्वीकार करने के कारण अतिरिक्त लागत

मार्कफेड द्वारा परिवहन हेतु पूर्व वर्ष की तुलना में दरों की अधिक उच्चतर दरों पर स्वीकृति से ₹ 1.30 करोड़ की अतिरिक्त लागत।

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता, भाग-1 खण्ड-II की कण्डिका 9 (i) के अनुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक धन से हुये व्यय पर वह उतनी ही सतर्कता रखेगा जैसा कि एक सामान्य विवेक का व्यक्ति अपने धन के व्यय के सम्बन्ध में रखता है। आगे केन्द्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्य की तर्कसंगता को प्राक्कलित दरों, प्रचलित बाजार दरों, आखिरी खरीदी मूल्य, कच्चे माल के आर्थिक/श्रम सूचकांक अन्य आगत लागतें और आंतरिक मूल्य आदि के आधार पर स्थापित करना, कार्य प्रदाय करने से पहले अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रबंध निदेशक मार्कफेड भोपाल ने निर्देशित किया (जनवरी 2014) कि निविदाओं को खोलने और स्वीकृति कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर द्वारा गठित और उनकी अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.)³⁹ द्वारा की जाएगी। निविदाओं को खोलने के पश्चात् समिति द्वारा तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाना चाहिये और अनुमोदित दरों की अनुशंसा के दौरान समिति को अन्य शासकीय संस्थाओं अर्थात् नागरिक आपूर्ति निगम, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) आदि की दरों को भी संज्ञान में रखना चाहिए ताकि तुलनात्मक दरों का निर्धारण किया जा सके। अनुशंसाओं के साथ तुलनात्मक विवरण भेजने के पश्चात् कलेक्टर से परिवहन दरों का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा जांच में (मार्च 2016) में प्रकट हुआ है कि वर्ष 2014-15 के लिये गेहूँ गनी बोरो आदि के परिवहन के लिये प्रबंध निदेशक मार्कफेड, भोपाल के द्वारा निविदाएं आमंत्रित (जनवरी 2014) की गई। बैतूल जिले हेतु 2014-15 के लिये उद्धृत दरें पूर्व वर्ष 2013-14 की तुलना में बहुत उच्चतर (47 प्रतिशत से 128 प्रतिशत) थी। हालांकि मार्कफेड ने दूसरे सरकारी संस्थानों जैसे एफसीआई, तथा मार्कफेड द्वारा समान जिले के लिए पूर्व वर्ष की दरों के साथ-साथ समान वर्ष के लिए आस-पास के जिलों की प्रचलित दरों को डी.एल.सी. को प्रदान नहीं किया, यद्यपि बैतूल जिले में एफ.सी.आई. की परिवहन दरों में कमी होने की प्रवृत्ति थी। पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक उच्चतर दर पर निविदाओं की स्वीकृति के कारण मार्कफेड ने 2014-15 के दौरान परिवहन पर 1.30 करोड़ की अतिरिक्त लागत वहन की।

प्रबंध निदेशक ने बताया (दिसम्बर 2016) कि जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार परिवहन के लिए दरों को अंतिम रूप दिया गया था।

³⁹ डी.एल.सी. जिला कलेक्टर, जोनल मैनेजर मार्कफेड, उप संचालक कृषि, उप सहायक आयुक्त, प्रबंधक जिला सहकारी समिति, केन्द्रीय कोषागार और सम्बन्धित जिलों के जिला विपणन अधिकारियों से मिलकर बनी थी।

भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम की दरों का संज्ञान लेने पर सूचित किया गया कि 2013-14 से 2015-16 तक उनके द्वारा दरों को अंतिम रूप/अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए डी.एल.सी. ने समझौतों के पश्चात् दरों को अंतिम रूप दिया था। चूंकि डी.एल.सी. 2014-15 के लिये दरों को अनुमोदित कर चुकी थी, इसलिए मार्कफेड ने निविदाएं आमंत्रित नहीं की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि युक्ति युक्त दरों को अंतिम रूप देने के लिए डी.एल.सी. को समर्थ बनाने हेतु मार्कफेड ने अन्य शासकीय संस्थानों एवं आस-पास के जिलों की दरों को प्रदान नहीं किया। आगे मार्कफेड ने निविदा प्रक्रिया के दौरान अन्य शासकीय संस्थानों की प्रचलित बाजार दरों को संज्ञान में लिए जाने के बारे में प्रमाण प्रदान नहीं किया इसके अतिरिक्त, असामान्य रूप से उच्चतर दरों के प्राप्त होने के बाद भी निविदाओं के लिए दूसरी बोली को विचारित नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (अगस्त 2016); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2017)।

वन विभाग

3.3.2 शुद्ध वर्तमान मूल्य की कम वसूली

व्यपर्तित वन भूमि के उपयोग हेतु, शुद्ध वर्तमान मूल्य की प्रावधिक/गलत दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹ 5.89 करोड़ वसूली के लिये बकाया में परिणीत हुए।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.व्ही.) के संग्रहण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये (सितम्बर 2003)। उपयोगकर्ता एजेंसी से संग्रहित की गई एन.पी.व्ही. की राशि को क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा) निधि में जमा किया जाता है एवं ऐसे व्यवर्तन के कारण खोए हुए वन आच्छादन को लम्बे समय अंतराल में पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह राशि प्राकृतिक पुनरुत्पादन, सुरक्षा, अधोसंरचना विकास, वन्य जीवन संरक्षण एवं प्रबंधन इत्यादि में उपयोग की जाती है। ये दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों (30.10.2002) कि गैर-वन उपयोग हेतु व्यपवर्तित एन.पी.व्ही. को उपयोगकर्ता एजेंसी से संग्रहित किया जाना चाहिए, के अनुपालन में जारी किए गए थे।

एन.पी.व्ही. के संग्रहण हेतु दरों को अंतिम रूप दिये जाने से पहले, वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शासन) ने ₹ 5.80 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोगकर्ता शासकीय विभागों/उपक्रमों से अनंतिम एन.पी.व्ही. को संग्रहित करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2003)। हालांकि उपयोगकर्ता शासकीय विभागों को एक वचनपत्र देना था कि वे राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार एन.पी.व्ही. का भुगतान करेंगे।

मध्य प्रदेश शासन ने एन.पी.व्ही. के संग्रहण हेतु वन के ईको-मूल्य वर्ग और इसकी कैनोपी सघनता के अनुसार दरों को पुनः निर्धारित किया (सितम्बर 2008) जो वन भूमि के प्रति हेक्टेयर पर ₹ 4.38 लाख से ₹ 10.43 लाख तक परिवर्ती थे। इस आदेश के अनुपालन में, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ने गैर-वन उपयोग हेतु व्यवर्तित किये गये वनक्षेत्र के सभी स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु निर्देश जारी किए (जनवरी 2009) ताकि पुनः निर्धारित एन.पी.व्ही. दरों को ध्यान में रखते हुए शेष एन.पी.व्ही. की वसूली की जा सके। आगे, मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार, भूमिगत खुदाई के लिये एन.पी.व्ही. की दरें, एन.पी.व्ही. की निर्धारित दरों की 50 प्रतिशत थीं।

वन मंडल अधिकारी (सामान्य) विदिशा के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2015) में प्रकट हुआ कि 75.597 हेक्टेयर वनभूमि को एक तालाब के निर्माण हेतु जल संसाधन संभागों

को व्यपवर्तित किया गया (अक्टूबर 2013)। वन भूमि की ईको-मूल्य वर्ग और सघनता के अनुसार व्यपवर्तित वन भूमि की एन.पी.व्ही. की गणना ₹ 5.70 करोड़ होती थी। विभाग मात्र प्रावधिक एन.पी.व्ही. के ₹ 1.15 करोड़ प्राप्त कर सका, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 3.20** में दर्शाया गया है। विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹ 4.55 करोड़ के अतिरिक्त दावे किए गए (अक्टूबर 2008 से नवम्बर 2009)। यद्यपि, बकाया एन.पी.व्ही. को प्राप्त किए बिना अक्टूबर 2013 में वन भूमि उपयोगकर्ता एजेंसी को व्यपवर्तित कर दी गई थी। बकाया राशि सितम्बर 2016 तक उपयोगकर्ता एजेंसी से वसूल नहीं की जा सकी। इस प्रकार, संपूर्ण एन.पी.व्ही. को प्राप्त किए वन भूमि के बिना गैर वानिकी उपयोग के व्यपवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़ की राशि की कम वसूली हुई।

आगे, वन मंडल अधिकारी (सामान्य) अनूपपुर की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (मार्च 2016) कि मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर को भूमिगत खदान, हल्दीवाड़ी के लिए 120 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु अनुमत किया गया था (अक्टूबर 2006)। प्रावधिक दरों, जो पुनरीक्षण के अधीन थी, पर उपयोगकर्ता एजेंसी से कुल एन.पी.व्ही. के ₹ 3.52 करोड़ प्राप्त किए गए थे (सितम्बर 2008)। 12 सितम्बर 2008 में दरों के पुनरीक्षण के पश्चात एन.पी.व्ही. की गणना ₹ 4.56 करोड़ की गई थी। यद्यपि, उपयोगकर्ता एजेंसी से दरों के अंतर की राशि ₹ 1.04 करोड़ की वसूली नहीं की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.21** में विवरण दिया गया है।

आगे, दो⁴⁰ वन मंडल कार्यालयों (सामान्य) की संवीक्षा के दौरान (सितम्बर 2016 और अप्रैल 2016) प्रकट हुआ कि 19.93 हेक्टेयर वन भूमि दो उपयोगकर्ता एजेंसियों⁴¹ को अलग-अलग उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.22** में विवरण दिया गया है। एन.पी.व्ही. की गणना के लिए डी.एफ.ओ. (सामान्य) अलीराजपुर ने उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के स्थान पर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की दरों को प्रयुक्त किया एवं डी.एफ.ओ. (सामान्य) बैतूल (उत्तर) ने वन सघनता के 0.5 के स्थान पर 0.4 की दरों को प्रयुक्त किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.19 लाख की एन.पी.व्ही. की राशि की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर वन मंडल अधिकारियों विदिशा, अलीराजपुर एवं अनूपपुर ने उत्तर दिया कि कम वसूल की गई राशि के लिये मांग की गई है तथा वसूली के लिये सतत प्रयास किये जा रहे थे। आगे वन मंडल अधिकारी बैतूल (उत्तर) ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों की सघनता ली गई थी और उक्त क्षेत्र में अभिलिखित अधिकतम सघनता 0.4 थी।

तथ्य वही है कि बकाया राशि ₹ 5.89 करोड़ की वसूली अब तक होनी थी (दिसम्बर 2016)। डी.एफ.ओ. (सामान्य), बैतूल (उत्तर) का उत्तर सही नहीं है क्योंकि कक्ष इतिहास के अनुसार वन की सघनता 0.5 से 0.7 के मध्य है।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (मार्च 2016); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2017)।

⁴⁰ अलीराजपुर (कुल 8.06 हेक्टेयर भूमि) और बैतूल (कुल वन भूमि 111.00 हे. में से 11.87 हे. भूमि वन सघनता 0.5 की है)

⁴¹ जल संसाधन विभाग और मध्यप्रदेश पावर जनरेटरिंग कम्पनी लिमिटेड

3.3.3 शासन को अपूर्णीय हानि

मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों/बाघ आरक्षितियों में प्रवेश की संशोधित दरों को लागू करने में विलम्ब के कारण शासन को ₹ 62.68 लाख के अपूर्णीय क्षति हुई।

वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 16 अक्टूबर 2014 के द्वारा राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को देखने के लिये प्रवेश शुल्क में संशोधन किया। आगे, वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र (नवम्बर 2005) में प्रावधानित है कि संग्रहीत किया गया प्रवेश शुल्क को सम्बन्धित राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के खाते में राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा किया जाएगा और सम्बन्धित राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास हेतु उपयोग किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के चार⁴² राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों /बाघ आरक्षितियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2015 से अप्रैल 2016) में प्रकट हुआ कि राजपत्र अधिसूचना के जारी होने के तुरंत बाद प्रवेश शुल्क की संशोधित दर को लागू नहीं किया गया। संशोधित प्रवेश शुल्क को संग्रहित करने में 34 से 110 दिन तक का विलंब हुआ, यद्यपि, बाघ आरक्षितियों में से 3 आरक्षितियों ने बिना विलंब के प्रवेश शुल्क को संग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 62.68 लाख राशि के प्रवेश शुल्क की अपूर्णीय क्षति हुई, जैसा कि परिशिष्ट 3.23 में विवरण दिया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2015) संबंधित मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों/बाघ आरक्षितियों ने बताया कि जैसे ही उनके संज्ञान में आया संशोधित प्रवेश दरों को प्रभावी किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने संशोधित दरों को 20 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया था एवं बाघ आरक्षितियों में से तीन सिवनी, उमरिया एवं मंडला ने संशोधित दरों पर प्रवेश शुल्क का संग्रहण किया था। अतः चूककर्ता व्यक्ति/प्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (मई 2016), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2017)

नर्मदा घाटी विकास विभाग

3.3.4 प्रक्रिया का उल्लंघन

नर्मदा घाटी संभाग क्र. 32 में, टर्न-की आधार पर एक निविदा के लिए निविदा आमंत्रण सूचना में केन्द्रीय उत्पाद छूट के लिए शर्त को सम्मिलित नहीं किया गया जिसके कारण ठेकेदार को राशि ₹ 22.26 करोड़ का अदेय लाभ हुआ जो अन्यथा परियोजना की घटी हुई लागत के रूप में शासन को होता।

विभाग ने नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक लिफ्ट परियोजना को टर्न-की आधार पर ₹ 396.38 करोड़ की लागत अर्थात् एकीकृत दर अनुसूची 2009 से 6.07 प्रतिशत कम पर सौंपा (नवम्बर 2012)। कार्य को वर्षाकाल सहित 364 दिनों में अर्थात् नवम्बर 2013 तक पूर्ण करने हेतु नियत किया गया। कार्य पूर्ण कर लिया गया (दिसम्बर 2014) एवं ₹ 391.75 करोड़ के अंतिम देयक का भुगतान ठेकेदार को किया गया (नवम्बर 2015)। परियोजना को सिंहस्थ 2016 के लिए प्रारंभ किया गया।

⁴² माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, पन्ना बाघ रिजर्व, पन्ना, रालामण्डल अभ्यारण्य, इन्दौर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल

ढेका दस्तावेज की ढेका शर्त क्र. 112 के अनुसार, ढेकेदार द्वारा लगाए गए बोली मूल्य में सभी सामग्रियों पर, जो ढेकेदार को संविदा के निष्पादन हेतु क्रय करनी होगी, विक्रय कर, वाणिज्य कर, आयकर, सेवा कर, श्रम उपकर, शुल्क, रॉयल्टी और अन्य कर जो भी हो, को समाहित माना जायेगा। निविदा दस्तावेज की एन.आई.टी. की शर्त 14.1 और शर्त क्र. 105 के अनुसार, ढेकेदार संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन में सभी शुल्क और करों का भुगतान करेगा एवं ऐसी लागतों हेतु ढेका मूल्य को समायोजित नहीं किया जाएगा। शर्त 14.6 प्रावधानित करती है कि यह ढेकेदार पर है कि वह संबद्ध आयकर अधिकारी एवं वाणिज्य कर अधिकारी को आवेदन करे एवं उससे भुगतानकर्ता को, ऐसी निम्न दरों पर कटौती करने या कर की कटौती नहीं करने जैसा भी इस ढेके के लिए उपयुक्त हो सकता है, को प्राधिकृत करने वाला एक प्रमाण पत्र प्राप्त करे। ऐसा प्रमाण पत्र जब तक कि आयकर/वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा पहले ही रद्द न किया गया हो, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक वैध रहेगा।

कार्यपालन यंत्री, एन.डी. संभाग सं. 32 बड़वाहा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (फरवरी 2016) कि ढेकेदार द्वारा प्रस्तुत अंतिम देयक के अनुसार कार्य में उपयोग की गई स्टील की मात्रा 30,370 मी. टन (लागत ₹ 128.38 करोड़) और 216 संख्या विद्युत यांत्रिकीय पुर्जे (लागत ₹ 60.73 करोड़) कार्य में उपयोग किये गए। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि परियोजना के लिए एन.आई.टी. में इसे नदी जोड़ने वाली परियोजना की भांति घोषित किया गया था न कि पेयजल योजना के रूप में। तदनुसार, एन.आई.टी. में उत्पाद शुल्क में छूट देने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था एवं एन.आई.टी. की शर्त 14.6 में आयकर एवं वाणिज्य कर के संबंध में छूट की कुछ शर्तों को प्रावधानित किया गया था। यद्यपि, कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा (जनवरी 2013) पर, कलेक्टर खरगौन एवं इंदौर द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 03/2004⁴³ के अंतर्गत छूट प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये (फरवरी 2013)। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर ढेकेदार ने बिना उत्पाद शुल्क चुकाए ₹ 189.11 करोड़⁴⁴ की सामग्री खरीद ली थी।

इस प्रकार सामग्री क्रय करने के लिए उत्पाद शुल्क छूट पर निविदा दस्तावेज में बोली पूर्व शर्त को सम्मिलित करने में विभाग की विफलता के कारण ढेकेदार को 12.36 प्रतिशत के दर पर उत्पाद शुल्क पर ₹ 22.26 करोड़⁴⁵ का अदेय लाभ हुआ।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जुलाई 2016) कि परियोजना आधार रूप से एक पेयजल योजना थी एवं इसको सिंहस्थ 2016 के लिये उज्जैन नगर निगम और देवास नगर पालिका को पेयजल उपलब्ध कराने को प्रारंभ किया गया। परियोजना पेयजल योजना होने के कारण, ढेकेदार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट दी गई एवं परियोजना के लिये उत्पाद शुल्क छूट प्रत्येक बोलीकर्ता के कार्यक्षेत्र की जानकारी में था यद्यपि इसको निविदा प्रपत्र में नहीं उल्लेख नहीं गया। चर्चा के दौरान (नवम्बर 2016) सदस्य, वित्त ने उपरोक्त तथ्यों का पुनः उल्लेख किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परियोजना को एन.आई.टी. में एक नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में विज्ञापित किया गया था एवं इसके पेयजल योजना के होने को कोई उल्लेख नहीं था। आगे, बोली प्रक्रिया के बाद करों के किसी बदलाव के भुगतान

⁴³ केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि और सिंचाई उपयोग के उद्देश्य के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर उत्पाद/सीमा शुल्क पर छूट प्राप्त करने के लिए एक अधिसूचना सं. 03/2004 दिनांक 08.01.2004 जारी की।

⁴⁴ ₹ 128.38 करोड़ की लागत की स्टील की मात्रा + उपयोग किए गए ₹ 60.73 करोड़ = ₹ 189.11 करोड़ के लागत के वैद्युत यांत्रिकीय पार्ट्स की संख्या

⁴⁵ ₹ 189.11 करोड़ पर 4.76 प्रतिशत की दर से काटा गया वैट = ₹ 180.11 करोड़ 12.36 प्रतिशत के दर पर ₹ 180.11 करोड़ का उत्पाद शुल्क = ₹ 22.26 करोड़

एवं अन्य करों के आरोपित करने के बारे में भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के साथ पूर्व बोली बैठक (सितम्बर 2012) में विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार बदलाव अनुमत्य नहीं था एवं यह प्रचलित निविदा शर्तों के अनुसार होगा।

इस प्रकार, सामग्री के क्रय के लिए शर्त 14.6 में केन्द्रीय उत्पाद छूट को सम्मिलित करने में विभाग की विफलता के कारण प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण 12.36 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क की राशि ₹ 22.26 करोड़⁴⁶ का अदेय लाभ हुआ जो कि अन्यथा शासन को परियोजना लागत में कमी के द्वारा शासन को उपलब्ध होता।

3.3.5 मोबीलाईजेशन अग्रिम का अनियमित अनुदान और ठेकेदार से शास्ति की कम वसूली

संविदा के प्रावधान के उल्लंघन में ठेकेदारों को ₹ 1.89 करोड़ के मोबीलाईजेशन अग्रिम को अनियमित रूप से प्रदान किया जाना एवं शास्ति के ₹ 6.78 करोड़ कम वसूली होना।

विभाग ने बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत आर.डी. कि.मी. 55.60 से आर.डी. किमी. 83 तक नागौद (सतना) शाखा नहर (वितरण प्रणाली सहित) का कार्य टर्न की आधार पर एक ठेकेदार (डी.एस.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली) को ₹ 126.00 करोड़ (2009 से लागू एकीकृत दर अनुसूची (यू.एस.आर.) से कुल 33.124 प्रतिशत कम) सौंपा (फरवरी 2012)। कार्य को वर्षा काल सहित 30 माह अर्थात् अगस्त 2014 तक पूर्ण करने के लिये कार्य आदेश जारी किया गया (फरवरी 2012)। ठेकेदार को कुल किये गये कार्य की लागत के ₹ 76.15 लाख का भुगतान किया गया (जनवरी 2014)। प्रभारी अभियंता ने अर्थ दण्ड की धारा के अंतर्गत (i) चुनाव एवं वर्षा के कारण भूमि अधिग्रहण में विलंब एवं (ii) पुनः निविदा जारी करने की प्रक्रिया में अधिक समय की आवश्यकता होती है जिससे अतिरिक्त खर्च होने के कारणों के आधार पर अगस्त 2015 तक समय वृद्धि प्रदान की। किन्तु अंततः बढ़ाई गई समय अवधि में ठेकेदार द्वारा कमजोर निष्पादन और धीमी प्रगति के कारण कार्य को विखण्डित किया गया था (अगस्त 2015)।

संविदा शर्त धारा 113.6 (ए) (i), के अनुसार ठेकेदार को मोबीलाईजेशन अग्रिम जो संविदा मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, कार्य को प्रारम्भ करने की सूचना के दिनांक से प्रथम 12 महीने के दौरान दिया जायेगा। मोबीलाईजेशन की पहली किश्त संविदा मूल्य के दो प्रतिशत तक कार्य प्रारम्भ करने की सूचना के दिनांक से सात दिन के अंदर दी जानी थी, उसके बाद की किश्तें उसके द्वारा मोबीलाईजेशन पर किये गये न्यायोचित व्यय के प्रमाण उपलब्ध कराने के पश्चात् भुगतान योग्य थीं।

अनुबंध की शर्त 115.1 के अनुसार संबद्ध 6 माह की समयावधि में कार्य की वित्तीय प्रगति 10 प्रतिशत से अधिक की कमी होने की स्थिति में, ठेकेदार पर, संचयी शास्ति को संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित रखते हुये, विलंब के लिये प्रारंभिक संविदा मूल्य पर 0.2 प्रतिशत दर प्रति सप्ताह शास्ति आरोपित किया जाना था। प्रारंभिक ठेका अवधि से 25 प्रतिशत अधिक कुल विलंब (ठेकेदार पर आरोपित कारणों सहित) होने पर ठेके के विखण्डन एवं समस्त सुरक्षा जमाओं व निष्पादन प्रतिभूतियों को जब्ती का कारण हो सकता है।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा घाटी संभाग क्र. 7, सतना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2014) में प्रकट हुआ कि ठेकेदार को मोबीलाईजेशन अग्रिम की ₹ 2.52 करोड़

⁴⁶ ₹ 189.11 करोड़ पर 4.76 प्रतिशत की दर से काटा गया वैट = ₹ 180.11 करोड़
12.36 प्रतिशत के दर पर ₹ 180.11 करोड़ उत्पाद शुल्क = ₹ 22.26 करोड़

(दो प्रतिशत) की पहली किश्त मार्च 2012 और ₹ 1.89 करोड़ (1.5 प्रतिशत) की दूसरी किश्त में मोबीलाईजेशन पर किए गए व्यय ₹ 4.75 करोड़ के व्यय के उसके दावे (जुलाई 2012) विरुद्ध भुगतान किए गए थे। यद्यपि लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दावा न तो साक्ष्यों से समर्थित था एवं न ही संभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापित था। इसलिये दूसरी किश्त बिना किसी व्यय के साक्ष्य के जारी कर दी गई जो ठेके के प्रावधानों के विपरीत था। यद्यपि, विभाग के इस तथ्य से अवगत होते हुए कि ठेकेदार ने कार्य प्रारंभ/संसाधनों का जुटाव नहीं किया है के बावजूद भी अग्रिम को स्वीकृत किया था। इसके परिणामस्वरूप अग्रिम की दूसरी किश्त के कारण ₹ 1.89 करोड़ की ठेकेदार को अनियमित वित्तीय सहायता हुई।

पूर्णता की नियत तिथि तक (अगस्त 2014) किये गये कार्य का मूल्य ₹ 76.15 लाख था जो कि संविदागत मूल्य से 1 प्रतिशत से भी कम था। प्रभारी अभियंता ने अगस्त 2015 तक कार्य पूरा करने के लिये अनियमित समय वृद्धि इस तथ्य जानते हुये भी कि ठेकेदार द्वारा नगण्य राशि का कार्य किया गया है, प्रदान की। आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि अगस्त 2015 में ठेके की समाप्ति के पश्चात विलंब के लिए प्रारंभिक ठेका मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत शास्ति आरोपित की। ठेकेदार के विरुद्ध कुल वसूली योग्य राशि ₹ 4.11 करोड़ मोबीलाईजेशन अग्रिम, ₹ 2.64 करोड़⁴⁸ मोबीलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज एवं विलंब के लिए शास्ति के लिए ₹ 12.60 करोड़ को सम्मिलित करते हुए ₹ 19.38⁴⁷ करोड़ की गणना हुई थी। तदनुसार, ₹ 19.38 करोड़ की कुल वसूली योग्य राशि के विरुद्ध ₹ 12.60 करोड़⁴⁹ राजसात किए गए थे (सितम्बर 2015) परिणामस्वरूप ₹ 6.78 करोड़ (₹ 19.38 करोड़ - ₹ 12.60 करोड़) की कम वसूली हुई।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2016) कि ₹ 3.78 करोड़, ₹ 2.52 करोड़ और ₹ 6.30 करोड़ की बैंक गारंटी का नगदीकरण कर लिया गया है और कोषालय में प्रेषित कर दी गई है (सितम्बर 2015) और शेष बकाया राशि को शासकीय प्रक्रिया के अनुसार वसूल किया जाएगा। आगे शासन ने बताया कि कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार द्वारा पहले मोबीलाईजेशन पर ठेकेदार द्वारा किये गये व्यय का औचित्य दिया था और दूसरे मोबीलाईजेशन अग्रिम की स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता (एस.ई.) से अनुशंसा की एवं मोबीलाईजेशन अग्रिम का पुनर्भुगतान न होने के कारण हुई हानि से विभाग को बचाने के लिये दोगुनी राशि की बैंक गारंटी ली। तदनुसार ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के संबंध में पूर्व के अग्रिम हेतु प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर अधीक्षण अभियंता द्वारा दूसरा मोबीलाईजेशन अग्रिम स्वीकृत किया गया। चर्चा के दौरान (नवम्बर 2016) सदस्य वित्त ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि ठेकेदार से बकाया वसूली हेतु राजस्व वसूली चालान (आर.आर.सी) जारी किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छ:माही समीक्षा के आधार पर मुख्य अभियंता द्वारा शास्ति को आंकलित एवं आरोपित किया जाना था एवं इसलिए ठेकेदार के मध्यवर्ती

⁴⁸ जैसा कि विभाग द्वारा गणना की गई मोबीलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज।

⁴⁷ शास्ति ₹ 12.60 करोड़ (₹ 126.00 करोड़ का 10 प्रतिशत)

विभाग द्वारा गणना की गई कार्य का बीमा न कराने हेतु शास्ति की राशि = ₹ 0.07 करोड़

मोबीलाईजेशन अग्रिम ₹ 4.11 करोड़ (₹ 4.41 करोड़, ऋण ₹ 0.30 करोड़)

विभाग द्वारा गणना किया गया मोबीलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज = ₹ 2.64 करोड़

विभाग द्वारा गणना की गई मिट्टी कार्य की मात्राओं में कमी हेतु वसूली = ₹ 0.02 करोड़

अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती की राशि = ₹ 0.06 करोड़

कुल वसूली योग्य ₹ 19.38 करोड़ (₹ 12.60 करोड़ + ₹ 0.07 करोड़ + ₹ 4.11 करोड़ +

₹ 2.64 करोड़ + ₹ 0.02 करोड़ - ₹ 0.06 करोड़)

⁴⁹ निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी ₹ 6.30 करोड़

मोबीलाईजेशन अग्रिम के लिए बैंक गारंटी ₹ 2.52 करोड़ एवं ₹ 3.78 करोड़

विभाग के पास कुल उपलब्ध ₹ 12.60 करोड़ (₹ 6.30 करोड़ + ₹ 2.52 करोड़ + ₹ 3.78 करोड़)

भुगतान से वसूल किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त कार्य की असंतोषजनक प्रगति के बावजूद दूसरा मोबीलाईजेशन अग्रिम को प्रदान किया जाना भी अनियमित था।

इस प्रकार छ: माही आधार पर कार्य की प्रगति की निगरानी में विभाग की विफलता एवं मोबीलाईजेशन अग्रिम को प्रदान करने में ठेकेदार को प्रदान की गई सहायता के परिणामस्वरूप शासित के ₹ 6.78 करोड़ की कम वसूली हुई एवं ₹ 1.89 करोड़ का मोबीलाईजेशन अग्रिम अनियमित प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त ठेके के विखण्डन में विलंब के परिणामस्वरूप 17,550 हेक्टेयर में किसानों का निहित सिंचाई लाभ से भी वंचन हुआ।

3.3.6 मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान

पी.ओ.एल. के गलत मूल्य अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 7.89 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। यद्यपि, लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर ₹ 7.82 करोड़ की वसूली कर ली गई।

विभाग ने ओंकारेश्वर दाँयी तट नहर चरण-I, 40 हे. तक चक के वितरण नेटवर्क सहित, 28,073 हे. कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) हेतु चरण-I और ओंकारेश्वर दाँयी तट लिफ्ट नहर चरण-IV, 40 हे. तक चक के वितरण नेटवर्क सहित 29,947 हे. कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) हेतु चरण-II के दो कार्यों के कार्यान्वयन को टर्न-की⁵⁰ आधार पर ₹ 519.93 करोड़ (एकीकृत दर अनुसूची (यू.एस.आर.), 2009 से 22.05 प्रतिशत कम) और ₹ 349.30 करोड़ (यू.एस.आर 2009 से 34.71 प्रतिशत कम) एक ठेकेदार को सौंपा गया (मार्च 2011)। कार्यों को वर्षा काल सहित 36 महीनों में पूरा करने के लिये कार्य आदेश जारी किया गया (मार्च 2011)। कार्य प्रगति पर थे और ठेकेदार को क्रमशः 69वें चलित देयक द्वारा चरण-I में ₹ 60.65 करोड़ की मूल्य वृद्धि शामिल करते हुये ₹ 530.31 करोड़ एवं 62वें चलित देयक द्वारा चरण-IV में ₹ 32.05 करोड़ मूल्य वृद्धि शामिल करते हुये ₹ 264.88 करोड़ का भुगतान किया गया।

अनुबंधों की शर्त 113.2 के अनुसार, यदि निर्माण अवधि 12 महीने से अधिक हो तो ठेकेदार को कार्य हेतु भुगतान की गई राशि को श्रम, सामग्री (पेट्रोल, आइल और लुब्रीकेन्ट, सीमेंट और स्टील को छोड़कर), सीमेंट, स्टील और पी.ओ.एल. की दरों में कमी या वृद्धि को से निर्धारित सूत्र⁵¹ के अनुसार समायोजित किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री (का.य.), ओंकारेश्वर परियोजना (ओ.एस.पी.) नहर संभाग, धमनोद (धार) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2016) में प्रकट हुआ कि प्रारंभ में जुलाई 2011 से दिसम्बर 2012 की तिमाहियों हेतु संभाग ने बड़वाह में एच.एस.डी. के खुदरा मूल्य को, पीओएल के मूल्य वृद्धि की गणना हेतु आधार मूल्य ओर औसत मूल्य के रूप में अपनाया गया। लेकिन जनवरी 2013 से सितम्बर 2014 (07 तिमाही) की अवधि के लिये संभाग ने मूल्यवृद्धि की गणना बड़वाह में प्रचालित खुदरा मूल्य के स्थान पर एच. एस.डी. के थोक मूल्य के आधार पर की गई। आगे शेष अवधि⁵² (अक्टूबर 2014 से

⁵⁰ राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा के माध्यम से

⁵¹ $VP=0.85x P_p \times R \times (P-P_o)$ भागित $100 \times P_o$

VP= विचारित तिमाहियों के दौरान पी.ओ.एल. के कारण कार्य की लागत में वृद्धि या कमी

R=तिमाही के दौरान कार्य का मूल्य

P_o = निविदा खुलने की तिथि को बड़वाहा में एच.एस.डी. आयल का मूल्य

P =अनुमत्य तिमाही के दौरान बड़वाहा में एचएसडी आँयल की औसत मूल्य

P_p =पी.ओ.एल. घटक के लिए 90 प्रतिशत

⁵² क्रमशः अनुबंध क्रमांक 16/2010-11 एवं 15/2010-11 में

जून 2015 तक) हेतु मूल्य वृद्धि की गणना पुनः एच.एस.डी. के बडवाहा में खुदरा मूल्य के आधार पर प्रारम्भिक एवं औसत मूल्य के अनुसार की गई।


ठेकदार को पी.ओ.एल. घटक हेतु उनके लिए भुगतान योग्य ₹ 16 करोड़ और ₹ 8.59 करोड़ के स्थान पर क्रमशः अनुबंध क्रमांक 15/2010-11 के लिए ₹ 20.93 करोड़ एवं अनुबंध क्रमांक 16/2010-11 के लिए ₹ 11.55 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार, सात तिमाहियों (अर्थात् जनवरी 2013 से सितम्बर 2014 तक) हेतु पीओएल घटक की मूल्य वृद्धि की गणना में अलग प्रक्रिया अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.89 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 3.24 एवं 3.25** में विवरण दिया गया है।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2016) कि पी.ओ.एल. पर मूल्य वृद्धि को संशोधित कर लिया गया है और पूरी अवधि हेतु एच.एस.डी. के खुदरा मूल्य के आधार पर गणना की गई है और इसी के अनुसार ₹ 7.89 करोड़ के विरुद्ध ठेकेदार के चलित देयकों से ₹ 4.81 करोड़ और ₹ 3.01 करोड़ की वसूली कर ली गई है। सदस्य वित्त द्वारा चर्चा (नवम्बर 2016) के दौरान उपरोक्त तथ्यों को दोहराया।

3.3.7 सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के गलत प्रावधान एवं क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत

सिंचाई विशिष्टियों के विरुद्ध सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की अधिक मोटाई के गलत प्रावधान और क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

विभाग ने मान परियोजना की मुख्य बांयी तट नहर के लाइनिंग, इनलाइन संरचना और वितरण माइनरों/उपमाइनरों के शेष मिट्टी कार्य का निर्माण कार्य अनुबंध क्रमांक 04/2010-11 के अंतर्गत एक ठेकेदार को ₹ 7.87 करोड़ की लागत पर सौंपा (दिसम्बर 2010)। कार्य को वर्षाकाल सहित 24 माह अर्थात् दिसम्बर 2012 तक पूर्ण करने के लिये कार्य आदेश जारी किया गया। ठेकेदार को मूल्य परिवर्तन के ₹ 75.12 लाख को सम्मिलित करते हुये ₹ 9.16 करोड़ के अंतिम देयक का भुगतान किया गया (मार्च 2014)।



सिंचाई परियोजना की विशिष्टियों (दिसम्बर 1995) के अनुसार, लाइनिंग की मोटाई नहर आवश्यकता की प्रकृति पर निर्भर करते हुए अर्थात् पूर्ण आपूर्ति गहराई और नहर क्षमतानुसार निर्धारित की जानी चाहिये। नहर का प्रवाह 5 क्यूमेक एवं पूर्ण आपूर्ति गहराई 1 मीटर तक होने पर नहर लाइनिंग की मोटाई 50-60 मि.मी. होनी चाहिये।

कार्यपालन यंत्री (का.य.) नर्मदा संभाग क्रमांक 16, कुक्षी, जिला धार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्टूबर 2015) में प्रकट हुआ कि वितरिका एवं माइनर नहर में जलप्रवाह 0.05 क्यूमेक्स से 0.51 क्यूमेक्स के मध्य और पानी में पूर्ण आपूर्ति गहराई (एफ.एस.डी.) 0.2 मी. से 0.45 मी. के मध्य थी, अधिकतम 60 मि.मी. जैसा कि सिंचाई विशिष्टियों में आवश्यक था, के स्थान पर सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) लाइनिंग की 75 मि.मी. मोटाई का प्रावधान एवं क्रियान्वयन किया गया। सिंचाई विशिष्टियों से विचलन के परिणामस्वरूप, सी.सी. लाइनिंग के गलत प्रावधान और अधिक मोटाई में सी.सी. लाइनिंग के क्रियान्वयन के कारण ₹ 1.27 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई जैसा कि तालिका 3.3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3.1: सीसी लाइनिंग का गलत प्रावधान एवं क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत

स. क्र.	75 एम. एस. के साथ सी.सी. लाइनिंग की क्रियान्वित मात्रा (घन मी.)	60. मि.मी. के साथ सी.सी. लाइनिंग की आवश्यक मात्रा (घन मी.)	मात्रा में अंतर (घन मी.)	दर (₹ में)	अतिरिक्त लागत (₹ में)
1	2	3	4 = (2-3)	5	6 = (4×5)
1	16,479.159	13,183.327 (16,479.159×60/75)	3,295.832	3,850	1,26,88,953

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जुलाई 2016) कि नहर की वितरिकाओं, माइनरों और उपमाइनरों की पूर्ण आपूर्ति गहराई 0.2 मी. या अधिक है इसलिये सिंचाई विशिष्टियों के अनुसार 0.75 मि.मी. सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग अपनाई गई। चर्चा (नवम्बर 2016) के दौरान सदस्य वित्त ने बताया कि सीसी लाइनिंग की मोटाई कार्यस्थल की मिट्टी की प्रकृति के अनुसार एवं सीपेज की समस्या के उचित समाधान के लिए अपनायी गई। उन्होंने यह भी बताया कि सिंचाई विशिष्टियों की तालिका 5 के अनुसार 75 मि.मी. सीसी लाइनिंग की मोटाई न्यूनतम है न कि अधिकतम उसी अनुसार डी.पी. आर में प्रावधान किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सिंचाई विशिष्टियों (तालिका 5) नहर के प्रवाह के 0-5 क्यूमेक्स तक होने पर और पूर्ण आपूर्ति गहराई 0-1 मी. तक होने पर, लाइनिंग की मोटाई 50-60 मि.मी. की सीमा हेतु प्रावधानित करती थी। गहरी चैनल्स एवं जमा देने वाले मौसम में सतह के क्षरण की आशंका होने पर मोटाई बढ़ाई जा सकती है। यद्यपि विभाग द्वारा इस तथ्य कि पानी का प्रवाह 0.05 क्यूमेक से 0.51 क्यूमेक के मध्य एवं संपूर्ण प्रवाह गहराई (एफ.एस.डी.) 0.2 मी. से 0.45 मी. के मध्य थी ऐसे विचलन के लिए बिना किसी औचित्य के सी.सी. लाइनिंग के लिए अधिक मोटाई प्रावधानों को अपनाया। इस प्रकार विभाग द्वारा सिंचाई विशिष्टियों के विरुद्ध प्राक्कलन में गलत प्रावधान और नहर लाइनिंग में अधिक मोटाई के कार्यान्वयन परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

लोक निर्माण विभाग

3.3.8 क्रशर रन मैकेडम की अधिक मोटाई के क्रियान्वयन के कारण अनाधिकृत भुगतान

आई.आर.सी.-37 की विशिष्टियों के विरुद्ध क्रशर रन मैकेडम की अधिक मोटाई के क्रियान्वयन के कारण ₹ 98.25 लाख का अनाधिकृत भुगतान हुआ।

विभाग ने घोसला रूपखेडी सड़क लंबाई 10.2 किमी. के उन्नयन का कार्य ₹ 10.61 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा (मार्च 2013) जो दर अनुसूची 2009 पर आधारित निविदा प्रीमियम से 8.69 प्रतिशत अधिक थी। कार्य आदेश (मार्च 2013) कार्य को वर्षा काल सहित 12 महीने अर्थात् मार्च 2014 तक पूर्ण करने हेतु जारी किया गया। ठेकेदार को 16वें चलित देयक से ₹ 10.78 करोड़ का भुगतान किया गया (सितम्बर 2015)।

भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.-37) की विशिष्टियों के अनुसार मार्ग की मोटाई के साथ बिटुमिनस कोर्स के प्रकार को अनुमानित व्यावसायिक वाहनों की संख्या, प्रतिदिन वर्तमान में व्यावसायिक वाहनों की संख्या के आंकड़ों को प्रयोग करते हुए और इसकी वृद्धि दर व सब-ग्रेड के कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशो (सी.बी.आर.) के मान के आधार पर रूपांकित किया जाता है।

भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टियों (आई.आर.सी.-37) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा विस्तृत सर्वे एवं मुख्य अभियंता (सीई), उज्जैन से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2012) से बिटुमिनस सड़क (कुल लंबाई 9.10 कि.मी.) की रूपांकन तैयार किया गया। बिटुमिनस सड़क को कुल 595 मि.मी.⁵³ परत मोटाई हेतु डिजाइन किया गया था जिसमें से 255 मि.मी. मोटाई हेतु क्रशर रन मैकेडम (सी.आर.एम.) को बिटुमिनस सड़क की पूरी लंबाई में क्रियान्वित किया जाना था।

कार्यपालन यंत्री (का.यं.), लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) (पुल एवं सड़क) संभाग उज्जैन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2016) में मापपुस्तिका (एम.बी.) की जांच में पता लगा कि 255 मि.मी. मोटाई के स्थान पर कुल 390 मि.मी.⁵⁴ मोटी परत का कार्यान्वयन किया गया जिससे परत की मोटाई को 730 मि.मी. तक बढ़ा दिया और इसके अनुसार ठेकेदार को भुगतान किया गया। अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति से

⁵³ क्रशर रन मैकेडम (सी.आर.एम.) - 255 मि.मी. (100 मि.मी. ड्रेन पूरी चौड़ाई के साथ), पानी मिश्रित मैकेडम 250 मि.मी., सघन ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम 60 मि.मी. और बिटुमिनस कांक्रीट 30 मि.मी.

⁵⁴

सड़क की लंबाई	क्रियान्वित सी.आर.एम. की मोटाई
आर.डी. मी. 14 से आर.डी.मी. 7400 और आर.डी. मी. 7696 से आर.डी. मी. 9100 तक 5 मी चौड़ाई में	90 मि.मी.
आर.डी.मी. 14 से आर.डी.मी. 7400 और आर.डी.मी. 7696 से आर.डी.मी. 9100 तक 12.20 मी. चौड़ाई में	150 मि.मी.
आर.डी.मी. 14 से आर.डी.मी. 7400 और आर.डी.मी. 7696 से आर.डी.मी. 9100 तक 7 मी. चौड़ाई में	150 मि.मी.
योग	390 मि.मी.

अधिक मोटाई में सी.आर.एम. के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 98.25⁵⁵ लाख का अनाधिकृत भुगतान हुआ।

प्रमुख सचिव द्वारा चर्चा के दौरान स्वीकार किया कि जल निकास परत की 150 मि.मी. मोटाई को 100 मि.मी. तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिये (नवम्बर 2016)। आगे, शासन ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2016) कि मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अधीक्षण यंत्री (एस.ई.) के साथ चर्चा के अनुसार कार्यपालन यंत्री द्वारा सी.आर.एम. की मोटाई 250 मि.मी. से 300 मि.मी. से बढ़ाया गया था। आगे यह बताया गया कि संबद्ध कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

विभाग का उत्तर यद्यपि सी.आर.एम. की 390 मि.मी. मोटाई के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मौन था। आगे, मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए 300 मि.मी. सी.आर.एम. के कार्यान्वयन के दावे के समर्थन में मिट्टी के परीक्षण परिणाम प्रदान नहीं किए थे।

3.3.9 दरों अनुसूची में उच्चतर दरों को निर्धारित करने के कारण अतिरिक्त लागत

दरों की अनुसूची में “क्लीयरिंग और ग्रबिंग” मद के लिए उच्चतर दरों का अविवेकपूर्ण निर्धारण के कारण ₹ 4.76 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

पुल और सड़क कार्यों के लिए दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) प्रमुख अभियंता (प्र.अ.), लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा तैयार और प्रकाशित की गई, जो राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वयित क्रियान्वित सड़को के निर्माण और संधारण पर लागू होती है। एस.ओ.आर. को सड़क और पुल कार्यों की विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये तैयार किया जाता है एवं भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी एण्ड एच.), भारत सरकार की मानक डाटा पुस्तिका पर आधारित होती है। कार्य की लागत निर्धारण के लिए प्राक्कलन एस.ओ.आर. के आधार पर तैयार किये जाते हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर दरों में कमी या वृद्धि के कारण एस.ओ.आर. को संशोधित किया जाता है। इसलिए एस.ओ.आर. में दिए गए मदों की दरों की सटीकता कार्यों पर व्यय को सीधे प्रभावित करती है, जहाँ ठेकेदार को प्राक्कलित दरों पर भुगतान किया जाता है। 2014 से लागू एस.ओ.आर. लोक निर्माण विभाग में विभाग द्वारा मद क्र. 2.2 “क्लीयरिंग और ग्रबिंग” की अपनाई गई दर ₹ 48,602 थी।

विभाग ने “सिंहस्थ 2016 उज्जैन के मेला क्षेत्र में भूमि विकास, समतलीकरण, रोलिंग, पाइप बिछाने” का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 15.02 करोड़ (नवम्बर 2014 से प्रभावी सड़क एस.ओ.आर. पर आधारित प्राक्कलित लागत से 29.88 प्रतिशत कम) की लागत पर सौंपा (जुलाई 2015)। कार्य को वर्षाकाल सहित छः माह में पूरा किया जाना नियत था। उपरोक्त कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण के पश्चात् (अप्रैल 2015) विभाग ने, कार्य को संशोधित आठ महीने की अनुबंधित समय में वर्षा काल सहित पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा नियोजित की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक प्लांट और मशीनरी⁵⁶ के संबंध में एक संशोधन जारी किया (मई 2015)। ₹ 18.24 करोड़ की राशि के लिए कार्य के कुल मूल्य हेतु 12वें चलित देयक का भुगतान ठेकेदार को किया गया (मई 2016)।

⁵⁵ क्रियान्वित की जाने वाली मात्रा $(8,790 \times 12.20 \times 0.10 + 8,790 \times 7 \times 0.155) = 20,260.95$ घ.मी. रिकार्ड और भुगतान की गई मात्रा = 32,833.658 घ.मी.
क्रियान्वित की गई अधिक मात्रा $(32,833.658 \text{ घ.मी.} - 20,260.95 \text{ घ.मी.}) = 12,572.71$ घ.मी.
अधिक भुगतान $(₹ 12,572.71 \text{ घ.मी.} \times ₹ 719 \text{ प्रति घ.मी.} + \text{टेण्डर प्रीमियम से } 8.69 \text{ प्रतिशत से अधिक}) = ₹ 98,25,335$

⁵⁶ ट्रेक्टर माऊटेड ग्रेडर या मोटर ग्रेडर, टिपर, एम्सेबेटर और मिट्टी कम्पेक्टर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) सिंहस्थ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (जून 2016) कि 2,000 हेक्टेयर हल्के जंगल के क्षेत्र के लिए क्लीयरिंग एवं ग्रबिंग की मद ₹ 48,602 प्रति हेक्टेयर की दर से सम्मिलित की गई थी। ठेकेदार ने यांत्रिकी माध्यमों का उपयोग करते हुए हल्के जंगल में क्लीयरिंग एवं ग्रबिंग मद में 3,489.879 हेक्टेयर का क्रियान्वयन किया एवं ₹ 48,602 प्रति हेक्टेयरकी दर पर भुगतान किया गया।

आगे, संवीक्षा में प्रकट हुआ कि एम.ओ.आर.टी एण्ड एच. की सड़क एवं सेतु कार्य के लिए विशिष्टियां हल्के जंगल के क्षेत्र में यांत्रिकीय माध्यम एवं मानवश्रम के माध्यम से "क्लीयरिंग और ग्रबिंग" क्रमशः ₹ 29,161 प्रति हे. एवं ₹ 48,602 प्रति हे. प्रावधानित करती है। यद्यपि, मध्य प्रदेश लो.नि.वि. में यांत्रिकीय माध्यमों द्वारा "क्लीयरिंग और ग्रबिंग" कोई एस.ओ.आर. मद नहीं थी। तथापि एस.ओ.आर. माध्यम, जिसके माध्यम से कार्य कार्यान्वित किया जाना चाहिए को विशिष्टिकृत नहीं करता है किन्तु मुख्य अभियंता (सी.ई.) ने उसकी तकनीकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि कार्य में एम.ओ.आर.टी एण्ड एच. विशिष्टियों का कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विभाग ने प्राक्कलनों को तैयार करते समय कार्य में वास्तव में क्रियान्वित की जाने वाली गैर-एस.ओ.आर. मद (यांत्रिकीय माध्यम द्वारा "क्लीयरिंग और ग्रबिंग") का संज्ञान नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप यांत्रिकी क्लीयरिंग और ग्रबिंग की दर को अविवेकपूर्ण ढंग से उच्चतर ₹ 48,602 प्रति हेक्टेयर की दर पर निर्धारित किया जो कि क्लीयरिंग और ग्रबिंग मानवीय श्रम के माध्यम के लिए लागू था। इस प्रकार, प्राक्कलन में क्लीयरिंग और ग्रबिंग की दर के त्रुटिपूर्ण प्रावधान के कारण ₹ 4.76⁵⁷ करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

प्रमुख सचिव ने चर्चा के दौरान (नवम्बर 2016) बताया कि क्लीयरिंग एवं ग्रबिंग की मद, एस.ओ.आर. की मद के अनुसार सही सही निर्धारित की गई थी, जिससे यह परिभाषित नहीं होता है कि कार्य को मानव श्रम या यांत्रिकीय माध्यमों से क्रियान्वित किया जाना था। उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि ठेकेदार द्वारा अंततः उद्धृत किया गया मूल्य एस.ओ.आर. पर आधारित प्राक्कलन से नहीं होता है लेकिन मद की प्रचलित बाजार दर पर विचार करते हुए लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि अनुबंध की विशेष शर्त में वाटरिंग और अन्य सहायक कार्य भी सम्मिलित थे जिनको ठेकेदार द्वारा क्रियान्वित किया गया जिस हेतु ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया। शासन ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में उपरोक्त तथ्यों को दोहराया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग एस.ओ.आर. के अंतर्गत क्लीयरिंग और ग्रबिंग के मद सं. 2.2 में माध्यमों (यांत्रिकीय या मानवीय श्रम) को सम्मिलित करने में विफल रहा, जैसा कि एम.ओ.आर.टी.एच. की विशिष्टियों में सम्मिलित था। आगे, भूमि की क्लीयरिंग और ग्रबिंग की यांत्रिकीय माध्यमों के द्वारा की दर के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जाना था जो मानवीय श्रम के माध्यम से भूमि की क्लीयरिंग और ग्रबिंग की तुलना में बहुत कम था। इस प्रकार, प्राक्कलन में भूमि की क्लीयरिंग और ग्रबिंग मद में उच्चतर मानक दर को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 4.76 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

⁵⁷ क्लीयरिंग एवं ग्रबिंग की मात्रा 3,489.897 है. x 19,441 प्रति है. (₹ 48,602 प्रति हे. – ₹ 29,161 प्रति हे.) – निविदा प्रीमियम (29.88 प्रतिशत) = ₹ 4,75,74,133

जल संसाधन विभाग

3.3.10 सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत खान नदी व्यपवर्तन परियोजना के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितताएं

लेखापरीक्षा ने आर.सी.सी. पाइप की उच्चतर दर सम्मिलित करने के कारण ₹ 5.65 करोड़, कड़ी चट्टान के लिए वसूल न की गई रायल्टी के ₹ 3.26 करोड़, रेलवे प्राधिकारियों को ₹ 40.82 लाख भुगतान किए जाने के कारण ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता एवं अस्थाई भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 48.85 लाख के अनियमित भुगतान अवलोकित किए।

क्षिप्रा नदी और सिंहस्थ मेला 2016 की ऐतिहासिक और तीर्थयात्रा के महत्व को देखते हुये जन प्रतिनिधियों ने खान नदी, जो क्षिप्रा नदी की एक सहायक नदी है, को व्यपवर्तित करने की मांग की जिससे उज्जैन में इसके संगम पर क्षिप्रा के प्रदूषण को टाला जा सके। खान व्यपवर्तन परियोजना को जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किया गया (सितम्बर 2014)। जल संसाधन विभाग ने सिंहस्थ-2016, उज्जैन का कार्य टर्न-की आधार पर ₹ 75 करोड़ (2009 से दरों की अनुसूची पर आधारित प्राक्कलित लागत से 12.407 प्रतिशत कम) की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा (नवम्बर 2014)। कार्य वर्षाकाल सहित 12 महीने में अर्थात् नवम्बर 2015 तक पूर्ण होने हेतु नियत था। कार्य अब तक प्रगति पर था (जून 2016) एवं ठेकेदार को अप्रैल 2016 में 33वें चलित देयक तक ₹ 72.76 करोड़ का भुगतान किया गया।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग उज्जैन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2016) में उपरोक्त कार्य के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईं:

(i) प्रबलित सीमेंट कांक्रीट पाइप की उच्चतर दरों को सम्मिलित करने के कारण अतिरिक्त लागत

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मद 2,600 मि.मी. व्यास के प्रबलित सीमेंट कांक्रीट (आर.सी.सी.) पाइपों के परिवहन, बिछाना एवं फिक्स करने सहित प्राक्कलन में एक मुश्त ₹ 37,525 प्रति रनिंग मीटर (आर.एम.) की दर को अन्य पाइप निर्माणी फर्मों के साथ साथ स्थानीय बाजार से पूछताछ के बिना प्राक्कलन में सम्मिलित कर लिया गया। अनुबंध के अनुसार पाइप के लिए ₹ 30,494 प्रति मीटर की दर से भुगतान किया गया था।

आगे लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वही ठेकेदार उज्जैन में एक अन्य कार्य के लिये⁵⁸ 2,600 मि.मी. व्यास के आर.सी.सी. पाइप को ₹ 27,445.41 प्रति रनिंग मीटर की दर पर उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ (अप्रैल 2016)। ₹ 22,000 से ₹ 24,000 प्रति रनिंग मीटर के मध्य आवश्यक विशिष्टियों के पाइपों की आपूर्ति के लिये विभिन्न फर्म/निर्माणकर्ता भी उपलब्ध थे। इसप्रकार, प्रबलित सीमेंट कांक्रीट पाइप की उच्चतर दर सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप पाइप की आपूर्ति के लिये उच्चतर दर अपनाने के कारण परियोजना को ₹ 5.65 करोड़⁵⁹ की अतिरिक्त लागत आई।

चर्चा के दौरान अपर सचिव ने बताया (अक्टूबर 2016) कि तथ्यों को सत्यापित किया जाएगा और सम्यक् समय में उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। आगे, प्रमुख अभियंता ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2016) कि प्राक्कलन में आर.सी.सी. पाइप की संयुक्त दरें कार्यपालन यंत्री (ईई), अधीक्षण यंत्री (एसई) और मुख्य अभियंता (सी.ई.) के अभिलेखों से ली गई थी। अधीक्षण यंत्री, जलसंसाधन विभाग उज्जैन ने आर.सी.सी.

⁵⁸ भूखी माता से दत्त अखाड़ा घाट अनुबंध सं. 21/2013-14 (सिंहस्थ 2016)

⁵⁹ प्रति आर.एम. ₹ 3,049.49 (₹ 30,494.9 - ₹ 27,445.41) x 18,524 आर.एम. = ₹ 5,64,88,752.76

पाइप की दर के सम्बन्ध में दो कम्पनियों से पता किया था और इसी के अनुसार सबसे कम ₹ 27,500 प्रति मीटर की दर अपनाई गई जो केवल पाइप की खरीदी के लिये थी जिसके बाद संयुक्त दर जी-अनुसूची में शामिल की गई और ठेका न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर सौंपा गया था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अन्य पाइप निर्माणी फर्म के साथ साथ स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से दरें पता करने के सम्बन्ध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। आगे, 2600 मि.मी. व्यास का पाइप बाजार में ₹ 22,000 से ₹ 24,000 प्रति रनिंग मीटर में उपलब्ध था।

(ii) हार्ड रॉक के लिए रॉयल्टी की वसूली नहीं की गई

ठेके की विशेष शर्तों के क्लॉज 3 की अनुसार खोदी गई हार्ड रॉक ठेकेदार द्वारा रखी जाएगी और प्रचलित सरकारी दर पर रॉयल्टी प्रभारों की वसूली ठेकेदारों के चलित देयकों की जायेगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि प्राक्कलन में 18,017.63 घनमीटर हार्ड रॉक की खुदाई का प्रावधान किया गया था। ठेकेदार ने 6,51,971 घ.मी. हार्ड रॉक की खुदाई की किन्तु ठेकेदार से रॉयल्टी प्रभार की वसूली नहीं की गई इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 3.26 करोड़⁶⁰ की राशि के राजस्व की हानि हुई।

चर्चा के दौरान अपर सचिव ने बताया (अक्टूबर 2016) कि ठेकेदार द्वारा हार्ड रॉक पुनः भराई में उपयोग की गई, इसलिए रॉयल्टी की वसूली का प्रश्न नहीं उठता है। आगे अपने उत्तर में प्रमुख अभियंता ने अपने उत्तर में उपरोक्त तथ्यों को दोहराया (नवम्बर 2016) और बताया कि ठेकेदार को खोदी गई हार्ड रॉक हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा की विशेष शर्तों के अनुसार ठेकेदार से रायल्टी प्रभार वसूल योग्य थी। आगे, टर्न की ठेके में खंटियों की भराई के लिये आवश्यक सामग्री को अनुसूची की मद क्रमांक 2 में पहले से शामिल किया गया था।

(iii) रेल प्राधिकरण को किए गए भुगतान की वसूली न होने के कारण ठेकेदार को वित्तीय सहायता

बोलीकर्ता हेतु सामान्य शर्त क्र. 1.3.5 में प्रावधानित करती है कि जहां पाइप लाइन प्रणाली रेल लाइन को पार कर रही हो, ठेकेदार को रेल प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार करना होगा। प्रभारी अभियंता ऐसे प्रस्तावों को रेल प्राधिकरण द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में लेने हेतु, रेल प्राधिकरण द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करते हुए प्रक्रियाबद्ध करेगा जिसे ठेकेदार को अगले चलित देयक से वसूल किया जाएगा। ठेकेदार ऐसी लागत को बोली मूल्य में शामिल करेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि रेल प्राधिकरण द्वारा नवम्बर 2015 में पर्यवेक्षण, प्रशासनिक एवं जनशक्ति प्रभार हेतु कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, उज्जैन से ₹ 2.37 करोड़ की मांग की गई, जिसके विरुद्ध संभाग द्वारा ₹ 40.82 लाख का भुगतान किया गया (जनवरी 2016)। किन्तु रेल प्राधिकरण को किये गये भुगतान की ठेकेदार के अनुवर्ती चलित देयक से कटौती नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 40.82 लाख का वित्तीय लाभ हुआ।

चर्चा के दौरान (अक्टूबर 2016) विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और उपचारी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आगे, प्रमुख अभियंता ने अपने उत्तर में बताया

⁶⁰ 6,51,971 घ.मी. x ₹ 50 प्रति घ.मी. हार्ड रॉक हेतु रायल्टी = ₹ 3,25,98,550

(नवम्बर 2016) कि चूंकि कार्य चल रहा था, राशि को चलित देयकों से समायोजित किया जायेगा।

(iv) अस्थाई भू-अधिग्रहण के अनियमित भुगतान के कारण ठेकेदार को वित्तीय सहायता

बोलीकर्ता हेतु सामान्य शर्त क्र. 1.3.2 प्रावधानित करती है कि अस्थाई भूमि अधिग्रहण और फसल मुआवजा की लागत यदि कोई हो तो ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा। स्थाई भूमि अधिग्रहण मुआवजा, सम्पत्ति की लागत एवं सोलेशियम प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि संभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.ए.ओ.) को ₹ 2.08 करोड़ जमा किए गए जिसमें अस्थाई भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 48.85 लाख सम्मिलित थे। इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा अस्थाई भूमि अधिग्रहण के लिए धन को जमा करने कारण ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता हुई।

चर्चा के दौरान (अक्टूबर 2016), विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और उपचारी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आगे प्रमुख अभियंता ने बताया (नवम्बर 2016) कि ₹ 19.93 लाख अस्थाई भू-अधिग्रहण हेतु संवितरित किये गये जिसमें से ₹ 8.85 लाख ठेकेदार के दूसरे चलित देयक से रोके गए थे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि फसल मुआवजा के लिये भुगतान एल.ए.ओ. से चाहा जा रहा था, जिसे ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाना था एवं तद अनुसार अगले चलित देयकों से वसूली की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अस्थाई भू-अधिग्रहण के साथ साथ फसल मुआवजा हेतु भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक था न कि संभाग के द्वारा।

3.3.11 खोदी गई हार्डरॉक का कार्यस्थल सामग्री लेखा नहीं रखा गया

संभाग की बहियों (कार्यस्थल की सामग्री) में खोदी गई हार्ड रॉक का मूल्य शामिल नहीं किया गया जिससे शासन को ₹ 21.23 करोड़ की संभावित हानि हुई।

विभाग ने टर्न-की आधार पर माही मुख्य डैम के बायीं तट नहर की रीमॉडलिंग के कार्य को एक ठेकेदार को ₹ 170.80 करोड़ की लागत पर सौंपा (अक्टूबर 2013) गया जो एकीकृत दर अनुसूची (यू.एस.आर.) फरवरी 2009 पर आधारित प्राक्कलित लागत से 3.20 प्रतिशत अधिक थी। कार्य आदेश कार्य को वर्षा काल सहित 36 माह में पूरा करने के लिए जारी किया गया। कार्य अब तक प्रगति पर था और ठेकेदार को ₹ 94.92 करोड़ के 24वें चलित देयक का भुगतान किया गया (फरवरी 2016)।

यू.एस.आर. की सामान्य टिप्पणियों 1 डी के अनुसार खोदी गई सामग्री के उचित रूप से चट्टे लगाना चाहिए और चट्टे लगाने के लिए अलग से भुगतान स्वीकार्य नहीं है, खोदी गई हार्ड रॉक (40 प्रतिशत वाइड्स सहित) के लेखाकरण के लिए, अपरिहार्य छीजन पर पर्याप्त ध्यान देते हुए, बहियों में अभिलिखित की जाने वाली चट्टान की उपयोग योग्य मात्रा खुदाई (सालिड कट रॉक) में भुगतान की गई मात्रा की 1.3 गुना होगी (16 प्रतिशत वाइड्स सहित)। छीजन की कोई और कटौती अनुमत्य नहीं है। आगे, ठेके के अनुसार, कुल कार्य का मूल्य, भुगतान अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के अनुसार कार्यों के विभिन्न घटकों में विभाजित किया जाता है और भुगतान इसी के अनुसार विनियमित किया जाता है।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-1 झाबुआ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (अप्रैल 2016) कि उपरोक्त कार्य के प्राक्कलनों में 10,23,246 घन मीटर हार्ड रॉक की खुदाई का प्रावधान किया गया और चलित देयक के अनुसार, नहर में

95 प्रतिशत मिट्टी कार्य को पूरा किया गया था। इसलिए संभाग द्वारा हार्ड-रॉक की खुदाई के समय संभाग द्वारा ₹ 21.23 करोड़⁶¹ मूल्य की 12,63,708.81 घन मीटर⁶² हार्ड रॉक को बहियों में यथा कार्य स्थल पर सामग्री में अभिलिखित किया जाना चाहिए था।

विभाग को विनिर्दिष्ट दर पर हार्ड रॉक के जारी करने और वसूली पर निगरानी रखना आवश्यक था, जैसा कि अनुबंध की शर्त 36 में निर्धारित था। यद्यपि संभागीय अभिलेखों में न तो खोदी गई हार्ड रॉक के बारे में विवरण मिले न ही पूछे जाने पर विभाग द्वारा प्रदान किए गए। चूंकि 90 प्रतिशत तक संरचना पूर्ण हो चुकी थी इसलिए हार्ड रॉक को जारी करना, उपयोग और वसूली इस चरण से परे असंभाव्य थी। परिणामतः इस कारण ₹ 21.23 करोड़ की हानि से इंकार नहीं किया जा सकता और इसलिए शासन द्वारा जांच किया जाना आवश्यक है।

इसे इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (अप्रैल 2016) कि जैसा कि कार्य जारी था, खोदी गई चट्टान ठेकेदार द्वारा उपयोग की जा रही थी, शेष हार्ड रॉक के ठेकेदार द्वारा नहर के साथ-साथ चट्टे लगाए जाएंगे और खनिज विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी। आगे, कार्यपालन यंत्री ने बताया कि खोदी गई चट्टान की मात्रा को कार्यपूर्ण होने के पश्चात् अंतिम रूप से तय किया जाएगा और हार्ड रॉक की लागत की वसूली की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संरचना 99 प्रतिशत तक, एक्वाडक्ट 69 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक और लाइनिंग कार्य 95 प्रतिशत तक पूर्ण किया जा चुका था एवं यह प्रत्याशा युक्तियुक्त है कि जैसा कि संभाग के लिए कार्यस्थल सामग्री में/ठेके में लेखाकारण किया जाना चाहिए तथा लागत को चलित देयक से समायोजित किया जाना चाहिए।

चर्चा के दौरान विभाग ने यह तथ्य स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) कि हार्ड रॉक को कार्यस्थल सामग्री लेखा में लिया जाना चाहिए।

3.3.12 अपर्याप्त प्राक्कलन और कमजोर आयोजना के कारण निष्फल व्यय

अपर्याप्त प्राक्कलन और कमजोर आयोजना के कारण कम जल मार्ग क्षेत्र के साथ आर.सी.सी. डक्ट तथा व्यपवर्तन नहर के निर्माण के बाद भी सीपेज समस्या का हल नहीं किया जा सका। इसके कारण ₹ 3.00 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.028 के अनुसार, कोई अधिकारी जो किसी प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करता है, वह डिजाइन की पूर्णता और ड्राईंग के संदर्भ में प्राक्कलन में शामिल होने के लिये आवश्यक सभी मदों को समाहित करने के लिये जिम्मेदार होगा।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) के सर्वेक्षण प्रतिवेदन (मई 1998) के अनुसार, तिलवाड़ा बांयी तट नहर (टी.एल.बी.सी.) संभाग केवलारी (सिवनी) के अंतर्गत संजय सरोवर भीमगढ़ दायीं तट मुख्य नहर के चेन 760 से चेन 782 तक भारी सीपेज हो रहा था और तट/ढलान टूट रहा था। इसलिए जी.एस.आई. ने, संपूर्ण नहर तल के नीचे से रेडबोल हटाने, उपयुक्त ग्रेडेड सामग्री के साथ नहर के ग्रेड स्तर कोरोलिंग और

⁶¹ कुल लागत = कुल मात्रा 12,63,708.81 घ.मी. ₹ 168 (इश्यू दर ₹ 110 + रायल्टी प्रभार ₹ 50) = ₹ 21,23,03,080.08

⁶² यथानुपात आधार पर खोदी गई हार्ड-रॉक की मात्रा अर्थात् भुगतान अनुसूची में विनिर्दिष्ट मिट्टी कार्य की प्रतिशतता को कार्यस्थल पर सामग्री पुस्तिका में दर्शाया जाना है = प्राक्कलित खोदी गई मात्रा 10, 23,246 घ.मी. 95 प्रतिशत x 1.3 = 12,63,708.81 घ.मी.

सुदृढीकरण के साथ तैयार करने एवं इसके पश्चात् नहर खण्ड का अस्तर करने तथा स्थिरता के लिये ढलान को दबाने (बेंच) की अनुशंसा की।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (सितम्बर 2015) कि विभाग ने जी.एस.आई. की अनुशंसाओं को अनदेखा करते हुए 1.5 मीटर पूर्ण आपूर्ति स्तर (एफ.एस.एल.) के प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आर.आर.सी.) डक्ट के 3x3 के दो बैरेल के निर्माण का एक प्राक्कलन तैयार किया (अक्टूबर 2005)। कार्य को, वर्षा काल सहित 3 महीने अर्थात् अगस्त 2006 तक पूर्ण करने के लिये ₹ 3.42 करोड़ की प्राक्कलित लागत (यू.एस.आर. 2003 से 35.2 प्रतिशत अधिक) पर एक ठेकेदार को सौंपा। ठेकेदार, जून 2008 तक तीन समय वृद्धियां दिये जाने के बावजूद कार्य को पूरा करने में विफल रहा और जून 2008 तक केवल 70 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था। संभाग ने ₹ 2.39 करोड़ के लिये 12वें चलित देयक (मई 2008) का भुगतान किया और माह दिसम्बर 2014 में अपूर्ण कार्य के लिए "निरंक" का देयक तैयार किया।

आगे, संभाग ने पुनः ₹ 45.56 लाख का एक प्राक्कलन तैयार किया (जून 2011) और डक्ट चैनल के साथ व्यपवर्तन नहर⁶³ के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता (सी.ई.) को एक टीप प्रस्तुत की। तकनीकी औचित्य के अनुसार आपूर्ति गहराई 2.3 मीटर से 2.5 मीटर के साथ एल-सेक्शन में जल मार्ग के लिये 16.30 वर्ग मी. डिजाइन के साथ बनाई गई थी, किन्तु आर.सी.सी. डक्ट जिसका जल प्रवाह 9.30 वर्ग मी. और एफ.एस.एल. 1.5 मी. थी, के निर्माण के कारण मुख्य नहर का जलप्रवाह लगभग 20 से 25 क्यूसेक्स कम हो गया क्योंकि आर.सी.सी. डक्ट (चैनेज 760 में) में पूर्ण जल आपूर्ति केवल 1.5 मी. थी। इसलिए आर.सी.सी. डक्ट से पहले लगभग दो से तीन फीट तक पानी का उछाल बन गया था जिसके कारण पानी उस क्षेत्र में फैल रहा था और नहर तटबंध/प्रणाली को नुकसान पहुँचा सकता था।

कार्यपालन यंत्री (ई.ई.), टी.एल.बी.सी. संभाग केवलारी, सिवनी के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि प्रारंभिक रूप से ₹ 45.56 लाख के लिए व्यपवर्तन नहर की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा प्रदान की गई थी और नियमानुसार प्रारंभिक कार्य के अंतिम निपटान के पश्चात् नये कार्य के कार्यान्वयन को शुरू करने हेतु अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया गया था। आगे, सी.ई. ने (अक्टूबर 2013) जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव के आदेशानुसार स्वीकृति को ₹ 61 लाख तक संशोधित किया और व्यपवर्तन नहर के कार्य को कार्यान्वयन हेतु ई. एण्ड एम. संभाग बालाघाट को दे दिया। आगे लेखापरीक्षा संवीक्षामें प्रकट हुआ कि संभाग ने आर.सी.सी. डक्ट जिसके माध्यम से आर.सी.सी. डक्ट की 1.5 मीटर की क्षमता के स्थान पर 2.3 मीटर से 2.5 मीटर तक पानी प्रदाय किया गया था, से पहले बने हुए पानी के उछाल से छुटकारा पाने के लिए एक व्यपवर्तन नहर का निर्माण किया।

⁶³ जिसमें कड़ी मुरम में खुदाई, विघटित, मुलायम चट्टान और कड़ी चट्टान और खुदाई की गई सामग्री का परिवहन (निपटान) शामिल था।



संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान चेनेज 760 से 783 के मध्य पानी का रिसाव

इस प्रकार, आर.सी.सी. डक्ट के निर्माण के लिए ₹ 3.00 करोड़⁶⁴ व्यय करने परिणामस्वरूप छोटे जल मार्ग के कारण पानी का प्रवाह कम हुआ। आगे, त्रुटिपूर्ण आर.सी.सी. डक्ट एवं व्यपवर्तन नहर सीपेज की समस्या का हल नहीं कर सके।

इसे इंगित किये जाने पर मुख्य अभियंता ने बताया (मई 2016) कि डक्ट का निर्माण प्रवाह रूपांकन के अनुसार किया गया था और तल की चौड़ाई को भू-स्खलन रोकने और पानी के तीव्र प्रवाह के लिये कम किया गया था। चूंकि ठेकेदार ने कार्य को अधूरा छोड़ दिया और जल प्रवाह ठीक नहीं था इसलिए व्यपवर्तन नहर का कार्य ई/एम संभाग, बालाघाट द्वारा क्रियान्वित किया गया एवं अब जलप्रवाह एक समान है। आगे चर्चा के दौरान (अक्टूबर 2016) अपर सचिव, जल संसाधन विभाग ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की यद्यपि सीपेज के सुधार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को सुनिश्चित किया गया।

विभाग के अनुरोध पर स्थल का एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था (दिसम्बर 2016) एवं यह अवलोकित किया गया कि सीपेज एवं तट/पार्श्वों का टूटना अब भी निरंतर था। इस प्रकार, विभाग आर.सी.सी. डक्ट/ व्यपवर्तन नहर के निर्माण पर ₹ 3.00 करोड़ का व्यय करने के बाद भी सीपेज एवं तट/पार्श्वों के टूटने की समस्या को हल नहीं कर सका था।

3.3.13 सीमेंट कांक्रीट कार्य में रेत के लिये लीड का अधिक भुगतान

सीमेंट कांक्रीट की मद में सम्मिलित किए गए 100 कि.मी. से रेत के लीड की त्रुटिपूर्ण प्रावधान के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.58 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

जल संसाधन विभाग ने पंचम नगर बैराज का निर्माण कार्य को एक ठेकेदार को ₹ 53.10 करोड़, जो फरवरी 2009 से प्रभावी एकीकृत दर अनुसूची (यू.एस.आर.) पर प्राक्कलित मूल्य ₹ 51.03 करोड़ से 4.05 प्रतिशत अधिक था पर सौंपा (फरवरी 2013)। कार्य, वर्षा काल सहित 24 महीने में अर्थात् फरवरी 2015 तक पूर्ण

⁶⁴ ₹ 3.00 करोड़ (आर.सी.सी. डक्ट पर ₹ 239 लाख का खर्च + व्यपवर्तन नहर पर ₹ 61 लाख का व्यय)

करने हेतु नियत था। कार्य को दिसम्बर 2015 तक समय वृद्धि के साथ दिसम्बर 2015 में पूर्ण किया गया किन्तु विभाग द्वारा अंतिम भुगतान जारी नहीं किया गया क्योंकि कार्य के अधिक/अतिरिक्त मात्रा हेतु मुख्य अभियंता का अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित था। किए गए कार्य के मूल्य के लिए 42वें चलित देयक ठेकेदार को ₹ 53.62 करोड़ का भुगतान किया गया था (मई 2016)।

अनुबंध अनुसूची की सामान्य टीप के अनुसार, प्रभारी अभियंता या विभाग द्वारा जैसा निर्देशित किया जाये, ठेकेदार खुदाई से प्राप्त पत्थर, मिट्टी और अन्य किसी उपयोगी सामग्री के उपयोग बाध्य है। निर्माण क्षेत्र में खोदी गई सामग्री के उपयोग में, ठेकेदारों को किसी भुगतान के बिना रि-हैंडलिंग, ड्रेसिंग, फिनिशिंग/शोपिंग सभी लीड और लिफ्ट सम्मिलित होती है।

निविदा की शर्त 3.11 (ए) जो अनुबंध का भाग थी, के अनुसार, ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें किसी भी सामग्री हेतु लीड और लिफ्ट सहित थी। अनुबंध की उक्त शर्त में आगे प्रावधान था कि ठेकेदार अनुमोदित गुणवत्ता की सामग्री को लाएगा और इस हेतु विभिन्न खदानों को, खदान के स्थानों को मानचित्र पर दर्शाने वाले परिशिष्ट-सी में इंगित किया गया था। आगे यह प्रावधानित किया गया कि परिशिष्ट "सी" में दर्शाये गए विवरण ठेकेदार हेतु केवल मार्गदर्शक के रूप में थे और ठेकेदारों को निविदा से पहले उपलब्ध खनिज की गुणवत्ता और उपलब्ध मात्राओं से स्वयं को संतुष्ट करना चाहिये और ठेकेदार को उसकी उद्धृत दरों में लीड, लिफ्ट और स्थान में अंतर को प्रावधानित करना चाहिए।

कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर परियोजना सर्वे संभाग, हट्टा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (मई 2015 और 2016) कि उपरोक्त कार्य के क्लबिंग स्टेटमेंट में सीमेंट कंक्रीट कार्य में ₹ 507.78 प्रति घन मीटर के दर से 100 किमी. से रेत की लीड को सम्मिलित किया गया। आगे यह अवलोकित किया गया कि ठेकेदार को 65,068.563 घन मीटर खोदी गई हार्ड रॉक जारी की गई, जिसका उपयोग ठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के निर्माण संयंत्र से कार्य स्थल के पास रेत के निर्माण में किया गया एवं सीमेंट कांक्रीट कार्य में उपयोग किया गया। इसलिए, सीमेंट कांक्रीट की मद की सम्मिलित दर में राशियों के पदों में सम्मिलित रेत के क्रय (100 कि.मी. से रेत की लीड की भांति वर्गीकृत) पर ₹ 1.58 करोड़⁶⁵ का भुगतान अनुचित था।



स्थल पर रेत का क्रशर

इसे इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (नवम्बर 2016) कि प्राक्कलन और संयुक्त दर अनुबंध का भाग नहीं थे एवं लीड के भुगतान के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था तथा भुगतान अनुबंध में दर्शाई गई दर के अनुसार किया गया था। रेत के उत्पादन के समय ठेकेदार ने लीड की राशि की तुलना में अधिक व्यय किया। चर्चा के दौरान अपर सचिव ने बताया (अक्टूबर 2016) कि लीड चार्ट को निविदा प्रपत्र

⁶⁵ 1,58,48,890 (कार्य में उपयोग किए गए रेत की मात्रा 29,997.233 घ.मी.) x ₹ 507.78 प्रति घन मीटर दर के लिए लीड दर + 4.05 प्रतिशत ऊपर निविदा प्रीमियम

में केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिये जोड़ा गया था और ठेकेदार को सामग्री उसकी सुविधानुसार संग्रहित करने की स्वतंत्रता थी। क्रियान्वयन के दौरान हार्ड रॉक प्राप्त हुई एवं ठेकेदार को कार्यस्थल पर रेत उत्पादन हेतु अनुमति भी दी गई और विभाग ने इश्यू रेट और रॉयल्टी प्रभारों की कटौती की थी। विभाग ने ठेकेदार को लीड के कारण किसी राशि का भुगतान नहीं किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तथ्य अवगत होते हुये भी कि ठेकेदार खदान से रेत नहीं ला रहा था तथा खोदी गई चट्टान से कार्यस्थल के निकट बनाई गई रेत सी.सी. कार्य में उपयोग की जा रही थी, संभाग ने खदान से रेत के परिवहन के लिये ठेकेदार को ₹ 1.58 करोड़ का भुगतान किया। चूंकि प्राक्कलन और यू.एस.आर. लागत को निर्धारित करने के मुख्य तत्व हैं, किसी विचलन/अधिक प्राक्कलन के कारण कार्य के अतिरिक्त लागत होती है। उत्तर में ये भी इंगित किया कि बिलों की संवीक्षा और भुगतान के अनुमोदन के उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी या तो ठेका शर्तों से अनभिज्ञ थे या जानबूझकर लापरवाह थे। इस प्रकरण की विभाग द्वारा आगे जांच की आवश्यकता है।

3.3.14 गलत संयुक्त दरें तैयार करने के कारण अतिरिक्त लागत

मिट्टी कार्य हेतु पूर्ण मद को लेने के बजाए मिट्टी कार्य हेतु गलत संयुक्त दर लेने के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

विभाग ने इंदला तालाब परियोजना, मनावर के मुख्य नहर, वितरिकाओं और माइनरों के मिट्टी कार्य, संरचनाओं और लाइनिंग कार्य सहित मुख्य नहर की लाइनिंग के निर्माण का कार्य तथा कछाल तालाब परियोजना, शाजापुर के दांयी तट मुख्य नहर (आर.बी.एम.सी.) की लाइनिंग, उप लघु नहर, संरचनाओं इत्यादि के मिट्टी कार्य का निर्माण के कार्यों को वर्षाकाल सहित क्रमशः 18 माह एवं 15 माह के पूरा करने हेतु प्रतिशत दर निविदा⁶⁶ पर ₹ 10.89 करोड़ और ₹ 11.53 करोड़ की लागत पर सौंपा (नवम्बर 2011 एवं सितम्बर 2013)। कार्य आदेश क्रमशः मई 2013 और अगस्त 2014 में जारी किये गये थे। इंदला तालाब परियोजना का नहर कार्य जून 2014 में पूर्ण किया गया (जून 2014 तक समय वृद्धि के साथ) एवं ठेकेदार को भुगतान को ₹ 10.59 करोड़ के 28वें अंतिम बिल का भुगतान किया गया (दिसम्बर 2015)। कछाल तालाब परियोजना का नहर कार्य मई 2015 (मई 2015 तक समय वृद्धि के साथ) में पूर्ण किया गया तथा ठेकेदार को ₹ 11.86 करोड़ के 24वें अंतिम बिल का भुगतान किया गया (अगस्त 2015)।

जल संसाधन विभाग (डब्लू.आर.डी.) के एकीकृत दर अनुसूची (यू.एस.आर.) (फरवरी 2009) के अध्याय 4 के सामान्य टिप्पणी 9 (बी) के अनुसार, नहर खुदाई में, अधिशेष दूरियों से खोदी गई मिट्टी को समीपवर्ती कमी वाली दूरियों में उपयोग किया जाना चाहिये ताकि कमी वाली दूरियों में खुदाई क्षेत्र तथा अतिरिक्त मिट्टी के निपटान के लिये भूमि अधिग्रहण कम से कम हो। इस उद्देश्य हेतु प्रारंभिक स्तरों के आधार पर एक प्रतिस्थापन विवरण तैयार किया जाना चाहिये, जो मिट्टी को प्रतिस्थापित करने के लिए एवं मिट्टी कार्य की निवल भुगतान योग्य मात्रा और लीड प्रभारों के लिए आधार बनेगा।

आगे, संशोधन (जनवरी 2010) के अनुसार, हेड लोड के द्वारा बंध, कट ऑफ ट्रेन्च (सी.ओ.टी.), नहर तथा अन्य सभी मदों के लिए मिट्टी की खुदाई की संयुक्त दर, जैसा कि बंध तथा सी.ओ.टी. की भराई के लिए क्रमशः यू.एस.आर. के मद सं. 415 (ए) (II)

⁶⁶ इंदला तालाब परियोजना मनावर के प्रकरण में ₹ 11.12 करोड़ की प्राक्कलित लागत 2.08 प्रतिशत नीचे और कछाल तालाब परियोजना शाजापुर के प्रकरण में प्राक्कलित लागत ₹ 9.79 करोड़ से क्रमशः ₹ 17.71 करोड़ अधिक।

एवं (III) (क्रमशः ₹ 43 प्रति घन मीटर और ₹ 54 प्रति घन मीटर) में दी गई है प्राक्कलित इकाई दर की सीमा तक की जा सकती है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (फरवरी 2016⁶⁷ और अप्रैल 2016⁶⁸) कि इन कार्यों के लागत प्राक्कलन के अनुसार, मिट्टी कार्य के संयुक्त दर, 0.5 कि.मी. एवं 2 कि.मी. की लीड को लेते हुए, जैसा कि यू.एस.आर. की मद सं. 2904 (5) (₹ 62.64 प्रति घन मीटर और ₹ 74.52 प्रति घन मीटर क्रमशः) तैयार की गई थी। मनावर के प्रकरण में 50 मी. की मुफ्त लीड के साथ ₹ 31 प्रति घन मीटर की मद सं. 415 (सी), मद संख्या 2902 (5) के अनुसार 500 मी. तक के अतिरिक्त लीड को ₹ 62.64 प्रति घन मीटर के दर पर शामिल किया गया तथा मात्रात्मक गणना के आधार पर ₹ 90.44 की संयुक्त दर की गणना की गई थी। इसी प्रकार, शाजापुर प्रकरण में, मात्रात्मक गणना के आधार पर ₹ 89.18 की संयुक्त दर की गणना करने के लिए, कड़ी मिट्टी के खुदाई के लिये खुदाई मद 401 (बी) को लिया गया एवं अध्याय 29 सामग्री के परिवहन से ₹ 74.52 प्रति घन मीटर की लीड को मद सं. 2904 (5) (2) से लिया गया था। इस प्रकार, मिट्टी कार्य 415 (ए) (II) एवं (III) में पूर्ण मद को लेखे के स्थान पर मिट्टी कार्य की संयुक्त दर में लीड हेतु अतिरिक्त दर को सम्मिलित किया गया जिसके परिणामस्वरूप जैसा कि परिशिष्ट 3.26 एवं 3.27 में दर्शाया गया है ₹ 1.31 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

इसे इंगित किये जाने पर प्रमुख अभियंता (ई.-इन-सी.) ने बताया (अगस्त 2016) कि प्राक्कलन में कार्य का मूल्य यू.एस.आर. के लागू होने के दिनांक का होता है और यह कार्य का अद्यतन मूल्य नहीं था। प्राक्कलन और क्लबिंग स्टेटमेंट बोली दस्तावेज के भाग नहीं है तथा बोलीकर्ता, जिस क्षेत्र में कार्य किया जाना है उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दरों, कार्यस्थल परिस्थितियां, कार्य करने में सुगमता, सामग्री/श्रम/मशीनरी और क्षेत्र के अन्य कारकों को देखते हुये मद की दर को उद्धृत करता है। इसलिए उद्धृत दरें, प्राक्कलनों के मद की संयुक्त दरों पर आधारित नहीं थीं तथा विभाग ने लीड के भाग हेतु अलग से किसी राशि का भुगतान नहीं किया। हालांकि प्रमुख अभियंता ने स्वीकार किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिये विभाग ने अप्रैल 2016 से विभाग में लागू यू.एस.आर. में सामग्रियों की समस्त लीड, लिफ्ट परिवहन समाहित कर लिया गया था। अपर सचिव ने भी अक्टूबर 2016 में हुई बैठक में इसे दोहराया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्लबिंग स्टेटमेंट पर आधारित प्राक्कलित दर बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत दर का आधार है। आगे यू.एस.आर. को मद सं. 415 (सी) को हटा दिया गया (जनवरी 2010) एवं बंध और नहरों के संधारण और मरम्मत पर लागू होने वाली मद (₹ 38 प्रति घन मीटर की दर से) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

यह भी कि यू.एस.आर. के अध्याय-4 के अनुसार मद 415 (ए) (II) एवं (III) की इकाई दर की सीमा में बंध, सी.ओ.टी., नहर अन्य सभी मद के लिए मिट्टी कार्य किया गा था इसलिए अतिरिक्त दर अनुमत नहीं थी। जैसा कि अनुबंध समग्र प्रतिशत दर पर थे, संयुक्त दर को तैयार करते समय विभाग की पर्याप्त कर्मिष्ठता में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

⁶⁷ कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, संभाग शाजापुर

⁶⁸ कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, संभाग मनावर

3.3.15 चिपकने न फूलने वाली मिट्टी के लिए गलत दरें अपनाने के कारण अधिक लागत

चिपकने, न फूलने वाली मिट्टी को प्रदाय करने एवं लगाने की मद में उच्चतर दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

विभाग ने छः⁶⁹ संभागों के अंतर्गत नहर लाइनिंग निर्माण एवं सुधार, रिमॉडलिंग और पुनर्निर्माण के 10 कार्यों⁷⁰ को विभिन्न अनुबंधों के द्वारा ₹ 94.13 करोड़ की लागत पर सौंपा (फरवरी 2013 से फरवरी 2015)। ठेकेदारों ने नहर कार्यों में 2,36,233.53 घन मीटर सी.एन.एस. का क्रियान्वयन किया (मार्च 2016)।

मुख्य अभियंता, ब्यूरो ऑफ डिजाइन (बोधी), जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश ने एकीकृत दर अनुसूची⁷¹ (यू.एस.आर.) को संशोधित किया (दिसम्बर-2012) और संग्रहण करने, फैलाने, जल सिंचन और सुदृढ़ीकरण इत्यादि सहित सी.एन.एस. को प्रदाय करने एवं लगाने के लिए दरों को ₹ 94 प्रति घन मीटर से ₹ 52 प्रति घन मीटर तक पुनरीक्षित किया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (जनवरी 2016 से मार्च 2016) कि विभाग ने छः संभागों में 10 कार्यों को, प्राक्कलन में घटाई गई दरों को समाहित किये बिना सौंप दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई जैसा कि परिशिष्ट 3.28 में दर्शाया गया है।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि बोली प्रक्रिया पारदर्शी थी एवं सभी भागीदार एजेंसियों के लिये पूरी तरह से खुली है। प्राक्कलन और क्लबिंग स्टेटमेंट बोली प्रपत्र के भाग नहीं थे। बोलीकर्ता, जिस क्षेत्र में कार्य किया जाना है उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दरों, कार्यस्थल परिस्थितियां, कार्य करने में सुगमता, सामग्री/श्रम/मशीनरी की उपलब्धता और क्षेत्र के अन्य कारकों को देखते हुये मद की दर को उद्धृत करता है। इस प्रकार उद्धृत दरें प्राक्कलन के मद की दर के आधार पर नहीं थीं। यद्यपि, सभी फील्ड अभियंताओं को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत संशोधित दरों को प्राक्कलन में समाहित करने के निर्देश जारी किए गये। चर्चा के दौरान (अक्टूबर 2016) अपर सचिव ने उपरोक्त तथ्य को दोहराया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; प्राक्कलन एवं यू.एस.आर. महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह अंततः लागत के प्रेरक हैं। आगे, अनुबंध प्रतिशत दर निविदा पर आधारित थे। इसलिए संयुक्त दर में किसी भी प्रकार का विचलन ठेकेदार के द्वारा उद्धृत दर को प्रभावित करेगा। विभाग द्वारा सी.एन.एस. मद के लिये दरों में संशोधन को, सभी कार्यों हेतु निविदा आमन्त्रण सूचना जारी करने से पूर्व जारी कर दिया गया था। यद्यपि, संबद्ध संभागों ने संशोधन के साथ अनुवर्तन नहीं किया एवं सी.एन.एस. के लिए कम हुई दर को समाहित किए बिना प्राक्कलनों को तैयार किया। इस प्रकार सी.एन.एस. के लिये त्रुटिपूर्ण दरें अपनाने के परिणामस्वरूप कार्य के क्रियान्वयन में ₹ 1.09 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

⁶⁹ देवलौद, गंजबासौदा, कटनी, नरवर, शाजापुर और शिवपुरी

⁷⁰ एक देवलौद में, तीन गंजबासौदा में, एक कटनी में, दो नरवर में, दो शाजापुर में और एक शिवपुरी संभाग में।

⁷¹ संशोधन क्रमांक 09 से, (एकीकृत दर अनुसूची (यू.एस.आर.) पूर्ण मद संख्या 2503 (सं.))

3.3.16 नहर में टेम्पिंग के क्रियान्वयन के कारण परिहार्य अतिरिक्त लागत

नहर कार्य में टेम्पिंग के गलत प्रावधान और क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 77.36 लाख की अतिरिक्त लागत आई। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ₹ 12.56 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी है।

सिंचाई विशिष्टियों के अध्याय 4 भाग-। की शर्त 4.9.7.1.3 के अनुसार टेम्पिंग ऐसे स्थानों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए जहाँ रोलर के माध्यम से मिट्टी भराव सामग्री का सुदृढीकरण अव्यवहारिक और अवांछनीय है। ऐसे स्थानों पर मिट्टी भराव का विशिष्टतया सुदृढीकरण होगा।

विभाग ने सात⁷² संभागों की 11 योजनाओं के 12 नहर लाइनिंग कार्यों को ₹ 140.07 करोड़ की लागत पर प्रदान किया (नवम्बर 2011 से जून 2015)। मात्रा अनुसूची जो, नहर की सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग के कार्यों के लिए अनुबंधों का भाग थी, में अन्य बातों के साथ-साथ नहर कार्यों की दो मदों को परिकल्पित किया गया था, यथा, (i) नहर की मिट्टी में 30 से.मी. गहराई तथा सेच्यूरेशन सहित, उपलब्ध कराना, एवं हल्के रोलरों अर्थात बिना बिजली वाले रोलरों या शीप फुट अर्थ मूवर्स या हैंड रेमर या यांत्रिक/वाइब्रेटरी कम्पेक्टर द्वारा अधिकतम आर्द्रता जहां पर शुष्क घनत्व 90 प्रतिशत से कम न हो पर ड्रेसिंग, जल सिंचन एवं सुदृढीकरण सहित क्लॉड को तोड़ना, 15 से.मी. मोटाई की परत डालना और वांछित आधार तल एवं पार्श्व ढलानों में फिनिशिंग तथा कटिंग सहित अनुमोदित चिपकने न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.) को लाइनिंग के नीचे नहर तल में और पार्श्व ढलानों में प्रदाय करना एवं लगाना, (ii) इन-सिटु सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग से पहले मिट्टी के सब ग्रेड की तैयारी के लिए 30 से.मी. गहराई तक सेच्यूरेशन सहित नहर बेड और किनारों में टेंपिंग करना।

अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (जनवरी 2016 से अप्रैल 2016) कि लाइनिंग के 12 कार्यों में, ठेकेदारों द्वारा कुल 2,62,382.40 घन मीटर सी.एन.एस. मद को क्रियान्वित किया गया था एवं उन्हीं दूरियों में नहर तल और पार्श्व के ढलानों में 6,61,756.61 वर्ग मी. के कुल क्षेत्र की टेम्पिंग का कार्य ₹ 77.36 लाख की लागत पर प्रदाय एवं क्रियान्वित किया गया। चूंकि, सी.एन.एस. को प्रदाय करने एवं भरने की दर, रेमिंग⁷³, जल सिंचन और सुदृढीकरण सहित थी, जहाँ पर सी.एन.एस. बिछाई गई थी, टेम्पिंग का अलग प्रावधान एवं क्रियान्वयन अवांछित था। इस प्रकार टेम्पिंग के अवांछित प्रावधान एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कार्य पर ₹ 77.36 लाख की परिहार्य लागत आई, जैसा कि परिशिष्ट 3.29 में विवरण दिया गया है। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात टेम्पिंग के कारण जल संसाधन संभाग दमोह द्वारा ठेकेदार से ₹ 12.56 लाख की वसूली⁷⁴ की जा चुकी है।

प्रमुख अभियंता ने उनके उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि सिंचाई विशिष्टियों की शर्त 25.3 के अनुसार, फूलने वाले दबाव को रोकने और कठोर लाइनिंग सामग्री के विरूपण को रोकने के लिए आवश्यक मोटाई की सी.एन.एस. सामग्री की परत को फूलने वाले दबाव के बढ़ने के अनुसार मिट्टी और कठोर लाइनिंग सामग्री के मध्य में डालना था। उचित घनत्व को सुनिश्चित करने के लिए सी.एन.एस. के मद में जल सिंचन और सुदृढीकरण का प्रावधान किया गया था। आगे, सिंचाई विशिष्टियों की शर्त

⁷² संजय सागर परियोजना संभाग, गंजबासौदा, सिंध परियोजना दायीं तट नहर संभाग, नरवर और जल संसाधन विभाग, संभाग दमोह, देवास, कटनी मनावर और राजगढ़

⁷³ भोथरे औजार द्वारा बलपूर्वक भारी टेम्पिंग या उसी का एक प्रकार


⁷⁴ अनुबंध संख्या 25/2014-15 (₹ 5,09,433) एवं अनुबंध संख्या 20/2014-15 (₹ 7,46,117)

के अनुसार, सी.सी. लाइनिंग को डालने से पहले मिट्टी सब ग्रेड की तैयारी के लिए टेम्पिंग का प्रावधान अनिवार्य था चाहे सी.एन.एस. डालते समय सुदृढीकरण किया गया हो।

चर्चा के दौरान विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि टेम्पिंग के मद का क्रियान्वयन नहर की भराई वाली दूरियों में किया गया था। विभाग ने आगे प्रकरण का सत्यापन करने का आश्वासन दिया।


उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'नहर तल एवं पार्श्व ढलानों में लाइनिंग के नीचे अनुमोदित सी.एन.एस. मिट्टी को प्रदाय करना एवं लगाना' में मिट्टी भराई सामग्री का सुदृढीकरण सम्मिलित था। इस प्रकार टेम्पिंग का अलग प्रावधान एवं क्रियान्वयन अवांछित था।

भोपाल
दिनांक : 10 मार्च 2017


(दीपक कपूर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 10 मार्च 2017


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 (ए)

30 जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 1.5, पृष्ठ 3)

क्र. स.	विभाग	2005-06 तक		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि	नि.प्र. कंडिकाएं	राशि
1	लोक निर्माण	554	2,019	74	317	76	388	75	345	71	428	64	363
2	जल संसाधन	485	1,180	80	256	102	294	105	275	110	362	93	285
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	128	281	16	33	29	67	28	55	23	61	29	70
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए)	28	91	17	53	30	86	36	101	50	152	29	128
5	वन	61	82	12	13	23	30	17	23	40	97	146	746
6	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	168	281	32	95	67	155	30	82	80	208	84	284
7	सहकारिता	106	229	20	51	11	32	4	15	13	26	0	0
8	पशुपालन	107	208	14	55	17	44	19	46	49	136	18	75
9	मछली पालन	35	62	0	0	0	0	2	3	15	32	5	6
10	ग्रामद्योग	55	126	10	49	15	45	8	30	13	31	9	29
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	14	79	16	37	1	2	1	2	1	2	10	38
12	ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	पर्यटन	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	9
14	विमानन	5	31	0	0	0	0	1	4	1	4	0	0
15	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	26	124	1	2	5	5	1	1	10	10	9	29
	योग	1,773	4,794	293	964	376	1,148	327	982	476	1,549	497	2,042
													2,586.63

परिशिष्ट 1.1 (बी)

30 जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 1.5, पृष्ठ 3)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			2015-16			योग		
		नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि
1	लोक निर्माण	5	45	97.40	81	513	1,183.70	67	471	497.25	56	444	401.06	75	529	691.66	1,198	5,862	7,901.79
2	जल संसाधन	25	99	210.05	76	452	2,028.10	80	364	1,717.88	71	735	587.39	70	499	831.96	1,297	4,801	10,579.03
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	29	162	495.48	12	55	334.59	38	102	906.01	45	144	1,123.87	34	127	374.27	411	1,157	4,005.19
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए)	3	7	502.03	15	65	123.32	27	146	1,125.21	42	265	616.88	30	273	5,613.73	307	1,367	9,902.97
5	वन	87	548	42.53	97	627	662.85	72	380	163.50	84	697	471.17	70	499	438.70	709	3,742	2,324.45
6	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	14	51	202.85	62	248	273.16	76	275	64.14	83	371	129.54	86	486	245.54	782	2,536	1,329.10
7	सहकारिता	0	0	0	5	18	0	33	197	278.14	16	60	716.71	22	121	1,019.22	230	749	2,399.45
8	पशुपालन	1	5	97.72	25	92	59.93	31	159	218.46	42	215	76.20	48	311	65.31	371	1,346	620.32
9	मछली पालन	13	31	1.41	23	72	6.85	18	59	2.66	12	50	6.31	16	78	9.89	139	393	30.75
10	ग्रामद्वोग	10	34	59.97	4	12	20.11	16	35	11.54	19	55	68.01	19	102	418.77	178	548	823.00
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	23	34	95.13	12	23	70.23	10	27	54.28	12	37	25.55	18	56	523.42	118	337	1,156.36
12	ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	1	2	24.72	0	0	0	1	3	1.60	2	5	26.32
13	पर्यटन	0	0	0	1	7	10.11	1	3	4.10	1	4	5.17	1	3	1.44	7	30	34.47
14	विमानन	1	1	0.63	0	0	0	1	1	0.98	0	0	0	2	8	20.69	11	49	59.46
15	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	10	40	23.89	29	159	108.84	20	37	33.05	7	18	26.98	16	84	55.91	134	489	419.79
	योग	221	1,057	1,829.09	442	2,343	4,881.79	491	2,258	5,101.92	490	3,095	4,254.84	508	3,179	10,312.11	5,894	23,411	41,612.45

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न फसलों के अन्तर्गत नमूना जाँच किये गये एन.एफ.एस.एम. जिलों का
विवरण दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 2.1.5, पृष्ठ 13)

क्र. स.	धान	गेहूँ	दलहन	मोटा अनाज	वाणिज्यिक फसलें
1	दमोह	छतरपुर	भिंड	धार	हरदा
2	डिंडोरी	गुना	छतरपुर	डिंडोरी	होशंगाबाद
3	मंडला	खरगौन	दमोह	खरगौन	खरगौन
4	पन्ना	पन्ना	धार	मंडला	
5	सीधी	सिवनी	डिंडोरी	शाजापुर	
6		सीधी	गुना		
7		विदिशा	हरदा		
8			होशंगाबाद		
9			इंदौर		
10			मंडला		
11			पन्ना		
12			सिवनी		
13			शाजापुर		
14			सीधी		
15			उज्जैन		
16			विदिशा		
17			खरगौन		

परिशिष्ट 2.2

राज्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिलों में धान के उत्पादन एवं उत्पादकता दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.6.1, पृष्ठ 16)

(बुवाई क्षेत्र '000 हेक्टेयर में, उत्पादन '000 मीट्रिक टन में और उत्पादन किलोग्राम/हेक्टेयर में)

राज्य				गैर-एनएफएसएम जिलों में			एनएफएसएम जिलों में			
वर्ष	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	जिलों	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन
2011-12	1,703	2,280	1,339	1,006	1,511	1,502	अनूपपुर	100	103	1,030
							दमोह	53	58	1,094
							डिंडोरी	79	80	1,013
							कटनी	94	120	1,277
							मंडला	126	132	1,048
							पन्ना	61	62	1,016
							रीवा	116	143	1,233
							सीधी	68	71	1,044
योग	1,703	2,280	1,339	1,006	1,511	1,502		697	769	1,103
2012-13	1,801	3,113	1,728	1,073	2,243	2,090	अनूपपुर	106	119	1,122
							दमोह	56	56	993
							डिंडोरी	82	126	1,543
							कटनी	101	123	1,226
							मंडला	128	86	672
							पन्ना	64	65	1,020
							रीवा	123	200	1,626
							सीधी	68	95	1,398
योग	1,801	3,113	1,728	1,073	2,243	2,090		728	870	1,195
2013-14	1,930	5,361	2,778	1,186	3,479	2,933	अनूपपुर	107	237	2,222
							दमोह	61	97	1,585
							डिंडोरी	83	159	1,920
							कटनी	111	414	3,729
							मंडला	129	340	2,634
							पन्ना	56	100	1,765
							रीवा	124	355	2,870
							सीधी	73	180	2,464
योग	1,930	5,361	2,778	1,186	3,479	2,933		744	1,882	2,530
2014-15	2,153	5,438	2,526	1,418	3,836	2,705	अनूपपुर	107	310	2,897
							दमोह	66	104	1,576
							डिंडोरी	83	223	2,687
							कटनी	99	216	2,182
							मंडला	132	200	1,515
							पन्ना	56	113	2,018
							रीवा	136	367	2,699
							सीधी	56	69	1,232
योग	2,153	5,438	2,526	1,418	3,836	2,705		735	1,602	2,180

परिशिष्ट 2.3

राज्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिलों में गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.6.1, पृष्ठ 17)

(बुवाई क्षेत्र '000 हेक्टेयर में, उत्पादन '000 मीट्रिक टन में और उत्पादन किलोग्राम/हेक्टेयर में)

वर्ष	राज्य			गैर-एनएफएसएम जिलों में			एनएफएसएम जिलों में			
	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	जिलो	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन
2011-12	5,261	14,544	2,764	2,927	9,012	3,077	अशोकनगर	123	291	2,366
							छतरपुर	164	412	2,512
							गुना	106	329	3,104
							कटनी	81	199	2,457
							खंडवा	90	231	2,567
							खरगौन	89	261	2,932
							पन्ना	71	144	2,028
							रायसेन	222	663	2,986
							राजगढ़	137	329	2,401
							रीवा	152	297	1,954
							सागर	196	351	1,791
							सतना	149	320	2,142
							शिवपुरी	195	533	2,733
							सीधी	57	88	1,544
सिवनी	121	243	2,008							
टीकमगढ़	138	371	2,688							
विदिशा	243	470	1,934							
योग	5,261	14,544	2,764	2,927	9,012	3,077		2334	5532	2,370
2012-13	5,613	16,518	2,943	3,112	9,734	3,128	अशोकनगर	126	326	2,591
							छतरपुर	176	436	2,474
							गुना	114	425	3,728
							कटनी	92	260	2,826
							खंडवा	105	363	3,457
							खरगौन	102	291	2,852
							पन्ना	82	156	1,902
							रायसेन	233	789	3,390
							राजगढ़	165	463	2,802
							रीवा	157	384	2,446
							सागर	214	450	2,106
							सतना	143	448	3,133
							शिवपुरी	202	664	3,289
							सीधी	57	133	2,316
सिवनी	132	374	2,833							
टीकमगढ़	147	376	2,564							
विदिशा	254	446	1,754							
योग	5,613	16,518	2,943	3,112	9,734	3,128		2501	6784	2,713
2013-14	5,976	17,478	2,925	3,425	10,439	3,048	अशोकनगर	150	405	2,700
							छतरपुर	182	404	2,220
							गुना	114	394	3,467
							कटनी	102	224	2,204
							खंडवा	118	276	2,350
							खरगौन	44	125	2,841

वर्ष	राज्य			गैर-एनएफएसएम जिलों में			एनएफएसएम जिलों में			
	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन	जिलो	बुवाई क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन
							पन्ना	70	189	2,700
							रायसेन	229	802	3,502
							राजगढ़	174	495	2,853
							रीवा	195	435	2,229
							सागर	234	498	2,129
							सतना	156	523	3,356
							शिवपुरी	156	700	4,499
							सीधी	71	168	2,376
							सिवनी	139	409	2,947
							टीकमगढ़	157	412	2,624
							विदिशा	260	580	2,229
योग	5,976	17,478	2,925	3,425	10,439	3,048		2,551	7,039	2,759
2014-15	6,002	18,480	3,079	3,424	11,077	3,235	अशोकनगर	136	387	2,846
							छतरपुर	122	274	2,246
							गुना	129	437	3,388
							कटनी	88	198	2,250
							खंडवा	131	409	3,122
							खरगौन	120	381	3,175
							पन्ना	56	140	2,500
							रायसेन	279	917	3,287
							राजगढ़	157	509	3,242
							रीवा	210	683	3,252
							सागर	212	434	2,047
							सतना	165	593	3,594
							शिवपुरी	149	417	2,799
							सीधी	72	185	2,569
सिवनी	150	362	2,413							
टीकमगढ़	117	302	2,581							
विदिशा	285	775	2,719							
योग	6,002	18,480	3,079	3,424	11,077	3,235		2,578	7,403	2,872

परिशिष्ट 2.4

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान गुणवत्ता जाँच के लिए भेजे गये नमूने एवं उनके परिणामों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.8.3, पृष्ठ 24)

क्र. स.	जिला	वर्ष	लक्ष्य (संख्या में)	लिए गए नमूने (संख्या में)	लक्ष्य उपलब्धि का प्रतिशतता	नमूने के परिणाम			अवमानक का प्रतिशतता	बुवाई अवधि के बाद लिए गए नमूनों की संख्या	बुवाई अवधि के बाद प्राप्त परिणाम
						मानक	अवमानक	अप्राप्त			
1	हरदा	2014-15	115	112	97.39	88	19	5	16.96	34	103
		2015-16	65	62	95.38	59	2	1	3.23	0	54
2	पन्ना	2014-15	165	100	60.61	72	28	0	28.00	0	0
		2015-16	150	52	34.67	52	0	0	0.00	0	0
3	खरगौन	2014-15	160	172	107.50	149	23	0	13.37	0	17
		2015-16	220	189	85.91	180	9	0	4.76	0	5
4	विदिशा	2014-15	155	150	96.77	150	0	0	0.00	0	0
		2015-16	130	119	91.54	119	0	0	0.00	0	0
5	गुना	2014-15	110	64	58.18	42	22	0	34.38	21	57
		2015-16	100	46	46.00	41	5	0	10.87	9	21
6	दमोह	2014-15	140	126	90.00	99	27	0	21.43	42	41
		2015-16	130	123	94.62	115	8	0	6.50	33	56
7	सीधी	2014-15	65	79	121.54	78	1	0	1.27	49	0
		2015-16	35	21	60.00	21	0	0	0.00	16	10
8	छतरपुर	2014-15	195	132	67.69	105	27	0	20.45	22	89
		2015-16	170	182	107.06	174	8	0	4.40	32	97
9	होशंगाबाद	2014-15	170	134	78.82	117	17	0	12.69	56	72
		2015-16	160	133	83.13	122	11	0	8.27	6	59
10	धार	2014-15	190	205	107.89	164	41	0	20.00	70	138
		2015-16	240	180	75.41	164	16	0	8.84	38	165
11	इंदौर	2015-16	140	137	97.86	117	10	10	7.30	0	45
12	शाजापुर	2014-15	86	86	100.00	28	58	0	67.44	0	0
		2015-16	130	118	90.77	100	18	0	15.25	0	0
13	डिंडोरी	2015-16	60	26	43.33	26	0	0	0.00	37	52
14	मंडला	2014-15	90	52	57.78	46	6	0	11.54	30	34
		2015-16	90	81	90.00	78	3	0	3.70	35	16
15	उज्जैन	2015-16	240	185	77.08	178	7	0	3.78	28	48
16	सिवनी	2015-16	65	60	92.31	57	3	0	5.00	24	39
17	भिंड	2015-16	--	--	--	--	--	--	--	0	0
योग			3,766	3,126		2,741	369	16		582	1,218

परिशिष्ट 2.5

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में धान, गेहूँ एवं दलहन प्रदर्शन केन्द्रों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कड़िका 2.1.9, पृष्ठ 25)

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ लाख में)

हस्तक्षेप	राज्य में				चयनित जिलों में					
	लक्ष्य		उपलब्धि		जिलों	लक्ष्य		प्रतिशत	उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय
मोटा अनाज	46,580	2,329	29,434	852.55	खरगौन	2,200	110.00	86.36	1,900	67.77
					धार	5,400	270.00	98.15	5,300	117.78
					शाजापुर	800	40.00	12.50	100	1.55
					मंडला	2,100	105.00	80.95	1,700	81.67
					डिंडोरी	1,300	65.00	15.38	200	2.93
योग	46,580	2,329	29,434	852.55	11,800	590.00	77.97	9,200	271.70	
धान	17,948	1,346.10	16,308	941.74	पन्ना	1,870	140.25	84.49	1,580	49.52
					दमोह	2,800	210.00	85.71	2,400	150.86
					सीधी	1,400	115.00	52.14	730	25.61
					डिंडोरी	2,195	174.63	60.32	1,324	73.55
					मंडला	3,180	253.50	90.57	2,880	214.25
योग	17,948	1,346.10	16,308	941.74	11,445	893.38	77.89	8,914	513.79	
गेहूँ	71,761	6,955.13	73,306	5,207.68	हरदा	250	31.25	88.00	220	22.84
					पन्ना	3,100	317.50	93.55	2,900	234.43
					विदिशा	4,400	370.00	100.00	4,400	290.38
					छतरपुर	3,950	344.00	100.00	3,950	314.28
					गुना	2,700	190.00	100.00	2,700	178.97
					दमोह	1,780	222.50	79.78	1,420	126.77
					सीधी	3,350	346.83	104.63	3,505	264.88
					इंदौर	500	25.00	120.00	600	25.00
					धार	600	28.50	100.00	600	28.50
					उज्जैन	600	30.00	100.00	600	17.35
					मंडला	1,450	176.24	100.00	1,450	176.24
					डिंडोरी	2,550	137.50	70.59	1,800	98.93
योग	71,761	6,955.13	73,306	5,207.68	30,330	2,726.32	96.42	29,245	2,211.44	
दलहन	489,393	31,689.73	5,04,112	28,237.87	हरदा	9,000	632.50	95.06	8,555	485.91
					पन्ना	8,700	568.45	94.25	8,200	452.56
					खरगौन	7,500	445.00	100.00	7,500	392.55
					विदिशा	11,700	837.50	105.13	12,300	717.23
					छतरपुर	17,300	1,115.00	91.27	15,790	906.44
					गुना	11,800	782.50	98.31	11,600	749.41
					दमोह	13,486	881.45	88.14	11,886	777.44
					सीधी	11,209	770.42	112.23	12,580	707.31
					होशंगाबाद	76,200	3,237.16	101.09	77,028	3,179.05
					इंदौर	8,100	542.50	97.53	7,900	513.90
					धार	9,200	596.30	98.91	9,100	561.17
					शाजापुर	10,100	589.40	99.50	10,050	528.49
					उज्जैन	11,700	757.50	98.29	11,500	223.67
					मंडला	10,849	682.97	98.75	10,713	649.82
					डिंडोरी	7,090	472.32	95.49	6,770	319.08
					सिवनी	12,700	830.00	99.59	12,648	776.12
भिण्ड	5,600	430.00	126.48	7,083	400.25					
योग	4,89,393	31,689.73	5,04,112	28,237.87	2,42,234	14,170.97	99.57	2,41,203	12,340.40	
महायोग	6,25,682	42,319.96	6,23,160	35,239.84	2,95,809	18,380.67	97.55	2,88,562	15,337.33	

परिशिष्ट 2.6

नमूना जाँच किये गये जिलों में आयोजित प्रदर्शनों की कुल संख्या और फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.2, पृष्ठ 26)

क्र. स.	जिले का नाम	2012 से 2016 के दौरान आयोजित कुल प्रदर्शनों की संख्या (हेक्टेयर में)	फसल प्रणाली पर आयोजित प्रदर्शनों की संख्या (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	खरगौन	9,400	निरंक	0
2	धार	15,000	निरंक	0
3	शाजापुर	10,150	निरंक	0
4	मंडला	16,743	—	-
5	डिंडोरी	10,094	निरंक	0
6	पन्ना	12,680	1,050	8.28
7	दमोह	15,706	1,655	10.53
8	सीधी	16,815	1,950	11.59
9	हरदा	8,775	200	2.27
10	विदिशा	16,700	1,700	10.17
11	छतरपुर	19,740	—	-
12	गुना	14,300	निरंक	0
13	इंदौर	8,500	निरंक	0
14	उज्जैन	12,100	—	-
15	सिवनी	17,748	निरंक	0
16	होशंगाबाद	77,028	निरंक	0
17	भिंड	7,083	निरंक	0
योग		288,562	6,555	2.27

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में धान घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.1 और 2.1.10.2, पृष्ठ 28)

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ लाख में)

राज्य													
सूक्ष्म पोषक तत्व				पीपी केमिकल्स और बायो-एजेंट				वीडीसाइड्स					
लक्ष्य	उपलब्धि			उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि			
	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	वित्तीय
73,500	367.50	73,709	100.28	297.69	367.72	63,618	86.50	294.41	26,250	131.25	12,500	47.62	46.99
चयनित जिलों में													
जिलों	सूक्ष्म पोषक तत्वों			पीपी केमिकल्स और बायो-एजेंट			वीडीसाइड्स						
	उपलब्धि			उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि			
	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	वित्तीय
पन्ना	7,100	35.50	4,000	56.34	18.40	5,400	27.00	72.22	19.40	2,430	12.15	0	0
दमोह	7,900	39.50	4,112	52.05	23.19	12,300	61.50	90.38	54.92	2,700	13.50	2,700	100
सीधी	4,000	20.00	950	23.75	1.99	4,000	20.00	27.95	2.486	3,500	17.50	0	0
डिंडोरी	8,800	44.00	5,540	62.95	23.30	7,700	38.50	61.82	15.861	4,000	20.00	0	0
मंडला	12,050	60.25	11,689	97.00	58.35	12,700	63.500	102.13	65.21	6,100	30.50	6,100	100
योग	39,850	199.25	26,291	65.97	125.23	42,100	210.50	80.44	157.88	18,730	93.65	8,800	46.98
													36.01

(स्रोत: राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.8

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में गेहूँ, घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कड़िका 2.1.10.1 और 2.1.10.2, पृष्ठ 28)

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ लाख में)

जिले	राज्य में												वीडीसाइड्स												
	सूक्ष्म पोषक तत्व						लाइम जिप्सम						पीपी केमिकल्स और बायो -एजेंट						उपलब्धि						
	लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	
हरदा	11,900	59.50	5,600	47.06	28.09	4,000	20.00	1,000	25.00	7.01	6,500	32.50	3,250	50.00	23.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पन्ना	13,100	65.50	5,971	45.58	28.75	2,210	14.08	0	0.00	0	4,450	22.25	3,500	78.65	16.98	500	1.35	0	0	0	0	0	0	0	0.082
विदिशा	34,624	173.12	43,994	127.06	216.28	7,740	48.05	5,600	72.35	34.53	20,992	104.96	28,644	136.45	143.22	880	4.4	500	56.82	2.5	0	0	0	0	0
छतरपुर	44,100	220.50	40,236	91.24	200.49	6,550	41.00	3,100	47.33	15.50	12,230	61.15	11,600	94.85	57.47	700	3.70	570	81.43	2.6	0	0	0	0	0
गुना	17,408	87.04	18,442	105.94	55.29	2,810	18.08	1,200	42.70	6.00	7,820	39.10	8,712	111.41	33.31	620	3.10	350	56.45	0.859	0	0	0	0	0
दमोह	4,000	20.00	2,068	51.70	15.27	1,500	7.50	0	0.00	0.00	4,500	22.50	3,248	72.18	24.67	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
सीधी	9,600	48.00	5,838	60.81	10.97	4,850	28.13	1,475	30.41	1.19	950	4.75	0	0.00	0.00	270	1.35	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00
इंदौर	8,000	40.00	8,000	100.00	40.01	3,500	17.50	2,000	57.14	10.00	4,500	22.50	4,500	100.00	22.50	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
धार	12,217	61.08	15,395	126.01	61.07	0	0.00	0	0.00	0	4,503	22.51	5,405	120.03	22.50	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
उज्जैन	7,000	35.00	1,402	20.03	5.18	2,500	12.50	2,223	88.94	8.67	3,200	16.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
मडला	7,610	38.05	10,586	139.11	52.93	2,000	10.00	1,144	57.20	5.74	5,500	27.50	6,710	122.00	33.55	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
भिंड	6,000	30.00	6,000	100.00	28.06	2,000	10.00	0	0.00	0.00	3,800	19.00	3,800	100.00	18.60	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
डिंडोरी	5,500	27.50	4,689	85.25	23.44	1,600	8.00	178	11.13	0.89	3,000	15.00	2,763	92.10	13.81	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
सिवनी	18,200	91.00	16,075	88.32	90.74	5,400	33.50	3,570	66.11	20.85	6,730	33.60	3,122	46.39	21.98	740	3.70	640	86.49	1.484	0	0	0	0	0
योग	1,99,259	996.29	1,84,296	92.49	856.57	46,660	268.34	21,490	46.06	110.38	88,675	443.32	85,254	96.14	431.74	3,710	17.60	2,060	55.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53

(स्रोत : राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.9

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में दलहन घटक के अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की लक्ष्य एव उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कडिका 2.1.10.1, पृष्ठ 28)

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ लाख में)

		राज्य में															
		सूक्ष्म पोषक तत्व						लाइम/ जिप्सम						राइजोबियम कल्चर/ फास्फेट सोल्युब्लाइजिंग बैक्टीरिया/ जैव उर्वरक के लिए सहायता			
लक्ष्य	वित्तीय	उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि			लक्ष्य			उपलब्धि			
		भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	प्रतिशत	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	
9,24,428	4,622.14	7,26,374	78.58	2,886.57	1,64,376	1,232.82	1,39,620	84.94	773.69	4,71,300	813.90	3,33,402	70.74			363.82	
चयनित जिलों में																	
जिले	सूक्ष्म पोषक तत्व						लाइम/ जिप्सम						राइजोबियम कल्चर/ फास्फेट सोल्युब्लाइजिंग बैक्टीरिया/ जैव उर्वरक के लिए सहायता				
	लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
हरदा	8,300	43.5	7,418	89.37	25.27	3,020	26.95	2,480	82.12	15.36	9,400	17.80	5,437	57.84	4.17		
पन्ना	8,300	41.5	4,500	54.22	21.28	3,100	23.25	900	29.03	3.75	11,750	24.15	5,550	47.23	5.76		
खरगोन	9,300	46.5	9,793	105.30	31.635	2,950	22.13	3,120	105.76	19.61	7,300	17.90	3,300	45.21	6.55		
विदिशा	25,600	128	25,792	100.75	151.75	5,830	43.73	3,751	64.34	28.13	16,300	32.90	12,790	78.47	24.04		
छतरपुर	29,600	126.94	29,600	100.00	126.07	6,000	48.80	7,350	122.50	43.66	14,320	32.92	16,962	118.45	3.37		
गुना	14,608	73.04	14,742	100.92	40.91	1,450	10.88	1,260	86.90	7.35	10,740	21.74	10,740	100.00	6.54		
दमोह	16,664	83.32	10,370	62.23	9.12	5,800	43.51	2,147	37.02	7.12	23,100	39.70	20,671	89.48	13.68		
सीधी	11,200	56.00	7,180	64.11	23.073	3,550	26.64	1,025	28.87	6.75	11,350	28.05	4,646	40.93	1.098		
होशंगाबाद	16,550	152.75	16,250	98.19	138.84	4,950	52.13	4,850	97.98	22.75	12,400	36.80	7,200	58.06	15.37		
इंदौर	11,000	55.00	14,100	128.18	69.4	3,300	24.76	2,800	84.85	21.01	5,900	13.90	1,900	32.20	1.97		
धार	17,200	86.00	24,419	141.97	62.219	4,500	33.76	6,618	147.07	26.97	17,256	40.05	34,256	198.52	28.49		
शाजापुर	15,018	79.66	10,318	68.70	54.299	2,600	19.50	1,250	48.08	7.88	7,650	17.25	4,150	54.25	8.15		
उज्जैन	15,200	76.00	8,300	54.61	34.69	5,200	39.01	3,250	62.50	23.32	16,750	29.55	3,667	21.89	2.21		
मडला	17,400	87.00	16,046	92.22	83.83	5,130	38.48	4,404	85.85	26.83	12,950	30.95	7,862	60.71	17.57		
भिंड	11,200	56.00	11,200	100.00	47.14	3,150	23.64	3,150	100.00	19.44	8,700	21.50	600	6.90	0		
खिंडारी	9,650	48.25	6,230	64.56	23.549	3,300	24.75	2,302	69.76	12.77	10,700	24.90	3,955	36.96	4.158		
सिवनी	13,600	68.00	12,241	90.01	65.36	4,800	36.00	4,194	87.38	26.21	12,950	30.35	10,228	78.98	27.4		
योग	2,50,390	1,307.46	2,28,499	91.26	1,008.44	68,630	537.92	54,851	79.92	318.91	2,09,516	460.41	1,53,914	73.46	170.53		

(स्रोत: राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.10

वर्षवार जिलों के नाम जहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबन्धन/मृदा सुधारकों एवं पौध संरक्षण आदानों का वितरण नहीं किया गया दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.1 (iii), और 2.1.10.2 (iii), पृष्ठ 29)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
	सूक्ष्म पोषक तत्व			
दलहन	-	सीधी	सीधी और शाजापुर	खरगौन
अतिरिक्त दलहन	-	गुना	-	दमोह, खरगौन, सीधी और होशंगाबाद
गहूँ	-	-	-	गुना और सीधी
धान	-	-	सीधी	
	लाइम/ जिप्सम			
दलहन	विदिशा, पन्ना, दमोह, इंदौर और होशंगाबाद	-	सीधी और शाजापुर	विदिशा, सीधी, होशंगाबाद और पन्ना
अतिरिक्त दलहन	-	-	गुना और सीधी	गुना, दमोह, सीधी, होशंगाबाद और पन्ना
गहूँ	सीधी, इंदौर और पन्ना	सीधी	छतरपुर, पन्ना और गुना	विदिशा, छतरपुर, सीधी, पन्ना और गुना
	राइजोबियम कल्चर/ फास्फेट सोल्युब्लाइजिंग बैक्टीरिया			
दलहन	-	-	शाजापुर	इंदौर
अतिरिक्त दलहन	-	-	-	शाजापुर, इंदौर और होशंगाबाद
	वीडीसाइड्स			
दलहन	इंदौर		सीधी और शाजापुर	सीधी, शाजापुर और इंदौर
अतिरिक्त दलहन	-	-	-	सीधी
गहूँ	-	-	पन्ना	सीधी और गुना
धान	-	-	सीधी	सीधी
	पीपी केमिकल्स और बायो-एजेंट			
दलहन	-	-	-	सीधी
अतिरिक्त दलहन	-	-	-	सीधी
गहूँ	-	-	सीधी	सीधी और गुना
	न्यूविलयर पॉलीहैड्रिल वायरस (एनपीवी)			
दलहन	इंदौर	-	-	-

(स्रोत: चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.11

वर्षवार जिलों के नाम जहाँ पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक/पौध संरक्षण आदानों के भौतिक उपलब्धि के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि शून्य दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.1 (iv), और 2.1.10.2 (ii), पृष्ठ 30)

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
	सूक्ष्म पोषक तत्वों			
दलहन	दमोह (1,002 हेक्टेयर)		दमोह (7,000 हेक्टेयर), सीधी (2,000 हेक्टेयर)	सीधी (350 हेक्टेयर)
अतिरिक्त दलहन			धार (320 हेक्टेयर)	
गेहूँ		सीधी (1,700 हेक्टेयर)		
धान				दमोह (2,000 हेक्टेयर)
	लाइम जिप्सम			
दलहन				
अतिरिक्त दलहन			धार (175 हेक्टेयर)	छतरपुर (1,000 हेक्टेयर), दमोह (800 हेक्टेयर)
गेहूँ			सीधी (700 हेक्टेयर)	
	राइजोबियम कल्चर / फास्फेट सोल्युब्लाइजिंग बैक्टीरिया / बायो फर्टीलाइजर			
दलहन		छतरपुर (3,020 हेक्टेयर)	सीधी (1,200 हेक्टेयर)	छतरपुर (8,100 हेक्टेयर), सीधी (1,460 हेक्टेयर)
अतिरिक्त दलहन				छतरपुर (1,200 हेक्टेयर)
	वीडीसाइड्स			
गेहूँ			सीधी (150 हेक्टेयर)	
धान				दमोह (1,600 हेक्टेयर)
	पीपी केमिकल्स और बायो -एजेंट			
दलहन				होशंगाबाद (5,900 हेक्टेयर)
गेहूँ		सीधी (1,150 हेक्टेयर)		

(स्रोत: चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.12

समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान दलहन घटक के अन्तर्गत आईपीएम वितरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.2, पृष्ठ 30)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

लक्ष्य		पौध संरक्षण रसायन				वीडीसाइड्स				एनपीवी का वितरण				आईपीएम पैकेज											
		वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि	प्रतिशत								
7,19,261	3,596.31	6,14,187	85.39	2,703.96	85,064	425.32	49,656	58.37	199.68	27,000	67.50	12,946	47.95	28.40	2,00,000	1,500.00	2,13,715	106.86	1,576.76						
चयनित जिलों में																									
जिला	पौध संरक्षण रसायन				वीडीसाइड्स				एनपीवी का वितरण				आईपीएम पैकेज												
	लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	उपलब्धि					
हरदा	7,350	36.75	6,230	84.76	39.37	1250	2000	10.00	6.25	850	68.00	0.00	1.50	945	2.37	0.43	50	29.41	0.13	3,000	22.50	1,964	65.47	14.80	
पन्ना	12,300	57.48	8,800	71.54	28.38	2000	700	3.50	3.50	466	66.57	2.39	2.39	256	0.64	0.64	234	91.41	0.47	3,500	26.25	3,500	100.00	25.40	
खरगौन	12,500	62.50	12,855	102.84	48.47	700	3050	15.25	1,090	35.74	4.00	1,526	3.82	3.82	394	25.82	0.99	7,500	56.25	16,814	224.19	120.09			
विदिशा	45,800	229.00	55,400	120.96	285.68	4800	155.98	22.50	5,300	110.42	20.25	200	5.00	0.00	0.00	12,000	90.05	12,000	100.00	100.00	100.00	118.78			
छत्तरपुर	28,250	141.25	29,550	104.60	155.98	4800	1962	9.81	1,003	51.12	4.26	448	1.12	388	86.61	1.12	3,200	24.00	3,000	93.75	22.35				
गुना	14,500	72.50	15,483	106.78	67.83	1962	3000	14.00	860	28.67	1.89	1,184	2.96	1,112	93.92	2.78	5,800	43.50	5,301	91.40	39.76				
दमोह	17,400	91.00	8,000	45.98	46.42	3290	18.91	5.635	51.70	18.91	3290	16.75	1,400	42.55	6.65	298	0.75	248	83.22	0.51	2,846	21.35	2,900	101.90	19.03
सीधी	10,900	54.50	5,635	51.70	18.91	3290	129.66	2430	15.25	730	30.04	2.15	772	1.93	1.93	172	22.28	0.43	7,000	90.00	7,000	100.00	97.50		
होशंगाबाद	26,050	165.25	24,800	95.20	129.66	2430	625	3.13	525	84.00	2.63	100	0.25	0.00	0.00	2,500	18.75	2,500	100.00	18.43					
इंदौर	14,800	76.50	15,900	107.43	81.68	4050	83.50	20.50	1,909	47.14	5.85	2,810	21.07	2,810	100.00	21.08	510	1.28	510	100.00	1.20				
धार	18,310	91.55	27,255	148.85	83.50	4050	38.27	1550	7.75	1,100	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525	26.00	3,579	101.53	26.00					
शाजापुर	8,550	42.73	7,609	88.99	38.27	1550	26.10	68.18	26.10	2832	14.16	0	0.00	0.00	1,110	2.78	810	72.97	2.07	4,000	30.00	3,480	87.00	24.29	
उज्जैन	13,200	66.00	9,000	68.18	26.10	2832	74.92	3915	19.58	2,533	64.70	12.67	1,452	3.63	1,424	98.07	3.56	5,500	41.25	6,661	121.11	49.96			
मडला	17,140	85.70	16,834	98.21	74.92	3915	56.63	1800	9.00	1,800	100.00	6.22	170	0.43	120	70.59	0.50	2,100	15.75	2,100	100.00	16.33			
भिंड	10,750	57.75	11,550	107.44	56.63	1800	2250	11.25	45	2.00	0.224	812	3.87	749	92.24	3.644	2,600	19.50	2,289	88.04	14.73				
डिंडोरी	9,812	48.99	4,008	40.85	28.029	2250	3000	15.00	2,643	88.10	11.16	431	1.08	0	0.00	0.00	5,000	37.50	2,615	52.30	32.67				
सिवनी	13,900	69.50	11,518	82.86	56.90	3000	42,504	213.68	22,554	53.06	81.84	12,684	52.13	9,456	74.55	39.02	88,671	699.61	94,303	106.35	776.93				
योग	281512	1448.95	2,70,427	96.06	1,266,729	42,504	213.68	22,554	53.06	81.84	12,684	52.13	9,456	74.55	39.02	88,671	699.61	94,303	106.35	776.93					

परिशिष्ट 2.13

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान दो जिलों में सिंप्रंकलर घटक में तहत किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.11.3, पृष्ठ 33)

(राशि ₹ में)

स. क्र.	वर्ष	जिले का नाम	किसानों की संख्या जिन्हे अधिक अनुदान दिया गया	प्रति हेक्टेयर मानदंड के अनुसार किसानों को देय अधिकतम अनुदान	भुगतान किया गया अनुदान	आधिक्य
1	2013-14	शाजापुर	436	20,62,013	32,70,000	12,07,987
2	2014-15	शाजापुर	20	1,30,350	1,83,140	52,790
3	2014-15	उज्जैन	14	1,04,600	1,32,339	27,739
योग			470	22,96,963	35,85,479	12,88,516

परिशिष्ट 2.14

वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान 14 जिलों में “स्रोत से खेत तक पानी लाने के लिए पाईप” घटक में तहत किए गए अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.11.3, पृष्ठ 34)

(राशि ₹ में)

स. क्र.	जिला	अवधि	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकार्य अनुदान	दिया गया अनुदान	आधिक्य
1	खरगौन	2012-14	1,953	1,94,38,950	2,92,95,000	98,56,050
2	विदिशा		401	21,05,250	47,97,016	26,91,766
3	छतरपुर		187	13,92,900	27,92,363	13,99,463
4	गुना		489	42,76,050	73,24,821	30,48,771
5	दमोह		425	27,90,150	63,22,887	35,32,737
6	होशंगाबाद		537	31,45,050	67,23,521	35,78,471
7	भिंड		143	8,14,850	21,45,000	13,30,150
8	शाजापुर		1,327	1,13,88,000	1,99,20,000	85,32,000
9	धार		448	35,79,600	67,20,000	31,40,400
10	इंदौर		344	29,78,700	46,20,000	16,41,300
11	उज्जैन		300	25,98,300	45,00,000	19,01,700
12	मंडला		218	14,15,400	33,79,365	19,63,965
13	सिवनी		687	45,32,250	87,58,954	42,26,704
14	डिंडोरी		408	30,73,350	60,47,484	29,74,134
योग			7,867	6,35,28,800	11,33,46,411	4,98,17,611

परिशिष्ट 2.15

समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान कृषकों के क्षेत्र विद्यालय/फसल आधारित प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कड़िका 2.1.12, पृष्ठ 34)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

हस्तक्षेप	राज्य				चयनित जिलों				
	लक्ष्य		उपलब्धि		जिला	लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
दलहन	4,734	662.76	3,836	510.43	हरदा	36	5.04	36	5.04
					पन्ना	131	18.34	131	12.53
					खरगौन	93	13.02	91	12.74
					विदिशा	188	26.32	156	21.84
					छतरपुर	156	21.84	156	21.84
					गुना	98	13.72	98	13.72
					दमोह	168	23.52	120	16.8
					सीधी	72	10.08	47	6.58
					होशंगाबाद	73	10.22	73	10.22
					इंदौर	68	9.52	47	6.58
					धार	108	15.12	108	14.56
					शाजापुर	47	6.58	18	2.62
					भिंड	58	8.12	57	7.95
					डिंडोरी	79	11.06	75	10.29
					सिवनी	109	15.26	109	10.72
उज्जैन	154	21.56	109	14.14					
मंडला	93	13.02	93	9.71					
योग	4,734	662.76	3,836	510.43		1,731	242.34	1,524	197.88
गेहूँ	1,865	261.10	1,689	212.80	हरदा	53	7.42	44	3.36
					पन्ना	44	6.16	44	4.06
					विदिशा	145	20.3	145	16.45
					छतरपुर	93	13.02	93	13.02
					गुना	61	8.54	61	8.54
					दमोह	22	3.08	22	3.08
					सीधी	42	5.88	42	5.88
					इंदौर	39	5.46	39	5.46
					धार	57	7.98	57	5.04
					डिंडोरी	19	2.66	19	1.33
					सिवनी	76	10.64	76	6.15
					उज्जैन	49	7	48	6.38
					भिंड	21	2.94	21	2.94
मंडला	8	1.12	8	1.12					
योग	1,865	261.10	1,689	212.80		729	102.2	719	82.81
धान	385	53.9	371	50.16	पन्ना	32	4.48	32	4.06
					दमोह	29	4.06	38	5.32
					सीधी	21	2.94	7	0.98
					डिंडोरी	42	5.88	43	5.88
					मंडला	63	8.82	63	8.82
योग	385	53.9	371	50.16		187	26.18	183	25.06
महायोग	6,984	977.76	5,896	773.39		2,647	370.72	2,426	305.75

परिशिष्ट 2.16

राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान धान में स्थानीय पहल अन्तर्गत लिये गये घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13, पृष्ठ 35)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

गतिविधि का नाम	राज्य					चयनित जिले					
	लक्ष्य		उपलब्धि			जिला	लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप	2,400	360.00	2,432	101.33	338.57	पन्ना	280	42.00	353	126.07	52.52
						दमोह	210	31.5	212	100.95	31.5
						छिंडोरी	411	61.65	373	90.75	54.99
						मंडला	355	53.25	371	104.51	49.04
योग	2,400	360.00	2,432	101.33	338.57		1,256	188.40	1,309	104.22	188.05
विनोवर	6,680	166.50	1,826	27.34	35.73	पन्ना	605	15.13	0	0	0
						दमोह	663	16.5	0	0	0
						सीधी	300	7.5	300	100	6.75
						छिंडोरी	960	24.00	191	19.90	4.23
						मंडला	1495	37.38	701	46.89	16.35
योग	6,680	166.50	1,826	27.34	35.73		4,023	100.51	1192	29.63	27.33
गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन	250	18.75	0	0.00	0	सीधी	56	4.2	0	0	0
योग	250	18.75	0	0.00	0		56	4.2	0	0	0

(स्रोत: राज्य एवं चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.17

समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान गेहूँ में स्थानीय पहल के अन्तर्गत लिये गये घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.13, पृष्ठ 35)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

गतिविधि का नाम	राज्य					चयनित जिले					
	लक्ष्य		उपलब्धि			जिला	लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप	735	110.25	745	101.36	110.25	हरदा	20	3.00	26	130	3.90
						पन्ना	20	3.00	31	155	4.15
						विदिशा	40	6	198	495	6.02
						छतरपुर	35	5.25	34	97.14	5.05
						गुना	20	3.00	20	100	3.00
						दमोह	30	4.50	0	0.00	8.70
						सीधी	10	1.50	0	0.00	1.50
						इंदौर	20	3.00	20	100	3.00
						धार	60	9.00	60	100	9.00
						डिंडोरी	10	1.50	15	150	2.25
						मंडला	27	3.947	28	103.70	4.016
						सिवनी	15	2.25	15	100	2.25
योग	735	110.25	745	101.36	110.25		307	45.95	447	145.60	52.84
गतिविधि निर्दिष्ट नहीं		120.00	0	0.00	0.00						
मल्टी क्रॉप श्रेणर	842	336.80	31	3.68	0.40	विदिशा	55	22.00	0	0	0.00
						गुना	40	16.00	11	27.5	0.00
						सिवनी	58	23.20	0	0	0.00
योग	842	336.80	31	3.68	0.40		153	61.20	11	7.19	0.00
गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन	1,280	96.00	170	13.28	2.66	पन्ना	60	4.50	0	0	0.00
						सिवनी	90	6.75	0	0	0.00
योग	1,280	96.00	170	13.28	2.66		150	11.25	0	0	0.00

(स्रोत: राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.18

समग्र राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान दलहन में स्थानीय पहल अन्तर्गत लिये गये घटक के लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कड़िका 2.1.13, पृष्ठ 35)

(भौतिक संख्या में, वित्तीय ₹ लाख में)

गतिविधि का नाम	राज्य					चयनित जिले					
	लक्ष्य		उपलब्धि			जिला	लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप	1,290	193.50	1,290	100.00	193.50	हरदा	30	4.50	30	100	4.5
						पन्ना	20	3.00	71	355	9.72
						खरगौन	1,280	192	1,190	92.97	178.5
						छतरपुर	120	18	170	141.67	31.01
						गुना	30	4.50	30	100	4.5
						दमोह	20	3.00	0	0	13
						होशंगाबाद	740	111.00	740	100	111
						इंदौर	20	3.00	100	500	15
						धार	50	7.50	50	100	7.5
						शाजापुर	50	7.50	50	100	7.5
						उज्जैन	480	72.00	480	100	72.00
						डिंडोरी	10	1.50	0	0	0
						मंडला	10	1.50	7	70	0.77
						सिवनी	20	3.00	20	100	3.00
भिंड	10	1.50	5	50	0.75						
योग	1,290	193.50	1,290	100.00	193.50	2,890	433.50	2,943	101.83	458.75	
बीज उपचार ड्रम	39,194	391.94	1,916	4.89	12.78	पन्ना	945	9.45	0	0	0
						गुना	94	0.94	94	100	0.87
						खरगौन	1,319	13.19	0	0	0
						धार	1,482	14.82	0	0	0
						शाजापुर	540	5.40	0	0	0
						हरदा	420	4.20	0	0	0
						इंदौर	25	0.25	25	100	0.25
						विदिशा	1,363	13.60	0	0	0
						छतरपुर	780	7.80	0	0	0
						दमोह	1,255	13.00	0	0	0
						सीधी	350	3.50	0	0	0
						होशंगाबाद	933	9.33	0	0	0
						उज्जैन	843	8.43	0	0	0
						मंडला	1,100	11	0	0	0
सिवनी	1,215	12.15	0	0	0						
भिंड	888	8.88	0	0	0						
डिंडोरी	986	9.86	0	0	0						
योग	39,194	391.94	1,916	4.89	12.78	14,538	145.80	119	0.82	1.12	
स्पाइरल ग्रेडर	39,000	780.00	3,821	9.80	12.77	हरदा	420	8.40	420	100	2.26
						पन्ना	945	18.90	0	0	0
						खरगौन	1,423	28.46	0	0	0
						विदिशा	1,371	27.40	0	0	0
						छतरपुर	794	15.88	0	0	0
						गुना	113	2.26	113	100	2.26
						दमोह	1,260	25.00	0	0	0
सीधी	350	3.50	0	0	0						

						होशंगाबाद	934	18.68	0	0	0
						इंदौर	20	0.40	0	0	0
						धार	1,585	31.70	0	0	0
						शाजापुर	532	10.64	0	0	0
						उज्जैन	840	16.83	27	3.21	0.54
						डिंडोरी	986	19.72	0	0	0
						मंडला	1,200	24	0	0	0
						सिवनी	1,215	24	0	0	0
						भिंड	890	17.8	0		0
	योग	39,000	780.00	3,821	9.80	12.77	14,878	293.57	560	3.76	5.06
केवीके द्वारा प्रदर्शन						पन्ना	103	7.73	0	0	0
						शाजापुर	63	4.73	0	0	0
						हरदा	46	3.45	0	0	0
						सीधी	115	8.93	0	0	0
						होशंगाबाद	104	7.80	104	100	7.38
						उज्जैन	94	7.05	0	0	0
						मंडला	138	10.35	138	100	9.34
						सिवनी	140	10.51	190	135.71	7.349
						भिंड	99	7.49	0	0	0
	योग	3,000	225.00	1,122	37.40	60.44	902	68.04	432	47.89	24.07

(स्रोत : राज्य और चयनित जिलों की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट 2.19

जिलेवार/वर्षवार व्यपगत अथवा समर्पित की गई राशि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कडिका 2.1.15, पृष्ठ 37)

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिला	वर्ष	प्राप्त बजट	व्यय	व्यपगत या समर्पित राशि	उपयोगिता प्रतिशत में
1	खरगौन	2014-15	553.93	349.25	204.68	63.05
2	विदिशा	2014-15	887.43	773.28	114.15	87.14
3	गुना	2015-16	751.09	285.83	465.26	38.06
4	सीधी	2014-15	456.49	386.70	69.79	84.71
5		2015-16	475.63	210.30	265.33	44.22
6	दमोह	2014-15	752.67	559.51	193.16	74.33
7	छतरपुर	2014-15	793.23	719.96	73.27	90.76
8	होशंगाबाद	2014-15	1,018.46	1,016.46	2.00	99.80
9		2015-16	774.15	686.80	87.35	88.72
10	इंदौर	2015-16	371.75	324.85	46.89	87.38
11	धार	2014-15	629.83	333.97	295.86	53.02
12		2015-16	993.84	712.00	281.84	71.64
13	उज्जैन	2015-16	439.21	290.36	148.85	66.10
14	मंडला	2014-15	759.82	503.02	256.80	66.20
15		2015-16	977.06	623.99	353.01	63.86
	योग		10,634.59	7,776.28	2,858.24	73.12

(स्रोत: जिला कार्यालयों के बजट एवं व्यय विवरण)

परिशिष्ट 2.20

एनएफएसएम खाते में रोकड़ बही के विरुद्ध पास बुक में अंतर दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.15.2, पृष्ठ 38)

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिला	रोकड़ बही के अनुसार शेष	पास बुक के अनुसार शेष	अंतर
1	पन्ना	0.00	3.69	3.69
2	विदिशा	16.96	18.97	2.01
3	छतरपुर	2.47	2.81	0.34
4	गुना	0.00	3.01	3.01
5	सीधी	2.16	326.58	324.42
6	होशंगाबाद	92.98	167.77	74.79
7	धार	20.70	101.19	80.49
8	शाजापुर	29.07	58.10	29.03
9	मंडला	2.26	10.79	8.53
10	भिण्ड	54.37	3.67	-50.7
11	डिण्डोरी	0.00	152.00	152
12	सिवनी	9.12	19.03	9.91
योग		230.09	867.61	637.52

परिशिष्ट 2.21

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चिन्हित नहीं किये गये जिलों को आवंटित एवं उपयोग की गयी राशि दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.1.15.3, पृष्ठ 39)

(₹ लाख में)

फसल	जिलों	12वीं पंचवर्षीय योजना में जिले की स्थिति	आवंटित और उपयोग की गयी राशि			
			2012-13		2013-14	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
एनएफएसएम-गेहूँ	हरदा	नहीं चुने गए	232.50	234.82	207.00	152.32
	मंडला	नहीं चुने गए	160.00	217.3	105.65	183.79
	उज्जैन	नहीं चुने गए	97.00	96.83	111.06	111.06
	धार	नहीं चुने गए	350.69	350.07	231.17	227.73
	भिण्ड	नहीं चुने गए	80.00	82.22	75.00	59.95
	इंदौर	नहीं चुने गए	258.00	255.9	180.00	162.72
	दमोह	नहीं चुने गए	232.82	232.44	170.00	183.86
	डिण्डोरी	नहीं चुने गए	90.00	87.63	82.36	82.28
कुल गेहूँ			1,501.01	1,557.21	1,162.24	1,163.71
एनएफएसएम-धान	सीधी	चयनित	संबंधित फसल के तहत इन जिलों को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान निधि प्रदान नहीं किये गये			
एनएफएसएम-मोटा अनाज	शाजापुर	चयनित				
	धार	चयनित				
	खरगौन	चयनित				
	डिण्डोरी	चयनित				
	मंडला	चयनित				

परिशिष्ट 2.22

एस.एम.पी. स्वीकृति के पश्चात भी कार्य प्रारम्भ करने में योजनावार विलम्ब दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.7.2, पृष्ठ 54)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
1	अमाही	मध्यम	2,200	04-07-2008	01-07-2009	30-04-2014	12	59	टाईप -4	24	35
2	कोन्वा	मध्यम	4,618	29-12-2007	14-08-2008	14-08-2010	8	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
3	मोला	मध्यम	3,563	05-01-2008	14-08-2008	14-08-2010	7	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
4	सजनमउ	लघु	1,098	20-07-2008	28-08-2010	27-08-2012	26	24	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
5	उमारिया	लघु	302	01-11-2009	28-08-2010	27-08-2012	10	24	टाईप -2	12	12
6	कदवाया	लघु	121	25-05-2010	25-05-2011	10-11-2013	12	30	टाईप -1	12	18
7	मुंदरी	लघु	121	16-06-2010	25-05-2011	10-11-2013	11	30	टाईप -1	12	18
8	पचदीखेडा	लघु	350	07-07-2010	21-02-2011	10-02-2012	8	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
9	तुलसीसरोवर	लघु	350	07-07-2010	21-02-2011	10-02-2012	8	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
10	चांचेड बेराज	लघु	367	22-05-2006	10-08-2010	08-02-2012	51	18	टाईप -2	12	6
11	इटखेडी टैंक	लघु	127	18-01-2006	10-08-2010	08-02-2012	56	18	टाईप -1	12	6
12	कदमपुरा टैंक	लघु	48	22-05-2006	10-08-2010	08-02-2012	51	18	टाईप -1	12	6
13	परवलिया बेराज	लघु	121	18-01-2006	10-08-2010	08-02-2012	56	18	टाईप -1	12	6
14	करोदिया	लघु	178	28-12-2010	24-08-2013	18-06-2015	32	22	टाईप -1	12	10
15	लांगरपुरा	लघु	185	10-12-2007	01-03-2009	01-03-2010	15	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
16	रातापानी टैंक	मध्यम	2,692	30-12-2007	19-02-2010	24-02-2013	26	37	टाईप -4	24	13

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
17	दाहोद टैंक	मध्यम	2,200	20-07-2008	08-02-2010	15-06-2012	19	29	टाईप -4	24	5
18	धामधूसर टैंक	लघु	640	20-07-2008	08-02-2010	15-06-2012	19	29	टाईप -3	24	5
19	बनछोड टैंक	लघु	1,985	08-11-2007	04-02-2010	30-06-2015	27	66	टाईप -3	24	42
20	गुलगांव टैंक	लघु	281	20-07-2008	04-02-2010	30-09-2013	19	44	टाईप -2	12	32
21	कस्मोदिया टैंक	लघु	1,110	29-12-2007	04-02-2010	27-03-2014	26	50	टाईप -3	24	26
22	मखनी टैंक	लघु	386	06-07-2010	13-05-2011	04-08-2012	10	15	टाईप -2	12	3
23	चांदना टैंक	लघु	195	27-12-2010	04-05-2013	30-06-2015	29	26	टाईप -1	12	14
24	बीला बांध	बृहद	21,182	17-01-2009	28-06-2010	20-06-2015	18	61	टाईप -5	12	49
25	घुवारा टैंक	लघु	88	08-11-2007	28-05-2008	27-06-2009	7	13	टाईप -1	12	1
26	पनिया टैंक	लघु	81	08-11-2007	28-05-2008	27-06-2009	7	13	टाईप -1	12	1
27	नन्ही टेहरी टैंक	लघु	128	22-05-2006	25-01-2007	24-01-2008	8	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
28	प्रेम सागर मर्ई टैंक	लघु	95	22-05-2006	25-01-2007	24-01-2008	8	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
29	अतर	लघु	70	10-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	15	37	टाईप -1	12	25
30	बैरवार	लघु	60	29-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	14	37	टाईप -1	12	25
31	चाटुरकारी	लघु	55	05-01-2008	27-02-2009	19-03-2012	14	37	टाईप -1	12	25
32	धनेरा टैंक	लघु	93	31-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	14	37	टाईप -1	12	25
33	दिकोली टैंक	लघु	45	10-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	15	37	टाईप -1	12	25
34	झिगुवान	लघु	61	08-11-2007	27-02-2009	19-03-2012	16	37	टाईप -1	12	25
35	पारा (पुरनिया)	लघु	265	09-09-2007	27-02-2009	19-03-2012	18	37	टाईप -2	12	25
36	राम नगर टैंक	लघु	110	10-12-2007	27-02-2009	19-03-2012	15	37	टाईप -1	12	25
37	अइरोरा	लघु	93	28-08-2007	13-09-2008	30-06-2010	13	22	टाईप -1	12	10
38	भीतरवार टैंक	लघु	121	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
39	बिलवारी	लघु	121	14-11-2007	13-09-2008	30-06-2010	10	22	टाईप -1	12	10
40	बूद का मुराह	लघु	102	10-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
41	चुटकी टैंक	लघु	80	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
42	गिदवासन	लघु	118	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
43	कांडवा	लघु	121	14-11-2007	13-09-2008	30-06-2010	10	22	टाईप -1	12	10
44	खारों	लघु	45	16-10-2007	13-09-2008	30-06-2010	11	22	टाईप -1	12	10
45	कुडियाला	लघु	61	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
46	मामोन टैंक	लघु	70	09-09-2007	13-09-2008	30-06-2010	12	22	टाईप -1	12	10
47	मोरपारिया	लघु	64	12-07-2007	13-09-2008	30-06-2010	14	22	टाईप -1	12	10
48	शाहपुर	लघु	81	14-11-2007	13-09-2008	30-06-2010	10	22	टाईप -1	12	10
49	एस ए एस प्रोजेक्ट	वृहद	27,924	04-07-2008	15-02-2010	30-06-2015	20	65	टाईप -5	12	53
50	खेतान मध्यम टैंक	मध्यम	3,187	01-08-2006	14-03-2007	30-06-2009	8	28	टाईप -4	24	4
51	जाजौन लघु टैंक	लघु	1,296	17-01-2008	27-08-2008	05-07-2010	7	23	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
52	घातेराबाबाजी	लघु	120	20-07-2008	03-03-2014	30-06-2015	68	16	टाईप -1	12	4
53	घोसुआ टैंक	लघु	292	19-08-2010	03-03-2014	30-06-2015	43	16	टाईप -2	12	4
54	जावरी टैंक	लघु	243	15-06-2010	12-09-2014	30-06-2015	52	10	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
55	फुफेर लघु टैंक	लघु	364	26-06-2010	03-03-2014	30-06-2015	45	16	टाईप -2	12	4
56	सकलोन टैंक	लघु	297	26-09-2010	12-09-2014	30-06-2015	48	10	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
57	बावनखेडी टैंक	लघु	385	09-04-2012	03-03-2014	30-06-2015	23	16	टाईप -2	12	4
58	सिधनी	लघु	90	03-11-2009	13-09-2012	20-06-2015	35	34	टाईप -1	12	22
59	अतराई टैंक	लघु	50	20-07-2008	05-02-2010	30-06-2011	19	17	टाईप -1	12	5
60	चिल्लौर टैंक	लघु	55	20-07-2008	05-02-2010	30-06-2011	19	17	टाईप -1	12	5
61	ढोलना टैंक	लघु	56	05-10-2008	05-02-2010	30-06-2011	16	17	टाईप -1	12	5
62	कांकरिया टैंक	लघु	107	05-07-2008	29-04-2010	31-10-2012	22	31	टाईप -1	12	19
63	खानपुरा टैंक	लघु	344	05-07-2008	29-04-2010	31-10-2012	22	31	टाईप -2	12	19

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
64	डेडला टैंक	लघु	231	05-07-2008	29-04-2010	30-04-2012	22	24	12	टाईप -2	12	12
65	ढाबला देवाल टैंक	लघु	146	14-12-2010	20-05-2013	20-05-2015	30	24	12	टाईप -1	12	12
66	दालौड सागर टैंक	लघु	214	01-11-2007	29-12-2010	29-12-2011	38	12	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
67	कसौली टैंक	लघु	298	14-10-2007	29-12-2010	29-12-2011	39	12	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
68	मोरवन टैंक	मध्यम	4,880	28-08-2007	01-10-2008	15-08-2010	13	23	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
69	चापी	मध्यम	2,104	21-09-2009	20-01-2011	10-07-2012	16	18	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
70	शमशेरपुरा	लघु	600	20-07-2008	16-12-2010	30-06-2015	29	55	24	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
71	दोराहा टैंक	मध्यम	2,794	24-07-2008	01-02-2010	30-01-2012	19	24	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
72	ग्यारसपुरा टैंक	लघु	427	25-09-2010	18-02-2014	30-06-2015	41	17	12	टाईप -2	12	5
73	सिलोडा टैंक	लघु	566	14-11-2007	04-06-2008	17-09-2010	7	28	24	टाईप -3	24	4
74	बन्याखेडी	लघु	192	25-07-2010	02-07-2013	30-06-2015	36	24	12	टाईप -1	12	12
75	बोरसली	लघु	40	25-02-2010	04-10-2013	30-06-2015	44	21	12	टाईप -1	12	9
76	सिलारखेडी	लघु	676	30-08-2006	13-04-2007	30-06-2010	8	39	24	टाईप -3	24	15
77	काजीखेडी	लघु	1,800	08-11-2007	19-02-2010	30-06-2015	28	65	24	टाईप -3	24	41
78	साहिबखेडी	लघु	1,792	01-11-2007	19-02-2010	30-06-2015	28	65	24	टाईप -3	24	41
79	भारला टैंक	लघु	131	09-12-2007	03-03-2010	30-06-2012	27	28	12	टाईप -1	12	16
80	बुरानाबाद टैंक	लघु	147	30-12-2007	03-03-2010	30-06-2012	26	28	12	टाईप -1	12	16
81	राजला टैंक	लघु	74	09-12-2007	03-03-2010	30-06-2012	27	28	12	टाईप -1	12	16
82	सिपारा टैंक	लघु	249	02-01-2008	03-03-2010	30-06-2012	26	28	12	टाईप -2	12	16
83	नरेला	लघु	209	03-01-2008	26-02-2009	31-01-2011	14	23	12	टाईप -2	12	11
84	उन्हल टैंक	लघु	138	20-07-2008	18-04-2012	30-11-2013	46	20	12	टाईप -1	12	8

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
85	नैनावाड टैंक	लघु	48	04-05-2010	03-10-2013	30-06-2015	42	21	टाईप -1	12	9
86	बेनीसागर	मध्यम	4,170	02-01-2008	06-06-2010	30-06-2013	30	37	टाईप -4	24	13
87	मझगंवा हसराज	लघु	699	30-08-2006	14-09-2007	23-02-2014	13	78	टाईप -3	24	54
88	चिरायपानी	लघु	977	28-08-2007	29-01-2010	20-07-2013	30	42	टाईप -3	24	18
89	गाराघाट	लघु	751	10-12-2007	29-01-2010	20-07-2013	26	42	टाईप -3	24	18
90	जबेरा	लघु	779	02-11-2007	29-01-2010	20-07-2013	27	42	टाईप -3	24	18
91	भाट कमारिआ	लघु	122	10-10-2005	21-01-2007	26-07-2007	16	6	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
92	देवरी रेग्युलेटर	लघु	81	21-11-2009	04-01-2011	31-03-2012	14	15	टाईप -1	12	3
93	गोरहा बंडा	लघु	267	21-11-2009	04-01-2011	31-03-2012	14	15	टाईप -2	12	3
94	भारतला टैंक	लघु	253	02-11-2007	27-01-2010	30-11-2010	27	10	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
95	बोरीना टैंक	लघु	531	31-05-2009	15-04-2010	14-04-2011	11	12	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
96	धोरसी रेग्युलेटर	लघु	123	21-07-2008	15-04-2010	14-04-2011	21	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
97	पबरा टैंक	लघु	145	10-12-2007	15-09-2008	30-06-2009	9	10	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
98	पाली टैंक	लघु	121	10-12-2007	15-09-2008	30-06-2009	9	10	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
99	हरद्वारा टैंक	लघु	134	21-11-2009	05-05-2012	31-03-2013	30	11	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
100	पटौहा टैंक	लघु	138	26-02-2010	05-05-2012	31-03-2013	27	11	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
101	मछरिया	मध्यम	2,756	02-01-2008	09-07-2010	03-08-2012	31	25	टाईप -4	24	1

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
102	मसुरवारी टैंक	मध्यम	मछरिया की फीडर	02-01-2008	09-07-2010	03-08-2012	31	25	टाईप -5	12	13
103	माला टैंक	मध्यम	2,600	06-07-2010	08-03-2011	03-08-2012	8	17	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
104	भारोली	लघु	223	22-10-2010	29-06-2013	30-06-2015	33	24	टाईप -2	12	12
105	साकाररा	लघु	162	18-01-2007	28-04-2011	29-06-2013	52	26	टाईप -1	12	14
106	ककेटो	मध्यम	3,441	13-03-2008	31-08-2009	30-04-2012	18	32	टाईप -4	24	8
107	उदलपारा	लघु	227	14-12-2010	17-05-2012	16-05-2013	17	12	टाईप -2	12	विलम्ब नहीं
108	जलालपुर पिक अप विथर	लघु	1,510	26-07-2008	04-09-2013	30-06-2015	62	22	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
109	जाखा सिमारिया	लघु	1,465	06-07-2010	06-10-2011	15-10-2012	15	13	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
110	खिरावाली	लघु	1,148	22-09-2009	25-02-2011	30-06-2013	17	29	टाईप -3	24	5
111	छापर	लघु	162	12-05-2009	25-02-2011	17-02-2012	22	12	टाईप -1	12	विलम्ब नहीं
112	कोटा	लघु	688	19-08-2010	15-06-2011	05-06-2013	10	24	टाईप -3	24	विलम्ब नहीं
113	परौच	मध्यम	2,614	13-07-2007	27-09-2008	25-09-2010	15	24	टाईप -4	24	विलम्ब नहीं
114	गुरमा टैंक	मध्यम	6,500	30-08-2006	01-06-2007	30-09-2009	9	28	टाईप -5	12	16
115	चुइया टैंक	लघु	125	22-07-2008	24-02-2010	30-04-2012	19	27	टाईप -1	12	15
116	मउगंज टैंक	लघु	729	21-07-2008	24-02-2010	30-04-2012	19	27	टाईप -3	24	3
117	पाडर टैंक	लघु	431	14-11-2007	24-02-2010	30-04-2012	28	27	टाईप -2	12	15
118	अटारी टैंक	लघु	510	14-11-2007	06-05-2013	30-06-2015	67	26	टाईप -3	24	2
119	कन्हैया टैंक	लघु	375	10-12-2007	06-05-2013	30-06-2015	66	26	टाईप -2	12	14
120	गोविदाढ	लघु	1,093	01-11-2009	02-05-2012	30-06-2015	30	38	टाईप -3	24	14
121	लोनी टैंक	लघु	1,880	01-01-2011	30-04-2012	05-12-2014	16	32	टाईप -3	24	8

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	कमान क्षेत्र हेक्टेयर में	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब की अवधि माहों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि माहों में	टाईप	कार्य पूर्णता की अनुसूचित अवधि माहों में	विलम्ब की अवधि माहों में
122	कुलगरी टैंक	मध्यम	2,373	01-08-2006	15-07-2009	30-06-2012	36	36	टाईप -4	24	12
123	अमकोई टैंक	लघु	518	01-08-2006	15-07-2009	30-06-2012	36	36	टाईप -3	24	12
124	दुबेरा टैंक	लघु	164	01-08-2006	15-07-2009	30-06-2012	36	36	टाईप -1	12	24
125	रामनी सागर टैंक	लघु	126	30-08-2006	15-07-2009	30-06-2012	35	36	टाईप -1	12	24
126	तुमिन टैंक	लघु	89	18-01-2006	15-07-2009	30-06-2012	42	36	टाईप -1	12	24
127	चका विअर	लघु	80	10-12-2007	26-06-2009	30-06-2012	19	37	टाईप -1	12	25
128	गोबर डाइवर्जन	लघु	170	17-01-2008	26-06-2009	30-06-2012	18	37	टाईप -1	12	25
129	खजुरिया टैंक	लघु	135	29-12-2007	26-06-2009	30-06-2012	18	37	टाईप -1	12	25
130	सेहरा डाइवर्जन	लघु	140	10-12-2007	26-06-2009	30-06-2012	19	37	टाईप -1	12	25
131	अमारा नाला विअर	लघु	700	04-11-2009	15-06-2013	30-06-2015	44	25	टाईप -3	24	1
132	चमारा डाइवर्जन	लघु	100	21-11-2009	01-12-2012	31-03-2014	37	16	टाईप -1	12	4
133	झुरा नाला विअर	लघु	73	11-01-2010	01-12-2012	31-03-2014	35	16	टाईप -1	12	4
134	कोठी विअर	लघु	161	20-07-2008	01-10-2013	20-10-2014	63	13	टाईप -1	12	1
135	निमी विअर	लघु	162	22-11-2009	01-12-2012	31-03-2014	37	16	टाईप -1	12	4
	योग		142,135		न्यूनतम विलम्ब अधिकतम विलम्ब		7				1
							68				54
											104

परिशिष्ट 2.23

एस.एम.पी. के प्रावधान से अधिक सी.सी. लाइनिंग के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.8.3, पृष्ठ 62)

क्र. सं.	संभाग का नाम	केनाल दूरी का विवरण	एस.एम.पी. तैयार करने का माह/वर्ष	एस.एम.पी. में दी गई मात्रा/लम्बाई घन मी./मीटर में	निष्पादित की गई मात्रा/ लम्बाई घन मी./ मीटर में	मात्राओं में अन्तर घन मी./मीटर में	भुगतान की औसत दर घन मी./मीटर में	एस.एम.पी. के कार्यक्षेत्र से परे व्यय
1	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर किमी 0 से किमी 60 तक	सित. 2010	2,22,409 घन मी	2,74,907.57 घन मी	52,498.57 घन मी	3,662.50 घन मी	19,22,76,013
2	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 12 एल. डिस्ट्रीब्यूटरी		8,771 घन मी	12,933.19 घन मी	4,162.19 घन मी	3,870.87 घन मी	1,61,11,276
3	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर किमी 0 से किमी 143 तक	अप्रैल 2011	1,47,396.31 घन मी	3,48,631.95 घन मी	2,01,235.64 घन मी	4,510.6 घन मी	90,76,93,478
4	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल निचली मुख्य नहर की 1 एल से 4 आरसी एवं 6 एल से 16 एल डिस्ट्रीब्यूटरी	दिस. 2010	12,228 मीटर	40,005 मीटर	27,777 मीटर	3,243 मीटर	9,00,80,811
5	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल निचली मुख्य नहर की 5 एल डिस्ट्रीब्यूटरी		16,509 मीटर	31,436 मीटर	14,927 मीटर	3,463 मीटर	5,16,92,201
6	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल निचली मुख्य नहर किमी 0 से किमी 50 तक	सित. 2010	37,815 घन मी	1,75,463.13 घन मी	1,37,648.13 घन मी	4,411.34 घन मी	60,72,12,702
7	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर किमी 93 से किमी 169 तक		88,806.54 घन मी	2,79,368.97 घन मी	1,90,562.43 घन मी	4,010 घन मी	76,41,55,344
8	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 19 एल से 27 एल डिस्ट्रीब्यूटरी एवं 28 एल से 33 एल डिस्ट्रीब्यूटरी	10,098 घन मी	11,990.53 घन मी	1,892.53 घन मी	4,911.5 घन मी	92,95,161	
योग				5,15,295.85 घन मी एवं 28,737 मीटर	11,03,295.34 घन मी एवं 71,441 मीटर	5,87,999.50 घन मी एवं 42,704 मीटर		2,63,85,16,986

परिशिष्ट 2.24

उच्चतर विशिष्ट अपनाने के कारण अनियमित व्यय दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.1, पृष्ठ 63)

(लाख ₹ में)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	एम 15 कास्ट इन सीटू लाइनिंग की दर	एम 10 कास्ट इन सीटू लाइनिंग की दर	दरों में अन्तर (5-6)	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	राशि
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8	9 = 7+8
1	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, भिण्ड	4,554	4,091	463	41,875.110	1,93,88,175.93
2			ज.सं.सं, सबलगढ	3,106	2,636	470	82,046.880	3,85,62,033.60
3				2,485	2,109	376	94,672.970	3,55,97,036.72
4				3,106	2,636	470	34,743.550	1,63,29,468.50
5				3,106	2,636	470	8,417.480	39,56,215.60
6				3,106	2,636	470	21,243.950	99,84,656.50
7				3,106	2,636	470	24,194.780	1,13,71,546.60
8				3,106	2,636	470	68,457.160	3,21,74,865.20
9				3,106	2,636	470	6,585.670	30,95,264.90
10				3,106	2,636	470	5,403.000	25,39,410.00
11				3,106	2,636	470	46,933.810	2,20,58,890.70
12			ज.सं.सं, मुरैना	3,106	2,636	470	68,786.770	3,23,29,781.90
13				3,106	2,636	470	18,745.000	88,10,150.00
14				3,106	2,636	470	56,357.622	2,64,88,082.34
15				3,106	2,636	470	16,395.360	77,05,819.20
16				3,106	2,636	470	77,030.520	3,62,04,344.40
17				3,106	2,636	470	1,45,115.984	5,45,63,609.98
18				3,106	2,636	470	40,101.380	1,88,47,648.60
19			ज.सं.सं, जौरा	3,106	2,636	470	16,213.490	76,20,340.30
20				3,106	2,636	470	21,580.860	1,01,43,004.20
21				3,106	2,636	470	24,511.590	1,15,20,447.30
22			ज.सं.सं, श्योपुर	3,106	2,636	470	25,995.970	1,22,18,105.90
23				3,106	2,636	470	9,602.220	45,13,043.40
24				3,106	2,636	470	892.850	4,19,639.50
25				3,106	2,636	470	7,253.520	34,09,154.40
26	वैनगंगा नहर परियोजना	लघु	ज.सं.सं, वैनगंगा,	3,106	2,636	470	47,916.700	2,25,20,849.00
27			बालाघाट	3,106	2,636	470	31,827.292	1,49,58,827.24
28			3,106	2,636	470	18,043.375	84,80,386.25	
29	गंगा कछार	लघु	ज.सं.सं, सतना	3,106	2,636	470	1,927.160	9,05,765.20
30			3,106	2,636	470	568.334	2,67,116.98	
योग							10,63,440.357	47,69,83,680.30

परिशिष्ट 2.25

मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ:कण्डिका 2.2.9.2, पृष्ठ 64)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	क्षेत्रफल वर्ग मी में	दर वर्ग मी में	राशि
1			ज.सं.सं, भिण्ड	भिण्ड मुख्य नहर किमी 40.88 से किमी 78.18 तक के सुदृढीकरण कार्य	8,88,773.80	12.60	111.99
2				भिण्ड मुख्य नहर की वितरिका डी 3 एवं 3 एल के आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 24841 तक आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	2,61,903.87	12	31.42
3				भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. किमी 27.5 से आर.डी. किमी 40.88 तक एवं 5 आर वितरिका के सुदृढीकरण एवं अतिरिक्त कार्य के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	3,17,592.63	10	31.76
4				मौ वितरिका नहर की बायीं टेल वितरिका नहर के किमी 0 से किमी 27.90 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	5,59,984	11	61.59
5				भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 12 तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	3,83,775.30	12.47	47.86
6			ज.सं.सं, गौहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 12 से 27.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	3,96,907.98	12.60	50.01
7				मौ शाखा नहर की आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 45.50 तक के शेष कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	4,31,171.19	12	51.74
8	चंबल नहर परियोजना	वृहद		मौ शाखा नहर की आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 45.50 तक के कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	5,07,374.23	10	50.74
9				निचली मुख्य नहर सुदृढीकरण के कार्य	7,92,360.37	12.60	99.84
10				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण किमी 93 से किमी 169 तक स्लाइस 1 (बी)	9,09,146.82	7	63.64
11				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण किमी 133.50 से किमी 169 तक	3,29,212.96	11.70	38.51
12			ज.सं.सं, सबलागढ	निचली मुख्य नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 50 तक (लाइनिंग कार्य) सुदृढीकरण कार्य	74,448.98	12.60	9.38
13				निचली मुख्य नहर सुदृढीकरण की 5 एल वितरिका के सुदृढीकरण कार्य	4,16,088.92	12.60	52.42
14				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की बेलेन्स रीच किमी 140.70 से किमी 161.60 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	6,56,616.87	9	59.10
15			ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की बेलेन्स रीच किमी 36.11 से किमी 83.00 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	5,86,310.02	15	87.95
16				अम्बाह शाखा नहर के आर.डी. मी 0.00 से आर.डी. मी 7,1500 तक के लाइनिंग	8,78,165.10	12.60	110.65

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	क्षेत्रफल वर्ग मी में	दर वर्ग मी में	राशि
17				तथा आर.डी. मी 1,300 पर साइफन निर्माण कार्य अम्बाह शाखा नहर की वित्तिका 22 एल, 30 एल, 31 एल बारना एस्कैप एवं रिवाइज प्रोटेक्शन एवं 12 आर से 29 आर हेड रेगुलेटर का जीर्णोद्धार कार्य	3,79,059.39	11	41.70
18				अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. किमी 147.279 से आर.डी. किमी 162.637 तक एवं वित्तिका 60 आर. तथा 61 आर. के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	2,61,933.93	12.60	33
19				अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. किमी 83.90 से आर.डी. किमी 143.40 तक के सुदृढीकरण कार्य	9,47,763	10	94.78
20				अम्बाह शाखा नहर की वित्तिका 32 आर. 34 एल. एवं 58 आर. के सुदृढीकरण कार्य	28,897.34	3.35	0.97
21				अम्बाह शाखा नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 143.40 तक सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	14,75,181.04	10.80	159.32
22				मुरैना शाखा नहर का किमी 0 से किमी 36.10 तक के सुदृढीकरण कार्य (रूलाइस-4)	5,22,000	1	5.22
23			ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा की 1 आर से 21 आर माइनों का जीर्णोद्धार (पैकज क्र. एम.बी.सी. 5)	56,000	11	6.16
24				मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा का जीर्णोद्धार	2,16,002.74	17.51	37.82
25				मुरैना शाखा नहर की 17 एल शाखा का जीर्णोद्धार	1,63,321	12	19.60
26	चंबल नहर परियोजना	वृहद		चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की बेलेन्स रीच किमी 0 से किमी 60 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	6,49,163.10	10	64.91
27				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 0 कि.मी. से 60 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य	21,50,230	1	21.50
28				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 60 कि.मी. से 93 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य	3,93,594.59	7	27.55
29				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का किमी 60 से किमी 93 तक का शेष सुदृढीकरण कार्य	5,80,255.46	15.76	91.44
30				आवदा बांध एवं उसकी नहर का सुदृढीकरण कार्य	85,794.78	10.62	9.11
31			ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 1 एल से 5 एल तक की शाखाओं एवं वित्तिकाओं के सुदृढीकरण कार्य	1,33,919.82	11.50	15.40
32				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 12 एल. डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य	1,42,536.69	12.60	17.95
33				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 11 एल ए से 13 एल एवं 18 एल तक की शाखा नहर का जीर्णोद्धार कार्य (12 एल को छोड़कर)	23,425.30	12	2.81
34				चम्बल दाहिनी मुख्य नहर के 6 एल से 11 एल तक की डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य	80,937.61	10	8.09
35	वैनगंगा नहर		ज.सं.सं, वैनगंगा,	वैनगंगा मुख्य नहर के चैन क्र. 0 से 963 तक एवं चार वित्तिकाओं के	5,71,054.27	12.46	71.15

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	क्षेत्रफल वर्ग मी में	दर वर्ग मी में	राशि
36	परियोजना		बालाघाट	आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य मैंडकी शाखा नहर के चैन क्र. 0 से 1181 तक, वारासिवनी शाखा नहर के चैन क्र. 0 से 330 के साथ बेनी, थानेगांव एवं नवेगांव वित्तिकाओं के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	3,89,384.30	15	58.41
37			ज.सं.सं, वैनगांगा, बालाघाट	वैनगांगा मुख्य नहर के चैन क्र. 963 से 1356 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (WG-6)	2,37,350.11	11.76	27.91
सात संभाग					1,78,77,637.51		1,773.40

परिशिष्ट 2.26

बी.टी. मेटल की अधिक लीड सम्मिलित करने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.3, पृष्ठ 64)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	लीड की लागत / दूरी कि.मी. में	लीड की देय लागत / दूरी कि.मी. में	लागत में अन्तर	बी.टी. मेटल हेतु सम्मिलित अधिक लागत	सामग्री प्रतिशत सहित प्रति घन मी कुल अधिक लागत	बी.टी. मेटल की निष्पादित मात्रा	सी.सी. लाइनिंग की निष्पादित मात्रा	राशि
1			ज.सं.सं, भिण्ड	581.70 / 105	297.20 / 40	284.50	33.80	367.47	21,179.34	0	77.82
2				546.60 / 96	316.00 / 44	230.60	33.80	310.22	43,229.83	0	134.11
3	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, गोहद	454.20 / 75	298.54 / 32	155.66	33.80	211.47	33,803.41	0	71.48
4				463.00 / 77	214.59 / 18	248.41	33.80	322	35,593.84	0	114.61
5				414.60 / 60	244.90 / 29	169.70	33.80	237.81	29,380.98	0	69.87
6				388.20 / 60	244.90 / 29	143.30	33.80	200.85	34,007.10	0	68.30
7	अओदा टैंक	मध्यम	ज.सं.सं, श्योपुर	896.70 / 195	320.70 / 45	576	0	690.97	22,096.58	25,995.97	152.68
8			ज.सं.सं, श्योपुर	984.20 / 220	170.70 / 15	813.50	33.80	934.06	8,161.89	9,602.22	76.24
10			ज.सं.सं, श्योपुर	984.20 / 220	170.70 / 15	813.50	33.80	934.06	331.10	389.33	3.09
11			ज.सं.सं, श्योपुर	1,001.70 / 225	218.40 / 24	783.30	33.80	875.36	7,571.96	8,908.19	66.28
12			ज.सं.सं, श्योपुर	1,001.70 / 225	218.20 / 24	783.50	33.80	885.33	758.92	892.85	6.72
13			ज.सं.सं, श्योपुर	1,001.70 / 225	218.20 / 24	783.50	0	878.15	426.61	501.89	3.75
14	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	564.20 / 100	489 / 83	75.20	0	86.31	58,071.77	68,319.73	50.12
15			ज.सं.सं, मुरैना	721.70 / 145	476.20 / 80	245.50	0	286.04	13,936.06	16,395.36	39.86
16			ज.सं.सं, सबलगढ	599.20 / 110	165.83 / 10	433.37	0	508.13	69,739.85	82,046.88	354.37
17			ज.सं.सं, सबलगढ	704.20 / 140	160.20 / 16	544	0	624.29	29,086.66	34,219.60	181.58
18			ज.सं.सं, सबलगढ	711.20 / 142	144.20 / 10	567	67.60	744.83	5,599.50	6,587.67	41.71
19			ज.सं.सं, सबलगढ	896.70 / 195	152.88 / 5	743.82	67.60	945.14	4,593.28	5,403.86	43.41
20			ज.सं.सं, जौसा	313.90 / 90	196.50 / 46	117.40	0	192.77	44,964.31	52,899.18	86.68
योग											1,642.68

परिशिष्ट 2.27

संधारण एवं मरम्मत के स्थान पर नये कार्यों की दरों को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.5, पृष्ठ 66)

(राशि ₹ में)

क्र. स.	योजना का नाम	संभाग का नाम	निष्पादित मात्रा	ठेकेदार द्वारा निविदित दर	₹ 38 की दर को ध्यान में रखते हुए दर	दरों में अंतर	अधिक लागत
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8 = 4×7
1	बाओरीखेडा टैंक	ज.सं.सं, शाजापुर	1,092.65	99.99	70.37	29.62	32,374
2	बुरलाई टैंक		20,522.97	50	36.91	13.09	2,68,645.68
3	बनयाखेडी टैंक		12,672	64	38	26	3,29,472.00
4	खेडा न्यू टैंक		4,655.22	54	38	16	74,483.52
5	पलायखुर्द टैंक		8,603	43	38	5	43,015.00
6	बोरसली टैंक		12,508.40	43	38	5	62,542.00
7	सामली चाका टैंक		2,919.99	54	38	16	46,719.84
8	रथभवर ओल्ड टैंक		667.80	54	38	16	10,684.80
9	बीला बांध	ज.सं.सं, सागर	5,76,992.08	65	45.74	19.26	1,11,12,867.46
10	चापी	ज.सं.सं, राजगढ	10,528.06	70	49.26	20.74	2,18,351.96
11	कस्तुरीपुरा, कोलुखेडी एवं सांनवासरा टैंक		17,494.29	75	43.93	31.07	5,43,547.59
12	चंबल नहर परियोजना	ज.सं.सं, श्योपुर	2,61,725.51	54	38	16	41,87,608.16
13	चंबल नहर परियोजना		1,67,839	54	38	16	26,85,424.00
14	वैनगंगा नहर परियोजना	ज.सं.सं, वैनगंगा, बालाघाट	6,58,378.11	106.83	78.36	28.47	1,87,44,024.79
15	वैनगंगा नहर परियोजना		6,58,944.88	70	51.34	18.66	1,22,95,911.46
16	वैनगंगा नहर परियोजना		60,004.97	92.12	67.56	24.56	14,73,722.06
योग		पांच संभाग	24,75,548.93				5,21,29,394.30

परिशिष्ट 2.28
अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती नहीं करने को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.9, पृष्ठ 69)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	ठेका लागत	असंतुलित बोली हेतु योग्य राशि	असंतुलित बोली हेतु जमा राशि	कम प्रस्तुतिकरण	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की तिथि	कुल दिवस	वसूली योग्य ब्याज
1	बाओरीखेडा टैंक	लघु	ज.सं.सं, शाजापुर	बाओरीखेडा तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	73.11	5.78	0	5.78	8/14/2013	6/21/2015	676	1.28
2	बुरलाई टैंक	लघु	ज.सं.सं, शाजापुर	बुरलाई तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	68.48	11.12	0	11.12	3/5/2014	6/26/2015	478	1.75
3	बीला बांध	मध्यम	ज.सं.सं, सागर	बीला बांध के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	1,947.10	234.11	11.71	222.40	8/16/2013	6/20/2015	673	49.21
4	छापी	मध्यम	ज.सं.सं, राजगढ़	छापी बांध एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार कार्य	339.48	30.13	1.51	28.62	1/20/2011	7/10/2012	537	5.05
5	चांदना टैंक	लघु	ज.सं.सं, रायसेन	चांदना टैंक के सुदृढीकरण कार्य	70.94	2.25	0	2.25	5/4/2013	5/5/2015	731	0.54
6	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की बेलेन्स रीच किमी 36.11 से किमी 83.00 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	2,062.09	186.00	0	186.00	2/24/2014	6/22/2015	483	29.54
7	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर के आर.डी. 0.00 मी. से आर.डी. 71500 मी. तक के लाईनिंग तथा आर.डी. 1300 मी. पर साइफन निर्माण कार्य	3,000.00	162.75	0	162.75	7/16/2012	1/15/2015	913	48.85
8	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की वितरिका 22 एल, 30 एल, 31 एल बरना एस्कप एवं रिवाइन प्रोटेक्शन एवं 12 आर से 29 आर हेड रेगुलेटर का जीर्णोद्धार कार्य	1,283.00	49.50	0	49.50	10/26/2012	9/4/2015	1043	16.97

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	ठेका लागत	असंतुलित बोली हेतु जमा राशि	असंतुलित जमा राशि	कम प्रस्तुतिकरण	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की तिथि	कुल दिवस	वसूली योग्य ब्याज
9	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. 147.279 से 162.637 तक एवं वितरिका 60 आर. तथा 61 आर. के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	1,071.60	24.13	0	24.13	5/27/2013	5/26/2015	729	5.78
10	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा की 1 आर से 21 आर माइनसों का जीर्णोद्धार (पैकेज क्र. एम.बी.सी. 5)	865.74	17.54	0	17.54	5/26/2012	12/9/2013	562	3.24
11	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा का जीर्णोद्धार	1,426.42	118.72	0	118.72	7/27/2012	11/26/2014	852	33.25
12	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की वितरिका 2 आर से 20 आर एवं 22 आर के सुदृढीकरण कार्य	1,277.81	44.17	0	44.17	10/22/2012	4/20/2015	910	13.21
13	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 0 कि. मी. से 60 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य	9,170.00	1,762.00	60.52	1,701.48	11/15/2007	6/30/2013	2054	1148.99
14	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	आवदा बांध एवं उसकी नहर का सुदृढीकरण कार्य	2,748.81	163.00	0	163.00	11/1/2012	6/30/2015	971	52.03
15	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 1 एल से 5 एल तक की शाखाओं एवं वितरिकाओं के सुदृढीकरण कार्य	870.98	11.17	0	11.17	5/9/2012	5/30/2014	751	2.76
			सात संभाग	योग	26,275.56	2,822.37	73.74	2,748.63				1412.45

परिशिष्ट 2.29

क्षतिपूर्ति का अधिरोपण न/कम करने को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.10, पृष्ठ 70)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य पूर्णता में हुआ विलंब	वसूली योग्य एल.डी.	एल.डी. के कारण वसूल की गई राशि	एल.डी. की वसूल होने वाली राशि
1	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, भिण्ड	भिण्ड मुख्य नहर की चैन 902 से 2565 एवं इसकी वित्तिकाओं तथा माइनों में अतिआवश्यक कार्य एवं रीसेवनिंग पक्के कार्यों की मरम्मत सहित	15 माह	20.23	0.15	20.08
2	करमोदिया टैंक	लघु	ज.सं.सं, रायसेन	करमोदिया जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	25 माह	27.54	0	27.54
3	रातापानी टैंक	लघु		रातापानी जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	48 माह	67.49	0	67.49
4	बनछोड टैंक	लघु		बनछोड जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	48 माह	43.87	0	43.87
5	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 0 कि.मी. से 60 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य	959 दिवस	835	0	835
6	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर के 6 एल से 15 एल तक की डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य	60 दिवस	11.13	9.83	1.29
7	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर 60 कि.मी. से 93 कि.मी. तक का सुदृढीकरण कार्य (स्लाइस 1ए)	ठेका निलम्बित	529.99	89.92	440.07
8	वैनगंगा नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, वैनगंगा, बालाघाट	वैनगंगा मुख्य नहर के चैन क्र. 963 से 1,356 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	630 दिवस	153	0	153
9	जमुनिहाइ एवं भैसवार	लघु / मध्यम	ज.सं.सं, सतना	जमुनिहाइ टैंक एवं भैसवार टैंक के शीर्ष कार्य एवं नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	13 माह (अपूर्ण कार्य)	22.17	0	22.17
योग						1,710.42	99.90	1,610.51

परिशिष्ट 2.30

रायल्टी प्रभारों के अनुपालन नहीं होने को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.11, पृष्ठ 71)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कटौती योग्य रायल्टी की राशि	अभिप्राप्त एफ. डी.आर. की राशि	अन्तर
1				भिण्ड मेन केनाल कि.मी. 40.88 से कि.मी. 78.18 तक के सुदृढीकरण कार्य	131.79	101.00	30.79
2			ज.सं.सं, भिण्ड	भिण्ड मेन केनाल की वित्तिका डी 3 एवं 3 एल के आर.डी. 0 से आर.डी. 24,841 तक आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	38.39	38.39	0.00
3				भिण्ड मेन केनाल की आर.डी. 27.5 से आर.डी. 40.88 तक एवं 5 आर वित्तिका के सुदृढीकरण एवं अतिरिक्त कार्य के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	30.15	30.15	0.00
4	चंबल नहर परियोजना	वृहद		मौ वित्तिका नहर की बायीं टेल वित्तिका नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 27.90 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (पैकेज बी.एम.सी./ 8/बी.आर.)	187.34	93.00	94.34
5			ज.सं.सं, गोहद	मौ शाखा नहर की आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 45.50 तक के शेष कार्य का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण (पैकेज बी.एम.सी./ 7 / बी.आर.)	70.50	47.90	22.60
6				मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 से 45.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य	22.29	22.29	0.00
7	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, सबलगाढ	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण 93 किमी से 169 किमी तक स्लाइस 1 (बी)	83.12	83.12	0.00
8	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर के कि.मी. 36.11 से 83.00 तक के शेष कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	59.65	0.00	59.65
योग					623.23	415.85	207.38

परिशिष्ट 2.31
कार्यों के बीमा को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.12, पृष्ठ 71)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कटौती योग्य प्रीमियम	प्रदान किया गया बीमा कवरेज	कवरज कम/न होना
1			ज.सं.सं., भिण्ड	भिण्ड मुख्य नहर कि.मी. 40.88 से कि.मी. 78.18 तक के सुदृढीकरण कार्य	79.59	0	79.59
2	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं., गोहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 12 से 27.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	67.16	0	67.16
3				मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 से 45.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	62.14	0	62.14
4	नागदा		ज.सं.सं., देवास	नागदा जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	3.27	0	3.27
5	करमोदिया टैंक			करमोदिया जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	11.12	0	11.12
6	बनछोड टैंक		ज.सं.सं., रायसेन	बनछोड जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	11.51	0	11.51
7	रातापानी टैंक	लघु		रातापानी जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	14.97	0	14.97
8	चांदना टैंक			चांदना टैंक के सुदृढीकरण कार्य	1.44	0	1.44
9	बाओरीखेडा टैंक		ज.सं.सं., शाजापुर	बाओरीखेडा तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	1.61	0	1.61
10	बुरलाई टैंक			बुरलाई तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	1.87	0	1.87
11	चिल्लर टैंक		ज.सं.सं., शाजापुर	चिल्लर तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	14.26	0	14.26
12	बीला बांध	मध्यम	ज.सं.सं., सागर	बीला बांध के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	51.07	0	51.07
13	छापी			छापी बांध एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार कार्य	8.53	0	8.53
14	अमानपुर, देवपुर टैंक		ज.सं.सं., राजगढ	अमानपुर एवं देवपुर तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	2.69	0	2.69
15	करसुरीपुरा, कोलुखेडी एवं सांनवासरा टैंक	लघु		करसुरीपुरा, कोलुखेडी एवं सांनवासरा तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	2.46	0	2.46
16	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं.,	चम्बल वाहिनी मुख्य नहर की 19 एल से 27 एल तक पैकेज-7 की शाखा	1.35	0.76	0.59

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कटौती योग्य प्रीमियम	प्रदान किया गया बीमा कवरेज	कवरेज कम/न होना
			सबलगाड़	नहरों के सुदृढीकरण कार्य			
17			ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल शाखा की 1 आर से 21 आर माइनरों का जीर्णोद्धार (पैकेज क्र. एम.बी.सी. 5)	3.95	0	3.95
18			ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की आर.डी. 147.279 से 162.637 तक एवं वितरिका 60 आर. तथा 61 आर. के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	28.76	0	28.76
19			ज.सं.सं, मुरैना	अम्बाह शाखा नहर की वितरिका 32 आर. 34 एल. एवं 58 आर. के सुदृढीकरण कार्य	49.88	0	49.88
20			ज.सं.सं, श्योपुर	आवदा बांध एवं उसकी नहर सुदृढीकरण कार्य	22.26	0	22.26
21			ज.सं.सं, श्योपुर	एम.पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 1 एल से 5 एल तक की शाखाओं एवं वितरिकाओं के सुदृढीकरण कार्य	9.01	6	3.01
22			ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर के 6 एल से 11 एल तक की डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य (पैकेज वाय.बी./सी.आर.एम.सी./डी-2)	1.72	1.15	0.57
23			ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 11 एल ए एवं 13 एल से 18 एल तक की शाखा नहर का जीर्णोद्धार कार्य (12 एल को छोड़कर)	1.31	1.12	0.19
24	दुलगरी	मध्यम	ज.सं.सं, सतना	कूलगरी टैंक, दुब्रा टैंक, अमकोई टैंक, रामनिसागर टैंक एवं तुमिन टैंक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	0.94	0.47	0.47
25	सेहरा	लघु	ज.सं.सं, सतना	सेहरा डाईव्रजन विअर, गैबर डाईव्रजन विअर, चक्र डाईव्रजन टैंक, खजुरिया टैंक एवं उनकी नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य जी.बी.4	12.35	0	12.35
26	सिंगपुर		ज.सं.सं, सतना	सिंगपुर टैंक एवं चिडुआ टैंक के शीर्ष कार्य एवं नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	3.38	0	3.38
27	जमुनिहाइ एवं भैसवार	मध्यम	ज.सं.सं, सतना	जमुनिहाइ टैंक एवं भैसवार टैंक के शीर्ष कार्य एवं नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	6.94	0	6.94
28	लिलजी		ज.सं.सं, सतना	लिलजी टैंक एवं नहर के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	4.92	0	4.92
29	बीरहना	लघु	ज.सं.सं, सतना	बीरहना टैंक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	3.17	0	3.17
				बीरहना टैंक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	4.38	0	4.38
				योग	488.01	9.50	478.51

परिशिष्ट 2.32
श्रिकेज अलाउंस की गैर कटौती दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कण्डिका 2.2.9.14, पृष्ठ 72)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना प्रकार	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	मिट्टी के कार्यों से 10 प्रतिशत की दर से श्रिकेज अलाउंस की गैर कटौती	मिट्टी के कार्यों की दर	(₹ लाख में) कुल अधिक भुगतान
1				भिण्ड मुख्य नहर की डी3 वितरिका एवं भिण्ड मुख्य नहर की 3एल की आर.डी. 0 से 24841 मीटर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण	7,78,582.03	77,858.20	50	38.92
2				भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 12 कि.मी. एवं फीडर नहर की आर.डी. 0 से 1.7 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	4,19,909.17	41,991.00	69.50	29.18
3	चंबल नहर परियोजना	वृहद	ज.सं.सं. गोहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 12 से 27.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	47,825.43	4,783.00	68.55	3.27
4				मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 कि.मी. से आर.डी. 45.50 कि.मी. तक के शेष कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (पैकेज बी.एम.सी. / 7 / बी.आर.)	3,95,767.28	39,576.73	70.20	27.78
5				मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 कि.मी. से आर.डी. 45.50 कि.मी. तक के कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (पैकेज बी.एम.सी. / 7 / बी.आर.)	3,05,466.29	30,546.62	45	13.74
				योग	25,94,278.77			151.69

परिशिष्ट 2.33

टेकेदारों को कोर टेस्ट पर अनुचित वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.10.3, पृष्ठ 74)

क्र. सं.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र. अवधि	भुगतान की गई राशि	लाइनिंग की पूर्ण दर घन मी. में	लाइनिंग की दर का प्रतिशत प्रति घन मी.	दरों में अन्तर प्रति घन मी.	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	(राशि ₹ में)
1	ज.सं.सं, देवास	नागादा जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	05 / 2013-14 24 माह	180.77	4,206	3,364.80	841.20	182.86	1,53,821.83
2	ज.सं.सं, देवास	मोमनपुरा जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	04 / 2013-14 24 माह	117.98	2,800	2,240.00	560.00	362.64	2,03,078.40
		साइड स्लोप			3,700	2,960.00	740.00	1122.34	8,30,531.60
3	ज.सं.सं, रायसेन	एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत बनछोड जलाशय एवं नहरों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	223 / 2009-10 24 माह	315.48	3,741	2992.80	748.20	3556.72	26,61,137.90
4	ज.सं.सं, शाजापुर	चिल्लर तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य (एन.टी.-9)	02 / 2014-15 15 माह	861.10	5,500	4,400.00	1100.00	7374.9	81,12,390.00
5	ज.सं.सं, राजगढ	अमानपुर एवं देवपुर तालाब एवं नहर प्रणाली का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य	07 / 2013-14 24 माह	95.34	3,680	2,944.00	736.00	60.29	44,373.44
		साइड स्लोप			4,250	3,400.00	850.00	281.63	2,39,385.50
6	ज.सं.सं, सबलगढ	निचली मुख्य नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 50 तक (लाइनिंग कार्य) सुदृढीकरण कार्य (पैकेज क्र. एल. एम.सी. 01 ए. डब्ल्यू.)	02 / 2012-13	405.14	4,545	3,636.00	909.00	8417.48	76,51,489.32
7	ज.सं.सं, वैनांगा, बालाघाट	वैनांगा मुख्य नहर के चैन क्र. 0 से 963 तक एवं चार वितरिकाओं के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	05 / 2013-14	2,278.00	4,754.10	3,803.00	951.10	47916.17	4,55,73,069.29
8	ज.सं.सं, वैनांगा, बालाघाट	वैनांगा मुख्य नहर के चैन क्र. 963 से 1356 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (डब्ल्यू.जी. 6)	04 / 2013-14	884.00	4,900	3,920.00	980.00	18043.375	1,76,82,507.50
9	ज.सं.सं, सतना	जमुनिहाइ टैंक एवं बैसवार टैंक के शीर्ष कार्य एवं नहरों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	5 / 2013-14	96.35	5,000	4,000.00	1,000.00	1927.16	19,27,160.00

क्र. सं.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र. अवधि	भुगतान की गई राशि	लाइनिंग की पूर्ण दर घन मी. में	लाइनिंग की दर का 80 प्रतिशत प्रति घन मी.	दरों में अन्तर प्रति घन मी.	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	अनियमित भुगतान
10	ज.सं.सं, गोहद	मौ वितरिका नहर की बायीं टेल वितरिका नहर के कि.मी. 0 से 27.90 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (पैकेज बी.एम.सी./ 8/बी.आर.)	05 / 2013-14 20 माह	246.09	5,500	4,400.00	1,100.00	44743.23	4,92,17,553.00
11	ज.सं.सं, गोहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 12 कि.मी. एवं फीडर नहर की आर.डी. 0 से 1.7 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य		180.71	4,544.10	3,635.28	908.82	39,768.72	3,61,42,608.11
12	ज.सं.सं, गोहद	मौ शाखा नहर की आर.डी. 0 कि.मी. से आर.डी. 45.50 कि.मी. तक के शेष कार्य का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (पैकेज बी.एम.सी./ 7/बी.आर.)	04 / 2013-14 20 माह	171.10	4,950.00	3,960.00	990.00	34,565.87	3,42,20,211.30
		योग						208323.44	20,46,59,317.20

परिशिष्ट 2.34

ढेकेदारों को गैर अनुरूप कोर टेस्ट परिणामों पर अनुचित वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.10.3, पृष्ठ 74)

क्र. सं.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	डिजाइन मिक्स के अनुरूप वांछनीय कम्प्रोसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	क्यूब टेस्ट की कम्प्रोसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	कोर टेस्ट की कम्प्रोसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	लाइनिंग कार्य की दर (प्रति घन मी.)	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	भुगतान की गयी राशि	अनियमित भुगतान (भुगतान का 20 प्रतिशत)
1	ज.सं.सं, गोहद	भिण्ड मुख्य नहर की आर.डी. 12 से 27.50 कि.मी. तक के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य	209.00	180.97-186.30	200 से अधिक	4,554	41,875.11	19,06,99,251	3,81,39,850.19
2	ज.सं.सं, सबलगढ	निचली मुख्य नहर सुदृढीकरण के कार्य	207.75	163.7 - 191.94	116.70 - 153.0	5,175	82,046.88	42,45,92,604	8,49,18,520.80
3	ज.सं.सं, सबलगढ	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण 93 किमी से 169 किमी तक स्टाइस 1 (बी)	267.40	120.78 - 201.39	103.82 - 154.69	3,100	96,256.08	29,83,93,848.00	5,96,78,769.60

क्र. सं.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	डिजाइन मिक्स के अनुरूप वांछनीय कम्प्रोसिव स्ट्रेन्थ (कि. ग्रा./वर्ग से.मी.)	क्यूब टेस्ट की कम्प्रोसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	कोर टेस्ट की कम्प्रोसिव स्ट्रेन्थ (कि.ग्रा./वर्ग से.मी.)	लाइनिंग कार्य की दर (प्रति घन मी.)	निष्पादित मात्रा (प्रति घन मी.)	भुगतान की गयी राशि	अनियमित भुगतान (भुगतान का 20 प्रतिशत)
4	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर का किमी 0 से किमी 36.10 तक के सुदृढीकरण कार्य	240.00	187.33 – 220.44	184.30 – 210.06	3,645	52,919.19	19,28,90,447.6	3,85,78,089.51
5	ज.सं.सं, जौरा	मुरैना शाखा नहर की 21 एल वितरिका का जीर्णोद्धार	208.00	182.78 – 203.70	178 – 199	4,466.07	16,213.49	7,24,10,581.28	1,44,82,116.26
6	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की बेलेन्स रीच किमी 0 से किमी 60 तक के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	207.75	उपलब्ध नहीं	120– 130	3,700	67,057.46	24,81,12,602	4,96,22,520.40
7	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का सुदृढीकरण 60 किमी से 93 किमी तक	227.00	उपलब्ध नहीं	114.5 – 135.6	3,819.24	59,738.23	22,81,54,637.50	4,56,30,927.51
8	ज.सं.सं, श्योपुर	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर की 12 एल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सुदृढीकरण कार्य	219.57	212.29 – 220.08	109.87 – 128.48	4,600	8,908.19	4,09,77,674	81,95,534.80
9	ज.सं.सं, चैनगांगा, बालाघाट	मंडकी शाखा नहर के चैन क्र. 0 से 1181 तक, वारासिवनी शाखा नहर के चैन क्र. 0 से 330 के साथ बेनी, थानेगांव एवं नवेगांव वितरिकाओं के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	150.00	152.59 – 158.51	151.3 – 161.0	5,100	31,827.29	16,23,19,179	3,24,63,835.80
					योग		4,56,841.92	1,85,85,50,824.38	37,17,10,164.87

परिशिष्ट 3.1

सड़क कार्यों के नमूना जांच किये गये प्राक्कलनों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.1.1.1, 3.1.2.2 और 3.1.2.2, पृष्ठ 81)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	पी.ऐ.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/सार) ³	बैंच मार्क और लेवल लिये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाईन किया गया / नहीं किया गया
1		सिंगोली तिल्लमा सड़क का निर्माण	696	अप्रैल 09	9,600	ओडीआर/ एन	हाँ	हाँ	हाँ
2		कुक्केश्वर-हनुमतिगा - भटखेड़ी सड़क का निर्माण	558	अप्रैल 09	8,650	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
3		सेहना तलाई से होते हुए अथ्वाकला से टोकारा सड़क का निर्माण	1,191	फरवरी 13	16,620	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
4		पिराना से जीरान सड़क का निर्माण	134	फरवरी 13	2,700	व्ही/एन	नहीं	नहीं	नहीं
5	नीमच	भदवामाता पिपलिया रावजी सड़क का निर्माण	123	फरवरी 13	4,100	ओडीआर/ एस	हाँ	नहीं	हाँ
6		सवन से भदवामाता सड़क का निर्माण	255	अप्रैल 09	4,420	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
7		सर्वानियामहाराज से मैलानखेदा सड़क का निर्माण	246	अप्रैल 09	5,540	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
8		अल्हेद से मनासा सड़क का निर्माण	58	फरवरी 13	2,300	व्ही/एस	हाँ	नहीं	हाँ
9		बगोदा मेमडी से सिमरोल सड़क का निर्माण	234	फरवरी 13	4,200	व्ही/यू	हाँ	नहीं	हाँ
10		जनापाव पहुंच मार्ग का सुधार कार्य	231	अप्रैल 09	2,000	व्ही/एस	नहीं	नहीं	नहीं
11		बेका-रसकुदिया-कुथाना सड़क का निर्माण	677	अप्रैल 09	9,500	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
12		देवगुररिया कम्पेल डबल चौकी सड़क का निर्माण	5,085	फरवरी 13	36,650	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
13		बिजालपुर-निहारपुरमुन्दी-मारोद-खडवा सड़क का निर्माण	987	फरवरी 13	10,280	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
14	इन्दौर-1	खेमना अन्काया-गोगाखेड़ी सड़क का निर्माण	519	अप्रैल 09	7,310	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
15		ओल्ड एबी सड़क से बाई पास सड़क का निर्माण	264	फरवरी 13	2,500	ओडीआर/ एन	हाँ/सार	नहीं	हाँ
16		महू-भगोरा-कलाकुंद सड़क का निर्माण	989	अप्रैल 09	15,200	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
17		सिमरोल से उदयनगर सड़क का निर्माण	390	अप्रैल 09	9,300	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं

¹ पी.ऐ.सी. - ठेके कि संभावित राशि

² राष्ट्रीय राज्य मार्ग (एनएच), मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग (ओ.डी.आर.), ग्रामीण मार्ग (व्ही.) और सड़क का उन्नयन (यू)

³ हां/सार - यातायात की दिन प्रतिदिन की गणना नहीं की गई थी इसके बदले केवल यातायात गणना का सार प्राक्कलनों में दर्शाया गया था।

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/साar) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
18		कम्पल उडेल सेमलिया कराडिया खडेल सड़क का निर्माण	874	अप्रैल 09	12,000	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
19		कोदरिया चौरादिया से पातालापानी आशापुरा सड़क का निर्माण	1,400	फरवरी 13	15,900	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
20		खजराना दरगाह (एलियास कॉलोनी) से बाईपास सड़क निर्माण	258	फरवरी 13	1,500	ओडीआर/एन	हाँ	नहीं	हाँ
21		झिरनिया सौंथेर हरदिया देवराजपुर सड़क का निर्माण	891	अप्रैल 09	25,000	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
22	विदिशा	कररिया-शमशाबाद सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण	2,770	अप्रैल 09	37,800	एमडीआर	हाँ	नहीं	हाँ
23		दावपुर मुगालसराए सड़क का निर्माण	1000	फरवरी 13	11,000	ह्वी/यू	हाँ	नहीं	हाँ
24		नौलास से बवालिया खेरुआ बरखेड़ा गंभीर सड़क का विनिर्माण	369	अप्रैल 09	7,500	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
25		गंजबासौदा बरठ (उदयपुर) सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण	1,435	अप्रैल 09	16,300	एमडीआर	हाँ	नहीं	हाँ
26		मदिपुर नदौर अम्बर नौलास सड़क का निर्माण	446	अप्रैल 09	12,000	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
27		बंटीनगर विदिशा से रुस्साला, थार, मुडरा सड़क का निर्माण	612	अप्रैल 09	17,000	ह्वी/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
28		महावान भटोली चन्देरी सड़क का निर्माण	454	अप्रैल 07	18,000	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
29		जावती निसोबारी नैन्वास से मोहनपुरा सड़क का निर्माण	558	अप्रैल 09	12,400	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
30		बोरिया कच्ची खेड़ा से होते हुए दथानान्दपुर सड़क सड़क का निर्माण	368	अप्रैल 09	9,600	ह्वी/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
31		गुरोद-पिपलधार सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य	1,283	अप्रैल 09	22,000	ह्वी/यू	नहीं	हाँ	नहीं
32		थार, निटारी, भदोरा, तिलक, मुदरा, अहमदपुर सड़क का निर्माण	552	अप्रैल 09	14,200	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
33	विदिशा	देहरिपामा, रायपुर, से बरोद सड़क का निर्माण	444	अप्रैल 09	11,500	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
34		फुफनेर-मिचोरन वर्धा-मानिया-बरखेड़ा सड़क का निर्माण	1,983	फरवरी 13	31,950	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
35		बगरोद चौराहा से मसेर सड़क का निर्माण	691	अप्रैल 09	17,400	ह्वी/एन	नहीं	हाँ	नहीं
36		लशकरपुर पहुँच सड़क और पूरानापुरा सड़क से अहमदपुर सड़क	455	अप्रैल 09	8,020	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
37		इमलोदा से विरावता सिरसावली सनाई सड़क	614	अप्रैल 09	19,000	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	हाँ
38		दुगानगर सरस्वती स्कूल से भौरिया सड़क	233	अप्रैल 08	9,000	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
39		कुरवाई बौराशा क्रासिंग से बरखेड़ी सड़क	1,293	अप्रैल 09	30,200	ह्वी/एन	हाँ	हाँ	हाँ
40		पथरी से किरसखेड़ी बटियाबड़ा सड़क	387	अप्रैल 07	17,800	ह्वी/एन	हाँ/साar	नहीं	नहीं
41		ग्रांट-से बाला-बरखेड़ा-करेला-सतधारा-भोपाल सड़क	968	अप्रैल 08	26,000	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
42		इच्छावर रामनगर सड़क का मजबूतीकरण	363	अप्रैल 09	10,600	एमडीआर/एस	नहीं	नहीं	नहीं
43	सीहोर	दुदलई रूपादेह से रूपदी सड़क का निर्माण	113	अप्रैल 09	2,120	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ
44		धुपादिया से चाचाखेदी सड़क का निर्माण	246	अप्रैल 09	3,600	ह्वी/एन	हाँ	नहीं	हाँ

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/साar) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
45		सीहोर नरसिंहगढ़ सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य	1,127	जनवरी 09 से सीआरएफ	28,400	एमडीआर/यू	हाँ	हाँ	हाँ
46		गडिया सड़क से होते हुए बिलकिसगंज (पानी की टंकी) से बमालाढ़ का निर्माण	489	अप्रैल09	8,900	व्ही/एन	हाँ/साar	हाँ	हाँ
47		सिद्धीकगंज से इल्लाई देहमत सड़क का निर्माण	344	फरवरी 13	6,300	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
48		रूपादेह से गाडिया सड़क का निर्माण	282	अप्रैल 09	4,860	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
49		लसूडिया परिहार से बिजलोन सड़क का निर्माण	243	फरवरी 13	5,100	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
50		ब्राखेड़ा हसन से देहरी सड़क का निर्माण			3,560	व्ही/यू	हाँ	हाँ	हाँ
51		ब्राखेड़ा हसन से नैहड़ी सड़क का निर्माण	410	अप्रैल 09	3,600	व्ही/यू	हाँ	हाँ	हाँ
52		ब्राखेड़ा हसन से सुहाखेड़ी सड़क का निर्माण			2,600	व्ही/यू	हाँ	हाँ	हाँ
53		जहाँगिरपुरा से देवस्थान दरगाह सड़क का निर्माण			3,700	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
54		चपरी खुर्द से चपरी कला सड़क का निर्माण	367	अप्रैल 09	2,310	व्ही/यू	हाँ	नहीं	हाँ
55		खरपा से हैदरगंज सड़क का निर्माण			2,550	व्ही/यू	हाँ	नहीं	हाँ
56		तुमडा से ताजमरोड़ सड़क का निर्माण	372	अप्रैल 09	3,140	व्ही/यू	हाँ	हाँ	हाँ
57	सीहोर	कुलाश कला से बरखेड़ा सड़क का निर्माण			4,200	व्ही/यू	हाँ	हाँ	हाँ
58		इछावर खेरी सड़क का निर्माण	170	अप्रैल 09	9,000	व्ही/यू	हाँ	नहीं	हाँ
59		बंडाबरा करबना सड़क का उन्नयन कार्य	1,386	फरवरी 13	26,740	एमडीआर/यू	नहीं	नहीं	हाँ
60		देवरी केसली (संजय निकुंज) सड़क का निर्माण	294	अप्रैल09	6,200	ओडीआर/एन.	नहीं	नहीं	हाँ
61		बंदरी बंडाबरा करबना सड़क का निर्माण	3,277	अप्रैल09	38,740	एमडीआर	नहीं	हाँ	हाँ
62		बरखेड़ी मोहाली तिसिया बंडाबरा करबना सड़क का निर्माण	301	अप्रैल08	9,000	व्ही/एन	नहीं	हाँ	नहीं
63	सागर	सिलोधा चांदपुर मुदरी सड़क का निर्माण	350	अप्रैल09	6,160	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
64		एन.एच-26 से देवरीर सड़क का निर्माण	402	अप्रैल08	12,000	व्ही/एन	हाँ/साar	हाँ/नहीं	हाँ
65		सेमरा-मोहार-परसौरिया सड़क का निर्माण	297	फरवरी13	13,600	व्ही/एन	नहीं	नहीं	नहीं
66		गढ़कोटा बाईपास सड़क (गढ़ाकोटा नगर सड़क) सड़क का निर्माण	530	फरवरी13	4,000	ओडीआर/एन.	हाँ	नहीं	हाँ
67		चनाटोरिया से करीणूर सड़क का निर्माण	715	फरवरी13	7,200	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
68		सिहार-लोटना-लोटनी-रामचथार-अरयावाली सड़क का निर्माण	621	अप्रैल08	17,000	व्ही/एन	नहीं	नहीं	नहीं

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हां/सार) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये/नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाईन किया गया/नहीं किया गया
69		खुरई राजवंश सड़क का निर्माण	661	मद दर	14,000	की/यू	नहीं	हाँ	नहीं
70		पडरई बसान महुँखेडा करहद सड़क का निर्माण	492	अप्रैल08	13,500	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
71		नवगांव बरोदिया घाट,मोहासा,केथनी सड़क का निर्माण	559	अप्रैल09	9,720	की/एन	हाँ	नहीं	हाँ
72		सेन्नाबाग जिन्दा फोरलेन सड़क का उन्नयन/निर्माण कार्य	516	फरवरी 13	6,600	की/एन	हाँ	नहीं	हाँ
73		घाटमपुर-खांड-पिपरई-दुधोनिया सड़क का निर्माण	327	अप्रैल09	9,000	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
74		सलैया-खादेभन-रिचावर-सैखेदा सड़क का निर्माण	470	अप्रैल09	12,000	की/एन	हाँ	नहीं	नहीं
75		भैसवाही-चन्द्रपुरा-बैलेमाफी सड़क का निर्माण	406	अप्रैल09	10,000	की/एन	हाँ	नहीं	हाँ
76		मानगढ़-शाहपुर-मुर्गा-धुरा सड़क का निर्माण	419	अप्रैल09	10,500	की/एन	हाँ/सार	नहीं	हाँ
77		तुन्दरी-धुलतारा सड़क का निर्माण	424	अप्रैल09	8,500	की/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
78		बिना-बरहा-रीछाई सड़क का निर्माण	432	अप्रैल09	8,000	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
79		सगर टाउन में एन एच-26 का उन्नयन/निर्माण कार्य	748	फरवरी13	9,250	एनएच/यू	हाँ	नहीं	हाँ
80		मोकलपुर-उदयपुरा-वेरसाला-बंसिया सड़क का निर्माण	434	अप्रैल09	9,000	की/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
81		देवरी-सरैवान सड़क का निर्माण	1,427	फरवरी13	18,000	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
82		बक्सबाहा-नैनागीर दलपतपुर सड़क का निर्माण	1,086	फरवरी13	13,200	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
83		बंडा-बरेथा-गिरार सड़क का उन्नयन/निर्माण कार्य	2,663	फरवरी	34,000	एमडीआर	हाँ/सार	हाँ	हाँ
84		टाउन सड़क रेहली सड़क का चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य	554	फरवरी13	3,500	की/यू	हाँ	नहीं	हाँ
85		गणेशगज-सोजनावर-टरहा सड़क का निर्माण	677	फरवरी13	9,500	की/एन	हाँ	नहीं	हाँ
86		धाना-हिलांवां से खदेरबन-पिपरिया वैध सड़क का निर्माण	466	अप्रैल09	10,500	की/एन	हाँ/सार	नहीं	हाँ
87		राजपुरा चौरिया शाहगढ़ सड़क का निर्माण	657	अप्रैल08	22,000	की/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
88	दमोह	हिनोती भूरी बदायूं सड़क का निर्माण	569	फरवरी13	8,200	की/एन	हाँ/सार	नहीं	हाँ
89		महागुवा कूवाखोह सड़क का निर्माण	446	अप्रैल09	7,640	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
90		बधा-इमलिया-महेबा-रशिलपुर (नया) सड़क का निर्माण	591	अप्रैल08	18,700	की/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
91	दमोह	गौसाबाद अडनवारा वलेह भैसा स्नेह सड़क का निर्माण	982	अप्रैल09	20,400	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
92		दमोह नगर जेल से रेस्ट हाउस का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य			1,000	ओडीआर/यू	हाँ	नहीं	नहीं
93		दमोह सॉक्रेट हाउस पहुँच मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य	1,012	फरवरी13	1,500	यू	हाँ	नहीं	हाँ
94		दमोह से जमुनिया बल्कोट मार्ग का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य			2,200	ओडीआर/यू	नहीं	नहीं	नहीं

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/साar) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
95		दमोह तीन गुल्ली से इम्लई बाईपास सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण			4,000 यू	ओडीआर / यू	हाँ	नहीं	हाँ
96		दमोह ओवरब्रिज से मुक्तिधाम सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य			1,400 यू	ओडीआर / यू	हाँ	नहीं	हाँ
97		दमोह सागर से बटियागढ़ बाईपास का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य			2,400 यू	ओडीआर / यू	हाँ	नहीं	हाँ
98		हथनी इमलिया झापन सड़क का निर्माण	2,861	अप्रैल09	35,400	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
99		हटा (चान्दजी मंदिर) से भैदारी पहुच मार्ग का निर्माण	250	फरवरी13	2,500	व्ही / एन	हाँ	नहीं	हाँ
100		हटा मानपुरा कलकूआ रनेह सड़क का निर्माण	769	फरवरी13	13,600	व्ही / इन	नहीं	नहीं	नहीं
101		बटियागढ़ खदेरी करबना सड़क का निर्माण	1,386	अप्रैल09	21,000	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
102		साखा-पटना सड़क का निर्माण	258	अप्रैल09	6,600	व्ही / यू	नहीं	नहीं	नहीं
103		पटाहरिया किन्द्रोह जेठ सड़क का निर्माण	2,193	फरवरी13	21,000	व्ही / एन	हाँ	नहीं	हाँ
104		पथरिया करबना सड़क का निर्माण	1,284	अप्रैल09	15,000	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
105		बिरसा मरारीटोला साखा सुकतारा सड़क का निर्माण	696	अप्रैल09	11,000	व्ही / एन	नहीं	हाँ	नहीं
106		बिरसा से दमोह सड़क का निर्माण	2,252	फरवरी13	20,000	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
107		दहेदी भलवा सड़क का निर्माण	241	अप्रैल09	6,200	व्ही / एन	हाँ / साar	नहीं	हाँ
108		बटमारा खारा चिचगाव सड़क का निर्माण	202	अप्रैल09	6,000	व्ही / एन	हाँ / साar	नहीं	हाँ
109		बिरसोला-खमरिया-खुसोदी सड़क का निर्माण	220	अप्रैल09	7,840	व्ही / एन	हाँ / साar	नहीं	हाँ
110		कोपे-पुजारिटोला-कटगघरी-सावंगी नहरटोला सड़क का निर्माण	868	अप्रैल09	17,775	व्ही / एन	नहीं	हाँ	नहीं
111		सिहोरा-सिहोराटोला-देओगाँव सड़क का निर्माण	270	फरवरी13	3,500	व्ही / एन	हाँ / साar	नहीं	हाँ
112		खैलौगी घुबडगौडी सड़क का निर्माण	270	अप्रैल09	4,520	व्ही / एन	हाँ / साar	हाँ	हाँ
113	बालाघाट	खैरी गौडितोला सवरी सड़क का निर्माण	417	अप्रैल09	7,340	व्ही / एन	हाँ / साar	हाँ	हाँ
114		भारवेली भगोली अमैदा सड़क का निर्माण	147	अप्रैल09	4,200	व्ही / यू	हाँ / साar	नहीं	हाँ
115		बालाघाट-बेनी रिंगाटोला-चंगेरा-बेनी सड़क का उन्नयन	420	अप्रैल09	10,000	व्ही / यू	हाँ / साar	नहीं	हाँ
116		अतरी से आरम्भा सड़क का निर्माण / उन्नयन	215	अप्रैल09	3,000	व्ही / यू	हाँ / साar	हाँ	हाँ
117		बोथाली बहेरा सड़क का निर्माण	176	अप्रैल09	5,800	व्ही / यू	हाँ / साar	नहीं	हाँ
118		बालाघाट सिटी के आंतरिक सड़कों का उन्नयन	823	अप्रैल09	10,200	ओडीआर / यू	हाँ / साar	नहीं	हाँ
119		कटंगी-नान्दोरा सड़क का निर्माण	1,111	फरवरी13	14,000	व्ही / यू	हाँ / साar	हाँ	हाँ

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हां/सार) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये/नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया/नहीं किया गया
120		कान्हडगाँव-विचगाँव सड़क का निर्माण	237	अप्रैल09	6,100	की/यू	हाँ	हाँ	हाँ
121		बिरसा भट्टलाई दुधी साखा सड़क का निर्माण	178	अप्रैल09	3,500	की/यू	हाँ	हाँ	हाँ
122		करोद से परसोदा सड़क का निर्माण	221	अप्रैल09	5,340	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
123		नैन्युहाया से होते हुए खेजारा से करोद व्हया सड़क का निर्माण	331	अप्रैल09	7,180	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
124		गुना सिरसी सोन्धारा से गडला उजरी सड़क का निर्माण	289	अप्रैल09	5,900	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
125		कनेरा वीराखेडी से होते हुए मुडरा से खेजरा सड़क का निर्माण	586	फरवरी13	9,300	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
126		बडरा से होते हुए सिरसी से मुसरेदी सड़क का निर्माण	463	अप्रैल 09	13,500	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
127		बंसखेडी से होते हुए मकिमऊ से चंदेरा सड़क का निर्माण	606	फरवरी13	7,350	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
128		सिरसी से सरेठा सड़क का निर्माण	854	अप्रैल09	12,240	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
129	गुना	लहर्चा से जटेरी सड़क का निर्माण	296	फरवरी13	4,000	कीआर	नहीं	नहीं	नहीं
130		उक्ताद्रथुद से होते हुए भुराचक से धनोरिया सड़क का निर्माण	227	अप्रैल09	5,400	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
131		बेरखेडी मुरादपुर सड़क से धनवाडा सड़क का निर्माण	577	फरवरी13	10,200	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
132		भौरा मीनापुर बमोरी बिशवाडा सड़क का निर्माण	824	जून09 सीआरएफ	23,100	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
133		अमरोद से नोनेदा सड़क का निर्माण	274	फरवरी13	5,940	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
134		कुम्भराज से रामटेकरी सड़क का निर्माण	503	अप्रैल09	11,500	कीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
135		आनारद से निहालदेवी सड़क का निर्माण	2,095	फरवरी13	45,400	कीआर/एन	हाँ/सार	हाँ	हाँ
136		गनजीओ-फूल-खैरा-केयोटी सड़क का निर्माण	1,458	फरवरी13	27,200	ओडीआर/एन	हाँ	हाँ	हाँ
137		हरई-प्रतापसिंह पहुँच मार्ग का उन्नयन	386	अप्रैल 09	4,000	की/यू	हाँ	हाँ	हाँ
138		लालगाँव सुदर्शन कोलेज और चौरी पहुँच मार्ग का निर्माण	613	फरवरी 13	8,800	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
139		दिहिया मेन रोड से शुकुलगाँव सड़क का निर्माण	211	अप्रैल 09	3,500	की/यू	हाँ	नहीं	हाँ
140		बिचरहटा पहुँच मार्ग का उन्नयन	344	अप्रैल 09	6,350	की/यू	हाँ	हाँ	हाँ
141	रीवा	डिहिया टीकर (शिवपुरवा) सड़क का निर्माण	609	फरवरी 13	9,200	की/एन	हाँ	हाँ	हाँ
142		लौर (एन.एच. 7) आंटी भोलारा सड़क का निर्माण	263	फरवरी 13	3,800	की/एन	हाँ	नहीं	हाँ
143		मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क का उन्नयन	287	अप्रैल 09	7,045	की/एन	नहीं	नहीं	नहीं
144		एन.एच-7 के किमी 229/8 से 231/6 और 239/4 से 242/2 सड़क का चौड़ीकरण	1,146	फरवरी 13	6,262	एनएच/यू	हाँ	हाँ	हाँ
145		चोरहटा खैरा खोखम रौसर सड़क का निर्माण	445	फरवरी 13	7,100	की/एस	नहीं	नहीं	नहीं

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हाँ/सा) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
146		निपानिया तामारा सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण	843	फरवरी 13	14,700	व्ही/यू	हाँ	हाँ	हाँ
147		रीवा सिरमौर सड़क से गार्गिन से राजगढ़	494	फरवरी 13	9,350	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
148		पडरा गड़वा सड़क का विशेष मरम्मत	131	फरवरी 13	2,600	व्ही/एस	नहीं	नहीं	नहीं
149		चंदेरी से बूढी चंदेरी सड़क का निर्माण	107	अप्रैल 09	7,800	व्ही/एन	नहीं	नहीं	नहीं
150		शाडोरा वजिदपुरा सड़क का मजबूतीकरण	342	अप्रैल 09	7,300	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
151		शाधोरा-नैसरइ-मायना सड़क का मजबूतीकरण	219	फरवरी 13	4,260	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
152		वाजिदपुरा से पनवारी हाट सड़क का चौड़ीकरण और उन्नयन	559	अप्रैल 09	14,500	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
153		प्रान्पुरा (मुरादपुर) से राजघाट सड़क का निर्माण	1,605	फरवरी 13	19,180	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
154		पारसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क का मजबूतीकरण	459	फरवरी 13	8,000	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
155	अशोक नगर	ईसागढ़-कदवाया सड़क का पुनर्निर्माण/मजबूतीकरण	132	अप्रैल 09	2,300	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
156		रिजावा से डोंगर सड़क का निर्माण	1,045	फरवरी 13	13,900	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
157		अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर सड़क का चौड़ीकरण और उन्नयन	2,156	अप्रैल 09	26,700	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
158		भारोली पहुँच मार्ग का मजबूतीकरण	156	फरवरी 13	2,000	एमडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
159		ईसागढ़ (देगा मोचर) से पिपरिया नयागांव सड़क का निर्माण	641	अप्रैल 09	8,460	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
160		ईसागढ़-कदवाया सड़क से देकानी माता मंदिर सड़क का निर्माण	127	फरवरी 13	3,800	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
161		कदवाया से मामोन सड़क का निर्माण	480	अप्रैल 09	22,000	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
162		कोटारा माहुती मझगावा सड़क का निर्माण	629	अप्रैल 09	16,200	ओडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
163		गोसरी से मिर्गाती सड़क का निर्माण	495	फरवरी 13	8,400	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
164		रामपुर चोरमारी देवनोद दांडी टोला जगन सड़क का निर्माण	446	अप्रैल 09	10,200	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
165		कोनिया से पिपरी सड़क का निर्माण	272	फरवरी 13	4,900	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
166		लालचाहा मादा उज्जैही खमरेही से हरदुआ सड़क का उन्नयन	740	अप्रैल 09	16,220	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
167		कोटार टिकरी सड़क से अकौना सड़क का निर्माण	366	अप्रैल 09	8,200	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
168	सतना	मडवार-अमिलिया आशाराम सड़क का उन्नयन	962	फरवरी 13	14,000	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
169		टिकुरी शिवपुरा से होते हुए सतना से भर्जुना सड़क का निर्माण	449	फरवरी 13	8,650	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
170		खमरिया से होते हुए धौरहरा से राउंड सड़क का निर्माण	499	फरवरी 13	10,400	व्ही/एन	हाँ	हाँ	हाँ
171		जसो बडेरा कलावल सड़क का निर्माण	336	फरवरी 13	6,000	व्ही/एन	हाँ	नहीं	हाँ
172		सतना बरडाडीह साइडिंग डगाडीहा सड़क का निर्माण	155	अप्रैल 09	19,600	व्ही/यू	हाँ	नहीं	हाँ
173		करिमाती भाकूल बाबा सड़क	85	अप्रैल 09	4,600	व्ही/यू	हाँ	हाँ	हाँ
174		कोरदारनाथ कुल्हारिया भाकूल बाबा सड़क	119	अप्रैल 09	4,800	व्ही/यू	हाँ	नहीं	हाँ

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पी.रे.सी. ¹ (लाख में)	एस.ओ.आर. पर आधारित	सड़क की लम्बाई (मीटर में)	सड़क के प्रकार ²	यातायात सर्वे / सार (हां/सार) ³	बैच मार्क और लेवल लिये लिये गये / नहीं लिये गये	क्रस्ट डिजाइन किया गया / नहीं किया गया
175		दुरेहा कपूरी लोहादर कोटा बमुरहिया मादाटोला गंगवारिया धरमपुरा	4,177	जून09 सीआरएफ	57,840	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
176		पकोरी खदोरी इत्सा बंधी मसन्हा उमराहाट	835	जनवरी 09 सी आरएफ	17,580	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
177		बम्हनी कोठी सड़क	85	अप्रैल09	6,000	क्री/यू	हाँ	नहीं	हाँ
178		बहेरा से करौंदी सड़क का निर्माण	326	अप्रैल09	6,320	क्री/एन	नहीं	नहीं	हाँ
179		पटना महतैन बरौडा म्यान की घाटी सड़क का निर्माण	604	अप्रैल08	26,400	ओडीआर	नहीं	नहीं	नहीं
180		हरदुआ बचवाई छेन्दा राजवारा उमराहाट सड़क का निर्माण	495	अप्रैल09	12,100	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
181		सतना सेमारिया सड़क का उन्नयन	1,615	अप्रैल09	20,500	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
182		बिरसिंहपुर से चकरा सड़क का निर्माण	446	फरवरी 13	6,820	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
183		पौड़ी गराडा से कोनिया भरहुत सड़क का निर्माण	251	अप्रैल09	6,000	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
184		झरखुल से रंगोली सड़क का निर्माण	158	फरवरी 13	2,800	क्री/एस	हाँ	नहीं	हाँ
185		बडेरा अजमाइन सड़क का निर्माण	308	अप्रैल09	5,000	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
186		रैवाडा-जेवनारा-घटेरी-पौड़ी सड़क का निर्माण	342	फरवरी 13	7,000	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
187		बम्हनी ढँको सड़क का निर्माण	248	फरवरी 13	4,500	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
188		नैनपुर सर्रा पथासिहोरा धुरवाडा सड़क का सुधार	1,033	फरवरी 13	18,400	एमडीआर	हाँ	नहीं	हाँ
189		माली मोहगांव से खापा कला सड़क का निर्माण	133	फरवरी 13	2,000	क्री/एन	नहीं	नहीं	नहीं
190		महगांव पहुँच मार्ग का निर्माण	206	नवम्बर 13	2,700	क्री/यू	हाँ	नहीं	हाँ
191	मंडला	सिवनी सड़क से पीपरदोन सड़क का सुधार	245	फरवरी 13	4,900	क्री/एन	हाँ	हाँ	हाँ
192		मोहगांव बसगाडीह सड़क का निर्माण	254	अप्रैल09	7,100	क्री/एन	हाँ	नहीं	हाँ
193		धुगरी चाबी सड़क का सुधार	1,324	फरवरी 13	21,420	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
194		करेगाओ पटाडाह कोहकाटोला चीचगाँव जामगाँव घटेरी सड़क का सुधार	562	अप्रैल09	15,500	क्री/एन	हाँ	नहीं	हाँ
195		खमारिया रामनगर सड़क का सुधार	353	फरवरी 13	3,500	क्री/यू	हाँ	हाँ	हाँ
196		नारायणगंज देवरी मुकास सड़क का सुधार	1,681	अप्रैल 09	21,500	एमडीआर	हाँ	हाँ	हाँ
योग			1,25,074						

परिशिष्ट 3.2
मिट्टी कार्य एवं खुदाई की मात्रा में बढ़ोतरी एवं कमी के कारण लागत प्रभाव दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.1.2.2 पृष्ठ 83)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	मिट्टी कार्य का प्रावधान (घन मी में)	मिट्टी कार्य का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का प्रावधान (घन मी में)	खुदाई का कियान्वयन (घन मी में)	मिट्टी कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	मिट्टी कार्य दर	खुदाई की दर	मिट्टी कार्य लागत में बढ़ोतरी/कमी	खुदाई लागत में बढ़ोतरी/कमी	लेवेल्स लिया गया/ नहीं लिया गया
1		बगोदा मेमडी से सिमरौल सड़क	18,745	11,857	0	0	-37	0	154		-10,60,752	0	नहीं
2		जनापाव पहुँच मार्ग	0	0	4,210	18,773	0	346		54	0	7,86,402	नहीं
3		बेका-रसकुदिया-कुलथाना सड़क	3,381	33,030	0	0	877	0	54		16,01,046	0	नहीं
4		ओल्ड एबी सड़क से बाई पास सड़क	20,527	12,915	0	0	-37	0	154		-11,72,248	0	नहीं
5	इंदौर-1	महु-भगोरा-कलाकुंद सड़क	1,64,214	67,811	0	0	-59	0	136.44	0	-1,31,53,225	0	हाँ
6		सिमरौल से उदैयनगर सड़क	63,728	93,712	3,839	2,896	47	-25	120	69	35,98,080	-65,067	नहीं
7		कम्पेल उड़ेल सेमलिया राडिया खडेल सड़क	69,576	59,652			-14		143		-14,19,132		हाँ
8		कोदरिया से पातालपानी आशापुरा	0	0	1	8,576	0	8,57,500		73	0	6,25,975	नहीं
9		सीहोर नरसिंहगढ़ सड़क	23,156	8,313	0	0	-64	0	132		-19,59,276	0	नहीं
10		रूपादेह से गाडिया	22,119	27,451	0	0	24	0	143		7,62,476	0	नहीं
11	सीहोर	लसूडिया परिहार से बिजलोन सड़क	35,249	40,314	0	0	14	0	154		7,80,010	0	नहीं
12		बेरखेड़ा हसन से देहरी सड़क	51,728	59,309	0	0	15	0	143		10,84,083	0	हाँ
13		जहाँगिरापुरा से देवस्थान दरगाह	40,615	50,272	0	0	24	0	143		13,80,951	0	हाँ
14		कररिया-शमशाबाद सड़क	0	0	49,394	0	0	-100		69	0	-34,08,186	नहीं
15		नौलास से बेरखेड़ा गंभीर	51,245	36,652	0	0	-28	0	140	0	-20,43,020	0	नहीं
16		गंजबासोवा बरठ सड़क	1,00,028	1,86,127	39,485	8,485	86	-79	143	69	1,23,12,157	-21,39,000	नहीं
17	विदिशा	मदिपुर नदी अम्बर नौलास	54,932	89,563	0	0	63	0	143		49,52,233	0	हाँ
18		बंटीनगर विदिशा से रुस्साला	49,850	90,804	0	0	82	0	143		58,56,422	0	नहीं
19		महावान भटोली चन्देरी सड़क	78,260	5,220	0	0	-93	0	124		-90,56,960	0	नहीं
20		गुरोद-पिपलधार सड़क	1,05,093	1,50,057	0	0	43	0	143		64,29,852	0	नहीं
21	नीमच	भदवामाता पिपलिया रावजी सड़क	3,102	4,541	0	0	46	0	154		2,21,606	0	नहीं

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	मिट्टी कार्य का प्रावधान (घन मी में)	मिट्टी कार्य का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का प्रावधान (घन मी में)	खुदाई का कियान्वयन (घन मी में)	मिट्टी कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई का मीटर दर	खुदाई कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई कार्य की दर	मिट्टी कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई लागत बढ़ोतरी/कमी	लेवेल्स लिया गया/नहीं लिया गया
22		अल्हेद से मनासा सड़क	4,400	5,340	0	0	21	154	0	1,44,760	0	0	नहीं
23		बंदरी बंदाबरा करबना सड़क	3,01,892	3,74,440	0	0	24	143	0	1,03,74,364	0	0	नहीं
24		एन एच-26 से देवरी सड़क	73,080	92,839	10,800	15,660	27	124	45	24,50,116	55	2,67,300	नहीं
25		घाटमपुर-खांड-पिपरई सड़क	55,100	96,959	0	0	76	143	0	59,85,837	0	0	हाँ
26		खुरई राजवंश सड़क	52,853	85,486	0	0	62	127	0	41,44,391	0	0	हाँ
27		सलैया-खादेर्भन-रिचावर-सेखेदा सड़क	64,890	1,10,955	0	0	71	143	0	65,87,295	0	0	नहीं
28	सागर	भैसवाही-चन्द्रपुरा-बैलैमाफी सड़क	55,080	74,844	0	0	36	143	0	28,26,252	0	0	नहीं
29		मनगढ़-शाहपुर-मुर्गा-धुरा सड़क	64,260	80,286	0	0	25	143	0	22,91,718	0	0	नहीं
30		बक्सवाहा-नैनागीर-दलपतपुर सड़क	45,265	62,204	0	0	37	154	0	26,08,606	0	0	हाँ
31		बंदा-बरेठा-गिरार सड़क	70,825	85,687	0	0	21	154	0	22,88,748	0	0	हाँ
32		टाउन सड़क रेहली	25,661	30,241	0	0	18	154	0	7,05,320	0	0	नहीं
33		धाना-हिलगाँव से खदेरबन-पिपरिया वैध सड़क	49,411	92,649	0	0	88	143	0	61,83,034	0	0	नहीं
34	दमोह	राजपुरा चौरिया शाहगढ़ सड़क	45,357	72,395	0	0	60	124	0	33,52,712	0	0	हाँ
35		हथनी इमलिया झापन सड़क	84,666	1,36,665	0	0	61	143	0	74,35,857	0	0	हाँ
36		बटमारा खारा छिदगाँव	21,239	24,878	0	0	17	143	0	5,20,377	0	0	नहीं
37	बालघाट	बालाघाट-बेनी (रिंगटोला-चंगेरा-बेनी सड़क)	1,11,593	83,190	0	0	-25	23	0	-6,53,269	0	0	नहीं
38		कटंगी-नान्दारा सड़क	77,622	56,799	0	0	-27	154	0	-32,06,742	0	0	हाँ
39		करोद से परसोवा सड़क	39,746	47,399	0	0	19	143	0	10,94,379	0	0	नहीं
40		नैनुहाया से होते हुए खेजारा से करोद सड़क	57,031	73,483	0	0	29	143	0	23,52,636	0	0	नहीं
41	गुना	बड़ेरा से होते हुए सिरसी से मसरेदी सड़क	83,268	94,566	0	0	14	134.69	0	15,21,728	0	0	नहीं
42		बंसखेडी से होते हुए मर्किमऊ से चंदरा सड़क	45,410	52,717	7,736	11,410	16	154	47	11,25,278	122	4,48,228	हाँ
43		सिरसी से सरवा सड़क	89,434	42,926	80,532	7,829	-52	143	-90	-66,50,644	140	-1,01,78,420	हाँ

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	मिट्टी कार्य का प्रावधान (घन मी में)	मिट्टी कार्य का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का प्रावधान (घन मी में)	खुदाई का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का परिवर्तन (प्रतिशत)	मिट्टी कार्य का परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	मिट्टी कार्य की दर	खुदाई की दर	मिट्टी कार्य लागत में बढ़ोतरी/कमी	खुदाई लागत में बढ़ोतरी/कमी	लेवेल्स लिया गया/नहीं लिया गया
44		लहर्चा से जट्टरी सड़क	33,081	39,399	2,700	0	19	-100	9,03,474	143	69	-1,86,300	-1,86,300	नहीं
45		बरखेड़ीमुगदपुर सड़क से धनावाड़ा	52,069	44,493	0	0	-15	0	-11,66,704	154		0	0	हाँ
46		कुम्भराज से रामटेकरी सड़क	62,316	79,841	0	0	28	0	25,06,075	143		0	0	हाँ
47		एन.एच.-7 से 242/2 सड़क	94,558	74,841	0	0	-21	0	-30,36,418	154		0	0	हाँ
48		चोरहटा खैरा खोखम रौसर	18,850	23,352	0	0	24	0	6,93,308	154		0	0	नहीं
49		निपानिया तामरा सड़क	2,01,092	12,698	9,130	17,324	-94	90	-2,90,12,676	154	122	9,99,668	9,99,668	हाँ
50		पड़रा गडवा सड़क	2,940	11,211	0	0	281	0	12,73,734	154		0	0	नहीं
51		शाडोरा वजिदपुरा का मजबूतीकरण	38,825	46,473	0	0	20	0	10,93,664	143		0	0	नहीं
52		शाधोरा-नैसरई-मायना सड़क का मजबूतीकरण	16,780	20,512	0	0	22	0	5,74,728	154		0	0	नहीं
53		वाजिदपुरा से पनवारी हाट सड़क का चौड़ीकरण	69,009	90,789	0	0	32	0	31,14,540	143		0	0	हाँ
54	अशोक नगर	प्रानुरा (मुगदपुर) से राजघाट सड़क का निर्माण	0	0	9,617	2,300	0	-76	0	50		-3,65,850	-3,65,850	हाँ
55		परसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क का मजबूतीकरण	32,159	59,250	0	0	84	0	41,72,014	154		0	0	नहीं
56		रिजोद से डोंगर सड़क का निर्माण	1,05,788	1,29,538	3,321	0	22	-100	36,57,500	154	122	-4,05,162	-4,05,162	हाँ
57		अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर छिपौन चौड़ीकरण और उन्नयन	2,54,732	1,12,707	0	0	-56	0	-2,22,97,925	157		0	0	हाँ
58		कोटार माहुती मझगाँवा सड़क	13,761	16,896	12,006	0	23	-100	4,48,305	143	54	-6,48,324	-6,48,324	हाँ
59		रामपुर चोरमारी देवनोद दांडी टोला गजन सड़क	57,091	74,212	1,696	0	30	-100	24,48,303	143	54	-91,584	-91,584	नहीं
60		सतना बरडाडीह साइडिंग डगडीहा सड़क	9,472	27,862	13,088	9,911	194	-24	24,64,260	134	69	-2,19,213	-2,19,213	नहीं
61	सतना	बहेरा से करौदी सड़क	38,073	50,089	0	0	32	0	17,18,288	143	0	0	0	नहीं
62		पटना महतैन बरौडा म्यान की घाटी सड़क	68,819	86,040	0	0	25	0	21,35,404	124	0	0	0	नहीं
63		हरदुआ बचबई छेन्वा राजवारा उमराहाट सड़क	75,084	50,137	0	0	-33	0	-35,67,421	143	0	0	0	हाँ

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	मिट्टी कार्य का प्रावधान (घन मी में)	मिट्टी कार्य का कियान्वयन (घन मी में)	खुदाई का प्रावधान (घन मी में)	खुदाई का कियान्वयन (घन मी में)	मिट्टी कार्य परिवर्तन (प्रतिशत)	खुदाई कार्य में परिवर्तन (प्रतिशत)	मिट्टी कार्य की दर	खुदाई की दर	मिट्टी कार्य लागत में बढ़ोतरी/कमी	खुदाई लागत में बढ़ोतरी/कमी	लेवेल्स लिया गया/नहीं लिया गया
64		बिरसिंहपुर से चकरा सड़क	36,780	51,070	0	0	39	0	143	0	20,43,470	0	हाँ
65		पोडी गराडा से कोनिया भरतुह सड़क	39,654	33,785	0	0	-15	0	143	0	-8,39,267	0	हाँ
66		नैनपुर सर्रा पथासिहोरा धुरवाड़ा सड़क	91,668	1,09,918	0	0	20	0	154	1	28,10,500	0	नहीं
67	मंडला	माली मोहगांव से खापा कला सड़क	14,007	16,138	0	0	15	0	154	1	3,28,174	0	नहीं
68		नारायणगंज देवरी मुकास सड़क	11,053	5,231	0	0	-53		54		-3,14,388	-3,14,388	हाँ

मिट्टी कार्य में कमी	- 10,06,10,067	खुदाई में कमी	- 1,80,21,494
मिट्टी कार्य में बढ़ोतरी	13,53,58,065	खुदाई में बढ़ोतरी	31,27,573
योग	23,59,68,132	योग	2,11,49,067

परिशिष्ट 3.3

डब्ल्यूबीएम मद के स्थान पर मंहगे डब्ल्यूएमएम को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.1.2.3 पृष्ठ 84)

(राशि ₹ में) एवं (मात्रा घन मी. में)

क्र. सं.	सड़क का नाम	संभाग	डब्ल्यूएमएम मात्रा	डब्ल्यूएमएम दर	डब्ल्यूबीएम दर	दर का अंतर	अतिरिक्त व्यय
1	सिंगोली तिलिस्मा सड़क	नीमच	11,292	867	778	89	10,04,988
2	कुकडेश्वर-हनुमंतिया-बरखेड़ी सड़क		7,272	867	778	89	6,47,208
3	अथ्वाकला से टोकारा व्हया सेहना तलाई सड़क		11,074	1,330	1,072	258	28,57,092
4	सर्वानियामहाराज से मैलानखेदा सड़क		3,108	867	778	89	2,76,612
5	जनापाव पहुँच मार्ग	इंदौर-1	1,458	867	778	89	1,29,762
6	बिजालपुर-निहारपुरमुन्दी-मोरादा-खंडवा सड़क		6,591	1,330	1,072	258	17,00,478
7	खेमना अन्काया-गोगाखेड़ी सड़क		4,285	867	778	89	3,81,365
8	ओल्ड एबी सड़क से बाई सड़क		3,308	1,330	1,072	258	8,53,464
9	महू-भगोरा-कलाकुंद सड़क का निर्माण		1,865	867	778	89	1,65,985
10	कम्पेल उंडेल सेमलिया कराडिया खंडेल सड़क		9,475	867	778	89	8,43,275
11	कोदरिया चौरादिया से पातालपानी आशापुरा सड़क	विदिशा	15,837	1,330	1,072	258	40,85,946
12	दावपुर मुगालसराए सड़क		13,755	1,261	1,072	189	25,99,695
13	जावती निसोबारी नैन्वास से मोहनपुर सड़क		6,173	867	778	89	5,49,397
14	फुफनेर-निलोचन वर्धा-मानिया-बेरखेड़ा		21,152	1,330	1,072	258	54,57,216
15	लशकरपुर पहुँच सड़क और पूरानापुरा सड़क से अहमदपुर सड़क		6,041	1,330	1,072	258	15,58,578
16	सिद्दीकगंज से इल्लाई देहमत सड़क	सीहोर	3,800	1,330	1,072	258	9,80,400
17	लसूडिया परिहार से बिजलोन सड़क		3,846	1,330	1,072	258	9,92,268
18	सिलोधा चांदपुर मुदरी सड़क	सागर	4,219	867	778	89	3,75,491
19	गढ़ाकोटा बाईपास सड़क (गढ़ाकोटा टाउन सड़क)		2,082	1,330	1,072	258	5,37,156
20	चनाटोरिया से करारपुर सड़क का निर्माण		7,800	1,330	1,072	258	20,12,400
21	खुरई राजवंश सड़क (मद दर)		19,463	750	715	35	6,81,205
22	बीना-बराहा-रीचाई सड़क		6,253	867	778	89	5,56,517
23	सागर टाउन में एन. एच-26 सड़क		2,622	1,330	1,072	258	6,76,476
24	देवरी-सरैवान सड़क		1,533	1,330	1,072	258	3,95,514
25	बक्सवाहा-नैनागीर-दलपतपुर सड़क		15,422	1,330	1,072	258	39,78,876
26	टाउन सड़क रेहली		7,783	1,330	1,072	258	20,08,014
27	हिनोती भूरी बंदायू सड़क		5,760	1,330	1,072	258	14,86,080
28	दमोह टाउन जेल से रेस्ट हाउस	दमोह	1,174	1,330	1,072	258	3,02,892
29	दमोह जमुनिया बल्कोट सड़क		2,412	1,330	1,072	258	6,22,296
30	दमोह तीन गुल्ली से इम्लई बाईपास		6,286	1,330	1,072	258	16,21,788
31	दमोह ओवरब्रिज से मुक्तिधाम		3,688	1,330	1,072	258	9,51,504
32	हटा (चान्दजी मंदिर) से भदौरी पहुँच मार्ग		2,975	1,330	1,072	258	7,67,550
33	हटा मानुपरा कलकुआ रनेह सड़क		6,580	1,330	1,072	258	16,97,640
34	साखा-पटना सड़क		4,400	867	778	89	3,91,600
35	पटाहरिया किन्द्रोह जेरठ सड़क		27,537	1,330	1,072	258	71,04,546
36	पथरिया केरबना सड़क		20,581	867	778	89	18,31,709
37	खैरी गोंडितोला सवरी सड़क		बालाघाट	4,899	867	778	89
38	बालाघाट सिटी की आंतरिक सड़क	5,808		867	778	89	5,16,912
39	करोद से परसोदा सड़क	गुना	5,071	867	778	89	4,51,319

क्र. सं.	सड़क का नाम	संभाग	डब्ल्यूएमएम मात्रा	डब्ल्यूएमएम दर	डब्ल्यूबीएम दर	दर का अंतर	अतिरिक्त व्यय
40	नैन्सुहाया से होते हुए खेजारा से करोद सड़क		6,385	867	778	89	5,68,265
41	गुना सिरसी सोन्खारा से गडला उजरी		4,968	823	778	45	2,23,560
42	कनेरा से होते हुए मुइरा से खेजरा वीराखेड़ी		7,170	1,330	1,072	258	18,49,860
43	बंसखेड़ी से होते हुए मर्किमऊ से चंदेरा		5,634	1,330	1,072	258	14,53,572
44	सिरसी से सरेठा सड़क		9,449	867	778	89	8,40,961
45	लहर्या से जटेरी सड़क		3,137	1,330	1,072	258	8,09,346
46	भुराचक से धनोरिया व्हया उक्वादखुर्द सड़क		4,031	867	778	89	3,58,759
47	बेरखेड़ा मुरादपुर सड़क से धर्नावाड़ा		4,565	1,330	1,072	258	11,77,770
48	अमरोद से नोनेरा सड़क		5,352	1,330	1,072	258	13,80,816
49	कुम्भराज से रामटेकरी सड़क		8,221	867	778	89	7,31,669
50	गनजीओ-फूल-खेरा-केयोटी सड़क		24,890	1,330	1,072	258	64,21,620
51	हरई प्रतापगढ़ पहुँच मार्ग		2,180	867	778	89	1,94,020
52	दर्शन कॉलेज और चौरी पहुँच मार्ग		7,803	1,330	1,072	258	20,13,174
53	दिहिया मेन रोड से शुकुल्गांव सड़क		3,009	867	778	89	2,67,801
54	बिचरहटा पहुँच मार्ग का उन्नयन		1,126	867	778	89	1,00,214
55	डिहिया टीकर (शिवपुरी) सड़क		3,866	1,330	1,072	258	9,97,428
56	लौर (एन.एच-7) आंटी भोलारा सड़क		3,540	1,330	1,072	258	9,13,320
57	मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क		5,857	867	778	89	5,21,273
58	चोरहटा खैरा खोखम रौसर सड़क		5,382	1,330	1,072	258	13,88,556
59	निपानिया तामारा सड़क		8,919	1,330	1,072	258	23,01,102
60	रीवा सिरमौर सड़क से गार्गिन से राजगढ़	6,304	867	778	89	5,61,056	
61	पड़रा गड़वा सड़क	1,473	1,330	1,072	258	3,80,034	
62	रिजोदा से डोंगर सड़क	अशोक नगर	9,045	1,330	1,072	258	23,33,610
63	वाजिदपुरा से पनवारी हाट सड़क	11,897	867	778	89	10,58,833	
64	गोसारी से मिर्गाती सड़क	9,187	1,330	1,072	258	23,70,246	
65	रामपुर चोरमारी देवानोव दांडी टोला गजन	10,137	867	778	89	9,02,193	
66	कोनिया से पिपरी सड़क	3,929	1,330	1,072	258	10,13,682	
67	लालचाहा मादा उज्जेही खमरेही से हरदुआ सड़क	11,513	867	778	89	10,24,657	
68	कोटार टिकरी सड़क से अकौना सड़क	6,592	867	778	89	5,86,688	
69	मडवार-अमिलिया आशाराम सड़क	8,331	1,330	1,072	258	21,49,398	
70	सतना से भर्जुना व्हया टिकुरी शिवपुरवा सड़क	6,347	1,330	1,072	258	16,37,526	
71	जसो बडेरा कलावल सड़क	3,827	1,330	1,072	258	9,87,366	
72	बेहरा से करौंदी सड़क	5,294	867	778	89	4,71,166	
73	हरदुआ बचबई छेन्दा राजर्वारा उमराहाट	7,810	867	778	89	6,95,090	
74	पौंडी गराडा से कोनिया भरहुत सड़क	4,869	867	778	89	4,33,341	
75	झुरखुल से रंगोली सड़क	2,123	1,330	1,072	258	5,47,734	
76	रैवाड़ा-जेनवारा-घटेरी-पौंडी सड़क	5,103	1,330	1,072	258	13,16,574	
77	बम्हनी ढेंको सड़का	3,616	1,330	1,072	258	9,32,928	
78	माली मोहगांव से खापा कला सड़क	2,090	1,330	1,072	258	5,39,220	
79	मेहगांव पहुँच मार्ग	791	1,557	1,253	304	2,40,464	
80	सिवनी सड़क से पीपरदोन सड़क	4,017	1,330	1,072	258	10,36,386	
81	करेगाँव पटाडाह कोहकाटोला चीचगाँव जामगाँव घटेरी सड़क	11,163	867	778	89	9,93,507	
कुल							10,12,12,010

परिशिष्ट 3.4

प्राककलनों में भूमि अधिग्रहण एवं वन अनापत्ति के अपर्याप्त प्रावधान के कारण विलंब एवं अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.1.2.4, 3.1.2.5, पृष्ठ 84)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	नियत पूर्णता दिनांक	जून 16 में कार्य कि स्थिति	विलंब (माह में)	विलंब का कारण	अतिरिक्त व्यय	कार्य की पीएसी	अद्यतन स्थिति
1	इंदौर-1	महू-भगोरा-कलाकुंद सड़क	10.08.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	23	वन अनापत्ति		988.37	558.20
2	सीहोर	गडिया से होते हुए बिलकिसगंज (पानी की टंकी)	29.04.13	30.12.14 (पूर्ण)	8	वन अनापत्ति		488.94	
3		बंडाबरा करबना सड़क	18.10.14	17.06.15 (पूर्ण)	8	वन अनापत्ति		1,386.44	
4		बरखेड़ी मोहाली तिसिया सड़क	12.09.10	31.03.16 (प्रगतिरत)	68	वन अनापत्ति		301.61	180.20
5		बक्सवाहा-नैनागीर-दलपतपुर सड़क	18.01.15	31.03.15 (पूर्ण)	2	वन अनापत्ति		1,086.77	
6	सागर	बंडा-बरेठा-गिरार सड़क	18.01.15	30.06.15 (पूर्ण)	5	वन अनापत्ति		2,663.13	
7		एन एच-26 से देवरी सड़क	28.02.10	30.06.14 (पूर्ण)	18	भूमि विवाद		402.37	
8		सेमरा-भोहार-परसौरिया	27.12.07	27.06.14 (पूर्ण)	79	भूमि विवाद		297.61	
9		राजपुरा चौरिया शाहगढ़ सड़क	15.06.10	02.02.13 (पूर्ण)	6	वन अनापत्ति		657.89	
10		महगुवा कूवाखोह सड़क	08.12.12	15.06.13 (पूर्ण)	2	वन अनापत्ति		446.09	
11	दमोह	हटा (चान्दजी मन्दिर) से भदौरी पहुंच मार्ग	14.09.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	21	वन अनापत्ति		250.22	161.23
12		बंडा-इमलिया-महेबा-रशिलपुर सड़क	27.05.10	31.03.14 (पूर्ण)	17	निजी भूमि	13.11	591.42	
13		हथनी इमलिया ज्ञापन सड़क	17.06.14	31.05.14 (पूर्ण)	विलंब नहीं	निजी भूमि	35.20	2,861.98	

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	नियत पूर्णता दिनांक	जून 16 में कार्य कि स्थिति	विलंब (माह में)	विलंब का कारण	अतिरिक्त व्यय	कार्य की पीएसी	अद्यतन स्थिति
14	बलाघाट	बालाघाट शहर की आंतरिक सड़क	29.03.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	27	भूमि अधिग्रहण	200	956.52	596.27
15	गुना	बरखेड़ी मुरादपुर सड़क से धर्नावाड़ा सड़क	02.05.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	26	भूमि अधिग्रहण		577.54	293.46
16		अनासाद से निहालदेवी सड़क	08.12.11	31.03.16 (प्रगतिरत)	54	वन अनापत्ति	612.61	2,095.40	429.63
17		हरई प्रतापसिंह पहुँच मार्ग	03.06.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	27	वन अनापत्ति		386.68	266.65
18		पडरा गडवा सड़क	29.01.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	29	भूमि विवाद		131.6	114.76
19		रीवा सिरमौर सड़क से गार्गिन टोला से राजगढ़ सड़क	22.10.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	30	भूमि अधिग्रहण	54.97	494.81	268.24
20	अशोकनगर	चन्देरी से बूढी चंदेरी सड़क	29.07.13	29.07.14 (पूर्ण)	8	वन अनापत्ति		107.94	
21		खमारिया से होते हुए धोरहरा से राउंड सड़क	11.11.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	32	निजी भूमि		499.71	166.57
22		दुरेहा कपूरी लोहादर कोटा बमुरहिया मादाटोला गंगवारिया धरमपुरा	23.10.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	33	निजी भूमि		4,177.40	2,935.78
23		पकोरी खदोरी इत्मा बंधी मसन्हा उमरहाट	23.10.13	31.03.16 (प्रगतिरत)	33	निजी भूमि		835.76	577.09
24		करिमाती भाकुल बाबा सड़क	28.07.11	31.03.16 (प्रगतिरत)	59	वन भूमि		85.85	28.12
25		कोरदारनाथ कुल्हारिया भाकुल बाबा सड़क	28.07.11	31.03.16 (प्रगतिरत)	59	वन भूमि		119.62	41.65
26		बम्हनी कोठी सड़क	20.12.10	31.03.16 (प्रगतिरत)	66	वन भूमि		85.8	67.87
27	मंडला	घुगरी चाबी सड़क	15.01.15	30.06.15 (पूर्ण)	5	वन भूमि		1,324.97	
योग							915.89		6,685.72

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	नियत पूर्णता दिनांक	जून 16 में कार्य की स्थिति	विलंब (माह में)	विलंब का कारण	अतिरिक्त व्यय	कार्य की पीएसी	अद्यतन स्थिति
प्राक्कलनों में यूपिलिटी स्थानांतरण के अपर्याप्त प्रावधान के कारण विलंब एवं अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक									
1		खमना अन्काया-गोगाखेड़ी सड़क	05.04.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	11	खम्भों का स्थानांतरण		518.57	488.99
2	इंदौर-1	कम्प्ले उडेल सेमलिया कराडिया खंडेल सड़क	05.07.14	30.06.15 (पूर्ण)	6	खम्भों का स्थानांतरण		837.99	
3		चनाटोरिया से करारपुर सड़क	12.09.16	17.08.15 (पूर्ण)	विलंब नहीं	खम्भों का स्थानांतरण	13.65	715.27	
4	सागर	टाउन सड़क रेहली सड़क	11.12.14	10.07.14 (पूर्ण)	विलंब नहीं	खम्भों का स्थानांतरण	48.49	554.77	
5		बदरी बडाबरा करबना सड़क	08.04.14	30.06.15 (पूर्ण)	10	खम्भों का स्थानांतरण		3,277.60	
6	बालाघाट	बालाघाट शहर की आंतरिक सड़के	29.03.14	31.03.16 (प्रगतिरत)	27	खम्भों का स्थानांतरण	18.24	956.52	596.27
7		एन. एच.-7 के किमी 229/8 से 231/6 और 239/4 से 242/2 सड़क का चौड़ीकरण	10.01.15	31.03.16 (प्रगतिरत)	18	इलेक्ट्रिक खम्भें, विद्युतीकरण, जल पाइप लाइन का स्थानांतरण	446.08	1,146.47	1,166.37
8	रीवा	निपानिया तामारा सड़क	10.01.15	31.03.16 (प्रगतिरत)	18	खम्भों का स्थानांतरण, पाइप लाइन का स्थानांतरण	167.7	843.84	644.2
9	अशोकनगर	शाडोरा वजिदपुरा सड़क	29.07.13	10.03.15 (पूर्ण)	6	खम्भों का स्थानांतरण	17.19	342.46	
10	मंडला	धुगरी चाबी सड़क	15.01.15	30.06.15 (पूर्ण)	5	खम्भों का स्थानांतरण	2.3	1,324.97	
						योग	713.65		2,895.83

परिशिष्ट 3.5

मूल प्राक्कलनों में सड़क फर्नीचर के मद को सम्मिलित नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.1.2.6 पृष्ठ 88)

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	किलोमीटर (कि.मी.) पथर	राशि	रेट्रो रेफ्लेक्टोरी साइन बोर्ड	राशि	दिशा एवं स्थान सूचक बोर्ड	राशि	(राशि ₹ में)
1	नीमच	पिराना से जीरान	साधारण किलोमीटर पथर 03 संख्या हेक्टोमीटर 11 संख्या	5,376	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 04 संख्या	11,088	प्रावधान नहीं एवं क्रियान्वयन नहीं		
2	इंदौर-1	बगोदा मेमडी से सिमरोल	साधारण किलोमीटर पथर 05 संख्या हेक्टोमीटर 16 संख्या	8,945	80 X 60 से.मी. वर्गाकार 02 संख्या 60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	5,544	4.32 वर्ग मीटर	60,856	
3	विदिशा	मदिपुर नदौर अम्बर नौलास	पाँचवा किलोमीटर पथर 02 संख्या	4,054	60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या 80X60 से.मी. आयताकार संख्या	7,080			
4	सागर	बंडाबरा केरबना	पाँचवा किलोमीटर पथर 06 संख्या	17,784	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 15 संख्या 60 से.मी. वर्गाकार 15 संख्या 60 X 45 से. मी. आयताकार 18 संख्या	32,790	4 संख्या	29,348	
5	रीवा	मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क का उन्नयन	पाँचवा किलोमीटर पथर 01 संख्या	2,027	60 X 60 से.मी. वर्गाकार 20 संख्या 90 से.मी. ऊँचा अष्टभुज	67,960			
6		एन. एच.-7 के किमी 229/8 से 231/6 और 239/4 से 242/2	साधारण किलोमीटर पथर 23 संख्या हेक्टोमीटर 108 संख्या	41,147	80 X 60 से.मी. आयताकार 03 संख्या	3,15,060	4.5 वर्ग मी. 5 संख्या	40,370	
			साधारण किलोमीटर पथर 06 संख्या	57,240	80 से.मी. त्रिभुज	14,196			
			हेक्टोमीटर 59 संख्या	20532					
					80 X 60 से.मी. आयताकार 30 संख्या 60 X 45 से.मी. आयताकार 20 संख्या	1,41,960			
						69,240			

सड़क का चौड़ीकरण	उपरी सूचना पटल	राशि	राशि	दिशा एवं स्थान सूचक बोर्ड	राशि	राशि
7	मड़वार-अमिलिया आशाराम सड़क	पौचवा किलोमीटर पत्थर 04 संख्या	7,392	रेट्रो रेफ्लेक्टोरी साइन बोर्ड	33,264	12.96 वर्ग.मी.
8	पटना महतैन बरौंडा म्यान की घाटी सड़क	साधारण किलोमीटर पत्थर 20 संख्या हेक्टोमीटर 100 संख्या	22,100 34,400	रेट्रो रेफ्लेक्टोरी साइन बोर्ड	38,940 42,588	12.96 वर्ग.मी.
		योग	2,42,657		75,01,757	
		महायोग				
						61,82,574
						1,39,26,968

मूल प्राकवलनों में सड़क फर्नीचर के मदों के प्रावधानित होने पर भी क्रियान्वित नहीं किये जाने को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

सं. क्र.	संभाग	सड़क का नाम	किलोमीटर (कि मी) पत्थर	राशि	रेट्रो रेफ्लेक्टोरी साइन बोर्ड	राशि	दिशा एवं स्थान सूचक बोर्ड	राशि
1	इंदौर-1	कोदरिया चौरादिया से पातालपानी आशापुरा सड़क	पौचवा किलोमीटर पत्थर 03 संख्या साधारण किमी पत्थर 13 संख्या हेक्टोमीटर 64 संख्या	8,892 23,257 33,920	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 12 संख्या 60 से.मी. वृत्ताकार 11 संख्या 80 X 60 से.मी. आयातकार 09 संख्या	33,264 38,940 42,588	12.96 वर्ग.मी.	1,82,568
2	सीहोर	सीहोर नरसिंहगढ़			90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 15 संख्या 80X60 से.मी. आयातकार 15 संख्या	51,240 33,630	13.5 वर्ग. मी.	1,01,115
3	सीहोर	लसूडिया परिहार से बिजलोन	पौचवा किलोमीटर पत्थर 01 संख्या हेक्टोमीटर 5 संख्या	2,964 3,250	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 06 संख्या 80 X 60 से.मी. आयातकार 04 संख्या	13,116 16,444		
4		बिलकिसगंज (पानी की टंकी) से बमालाढ़			60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 06 संख्या 80 X 60 से.मी. आयातकार 04 संख्या	19,674 12,333		
5	सागर	गढाकोटा बाईपास सड़क	साधारण किमी पत्थर 2 संख्या हेक्टोमीटर 3 संख्या	3,578 1,590	80 X 60 से.मी. आयातकार 04 संख्या 60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 05 संख्या	18,928 13,860	5.4 संख्या मेटल बीम बैरियर	76,070 21,61,500

6		मानगढ़-शाहपुर-मुर्गा-धुरा	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 06 संख्या	4,054				
			साधारण किमी पत्थर 23 संख्या	11,250				
			हेक्टोमीटर 108 संख्या	14,616				
7		सीहोरा-लोटना-लोटनी-रामचयार-नरायावली सड़क	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 04 संख्या	7,392	80 X 60 से.मी. आयातकार 15 संख्या	63,840		
			हेक्टोमीटर 68 संख्या	23,392				
8	इंदौर-1	कम्पेल उडेल सेमलिया कराड़िया खडेल			60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 06 संख्या	13,116		
					60 से.मी. वृत्ताकार 04 संख्या	11,764		
					90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	6,678		
					60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	2,186		
					60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या	2,941		
9	विदिशा	गुरोद-पिपलधार			80 X 60 से.मी. आयातकार 02 संख्या	8,222		
					90 से.मी. उच्च अष्टभुज	10,502		
			पाँचवा किलोमीटर पत्थर 04 संख्या	8,108	90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 84 संख्या	2,80,476		
			साधारण किमी पत्थर 17 संख्या	20,825	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 38 संख्या	83,068		
			हेक्टोमीटर 88 संख्या	30,624	60 से.मी. वृत्ताकार 20 संख्या.	58,820		
10	विदिशा	गुरोद-पिपलधार			80 X 60 से.मी. आयातकार 138 संख्या	5,67,318		
					80 X 45 से.मी. आयातकार 02 संख्या	5,728		
					60 X 60 से.मी. वर्गाकार 01 संख्या	3,398		
					90 से.मी. उच्च अष्टभुज	5,251		
11	सागर	खुरई राजवंष					4 x 0.9 x 0.6 = 2.16 वर्ग मी.	16,178
							2 x 1.2 x 0.9 = 2.16 वर्ग मी.	27,940
12	सागर	घाटमपुर-खांड-पिपरई-दुधोनिया	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 01 संख्या	2,027	प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं		प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं	
			हेक्टोमीटर 25 संख्या	8,700				
13		भैंसवाही-चन्द्रपुरा-बैलैमाफी	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 02 संख्या	4,045	प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं		प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं	

संख्या	सागर	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	क्रियान्वयन नहीं	क्रियान्वयन नहीं
14	बालघाट	हेक्टोमीटर 10 संख्या	3,480					
		पाँचवा किलोमीटर पत्थर 01 संख्या	2,027	90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 20 संख्या	66,780	प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं		
		हेक्टोमीटर 02 संख्या	696	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 01 संख्या	2,186			
				60 से.मी. वृत्ताकार 10 संख्या	29,410			
15	बाटामारा खारा चिचगांव			80 X 60 से.मी. आयातकार 04 संख्या	16,444			
				90 से.मी. उच्च अष्टभुज	10,502			
			14,820	प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं		प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं		
			25,058	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 70 संख्या	1,94,040	20.52 वर्ग मी. 38 संख्या	1,65,678	
16	अशोकनगर	प्राप्तपुरा (मुण्डपुर) से राजघाट सड़क संख्या	40,810	80 X 60 से.मी. आयातकार 38 संख्या	1,79,816	17.28 वर्ग मी. 8 संख्या	2,43,423	
		ईसागढ़-कदवाया सड़क से देवकानी माता मंदिर सड़क		60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 06 संख्या	13,116	2.16 वर्ग मी. 4 संख्या	15,848	
				80X60 60 से.मी. आयातकार 12 संख्या	49,332	4.32 वर्ग मी. 02 संख्या	54,726	
			2,027	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 08 संख्या	17,488	4.32 वर्ग मी. 02 संख्या	54,725	
17	कोटार माहुती मझगांव सड़क	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 01 संख्या	1,225	60 से.मी. वृत्ताकार 08 संख्या	23,528			
		साधारण किलोमीटर पत्थर 10 संख्या						
		हेक्टोमीटर 41 संख्या	348	80 X 60 से.मी. आयातकार 08 संख्या	32,888			
				60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	5,544	4.32 वर्ग मी. 2 संख्या	60,855	
18	गोसारी से मिर्गाता सड़क			60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या	7,280			
			4,054	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 15 संख्या	32,790	8.64 वर्ग मी. 4 संख्या	1,09,452	
			12,250	60 से.मी. वृत्ताकार 15 संख्या	44,115			
			14,268					
19	रामपुर चोरमारी देवनोद दांडी टोला गजन सड़क	साधारण किलोमीटर पत्थर 10 संख्या	6,081	90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	6,678	3.6 वर्ग मी. 4 संख्या	26,413	
		हेक्टोमीटर 41 संख्या		60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	5,544			
				60 से.मी. वृत्ताकार 01 संख्या	2,941			
				90 से.मी. उच्च अष्टभुज 01 संख्या	5,251			
20	लालचाहा मादा उज्जेही खमरेही से हरदुआ सड़क	पाँचवा किलोमीटर पत्थर 03 संख्या						

21	कोटार टिकरी सड़क से अकौना सड़क				60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 04 संख्या	8,744	4.32 वर्ग मी. 02 संख्या	54,725
22	जसो बड़ेरा कलावल सड़क				60 से.मी. वृत्ताकार 04 संख्या	11,764		
					80 मी.मी. X 60 मी.मी. आयातकार 02 संख्या	9,464	2.2 वर्ग मी. 02 संख्या	30,428
23	बहेरा से करौंदी सड़क				90 से.मी. समबाहु त्रिभुज 03 संख्या	10,017	1.8 वर्ग मी. 02 संख्या	13,207
					60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	4,372	1.5 वर्ग मी. 01 संख्या	19,002
					60 से.मी. वृत्ताकार 04 संख्या	11,764		
					80 मी.मी. X 60 मी.मी. आयातकार 05 संख्या	20,555		
					80 मी.मी. X 45 मी.मी. आयातकार 03 संख्या	8,592		
					60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 04 संख्या	8,744	4.32 वर्ग मी. 02 संख्या	
24	हरदुआ बचबई छेन्दा राजवारा उमराहट सड़क			4,054	60 से.मी. वृत्ताकार 04 संख्या	11,764		54,725
				12,250	60 से.मी. वृत्ताकार 04 संख्या			
				16,704				
25	बिरसिंहपुर से चकरा सड़क				60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	4,372	2.16	27,363
					60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या	5,882		
26	बड़ेरा अजमाइन			2,027	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	4,372	4.32 वर्ग मी.	54,725
				696	60 से.मी. वृत्ताकार 02 संख्या	5,882		
				2,964	60 से.मी. समबाहु त्रिभुज 02 संख्या	28,320	4 संख्या	
27	रैवाड़ा-जेवनारा-घटेशी-पौंडी सड़क			1,590	60 से.मी. वृत्ताकार 08 संख्या	28,320		56,348
					80 से.मी. X 60 से.मी. आयातकार 28 संख्या	1,32,496		
28	बम्हनील ढेंको सड़क						6 संख्या	84,520
29	खमरिय रामनगर सड़क				80 से.मी. X 60 से.मी. आयातकार 03 संख्या	12,333	प्रावधान नहीं है एवं क्रियान्वयन नहीं	
					60 से.मी. X 45 से.मी. आयातकार 03 संख्या	8,592		
				योग	3,79,913	24,99,347		36,91,534
				महायोग				65,70,794

परिशिष्ट 3.6

महंगी विशिष्टियों का बिना इसकी आवश्यकता सुनिश्चित किये प्रावधान एवं क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.1 (1) पृष्ठ 89)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	विभाग द्वारा अपनाया गया						अपनाया जाना था			अतिरिक्त व्यय
			बीएम/डीएम की मात्रा (घन मी. में)	एडीबीसी की मात्रा (घन मी. में)	एडीबीसी की/बीसी की दर	बीएम/बीसी/एसडीबीसी की लागत	ओजीपीसी+सील कोट की मात्रा (वर्ग मी. में)	ओजीपीसी+सील कोट की दर	ओजीपीसी+सील कोट की लागत			
1	2	3	5	7	8	9=(5*7*8)	10	11	12=10*11	13		
1	इंदौर-1	जनापाव पहुँच मार्ग (व्ही आर)	526.34	263.19	6,500	41,46,637	10,527	108	1136916	30,09,721		
2		सिमरौल से उदयनगर (एमडीआर)	1,617.10	808.96	5,200	1,01,93,096	32,242	108	3482136	67,10,960		
3	सीहोर	इछावर खेरी सड़क (एमडीआर)	1,959.68	979.84	6,500	1,54,38,359	39,194	108	4232952	1,12,05,407		
4	विदिशा	गुरोद-पिपलधार सड़क (एमडीआर)	5,850.75	2,856.62	6,500	4,51,30,435	1,17,015	108	12637620	3,24,92,815		
5	सागर	खुरई राजवंश सड़क (एमडीआर)	3,840.21	1,925.38	4,900	2,47,95,217	76,804	96	7373184	1,74,22,033		
6	दमोह	दमोह जमुनिया बल्कोट (एमडीआर)	330	165.00	7,799	35,30,835	6,600	165	1089000	24,41,835		
7		हटा मानपुरा कलकुआ रनेह सड़क (व्ही आर)	399.70	199.85	7,799	36,73,443	7,994	165	1319010	23,54,433		
8	रीवा	मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क (व्ही आर)	1,171.41	585.70	6,500	1,06,22,313	23,428	135	3162780	74,59,533		
9		चोरहटा खैरा खोखम रौसर (व्ही आर)	1,020.81	510.41	7,799	93,81,793	40,782	165	6729030	26,52,763		
10		षाडोरा वजिदपुरा सड़क का मजबूतीकरण (व्ही आर)	1,358.58	679.29	6,500	1,07,02,893	27,171	135	3668085	70,34,808		
11	अशोक नगर	षाधोरा-नैसरई-मायना सड़क (एमडीआर)	731.25	365.62	7,799	67,20,514	14,625	165	2413125	43,07,389		
12		परसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क (व्ही आर)	1,446.14	723.05	7,799	1,32,90,594	28,923	165	4772295	85,18,299		
13		ईसागढ़-कदवाया सड़क (एमडीआर)	467.8	233.88	7,799	42,99,160	9,356	165	1543740	27,55,420		
14		भारोली पहुँच मार्ग (व्ही आर)	127.5	63.75	7,799	11,71,789	2,550	165	420750	7,51,039		
योग										10,91,16,468		

ओजीपीसी और सील कोट के प्रावधान एवं क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण जहाँ यातायात सर्वे नहीं किया गया था

क्र. स.	संभाग	कार्य का नाम जहाँ यातायात सर्वे नहीं किया गया था
1	विदिशा	बगरोद चौराहा से मसेर सड़क (व्ही आर)
2		पथरी से किसरखेड़ी बटियाबड़ा सड़क (व्ही आर)
3		बरखेड़ी मोहाली तिसिया सड़क (व्ही आर)
4		सेमरा-भोहार-परसौरिया (व्ही आर)
5	सागर	सिहोरा-लोटना-लोटानी-रामयचार-नरायावली सड़क (व्ही आर)
6		सलैया-खादेभन-रिचावर-सैखेदा सड़क (व्ही आर)
7	दमोह	साखा-पटना सड़क का मजबूतीकरण (व्ही आर)
8		बिरसा मररीटोला साखा सुकतारा सड़क का निर्माण (व्ही आर)
9	बालाघाट	कोपे-पुजारिटोला-नहारटोला सड़क (व्ही आर)
10	गुना	लहर्चा से जटरी सड़क का निर्माण (व्ही आर)
11	रीवा	पड़रा गड़वा सड़क (व्ही आर)
12	मंडला	माली मोहगांव से खापा कला सड़क (व्ही आर)
13	सतना	पटना मैहतन बरौड़ा म्यान कि घाटी सड़क (व्ही आर)
14	अशोकनगर	चन्देरी से बूढ़ी चन्देरी सड़क (व्ही आर)
15	नीमच	पिराना से जोरान सड़क (व्ही आर)

परिशिष्ट 3.7
क्रस्ट के गलत संगणना के कारण मंहगी/निम्न विशिष्टियों को अपनाने वाला विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.1.3.1 (ii), पृष्ठ 90)

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	विभाग द्वारा लिए गए क्रस्ट के अवयव	विशिष्टि के अनुसार क्रस्ट के अवयव	विभाग द्वारा लिए गए क्रस्ट डिजाइन (एमएसएमें)/ सीबीआर	ली जाने वाली क्रस्ट डिजाइन (एमएसएमें)	क्रियान्वयित मद	मात्रा (घन मी.)	दर (₹ में)	क्रियान्वयित क्रिया जाना था	मात्रा (वर्ग मी.)	दर (₹ में)	अतिरिक्त व्यय (लाख में)
1	इंदौर-1	बेका-रसकुंदिया कुलथाना सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 164 वीडिएफ 3.5	सीवीपीडी 164 वीडिएफ 3.5	3(5)	6(5)	बीएम ओजीपीसी + सीलकोट			डीबीएम			
2			महू-भगोरा-कलाकुंद सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 208 वीडिएफ 1.5	सीवीपीडी 208 वीडिएफ 3.5	3(5)	7(5)	बीएम ओजीपीसी + सीलकोट			डीबीएम		
3	विदिशा	कररिया-षमषाबाद (एम.डी.आर)	सीवीपीडी 176 वीडिएफ 1.5	सीवीपीडी 176 वीडिएफ 1.5	5(5)	2(5)	बीएम एसडीबीसी	4832.6	6500	बीएम ओजीपीसी+ सीलकोट	193305.20	135	53.16
4			गंजबासौदा बरठ (उदैपुर सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 111 वीडिएफ 3.5	सीवीपीडी 111 वीडिएफ 1.5	4(5)	2(5)	बीएम एसडीबीसी	2426	6500	बीएम ओजीपीसी+ सीलकोट	97040.48	135
5	दमोह	पथरिया केरबना सड़क (एम.डी.आर)	सीवीपीडी 185 वीडिएफ 1.5	सीवीपीडी 185 वीडिएफ 3.5	3(5)	7(5)	बीएम एसडीबीसी			डीबीएम			
6			खेलार्गी घुबडगोडी सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 100 वीडिएफ 2.5	सीवीपीडी 176 वीडिएफ 3.5	1(5)	3(5)	ओजीपीसी + सीलकोट			बीएम ओजीपीसी+ सीलकोट		
7	बलाघाट	खैरी गोंडितला संवरी सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 100 वीडिएफ 2.5	सीवीपीडी 165 वीडिएफ 3.5	1(5)	3(5)	ओजीपीसी +			बीएम ओजीपीसी+ सीलकोट			

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	विभाग द्वारा लिए गए क्रस्ट के अवयव	विशिष्टि के अनुसार क्रस्ट के अवयव	विभाग द्वारा लिए गए क्रस्ट डिजाइन (एमएसए में) / सीबीआर	ली जाने वाली क्रस्ट डिजाइन (एमएसए में)	क्रियान्वयित त मद	मात्रा (घन मी.)	दर (₹ में)	क्रियान्वयित किया जाना था	मात्रा (वर्ग मी.)	दर (₹ में)	अतिरिक्त व्यय (लाख में)
							सीलकोट						
8		भारवेली भगोली अमेदा सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 100 वीडिएफ 2.5	सीवीपीडी 159 वीडिएफ 3.5	1(5)	3(5)	ओजीपीसी + सीलकोट			बीएम			
9		मकिमऊ से चंदेरा व्हया बसखेड़ी (व्ही.आर)	सीवीपीडी 258 वीडिएफ 2.5	सीवीपीडी 258 वीडिएफ 3.5	2(6)	3(6)	ओजीपीसी + सीलकोट			बीएम			
10	गुना	सिरसी से सरेठा सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 258 वीडिएफ 2.5	सीवीपीडी 258 वीडिएफ 3.5	2(6)	3(6)	ओजीपीसी + सीलकोट			बीएम			
11	रीवा	निपानिया तामारा सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 221 वीडिएफ 1.5	सीवीपीडी 221 वीडिएफ 3.5	3(5)	8(5)	बीएम एसडीबीसी			डीबीएम बीसी			
12	सतना	रामपुर चोरमारी देवनोद दांडी टोला गजन सड़क (व्ही.आर)	सीवीपीडी 159 वीडिएफ 1.5	सीवीपीडी 159 वीडिएफ 3.5	3(5)	6(5)	ओजीपीसी + सीलकोट			डीबीएम बीसी			
13	मंडला	नैनपुर सर्रा पथासिहोरा धुरवाडा सड़क (एम.डी.आर)	सीवीपीडी 151 वीडिएफ 1.5	सीवीपीडी 53 वीडिएफ 1.5	2(5)	1(5)	बीएम एसडीबीसी	3417.1	5654	ओजीपीसी+ सीलकोट	69033.12	118	217.84
								1710.7	8099	ओजीपीसी+ सीलकोट	69033.12	47	
											योग	297.69	

परिशिष्ट 3.8

क्रस्ट अवयव को गलत अपनाये जाने के कारण मंहंगी विशिष्टियों के प्रावधान एवं क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.1 (iii) पृष्ठ 90)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	यातायात संगणना एमएसए में (सीबीआर)	विभाग द्वारा अपनाया गया						अपनाया जाना था				अतिरिक्त लागत
				बीएम/ डीबीएम की मात्रा (घन मी में)	बीएम / डी बीएम की दर	एसडीबी सी मी मात्रा (घन मी में)	एसडी बीसी की दर	बीएम एवं डीबीएम की लागत	बीएम की मात्रा (घन मी. में)	बीएम की दर	ओजीपी सी+ सील कोट की मात्रा (वर्ग मी में)	ओजीपी सीसी + सील कोट की दर	ओजीपीसी एवं सील कोट की लागत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (5*6+7*8)	10	11	12	13	14=(10*11 +12*13)	15=9-14
1	नीमच	सिंगोली तिलिस्मा सड़क (एमडीआर)	2(5)	0	0	1,493.75	6,500	97,09,375			59,750	108	6453000	3256375
2		कुकडेश्वर-हनुमंतिया-बरखेड़ी सड़क (व्ही आर)	1(5)	199.12	4.628	103.43	6,500	15,93,822.40			3,982	135	537570	1056252
3		खेमना अन्काया-गोगाखेड़ी सड़क (व्ही आर)	3(5)	0	0	564.38	6,500	36,68,470	0	0	22,575	135	3047625	620845
4	इंदौर-1	ओल्ड एबी सड़क से बाई पास सड़क (व्ही आर)	3(5)			437.50	7,799	34,12,062.50			17,500	165	2887500	524563
5		कम्पेल उडेल सेमलिया कराडिया खंडेल (व्ही आर)	3(5)			947.58	6,500	61,59,257			37,903	135	5116905	1042352
6	विदिशा	दावपुर मुगालराए सड़क (एमडीआर)	1(5)	3,056.75	5,343	1,528.35	7,935	2,84,59,673			61,134	165	10087110	18372563
7	सागर	चनाटोरिया से करारपुर सड़क (व्ही आर)	3(5)			869.90	8,099	70,45,320.10			3,47,97.3	165	5741554.5	1303766
8		बडा-बरेठा-गिरार सड़क (व्ही आर)	1(5)	8,921.58	5.654	4,476.16	8,099	8,66,95,033			1,78,432	165	29441280	57253753
9	दमोह	पटाहरिया किन्दाह जेरठ सड़क (व्ही आर)	3(5)			2,751.91	7,799	2,14,62,146			1,10,076	165	18162540	3299606
10	बालाघाट	बिरसा से दमोह सड़क (व्ही आर)	2(5)	7,633.66	6,951	4,900.00	7,788	9,12,22,771	7,633.66	5291	1,52,673	165	65580740	25642031

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	यातायात संगणना एमएसए में (सीबीआर)	विभाग द्वारा अपनाया गया							अपनाया जाना था				अतिरिक्त लागत
				बीएम/डीबीएम की मात्रा (घन मी में)	बीएम/डीबीएम की दर	बीएम/डीबीएम की मात्रा (घन मी में)	एसडीबीसी की दर	बीएम एवं डीबीएम की लागत	बीएम की मात्रा (घन मी में)	बीएम की दर	ओजीपी सी+सील कोट की मात्रा (वर्ग मी में)	ओजीपीसी + सील कोट की दर	ओजीपीसी एवं सील कोट की लागत	14=(10*11+12*13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5*6+7*8)	10	11	12	13	14=(10*11+12*13)	15=9-14	
11		बालाघाट से दमोह सड़क (व्ही. आर)	2(5)	1,887.29	4,628	943.65	6,500	1,48,68,103	1,875.00	3598	37,746	118	11200278	3667825	
12	बालाघाट	बालाघाट-बेनी (रिंगटोला-चंगरा-बेनी) सड़क (व्ही. आर)	1(7)	582.18	4,628	291.09	6,500	45,86,414			11,643	135	1571805	3014609.04	
13		बालाघाट शहर की आंतरिक सड़क (ओडीआर)	1(5)	768.79	5,291	384.40	7,799	70,65,564.50			15,375	165	2536875	4528689	
14	गुना	भौरा मीनापुर बमोरी विशंवाड़ा (एमडीआर)	1(5)	4,472.90	3,860	2,227.68	5,513	2,95,46,594			89,458.7	96	8588035	20958558.80	
15	सागर	बंदाबरा करबना सड़क (एमडीआर)	1(5)	7,284.64	5,955			4,33,80,013	0	0			0	43380013	
16		बंदरी बंदाबरा करबना सड़क (व्ही. आर)	1(5)	2,441.29	4,629			1,13,00,731	0	0			0	11300731	
17		प्रानपुरा (मुरादपुर) से राजघाट सड़क (एमडीआर)	3(5)			2,224.75	7,935	1,76,53,391			98,740	165	16292100	1361291	
18	अशोक नगर	अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर छिपौन सड़क (व्ही. आर)	2(5)			3,223.95	8,529	2,74,97,070			1,33,940	135	18081900	9415170	
19		कदवाया से मामोन सड़क (व्ही.आर)	2(5)			1,881.04	5,651	1,06,29,757			75,241	108	8126028	2503729	
20	मंडला	खमरिया रामनगर सड़क (व्ही. आर)	2(5)			324.57	8,099	26,28,700.50			12,983	165	2142195	486506	
												योग	212989227.84		

परिशिष्ट 3.9

क्रस्ट अवयव को गलत अपनाए जाने के कारण निम्न विशिष्टियों के प्रावधान एवं क्रियान्वयन दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.1 (iii) पृष्ठ 90)

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	यातायात संगणना की गयी (एमएसए) में	मिट्टी का सीबीआर	विभाग द्वारा अपनाया गया		(राशि ₹ में)
					विभाग द्वारा अपनाया गया	अपनाया जाना था	
1	इंदौर-1	कोदरिया चौरादिया से पातालपानी आशापुरा सड़क (व्हीआर)	5	5	बीएम/एसडीबीसी	डीबीएम/एसडीबीसी	
2	सीहोर	सीहोर नरसिंहगढ़ सड़क (एमडीआर)	6	5	बीएम/एसडीबीसी	डीबीएम/बीसी	
3	बालाघाट	कान्हड़गाँव-विचगाँव सड़क (व्हीआर)	2	4	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
4		बरखेड़ी मुरादपुर सड़क से धानवाड़ा क्वया पापावन आमखेड़ा सड़क (व्हीआर)	2	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
5	गुना	खेजारा से करोद क्वया नैन्सुहाया सड़क (व्हीआर)	2	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
6		गुना उमरी सिरसी सोन्धारा से गडला उजरी (व्हीआर)	3	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
7		भुराचक से धनौरिया क्वया उक्वादखुर्द सड़क (व्हीआर)	2	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
8		अमरोद से नोनरा सड़क (व्हीआर)	2	6	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
9		गनजीओ-फूल-खेरा-कैयोटी सड़क	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
10		लालगांव सुदर्शन कॉलेज और चौरी पहुँच मार्ग	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
11		दिहिया मेन रोड से शुकुलगांव सड़क (व्हीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
12	रीवा	बिचरहटा पहुँच मार्ग का उन्नयन (एमडीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
13		डिहिया टीकर (शिवपुरी) सड़क (व्हीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
14		लौर (एनएच-7) आंटी भोलारा सड़क (व्हीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	
15		एन.एच.-7 के किमी 229/8 से 231/6 और 239/4 से 242/2 सड़क (एनएच)	7	5	बीएम/एसडीबीसी	डीबीएम/बीसी	
16	मंडला	घुगरी चाबी सड़क (एमडीआर)	2	5	ओजीपीसी सील कोट के साथ	बीएम/ओजीपीसी	

परिशिष्ट 3.10

जीएसबी के अधिक मोटाई के प्रावधान एवं क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.2, पृष्ठ 90)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	विभाग द्वारा क्रस्ट डिजाईन (एमएसए में)/ सीबीआर (प्रतिशत में)	क्रस्ट डिजाईन किया जाना था (एमएसए)	विभाग द्वारा जीएसबी/सीआरएम की मोटाई ली गई (मीमी में)	जीएसबी/सीआरएम की मोटाई ली जानी थी (मीमी में)	अतिरिक्त मोटाई (मीमी में)	सड़क की लम्बाई (मीमी में)	सड़क की चौड़ाई (मीमी में)	दर	अतिरिक्त व्यय
1	नीमच	भदवामाता पिपलिया रावजी अल्देह से मनासा	1/5	1	265	205	60	3,171.50	3.75	599	4,27,439
2			1/5	1	265	205	60	2,260	3.00	599	2,43,673
3		समाबाग जिन्दा फोरलेन	3/5	2	250	215	35	4,850	5.50	1293	12,07,177
4		बडाबरा करबना	1/5	1	250	205	45	27,000	5.5	599	40,02,818
5	सागर	सिलोधा चांदपुर मुदरी	2/5	2	250	215	35	6,160	3.75	685	5,53,823
6		बक्सवाहा-नैनागीर-दलपतपुर	2/5	2	250	215	35	13,200	5.5	931	23,65,671
7	दमोह	गोसाबाद अदांवारा वलेह भैंसा रनेह	1/5	1	300	205	95	21,530	3.75	519	39,80,762
8	बालाघाट	बालाघाट सिटी की आंतरिक सड़के	1/5	1	300	205	95	2,800	5.00	819	10,89,270
9		लालगांव सुदर्शन कॉलेज	1/5	1	300	205	95	3,185	5.5	819	13,62,949
10	रीवा	डिहिया टीकर (शिवपुरी)	2/5	2	250	215	35	8,400	3.75	903	9,95,558
11		लौर (एन.एच.-7) आटी भोलारा	2/5	2	250	215	35	9,162	3.75	903	10,85,869
12	सतना	बहेरा से करौंदी सड़क	2/5	2	250	215	35	3,776	3.75	903	4,47,527
			1/5	1	255	205	50	5,800	4.05	685	8,04,533
योग 1,85,67,069											

परिशिष्ट 3.11

हार्डशोल्लर का क्रियान्वयन नहीं करने अथवा कम मोटाई में क्रियाचित करने के कारण शोल्लर के नीचे ड्रेनेज परत पर अवांछित ब्यय दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.3.3, पृष्ठ 91)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	ड्रेनेज परत कि मोटाई (मीमी में)	ड्रेनेज परत के ऊपर क्रस्ट की मोटाई (मीमी में)	ड्रेनेज परत के उपर हार्ड शोल्लर की मोटाई (मीमी में)	सड़क की लम्बाई (मीमी में)	शोल्लर के नीचे ड्रेनेज परत की चौड़ाई (मी. में)	ड्रेनेज परत की मोटाई (मी. में)	ड्रेनेज परत की दर	ड्रेनेज परत पर निष्कल ब्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 7*8*9*10
1		दिहिया मेन रोड से शुकुलगाँव सड़क	150	370	150	3,000	5.55	0.15	685	17,10,788
2	रीवा	मझियार पथरी पडरी सिरमौर सड़क	150	325	200	5,796	5.35	0.15	685	31,86,134
3		चोरहटा खैरा खोखम रौसर	100	425	175	5,360	5.65	0.1	903	27,34,645
4		करोद से परसोदा सड़क	100	370	0	5,340	5.35	0.1	719	20,54,111
5		नैन्सुहाया से होते हुए खेजारा से करोद सड़क	100	320	0	7,180	5.3	0.1	719	27,36,083
6		कनैरा वीराखेडी से होते हुए मुड़रा से खेजारा सड़क	100	370	150	7,760	5.25	0.1	903	36,78,822
7	गुना	बंसखेडी मकिमऊ से होते हुए चंदेरा	100	370	150	5,845	5.43	0.1	931	29,54,840
8		सिरसी से सरैठा सड़क	100	370	150	10,048	5.43	0.1	719	39,22,910
9		लहर्वा से जटैरी सड़क	100	370	150	3,245	5.25	0.1	931	15,86,075
10		कुम्भराज से रामटेकरी सड़क	100	370	150	8,310	5.3	0.1	719	31,66,692
11		बिरसा मरारीटोला साखा सुकतारा सड़क	100	345	200	9,500	4.95	1	719	3,38,10,975
12		दहेदी भलवा सड़क	100	345	150	6,200	5.25	0.1	819	26,65,845
13		बिरसोला-खमरिया-खुसौदी सड़क	100	345	200	7,840	5.15	0.1	510	20,59,176
14		कोपे-कैरटोला-पुजारीटोला-नहारटोला-कटंगघरी-सावंगी सड़क	100	345	200	15,884	4.95	0.1	719	56,53,195
15	बालाघाट	सिहोरा-सिहोराटोला-देओगाँव सड़क का निर्माण	100	345	200	3,500	4.75	0.1	931	15,47,788
16		खैलागी घुबडगाँडी सड़क का निर्माण	105	345	100 & 150	4,520	5.45	0.105	505	13,06,218
17		खैरी गौडीतला सवरी सड़क का निर्माण	105	345	200	7,340	5.45	0.105	783	32,88,847
18		भाखेली भगोली अमेदा सड़क का निर्माण	100	345	225 & 300	3,890	5	0.1	505	9,82,225
19		अतरी से आरम्भा सड़क	105	345	200	3,000	5.45	0.1	783	12,80,205

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	इंजिन परत कि मोटाई (मीमी में)	इंजिन परत के उपर क्रस्ट की मोटाई (मीमी में)	इंजिन परत के उपर हार्ड शोल्डर की मोटाई (मीमी में)	सड़क की लम्बाई (मीमी में)	शोल्डर के नीचे इंजिन परत की चौड़ाई (मीमी में)	इंजिन परत की मोटाई (मीमी में)	इंजिन परत की दर	इंजिन परत पर निष्कल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 7*8*9*10
20		बोथाली बहेरा सड़क	100	345	200	5,800	5.45	0.1	505	15,96,305
21		बालाघाट सिटी के आंतरिक सड़के	100	525	200	4,200	6.1	0.1	819	20,98,278
22		कटंगी-नान्दोरा सड़क	100	450	150	11,500	5.85	0.1	931	62,63,303
23		कान्हड़गांव-चिचगांव सड़क	100	345	200	6,100	5.25	0.1	685	21,93,713
24		बिरसा भट्टलाई दूधी साखा सड़क	100	345	200	2,896	5.25	0.1	719	10,93,168
25		शाडोरा वाजिदपुरा सड़क	100	525	150	7,300	5.64	0.1	719	29,60,267
26		वाजिदपुरा से पनवारी हाट सड़क	100	345	150	14,150	5.33	0.1	719	54,22,662
27	अशोक नगर	परसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क	100	525	150	7,900	5.65	0.1	931	41,55,519
28		अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर छिपौन सड़क	100	415	100	24,100	5	0.1	695	83,74,750
29		प्रानपुरा (मुरादपुर) से राजघाट सड़क	100	415	150	15,780	6.36	0.1	903	90,62,580
30		रामपुर चोरमारी देवनौव दांडी टोला जगन सड़क	100	370	150-250	10,200	5.35	0.1	819	44,69,283
31		लालचाहा मादा उज्जेही खमरेही से हरदुआ सड़क	100	355	200	13,900	5.35	0.1	819	60,90,494
32		सतना से भर्जुना ल्या टिकुरी शिवपुरवा	100	350	225	7,489	5.35	0.1	1,261	50,52,342
33		पौडी गराड़ा से कोनिया भरहतु सड़क	100	350	225	5,600	4.35	0.1	783	19,07,388
34		झुरखुल से रंगोली सड़क	150	300	225	2,600	5.35	0.15	1,261	26,31,077
35		नैनपुर सर्रा से खापा कला सड़क	100	415	225	18,400	5.05	0.1	903	83,90,676
36		माली मोहगांव से खापा कला सड़क	100	350	250	2,500	4.75	0.1	931	11,05,563
37		करेगाओ पटाडाह कोहकाटोला चीचगाँव जामगाँव घट्टेरी सड़क	100	345	100-225	15,450	5.3	0.1	505	41,35,193
38		खमरिया रामनगर सड़क	100	400	150	3,500	5.25	0.1	931	17,10,713
39		नारायणगंज देवरी मुकास सड़क	100	425	200-325	19,274	5.9	0.1	783	89,04,010
									योग	16,79,42,858

परिशिष्ट-3.12

प्राक्कलित लम्बाई की तुलना में सड़क की लम्बाई में विचलन दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.4.2, पृष्ठ 92)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	पीएसी	प्राक्कलन अनुसार सड़क	सड़क की वास्तविक लम्बाई	सड़क की लम्बाई में परिवर्तन	अतिरिक्त लागत	विचलन के कारण	
								(₹ लाख में)	(लम्बाई मीटर में)
1	नीमच	अल्देह से मनासा सड़क	58	1,600	2,260	660	23.93	सड़क की लम्बाई में वृद्धि का कारण, निष्पादन के दौरान उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश था।	
2		बगोदा मेमडी से सिमरोल सड़क	234	5,000	4,200	-800	-37.44	सड़क की लम्बाई में कमी का कारण, पंचायत को सड़क हस्तांतरित किया जाना था।	
3	इंदौर-1	बेका-रसकुंदिया सड़क	677	9,500	7,700	-1,800	-128.27	1.8 कि.मी. सड़क की लंबाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए स्थानांतरित किया गया था।	
4		सिहोरा-लोटना-लोटनी-रामचयार-अस्यावली सड़क	621.64	17,000	14,000	-3,000	-109.70	3 कि.मी. का भाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत था।	
5	सागर	पडरई बसान महुखड़ा करदह सड़क	492.24	13,500	11,420	-2,080	-75.84	2.13 किमी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हस्तांतरित किया	
6		मानगढ़-शाहपुर-मुर्गा-धुरा सड़क	419.24	10,500	11,250	750	29.95	सड़क की लम्बाई बढ़ने का कारण घाट के हिस्से के संरेखण में परिवर्तन किया जाना था।	
7		राजपुरा चौरिया शाहगढ़ सड़क	657.89	22,000	14,900	-7,100	-212.32	7.10 किलोमीटर की लंबाई में जटाशंकर बड़ागांव से चौरिया सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए स्थानांतरित किया गया था।	
8		मैसाबाद वलेह भैंसा रनेह सड़क	982.84	20,240	23,500	3,260	158.30	सड़क की लम्बाई बढ़ने का कारण नस्तियों में अभिलिखित नहीं पाया गया।	
9	दमोह	हटा मानपुरा कलकुआ रनेह सड़क	769.52	13,600	7,400	-6,200	-350.81	6.2 किमी का भाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत था।	
10		साखा-पटना सड़क	258.71	6,600	5,257	-1,343	-52.64	प्राक्कलन 6.6 किलोमीटर की लंबाई के साथ तैयार किया गया था, लेकिन निष्पादन के दौरान वास्तव में 5.3 किमी पाया गया था।	
11		पटाहरिया किन्चोह जेरठ सड़क	2,193.86	21,000	19,300	-1,700	-177.60	1.3 किमी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए हस्तांतरित किया गया और 600 मीटर निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका।	
12	बालाघाट	बालाघाट सिटी के आंतरिक सड़कें	823.17	10,200	7,475	-2,725	-219.92	वनभूमि के अधिग्रहण नहीं होने के कारण सड़क की लंबाई में कमी आई	

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	पीएसी	प्राक्कलन अनुसार सड़क	सड़क की वास्तविक लम्बाई	सड़क की लम्बाई में परिवर्तन	अतिरिक्त लागत	विचलन के कारण
13		कनेरा वीराखेड़ी से होते हुए मुडरा से खेजरा	586.82	9,300	8,800	-500	-31.55	पूर्व में ही निर्मित सीसी सड़क के कारण।
14		बंसखेड़ी मार्किमऊ से होते हुए चंदेरा	606.5	7,350	6,660	-690	-56.94	पूर्व में ही निर्मित सीसी सड़क के कारण।
15		लहर्चा से जट्टेरी सड़क	296.48	4,000	3,300	-700	-51.88	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हस्तांतरित।
16	गुना	अमरोद से नोनरा सड़क	274.51	5,940	6,360	420	19.41	भूमि अधिग्रहण से बचने के लिए विभाग ने संरक्षण बदल दिया और इस प्रकार, सड़क की लंबाई 420 मीटर बढ़ गई।
17		अनारद से निहालदेवी सड़क	2,352.83	48,000	37,500	-10,500	-514.68	बारहखम्बा से रहपूरा (वैनेज 0 से 10500) 10.50 कि.मी. सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्थानांतरित।
18	रीवा	चोरहटा खैरा खोखम रौसर सड़क	445.64	7,100	5,900	-1,200	-75.32	कच्ची नहर के किनारे के पतन की संभावना को देखते हुए, 1.2 किमी सड़क का निर्माण नहीं किया गया।
19		प्रानपुरा (मुरादपुर) से राजघाट सड़क	1,605.67	17,880	16,322	-1,558	-139.91	संरक्षण में बदलाव।
20	अशोक नगर	रिजोदा से डोंगर सड़क	1,045.42	13,900	12,200	-1,700	-127.86	निजी भूमि की अनुपलब्धता और संरक्षण में परिवर्तन के कारण।
21		कदवाया से मामोन सड़क	480.00	22,000	20,793	-1,207	-26.33	पुल के पहुँच मार्ग का निर्माण नहीं होने के कारण।
22		सतना बरडाडीह साइडिंग डगडीहा सड़क	370.00	19,600	20,250	650	12.27	गाव के भाग में डायवर्सन के लिए जगह का नहीं होना।
23		रामपुर चोरमारी देवनोव दांडी टोला जगन सड़क	446.54	10,200	10,837	637	27.89	संरक्षण में बदलाव के कारण।
24	सतना	लालचाहा मादा उज्जेही खमरेही से हरदुआ सड़क	740.57	16,220	15,230	-990	-45.20	संरक्षण में बदलाव के कारण।
25		जसो बडेरा कलावल सड़क	336.63	6,000	4,507	-1,493	-83.76	संरक्षण में बदलाव के कारण।
26		हरदुआ बचबई छेन्दा राजवारा उमराहाट सड़क	495.13	12,100	8,900	-3,200	-130.94	2.9 किमी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्थानांतरित एवं 0.3 किमी में भूमि विवाद था।
27		रेवाडा-जेवनारा-घट्टेरी-पौडी सड़क	342.9	7,000	6,280	-720	-35.27	720 मीटर सड़क पंचायत द्वारा निर्माण किया गया।
28	मंडला	बम्हनी ढेको सड़क	248.42	4,500	4,140	-360	-19.87	360 मीटर सड़क की लंबाई पूर्व में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण किया गया था।
29		मोहागांव बसाडीह	254.25	7,100	6,270	-830	-29.72	वन भूमि के कारण 830 मी. लम्बाई में सड़क निर्मित नहीं हुई।
30		धुगरी चाबी सड़क	1,324.97	21,420	18,720	-2,700	-167.01	2.7 किमी सड़क पूर्व में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण किया गया था।
					06 प्रकरणों में बढ़ोतरी		2.72 करोड़	
					24 प्रकरणों में कमी		29.01 करोड़	

परिशिष्ट-3.13

सीमेंट कंक्रीट सड़क को प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं करने/कम लम्बाई में सम्मिलित करने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.1.4.2, पृष्ठ 93)

क्र. स.	संभाग	सड़क का नाम	प्राक्कलनों में सीसी सड़क	सीसी सड़क वास्तव में क्रियान्वित की गई	सड़क की लम्बाई में अंतर	अतिरिक्त लागत	विचलन के कारण
1	नीचम	सेहना तलाई से होते हुए अथ्वाकला से टोकारा सड़क	1,420	3,550	2,130	82.61	जल जमाव क्षेत्र होने के कारण
2		पिराना से जीरान सड़क	0	142.99	142.99	6.2	गाँव का भाग ओर जल जमाव क्षेत्र
3		देवगुररिया कम्पेल डबल चौकी सड़क	8,185	9,954.65	1,769.65	226.34	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
4	इंदौर-1	बिजालपुर-निहारपुम्दी-मोरोद-खंडवा सड़क	3,080	1,972.82	-1,107.18	-96.71	सेतु के भाग में जल जमाव क्षेत्र
5		कोदरिया चौरादिया से पातालपानी आशापुरा सड़क	1,600	1,765.50	165.50	14.6	उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार, सी.सी. सड़क गाँव के भाग में निर्मित की गई थी।
6	विदिशा	गुरोद-पिपलधार सड़क	0	675	675	31.86	जल जमाव क्षेत्र होने के कारण सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
7		सीहोर नरसिंहपुर सड़क	5,000	3,300	-1,700	-17.25	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
8	सीहोर	इछावर खेरी सड़क	600	811	211	35.59	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
9		सिलोधा चांदपुर मुदरी सड़क	0	1,000	1,000	34.46	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण।
10	सागर	गढाकोटा बाईपास सड़क (गढाकोटा टाउन सड़क)	2,000	1,554.80	-445.20	-28.3	स्थल परिस्थिति के अनुसार।
11		सेम्नाबाग जिन्दा फोरनलेन सड़क	0	300	300	32.43	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
12		घाटमपुर-खांड-पिपरई-दुधोनिया सड़क	400	992.20	592.20	19.47	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण।
13		हिनीती भूरी बदायूं सड़क	0	1,116.50	1,116.50	57.64	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण।
14	दमोह	हथनी इमलिया ज्ञापन सड़क	2,500	4,137	1,637	101.04	पुलिया के पहुँच मार्ग के जलमन होने की संभावना के कारण।
15	बालाघाट	बिरसोला-खमरिया-खुर्सादी सड़क	0	600	600	21.81	सड़क के नहर के किनारे से गुजरने के कारण सीसी सड़क निर्मित की गई।
16		भारवेली भगोली अमेदा सड़क	0	300	300	12.27	स्थल परिस्थिति के अनुसार।

क्र. सं.	संभाग	सड़क का नाम	प्राकलनों में सीसी सड़क	सीसी सड़क वास्तव में क्रियान्वित की गई	सड़क की लंबाई में अंतर	अतिरिक्त लागत	विचलन के कारण
17		बालाघाट सिटी के आंतरिक सड़कें	0	100	100	8.01	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
18	गुना	बडेरा से होते हुए सिरसी से मुसरेदी सड़क	0	350	350	11.75	जल जमाव क्षेत्र होने के कारण सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
19	रीवा	निपानिया तामारा सड़क	1,237	2,632	1,395	36.39	बीटी सड़क सीसी सड़क द्वारा प्रतिस्थापित की गई।
20		परसोल-सिरनी-इन्दर-कदवाया सड़क	50	333	283	19.39	स्लैब क्लवर्ट व्हीसीडब्ल्यू में परिवर्तित एवं व्हीसीडब्ल्यू पट्टुच मार्ग के कारण लम्बाई में बढ़ोतरी।
21		रिजोदा से डोंगर सड़क	0	1,913	1,913	86.63	सुरेक्षण में बदलाव एवं सीसी सड़क गांव के जल जमाव भाग में निर्मित की गई थी।
22	अशोक नगर	शाधोरा-नैसरई-मायना सड़क	100	0	-100	-9.74	सड़क के जंक्शन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। अतः अनुमान की तुलना में अतिरिक्त वित्तीय बोझ के कारण सीसी सड़क नहीं बनाया गया।
23		अशोकनगर विदिशा से भादोन राजपुर छिपौन सड़क	2,600	1,108	-1,492	-92.46	कारण निर्दिष्ट नहीं था।
24		भारोली पट्टुच मार्ग	605	1,181	576	39.53	गांव का भाग और जल जमाव क्षेत्र के कारण।
25		कदवाया से मामोन सड़क	0	728	728	12.72	गांव के भाग में जल जमाव क्षेत्र होने के कारण सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
26		सतना बरडाजीह साइडिंग डगडीहा सड़क	3,226	2,941.78	-284.22	-78.82	डाईवर्सन के लिये भूमि उपलब्ध नहीं थी, अतः बीटी सड़क का निर्माण किया गया था।
27	सतना	कोटार माहुती मझगंवा सड़क	1,500	337	-1,163	-55.69	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
28		बहेरा से करौंदी सड़क	545	100	-445	-24.05	बीटी सड़क के स्थान पर सीसी सड़क का निर्माण किया गया था।
29	मंडला	करेगाओं पटाडाह कोहकाटोला चीचगाँव जामगांव घट्टेरी	2,500	1,005.70	-1,494.3	-61.83	पंचायत द्वारा पूर्व में ही सड़क निर्मित।
30		नारायणगंज देवरी मुकास सड़क	1,900	1,570	-330	-26.07	सड़क की वास्तविक लंबाई 1570 मी. पाई गई।
				20 प्रकरणों में बढ़ोतरी			8.91 करोड़
				10 प्रकरणों में कमी			4.91 करोड़

परिशिष्ट 3.14

गैर ऋणी किसानों का कवरेज दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.1, पृष्ठ 99)

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	फसल का मौसम	ऋणी किसानों की कवर्ड संख्या	किसानों को मुआवजा	दावों की राशि	गैर ऋणी किसानों की कवर्ड संख्या	किसानों को मुआवजा दिया गया	दावों की राशि	गैर ऋणी किसानों के कवरेज की सीमा किसान ऋणी करने के लिए (प्रतिशत में)
1	रबी 2010-11	12,91,529	5,28,493	2,69,80,38,310	1,080	444	37,70,881	0.08
2	खरीफ 2011	15,28,399	1,43,889	2,50,56,12,165	872	3	36,203	0.06
3	रबी 2011-12	13,62,118	1,20,186	58,52,44,242	21	1	1,467	0
4	खरीफ 2012	20,32,280	74,356	75,07,75,814	261	2	902	0.01
5	रबी 2012-13	19,86,137	3,59,555	3,16,80,61,193	38	4	1,02,026	0
6	खरीफ 2013	23,36,820	14,22,514	23,50,82,39,360	282	265	39,53,786	0.01
7	रबी 2013-14	23,62,123	5,91,195	4,37,17,01,570	6	6	4,33,088	0
8	खरीफ 2014	24,54,332	4,34,413	5,41,99,04,567	2	0	0	0
9	रबी 2014-15	25,36,562	1,98,902	1,50,84,45,128	11	0		0
10	खरीफ 2015	29,98,497	20,46,638	44,16,67,52,676	268	197	21,56,315	0.01
योग		2,08,88,797	59,20,141	88,68,27,75,025	2,841	922	1,04,54,668	

परिशिष्ट 3.15

100 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किये गये पटवारी हल्का दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.2, पृष्ठ 102)

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	जिला	खरीफ 2013			रबी 2013-2014			खरीफ 2014			रबी 2014-2015		
		फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र
1	कटनी	धान	2	201	गेहूं	1	207	धान	2	421	गेहूं		
2	झाबुआ	उड़द	8	985	गेहूं	13	1,804	उड़द			गेहूं		
		धान			चना			धान			चना		
		सोयाबीन	10	1,279				सोयाबीन					
		मक्का	32	5,353				मक्का					
3	टीकमगढ़	उड़द	286	64,871	सरसों			उड़द	359	82,430	सरसों		
		धान			गेहूं	4	574	धान			गेहूं		
		सोयाबीन	25	4,166	चना	4	626	सोयाबीन			चना		
4	होशंगाबाद	धान	21	4,673	गेहूं			धान	4	669	मूंग	32	
		सोयाबीन	3	1,334	चना	2	267	सोयाबीन	1	236	चना		
		तुअर			मूंग	39	18,179	तुअर					
		मूंग	12	3,438				मूंग	115	35,469			
5	रायसेन				गेहूं								
		धान			सरसों								
		सोयाबीन			चना								
		मक्का											
		योग	399	86,300		147	35,717		481	1,19,225		7,408	
	फसल का मौसम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र										
	खरीफ 2013		399	86,300									
	रबी 2013-2014		147	35,717									
	खरीफ 2014		481	1,19,225									
	रबी 2014-2015		32	7,408									
	महायोग		1,059	2,48,650									

परिशिष्ट 3.16

अधिसूचित फसल के बुआई क्षेत्र 100 हेक्टेयर से कम होने को दर्शाने वाला
विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.2, पृष्ठ 103)

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	जिला	खरीफ 2013			रबी 2013-2014			खरीफ 2014		
		फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र	फसल का नाम	पटवारी हल्कों की कुल संख्या	कुल क्षेत्र
1	कटनी	धान	9	751	गेहूं	29	2,059	धान	5	331
					चना	30	1,941			
2	झाबुआ				गेहूं	19	1,219			
					चना	2	104			
3	टीकमगढ़	धान	1	63	सरसों			धान	6	452
		सोयाबीन	8	380	गेहूं	1	52	सोयाबीन	12	356
					चना					
4	होशंगाबाद	धान	11	543	गेहूं	10	732	धान		
		सोयाबीन	47	2,940	चना	10	414	सोयाबीन		
		तुअर								
5		धान			गेहूं					
		सोयाबीन			चना					
		मक्का								
योग			76	4,677		101	6,521		23	1,139

परिशिष्ट 3.17

दावों के भुगतान में विलंब दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भ : कड़िका 3.2.2.9, पृष्ठ 108)

क्र. सं.	मौसम	उपज डेटा की प्राप्ति के लिए कट-ऑफ दिनांक	मांग का पता लगाने/एआईसी द्वारा सरकार को भेजा	डिमांड करने में विलंब	मध्य प्रदेश सरकार के शेरार की प्राप्ति का दिनांक	मांग की प्राप्ति के संबंध में एक से अधिक महीने का विलंब	एआईसी द्वारा दावे का वितरण	उपज डेटा की प्राप्ति के लिए कट-ऑफ दिनांक के संबंध में विलंब
1	रबी 2010-11	31 जुलाई 2011	नवम्बर 11 सितम्बर 12	तीन महीना 13 महीना	दिसम्बर 11 नवम्बर 12 मार्च 14	— — 17 महीना	नवम्बर 11 से मार्च 14	तीन महीना से 31 महीना
2	खरीफ 2011	31 जनवरी 2012	मार्च 12 जून 12	एक महीना पांच महीना	मार्च 13 सितम्बर 12 मार्च 14	11 महीना दो महीना 20 महीना	मार्च 12 से मार्च 14	एक महीना से 25 महीना
3	रबी 2011-12	31 जुलाई 2012	सितम्बर 12 जून 13	एक महीना 11 महीना	नवम्बर 12 जून 13	— —	नवम्बर 12 से जुलाई 13	तीन महीना से 11 महीना
4	खरीफ 2012	31 जनवरी 2013	एआईसी का दायित्व	—	—	—	अप्रैल 13	दो महीना
5	रबी 2012-13	31 जुलाई 2013	जनवरी 14	पांच महीना	जनवरी 14 फरवरी 14	— —	जनवरी 14 से मार्च 14	पांच महीना से सात महीना
6	खरीफ 2013	31 जनवरी 2014	जुलाई 14 जुलाई 15	पांच महीना 17 महीना	अगस्त 14 अक्टूबर 15	— दो महीना	जुलाई 14 से सितम्बर 14	पांच महीना से सात महीना
7	रबी 2013-14	31 जुलाई 2014	मार्च 15 जनवरी 16	सात महीना 17 महीना	जून 15 फरवरी 16	दो महीना दो महीना	मार्च 15 से मई 15	सात महीना से नौ महीना
8	खरीफ 2014	31 जनवरी 2015	जुलाई 15 जनवरी 16	पांच महीना 11 महीना	अक्टूबर 15 फरवरी 16	दो महीना —	अक्टूबर 15 से फरवरी 16	आठ महीना से 12 महीना
9	रबी 2014-15	31 जुलाई 2015	अक्टूबर 15	दो महीना	जनवरी 16	दो महीना	जनवरी 16	पांच महीना
10	खरीफ 2015	31 जनवरी 2016	जून 16	चार महीना	नवम्बर 16	चार महीना	नवम्बर 16	नौ महीना

(स्रोत: एफडब्ल्यूडी के निदेशक/उप निदेशक द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.18

वित्तीय स्केल के विरुद्ध मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) ऋण का अतिरिक्त भुगतान दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.10, पृष्ठ 109)

क्र. सं.	जिला	फसल का मौसम	फसल का नाम	बीमा क्षेत्र (हेक्टेयर)	वित्तस्केल (प्रति हेक्टेयर)	बीमाराशि	वित्तस्केल के अनुसार एसएओ ऋण	अतिरिक्त ऋण	भुगतान किया दावा	वित्तस्केल की सीमा के अनुसार दावा	वित्तस्केल से अधिक ऋण के कारण अतिरिक्त दावे
1	सगर	खरीफ 2013	सोयाबीन	109.74	17,000	35,66,900	18,65,580	17,01,320	19,45,566	10,17,581	9,27,985
2	होशंगाबाद	खरीफ 2013	सोयाबीन	1,54,063.02	15,000	3,56,56,05,926	2,31,09,45,255	1,25,46,60,671	2,62,89,79,278	1,70,04,67,352	92,85,11,926
3	होशंगाबाद	खरीफ 2014	सोयाबीन	6,076.60	18,000	12,64,20,315	10,93,78,710	1,70,41,605	2,15,74,344	1,91,45,866	24,28,478
4	बैतूल	खरीफ 2013	सोयाबीन	7,026.00	18,000	14,66,04,956	12,64,68,000	2,01,36,956	6,85,55,918	6,06,51,640	79,04,279
5	कटनी	खरीफ 2014	असिंचित धान	539.71	20,000	1,29,81,119	1,07,94,200	21,86,919	69,48,712	58,63,267	10,85,445
6	रायसेन	खरीफ 2013	सोयाबीन	2,227.00	16,800	5,58,10,852	3,74,13,600	1,83,97,252	4,90,45,219	3,28,70,748	1,61,74,470
7	राजगढ़	खरीफ 2014	सोयाबीन	14,428.00	23,000	38,53,62,432	33,18,44,506	5,35,17,926	7,71,19,325	6,64,91,600	1,06,27,725
8	शाजापुर	रबी 2013-14	चना	45,737.70	9,300	67,43,35,100	42,53,60,610	24,89,74,490	10,87,94,624	6,57,50,798	4,30,43,826
योग					2,30,207.80	4,97,06,87,600	3,35,40,70,461	8,32,47,58,061	2,96,29,62,986	1,95,22,58,852	1,01,07,04,134

(स्रोत: एफडब्ल्यूडी के निदेशक/उप निदेशक द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.19

वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमित क्षेत्र जहाँ बुआई नहीं हुई दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.2.2.12, पृष्ठ 111)

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	जिला	पटवारी हल्का	बीमित क्षेत्र	बुआई क्षेत्र	अंतर
1	अलीराजपुर	3	162	0	162
2	अशोकनगर	69	32,941	18,854	-14,087
3	बालाघाट	13	4,892	2,963	-1,929
4	बडवानी	7	1,705	1,144	-561
5	बैतूल	147	71,454	44,698	-26,756
6	भिंड	1	166	112	-54
7	भोपाल	57	38,023	25,935	-12,088
8	छत्तरपुर	73	20,888	7,461	-13,427
9	छिन्दवारा	51	10,125	7,003	-3,122
10	दमोह	59	21,821	13,447	-8,374
11	देवास	200	1,72,269	1,24,243	-48,026
12	धार	19	11,049	7,088	-3,961
13	डिंडोरी	4	295	0	-295
14	गुना	24	9,246	5,963	-3,283
15	हरदा	104	1,15,657	88,457	-27,200
16	होशंगाबाद	193	1,54,155	95,182	-58,973
17	इंदौर	59	53,529	38,069	-15,460
18	झाबुआ	5	1,093	458	-635
19	कटनी	9	269	0	-269
20	खंडवा	39	18,410	11,631	-6,779
21	खरगोन	6	1,072	405	-667
22	मंडला	6	923	220	-703
23	मंदसौर	42	20,735	13,156	-7,579
24	मुरैना	13	96	0	-96
25	नरसिंगपुर	118	19,638	9,550	-10,088
26	नीमच	9	5,313	3,137	-2,176
27	पन्ना	12	3,365	1,373	-1,992
28	रायसेन	406	2,83,210	86,251	-1,96,959
29	राजगढ़	318	2,32,139	1,59,686	-72,453
30	रतलाम	118	54,100	26,955	-27,145
31	रीवा	35	5,907	1,771	-4,136
32	सागर	212	1,03,461	67,341	-36,120
33	सतना	24	4,991	3,033	-1,958
34	सिहोर	325	3,00,932	1,83,376	-1,17,556
35	सिवनी	48	20,779	11,187	-9,592
36	शाजापुर	106	1,66,279	1,00,512	-65,767
37	शिवपुरी	40	11,455	8,345	-3,110
38	सीधी	5	64	0	-64
39	सिंगरौली	1	8	0	-8
40	टीकमगढ़	18	3,470	2,175	-1,295
41	उज्जैन	97	79,185	58,309	-20,876
42	विदिशा	267	2,08,924	1,28,809	-80,115
	योग	3,362	22,64,192	13,58,299	-9,05,893

(स्रोत: एफडब्ल्यूडी के निदेशक/उप निदेशक द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट-3.20

उपयोगकर्ता संस्थाओं से एनपीवी की कम/नहीं वसूली दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित: कंडिका 3.3.2, पृष्ठ 117)

(₹ राशि में)

वन कार्यालय का नाम	उपयोगकर्ता संस्था	उद्देश्य	कब अनुमति दी गई	सम्मिलित वन भूमि (हे.) में	इको-मूल्य और सघनता के अनुसार प्राप्त की जाने वाला एनपीवी	वास्तविक रूप से प्राप्त	शेष राशि
संभागीय वन अधिकारी (सामान्य) विदिशा	प्रारंभिक रूप से संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा तटपश्चात् जल संसाधन विभाग, संभाग विदिशा	दनमढी तालाब का निर्माण	जून 2006	75.597	5,69,60,841	1,14,69,000	4,54,91,841
योग				75.597	5,69,60,841	1,14,69,000	4,54,91,841

परिशिष्ट-3.21

गलत दरों के लागूकरण के कारण एनपीवी के कम वसूली दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित: कंडिका 3.3.2, पृष्ठ 117)

(₹ राशि में)

क्र. स.	वन कार्यालय का नाम	उपयोगकर्ता संस्था	क्षेत्र (हे.)	म. प्र. शासन के पुनः निर्धारित आदेशानुसार वन का वर्ग	प्रति हेक्टेअर दर पर वसूली योग्य एनपीवी	प्रति हेक्टेअर दर पर वसूल की गई एनपीवी	एनपीवी की शेष राशि
1	2	3	4	5	6 ¹	7 ²	8=5*(6-7)
1	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य) अलीराजपुर	जल संसाधन विभाग	8.06	चार	6.26	4.38	9.19 ³
2	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य) बैतूल (उत्तर)	मेसर्स म. प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश	11.87	तीन	8.03 ⁴	6.26	21.00
योग			19.93				30.19

¹ वर्ग-3 के खुले और रिक्त उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के 0.4 सघनता (अलीराजपुर) वाली भूमि

² वर्ग-4 की उष्णकटिबंधीय कंडीली वन की 0.4 सघनता (अलीराजपुर) वाली भूमि

³ कुल एनपीवी राशि ₹ 64.66 लाख थी, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् संभाग ₹ 55.47 लाख राशि के वसूली कर चुका है।

⁴ वर्ग-3 की उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वाली 0.5 सघनता (बैतूल) वाली भूमि

परिशिष्ट-3.22

**गलत दरों के लागूकरण के कारण एनपीवी के कम वसूली दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित: कंडिका 3.3.2, पृष्ठ 117)**

(₹ राशि में)

क्र. स.	वन कार्यालय का नाम	उपयोगकर्ता संस्था	क्षेत्र (हे.)	सघनता	सम्मिलित भूमि (हे.) में	प्रति हे. दर पर वसूली योग्य एनपीवी	प्रति हे. दर पर वसूली योग्य एनपीवी	शेष प्राप्त की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6*(7-8)/2
1	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य) अनूपपुर	दक्षिण पूर्वी कोलफील्डस लिमिटेड	हल्दीवाड़ी	0.5 ⁵	91	8.03 ⁶	5.90	96.915
			हल्दीवाड़ी	0.4 ⁷	29	6.26 ⁸	5.80	6.670
योग					120			103.585

परिशिष्ट-3.23

**शासन को वसूली नहीं होने योग्य हानि दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित : कंडिका 3.3.3, पृष्ठ 118)**

(₹ राशि में)

क्र. स.	राष्ट्रीय उद्यान	गजट अधिसूचना दिनांक	लागूकरण दिनांक	लागूकरण का वास्तविक दिनांक	दिनों में विलंब	राजस्व हानि
1	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	16.10.2014	16.10.2014	03-02-2015	110	55,19,900
2	माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी			जनवरी 2015	77	1,34,230
3	रालामण्डल अभ्यारण, इन्दौर			21-11-2014	36	2,55,885
4	पन्ना बाघ रिजर्व, पन्ना (1) पांडव फाल (2) रानेह फाल			19-11-2014	34	2,51,730
				21-11-2014	36	1,05,970
योग						62,67,715

⁵ वर्ग 4 के खुले और रिक्त वन की 0.4 सघनता वाली भूमि

⁶ वर्ग 3 की उष्णकटिबंधीय 0.5 से 0.7 तक की सघनता वाली भूमि

⁷ स्टॉक अंतर्गत वर्ग के 0.4 सघनता वाली खुली व रिक्त भूमि

⁸ वर्ग 3 के उष्णकटिबंधीय वन के 0.4 सघनता वाली भूमि

परिशिष्ट-3.24

बड़वाह में पीओएल की मूल्य वृद्धि की गणना दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध सं. 15 / 2010-11)

(संदर्भित: कंडिका 3.3.6, पृष्ठ 123)

क्र. सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		तिमाही के दौरान किया गया कार्य (आर)	आधार खुदरा मूल्य/एच एसडी का लीटर (पीओ)	मूल्य वृद्धि की गणना के लिए विचारित तिमाहियां	सभी घटकों की प्रतिशतता (0.85 प्रतिशत)	पीओएल घटक की प्रतिशतता (प्रतिशत में) (पीपी)	संभाग द्वारा लिया गया औसत मूल्य / लीटर (पी)	सूत्रानुसार ठेकेदारों को भुगतानित मूल्य वृद्धि $\text{व्हीपी} = 0.85 * \text{Pp} * \text{R} * (\text{P} - \text{Po}) / 100 * \text{Po}$	बड़वाह में एचएसडी के खुदरा मूल्यानुसार लिया जाने वाला औसत मूल्य / लीटर (पी)	सूत्रानुसार ठेकेदारों को भुगतानयोग्य मूल्यवृद्धि $\text{व्हीपी} = 0.85 * \text{Pp} * \text{col. 2} * (\text{col. 9} - \text{col. 3}) / \text{col. 3}$	ठेकेदारों को अधिक भुगतान (कालम 8-कालम 10)
1	1,12,25,809			07/2011 to 09/2011			43.635	85.037	45.584	1,69,814	-84,777
2	1,04,32,28,288			01/2012 to 03/2012			45.6	1,58,45,657	45.590	1,58,05,234	40,423
3	55,42,26,873			04/2012 to 06/2012			45.6	84,18,185	45.798	88,43,389	-4,25,204
4	43,33,73,994			07/2012 to 09/2012			47.88	1,04,11,166	46.975	88,91,471	15,19,695
5	25,88,20,060			10/2012 to 12/2012			52.24	1,05,90,261	52.248	1,05,98,284	-8,023
6	60,48,45,635			01/2013 to 03/2013			60.55	4,42,24,331	53.062	2,66,75,216	1,75,49,115
7	58,74,60,271			04/2013 to 06/2013			60.113	4,19,58,441	54.589	2,93,84,339	1,25,74,102
8	18,05,80,742			07/2013 to 09/2013	0.85	0.19	68.97	1,90,95,005	57.056	1,07,58,696	83,36,309
9	10,85,43,512			10/2013 to 12/2013			70.166	1,19,80,643	58.916	72,49,118	47,31,525
10	3,42,05,516			01/2014 to 03/2014			74.03	42,87,609	60.915	25,49,372	17,38,237
11	1,78,99,092			04/2014 to 06/2014			77.01	24,50,301	62.515	14,45,005	10,05,296
12	3,81,58,891			07/2014 to 09/2014			79.83	56,40,727	64.800	34,18,443	22,22,284
13	16,29,95,514			10/2014 to 12/2014			60.32	1,17,72,437	60.092	1,16,28,439	1,43,998
14	15,31,57,060			01/2015 to 03/2015			55.69	83,14,191	55.772	83,62,853	-48,662
15	23,19,80,632			04/2015 to 06/2015			57.52	1,42,38,090	57.538	1,42,54,269	-16,179
							योग (अ)	20,93,12,089		16,00,33,942	4,92,78,150

परिशिष्ट-3.25

बढ़वाह में पीओएल की गणना दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध सं. 16/2010-11)

(संदर्भित: कंडिका 3.3.6, पृष्ठ 123)

क्र. स.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	तिमाही के दौरान किया गया कार्य (आर)	आधार खुदरा मूल्य/एच एसडी का लीटर (पीओ)	मूल्य वृद्धि की गणना के लिए विचारित तिमाहियां	सभी घटकों की प्रतिशतता (0.85 प्रतिशत)	पीओएल घटक की प्रतिशतता (प्रतिशत में) (पीपी)	संभाग द्वारा लिया गया औसत मूल्य / लीटर (पी)	सूत्रानुसार ठेकेदारों को भुगतानित मूल्य वृद्धि व्हीपी = $0.85 * Pp * R * (P - Po) / 100 * Po$	बढ़वाह में एचएसडी के खुदरा मूल्यानुसार लिया जाने वाला औसत मूल्य / लीटर (पी)	सूत्रानुसार ठेकेदारों को भुगतानयोग्य मूल्यवृद्धि व्हीपी = $0.85 * Pp * col. 2 * (col. 9 - col. 3) / col. 3$	ठेकेदारों को अधिक भुगतान (कालम 8-कालम 10)
1										
1	50,07,216		07/2011 to 09/2011			45.596	83,846	45.584	83,718	128
2	46,21,00,814		01/2012 to 03/2012			45.6	77,57,706	45.9	83,51,408	-5,93,702
3	4,50,50,226		04/2012 to 06/2012			45.82	7,98,744	45.798	7,94,500	4,244
4	5,44,36,374		07/2012 to 09/2012			47.01	12,42,587	46.975	12,34,428	8,159
5	4,73,09,211		10/2012 to 12/2012			52.23	21,37,512	52.248	21,41,159	-3,647
6	74,05,36,366		01/2013 to 03/2013			60.55	5,98,45,128	53.062	3,60,97,363	2,37,47,765
7	14,33,97,963		04/2013 to 06/2013	0.85	0.21	60.11	1,13,18,238	54.589	79,27,680	33,90,558
8	1,69,54,431	41.68	07/2013 to 09/2013			69.00	19,83,693	57.056	11,16,444	8,67,249
9	2,35,42,440		10/2013 to 12/2013			70.17	28,72,463	58.916	17,37,795	11,34,668
10	96,23,589		01/2014 to 03/2014			74.76	13,32,869	60.915	7,92,756	5,40,113
11	83,75,072		07/2014 to 09/2014			79.83	13,68,339	64.800	8,29,253	5,39,086
12	6,47,56,075		10/2014 to 12/2014			60.32	51,69,362	60.092	51,06,131	63,231
13	18,58,04,111		01/2015 to 03/2015			55.69	1,11,48,180	55.772	1,12,13,430	-65,250
14	12,45,25,419		04/2015 to 06/2015			57.52	84,47,412	57.538	84,57,012	-9,600
						योग (बी)	11,55,06,087		8,58,83,077	2,96,23,013
						महायोग (अ+ब)	32,48,18,176		24,59,17,019	7,89,01,163

परिशिष्ट-3.26

जल संसाधन विभाग, शाजापुर में विभाग द्वारा तैयार क्लब्ड दर और भुगतान योग्य क्लब्ड दर के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भित: कंडिका 3.3.14 पृष्ठ 136)

(₹ राशि में)

क्र. सं.	यूसीएसआर क्र.	मद	विभाग द्वारा गणना की गई संयुक्त दर				भुगतान योग्य संयुक्त दर			
			मात्रा	दर	मद	राशि	मात्रा	दर	मद	राशि
1	401 (बी), 2501	कड़ी मिट्टी की खुदाई 50 मी. लीड और 1.5 मी. की लिफ्ट ड्रेसिंग सहित								
2		मुख्य नहर मिट्टी कार्य	43,875.56	26.00	घन मी.	11,40,765	43,875.56	26	घन मी.	0*
3		लघु नहर मिट्टी कार्य	85,747.57	26.00	घन मी.	22,29,437	85,747.57	26	घन मी.	0*
4		मुख्य नहर संरचना	3,785.93	26.00	घन मी.	98,434	3,785.93	26	घन मी.	98,434
5		लघु नहर संरचना	7,269.22	26.00	घन मी.	1,89,000	7,269.22	26	घन मी.	1,89,000
6		मुख्य नहर लाइनिंग	19,673.43	28.60	घन मी.	5,62,660	19,673.43	28.6	घन मी.	5,62,660
7	410	1.5 मी. गहराई से अतिरिक्त दर (मुख्य नहर संरचना)	661.56	2.60	घन मी.	1,720	661.56	2.6	घन मी.	1,720
8	402, 2501	हार्ड मुरम एवं मुरम मिश्रित बोल्टरों सहित 50 मी. लीड और 1.5 मी. लिफ्ट ड्रेसिंग सहित साईज 0.004 घन मी. (1/250 घ.मी.) और अधिक के बोल्टरों को अलग करके खुदाई								
9		मुख्य नहर मिट्टी कार्य	18,281.48	36.00	घन मी.	6,58,133	18,281.48	36	घन मी.	6,58,133
10		लघु नहर मिट्टी कार्य	35,728.16	36.00	घन मी.	12,86,214	35,728.16	36	घन मी.	12,86,214
11		मुख्य नहर संरचना	1,991.65	36.00	घन मी.	71,699	1,991.65	36	घन मी.	71,699
12		लघु नहर संरचना	3,472.57	36.00	घन मी.	1,25,013	3,472.57	36	घन मी.	1,25,013
13		मुख्य नहर लाइनिंग	8,197.26	39.60	घन मी.	3,24,611	8,197.26	39.6	घन मी.	3,24,611
14	410	1.5 मी. गहराई से अतिरिक्त दर (मुख्य नहर संरचना)	330.78	3.60		1,191	330.78	3.6		1,191
15	418	अधिकतम नमी तत्व पर 100 मी. पानी की लीड से सुदृढीकरण हेतु मिट्टी कार्य पर पानी का कार्य								
16		मुख्य नहर मिट्टी कार्य	39,568.68	13.00	घन मी.	5,14,393	39,568.68	13	घन मी.	5,14,393
17		लघु नहर मिट्टी कार्य	1,23,708.20	13.00	घन मी.	16,08,206	1,23,708.20	13	घन मी.	16,08,206
18	417(अ)	मिट्टी कार्य का, हल्के रोलर अर्थात् बिना पावर वाले रोलरों या शीप फुट अर्थ मास्टर्स या हैंडरैमरों (पानी कार्य को छोड़कर) द्वारा अधिकतम नमी तत्व से 90 प्रतिशत से कम शुष्कता सघनता न होने तक पर सुदृढीकरण								
19		मुख्य नहर मिट्टी कार्य	39,568.68	8.00	घन मी.	3,16,549	39,568.68	8	घन मी.	3,16,549
20		लघु नहर मिट्टी कार्य	1,23,708.20	8.00	घन मी.	9,89,665	1,23,708.20	8	घन मी.	9,89,665
21	2902	रीच को भरने के लिए लीड								
22		मुख्य नहर	21,035.88	74.52	घन मी.	15,67,594	21,035.88	54	घन मी.	11,35,938
23		लघु नहर	1,16,086.80	74.52	घन मी.	86,50,788	1,16,086.80	54	घन मी.	62,68,687
योग			2,28,022.80			2,03,36,073	2,28,022.80			1,41,52,114
संयुक्त दर			2,03,36,073/2,28,022.80 = 89.18				1,41,52,114/2,28,022.80 = 62.06			
दर में अंतर			89.18 - 62.06 = 27.12							
ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित मिट्टी कार्य की मात्रा			2,29,439.60 घन मी.							
अतिरिक्त लागत का योग (अ)			73,24,389.34 (2,29,439.60 घन मी.* 27.12 प्रति घन मी. + यूएसआर 2009 से 17.71 अधिक प्रतिशतता)							

* 0.5 कि.मी. से आगे तथा 2 कि.मी. तक मिट्टी कार्य हेतु जल छिड़काव तथा सघनन को छोड़कर सभी लिफ्ट एवं लीड तथा अन्य सभी प्रभाव सहित, का दर ₹ 54 प्रति घन मी. निर्धारित है तथा खुदाई की मात्रा से अधिक होने के कारण भुगतान योग्य था।

परिशिष्ट-3.27

जल संसाधन विभाग, मनावर में विभाग द्वारा तैयार क्लब्ड दर और भुगतान योग्य क्लब्ड दर के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भित: कंडिका 3.3.14, पृष्ठ 136)

(₹ राशि में)

क्र. सं.	यूसीएसआर सं.	मद	विभाग द्वारा गणना की गई दर				भुगतान योग्य संयुक्त दर			
			मात्रा	दर	ईकाइ	राशि	मात्रा	दर	ईकाइ	राशि
1	415(स)	50 मी. लीड के साथ मिट्टी कार्य	2,11,822.60	31.00	घनमी.	65,66,501	54,794.60	31.00	घनमी	16,98,633
2	415(अ)	लीड प्रभार 500 मी.	1,57,029.00	62.64	घनमी	98,36,296	1,57,029.00	43.00	घनमी	67,52,247
3	418(अ)	पानी कार्य ई/डब्ल्यू	2,11,822.60	13.00	घनमी	27,53,694	2,11,822.60	13.00	घनमी	27,53,694
योग			211822.60			19156491	2,11,822.60			1,12,04,574
संयुक्त दर			19156491/211822.60 = 90.44				11204574/211822.60 = 52.90			
दर में अंतर			90.44 – 52.90 = 37.54							
ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित मिट्टी कार्य की मात्रा			156119.30 घन मी.							
अतिरिक्त लागत का योग (ब)		57,38,815.57	(156119.30 घन मी. * 37.54 प्रति घन मी.- यूएसआर 2009 से 2.08 कम प्रतिशतता)							
अतिरिक्त लागत का योग (अ+ब)			1,30,63,204.91							

परिशिष्ट-3.28

सीएनएस मिट्टी के गलत दरों के अपनाये जाने के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित: कंडिका 3.3.15, पृष्ठ 137)

क्र. स.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य की उचित दर	एनआईटी से जारी दिनांक	निविदा प्रीमियम (प्रतिशत धन या ऋण)	कार्यान्वित सीएनएस की मा.ट (घन मी. में)	सीएनएस की दर स्वीकार	स्वीकार की गई दर में प्रति घन मी. में बदलाव	निविदा प्रीमियम के साथ अधिक लागत $[8*(9-10)*(100+6)/100]$
	1	2	3	4	6	8	9	10	11
1	जल संसाधन विभाग, संभाग शाजापुर	कछाल तालाब का दांया तट निर्माण	527.00	01-04-2013	9.95	18,833.43	94	52	8,69,709
2	जल संसाधन विभाग, संभाग शाजापुर	कछाल तालाब का बांया तट निर्माण	1,150.00	21-05-2013	17.71	24,648.56	94	52	12,18,580
3		सागर परियोजना का मुख्य नहर में सी.सी. लाइनिंग, संख्या 04 वितरिका एवं अंतिम भाग तक	2,748.22	10-01-2014	9.88	84,730.14	94	52	39,10,262
4	संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा	संजय सागर परियोजना का मुख्य नहर में सी.सी. लाइनिंग, संख्या 02 वितरिका एवं अंतिम भाग तक	2,528.84	10-01-2014	9.88	46,170.78	94	52	21,30,763
5		निपनिया नहर परियोजना में मुख्य नहर और लघु नहर का मिट्टी कार्य संरचना एवं सीसी लाइनिंग	561.09	01-09-2014	14.99	2,697.03	94	52	1,30,255
6	जल संसाधन विभाग, संभाग कटनी	सर्रा तालाब का आरआरआर कार्य	169.33	18-01-2013	8.5	9,268.71	170.2	52	11,88,684
7	रॉक फिल डेम संभाग देवलौद	मगरदाह उच्च स्तरीय नहर की सीसी लाइनिंग	824.13	12-08-2013	7.99	5,047.92	94	52	2,28,952
8	सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर	वितरिका 04 के आरबीसी के कि.मी. 12 से 21.12 तक सर्विस सड़क पर सीसी लाइनिंग एवं डब्ल्यू.बी.एम.	311.33	14-02-2013	7.86	21,648.77	77	52	5,83,759
9	सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर	वितरिका 04 के आरबीसी के कि.मी. 00 से 12 तक सर्विस सड़क पर सीसी लाइनिंग एवं डब्ल्यू.बी.एम.	426.09	14-02-2013	8.86	19,443.89	77	52	5,29,165

10	जल संसाधन विभाग शिवपुरी	नहर की रिमोडलिंग और भगोरा, सतरिया, इमलिया और पिपलोदा तालाब के आउटलेट सेट का निर्माण	28-02-2014	(-) 5.05	3,744.30	94	52	1,49,319
		योग			2,36,233.53			1,09,39,448

परिशिष्ट-3.29

नहर कार्यों में टेंपिंग के अनियमित मद के क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भित : कंडिका 3.3.16 पृष्ठ 138)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कार्य का नाम	सी एन एस की मात्रा (घन मी.)	निविदा प्रतिशतता	टेंपिंग की मात्रा (व.मी.)	टेंपिंग की दर (₹ 10.5 प्रति व.मी. ± निविदा प्रतिशतता)	कुल अतिरिक्त लागत
1	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मनावर धार	इंदिरा तालाब परियोजना, मनावर	3,341.03	2.08 कम	12,671.90	10.28	1,30,267.13
2	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कटनी	सर्रा तलाब परियोजना का आरआरआर कार्य	9,268.71	8.5 अधिक	25,284.86	11.39	2,88,057.77
3	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह	माला तालाब का बांधा तट बांध के आरबीसी का आरआरआर कार्य एवं लघु कार्य	8,555.06	19.94 अधिक	39,220.11	12.59	4,93,781.18
4	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह	माला तालाब का बांधा तट बांध के आरबीसी का आरआरआर कार्य एवं लघु कार्य	6,009.43	11.86 अधिक	26,367.27	11.75	3,09,815.42
5	कार्यपालन यंत्री एस पी दायां तट नहर संभाग नरवर	आरआरसी के डी-4 वित्तिका के कि.मी. 12 से कि.मी. 21.12 तक सर्विस तट पर सीसी लाइनिंग और डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण का कार्य	21,533.81	7.86 अधिक	45,792.80	11.33	5,18,832.42
6	कार्यपालन यंत्री एस पी दायां तट नहर संभाग नरवर	डी-4 वित्तिका के 0 से 12 कि.मी. तक सीसी लाइनिंग का निर्माण	16,746.57	8.86 अधिक	28,166.67	11.43	3,21,945.04
7	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग देवास	दतुनी तालाब परियोजना के चरण-2 के माइनर नहर कार्य का निर्माण	10,933.58	14.23 अधिक	39,228.00	11.99	4,70,343.72
8	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग देवास	दतुनी तालाब का निर्माण (नहर)	26,597.64	18.89 अधिक	63,494.07	12.48	7,92,625.05

9	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग राजगढ़	खुशालपुरा मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के दायां तट नहर और बायां तट नहर मुख्य में सीसी लाइनिंग कार्य का निर्माण	5,318.21	16.11 अधिक	8,970.51	12.19	1,09,350.52
10	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, गंजबसौदा	सगढ़ एमआईपी सं. 4 वितरिका और मुख्य नहर में कास्ट-इन-सिटू पेवर और नॉन पेवर सीसी लाइनिंग का निर्माण	1,03,744.38	9.88 अधिक	2,40,967.18	11.54	27,80,134.74
11	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, गंजबसौदा	संजय सागर (बाह्य) परियोजना का मुख्य नहर और सं. 2 वितरिका में कास्ट-इन-सिटू पेवर और नॉन पेवर सीसी लाइनिंग का निर्माण	47,636.95	9.88 अधिक	1,26,334.74	11.54	14,57,574.43
12	कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, गंजबसौदा	निपनिया नहर परियोजना मुख्य नहर एवं लघु नहर की मिट्टी खुदाई एवं सीसी लाइनिंग का निर्माण कार्य	2,697.03	14.99 अधिक	5,258.5	12.07	63,490.87
		योग	2,62,382.40		6,61,756.61		77,36,218.29

©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in